(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृतान्त

अंक 5] सप्तम् विधान सभा के पंचम सत्र का प्रथम दिवस [संख्या 1

सोमवार,

दिनांक 6 सितम्बर, 1982

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

व्यवस्था का प्रश्न

पत्रकार दीर्घा में पत्रकारों की अनुपस्थिति

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको अर्ज करूंगा, प्रेस बिल के सम्बन्ध में........

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। विपक्ष के नेता महोदय, प्रश्नकाल में इस तरह के प्रश्न उठाये नहीं जाते हैं।

श्री त्रिलोक सिंह (फतेहपुर) : यह इस तरह का सवाल है कि जिस देश में....

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के नेता महोदय....

श्री राजबहादुर....बहिष्कार करता हूं

श्री त्रिलोक सिंह : इस तरह का जुल्म इसी देश में है, किसी और देश में नहीं है कि प्रेस वाले गवर्नर से मिलने गये हो अपनी फरियाद लेकर....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। स्थान ग्रहण कीजिए। इस सम्बन्ध में अलग से प्रस्ताव....

विपक्ष के नेता महोदय....

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) अध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी करना चाहता हूं विधान सभा की कार्यवाही आरम्भ होने के साथ एक तरफ सत्ता पक्ष विरोध पक्ष, और, अध्यक्ष महोदय, उनके साथ एक पक्ष और होता है जो विधान सभा में उपस्थित रहता है, जिसके द्वारा विधान सभा के सारे डेलीगेशंस, कार्यवाहियां जनता तक पहुंचायी जाती हैं। मेरी जानकारी में, आज पत्रकार दीर्घा खाली है, उन्होंने बहिष्कार किया है। मैं आपके माध्यम से सरकार से जानकारी चाहूंगा, मैं मुख्य मन्त्री से जानना चाहूंगा कि क्या यह तथ्य है कि प्रेस वालों ने बहिष्कार किया है? यदि यह तथ्य है तो इसका कारण क्या है? मुख्य मन्त्रीजी बतायें तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं समझता हूं, यह

Page No 2

(2)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

पहली और अनहोनी घटना है। आज तक कभी भी पत्रकार दीर्घा में बहिष्कार नहीं हुआ है। इस घटना के बारे में मुख्य मन्त्रीजी जानकारी दें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, विधि मन्त्री जी।

श्री बृज सुन्दर शर्मा (विधि मन्त्री) : इस मामले में जो कुछ प्रश्न उठा सकते है, प्रश्नोत्तर काल के बाद उठा सकते है। इस काल में इस प्रकार के प्रश्न न कभी उठाये गये हैं, न इनका जवाब मिला है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि प्रश्नोत्तर काल खतम होने के बाद दूसरी प्रक्रिया....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह नहीं कि आज माननीय सदस्य प्रश्न पूछें और सरकार कल उनका उत्तर देगी। इन उत्तरों के जरिए पब्लिक को जानकारी होगी। इसका मतलब यह हुआ कि आज जो प्रश्न पूछे जायेंगे उनकी जानकारी जनता को नहीं होगी। जैसा माननीय विधि मन्त्री जी ने कहा कि प्रश्नकाल के बाद दूसरी बात उठायी जा सकती है। यह पहली अनहोनी बात है। इस बात को स्वीकार करेंगे कि प्रेस ने बहिष्कार किया है, यह अनहोनी घटना हो रही है। मुख्य मन्त्रीजी उपस्थित हैं, मुख्य मन्त्रीजी बतायेंगे कि किस कारण से प्रेस ने बहिष्कार किया है ताकि सारी स्थिति स्पष्ट हो सके और ववेशचन आवर की जो बातें हैं, वह प्रेस के थ्रू जनता को कम्युनिकेट कर सकें।

श्री राजबहादुर : प्रश्नोत्तर काल में ही हम लोग बहिष्कार करते हैं।

(बहिर्गमन)

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : हम यह समझते हैं कि सदन सर्वोच्च है, आपकी गरिमा इसी में निहित है। मैं यह समझता हूं कि बिहार सरकार ने काला कानून बनाया ही है लेकिन राजस्थान की सरकार ने यहां के पत्रकारों के साथ जो सलूक किया है गृह राज्य मन्त्री, प्रद्युम्न सिंहजी ने धारा 144 सिविल लाइन्स में लगा दी, हम जो विधायक हैं, किसी भी पार्टी के हों, पत्रकारों के साथ थे, उन पर, हम पर डण्डे बरसाये गये, लाठी चार्ज हुआ, अधिकार छीन लिये गये हैं। प्रजातन्त्र नहीं है, वह खत्म होता जा रहा है। यह ××× तरीका है। यह ××× सरकार चलाना चाहते हैं। मुख्य मन्त्रीजी, आपके....

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं होगा, माननीय सदस्य।

कृपया स्थान ग्रहण कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री मेघराज तावड़ : आज धारा 144 लगाकर....

श्री अध्यक्ष : किसी और तरीके से उठायें। माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायें।

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, न आप रहेंगे न हम रहेंगे। यह प्रजातन्त्र नहीं है। ऐसे काले कानून ××× सरकार के विरोध में बायकाट करता हूं।

(बहिर्गमन)

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह (गुढ़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि यहां के पत्रकारों ने एक प्रदर्शन कर मौन और बड़े....

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रस्ताव है, माननीय सदस्य, उस पर....

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह :....माननीय गृह राज्य मन्त्रीजी ने स्टेटमेण्ट दिया कि मेरी जानकारी में नहीं है, मुख्य मन्त्रीजी ने कहा कि जानकारी नहीं है। फिर क्या कारण हो गया ? क्या इसके पीछे कोई दूसरी सरकार थी ? इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। मैं और मेरा दल इसके विरोध स्वरूप, ताकि मुख्य मन्त्रीजी और यह सरकार जो एक्शन हुआ उसकी न्यायिक जांच कराये ताकि तथ्य आ सकें, सदन से बहिष्कार करते हैं।

(बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

श्री लच्छूराम (मण्डावा) : राजस्थान विधान सभा बिना पत्रकार दीर्घा के है, जो कि विधान सभा के प्रश्न और उत्तर, जनता के अभाव अभियोग की सुनवाई के लिए जनता को अपनी आवाज देती है, ऐसी स्थिति में मेरी पार्टी, लोकतांत्रिक लोकदल बहिष्कार करती है।

(बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। शान्त रहें, माननीय सदस्य। श्री अमीन खां।

तारांकित प्रश्नोत्तर

जिला बाड़मेर की सीमा पर पाकिस्तानी हथियारों की बरामदगी

1. **श्री अमीन खां (शिव)** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बाड़मेर जिले की सीमा पर रहने वाले शरणार्थियों के पास कितने अवैध पाकिस्तानी हथियार पकड़े गये हैं ? कृपया थानावार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियो में से कितने व्यक्ति फरार हो गये हैं और उनकी अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है ?

राज्य मन्त्री, गृह (श्री प्रद्युम्न सिंह) :

(1) वर्ष 1967 से अब तक कुल 43 हथियार इन शरणार्थियों से पकड़े गये। थानावार सूची निम्न प्रकार है:—

थाना, बीजरोड	गहरा रोड	रामसर	चौहटन
1	1	1	1

(2) पुनर्वास विभाग के अनुसार कोई व्यक्ति इन कैम्पों से फरार नहीं हुआ।

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री अमीन खाँ : अध्यक्ष महोदय, इन्हीं हथियारों के साथ कुछ व्यक्तियों ने पिछले दिनों गांव मुंगेरिया में पशुओं की चोरी की चोरी के बाद एस. पी. की पार्टी ने पीछा किया। फिर इन डकैतों का हथियार वालों का और पुलिस वालों का मुकाबला हुआ। पुलिस को उनके नाम भी मालूम हो गये हैं मगर आदमी आज तक गिरफ्तार नहीं किए जा सके हैं। मुझे संदेह है कि पुलिस के आदमियों ने उनसे मेल कर लिया है। पुलिस विभाग को उनके नाम मालूम हैं, उसके बाद भी 4-5 गांवों में पशुओं की चोरी हुई क्या आपके पास यह जानकारी है जिन्होंने चोरियां की हैं, उनके मुकदमे धारा 379 और 307 में दर्ज हैं। उनको गिरफ्तार कब तक करोगे ?

(व्यवधान)

श्री चन्द्रवीर सिंह (जैसलमेर) : मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा, उन्होंने अभी प्रश्न के उत्तर में कहा है कि कोई पाकिस्तानी फरार नहीं हुआ है, क्या यह सही है कि....

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैंने भी यही बात कही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या यह सही है कि मापुर पंचायत, बूझिया के एक मेघवाल के पास एक नाजायज हथियार प्राप्त हुआ है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्न यह था कि बाड़मेर जिले की सीमा पर रहने वाले शरणार्थियों के पास कितने अवैध पाकिस्तानी हथियार पकड़े गये हैं, कृपया थानावार सूची सदन की मेज पर रखें। थानेवार सूची मैंने सदन की मेज पर रख दी है। थाना रामसर, गडरा रोड ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : गडरा रोड में किसके पास मिला ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : दिनांक 28.7.82 को थानो पुत्र चतरा के पास एक 12 बोर गन न. 3878 प्राप्त हुई।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने यही पूछा है। क्या यह सही है कि जिस व्यक्ति के पास यह पकड़ी गयी है, जो बूझिया गांव में आया, बी. एस. एफ. की मेघवाल ने इसकी सूचना दी, बी. एस. एफ. ने इसकी गिरफ्तारी की, उससे बदला लेने के लिए एक मेघवाल के घर पर एक बन्दूक और शराब की बोतल रख दी गई और उसको झूठा गिरफ्तार किया गया ? इसके खिलाफ पांच हजार मेघवालों ने डिमांस्ट्रेशन किया। इसके इन्वेस्टीगेशन के लिए डी. वाई. एस. पी. को लगाया गया है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह मामला जेर तफतीश है, अण्डर इन्वेस्टीगेशन है! दिनांक 28. 7. 82 को केस दर्ज हुआ है। विरोधी दल के माननीय नेता ने जो तथ्य दिये हैं उनके बारे में मैं और जानकारी कर लूंगा। अभी अदालत में चालान पेश नहीं किया गया है, इसलिए पूर्ण तथ्य तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि मामला पेण्डिंग इन्वेस्टीगेशन है। किस-किस थाने में किस-किस के पास हथियार पकड़े गये यह डिटेल्स अभी नहीं मिल पायी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में जिलाधीश, बाड़मेर ने रिपोर्ट दी है कि इसके पास हथियार रखे गये हैं और यह झूंठा केस है ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : गृह विभाग में बाड़मेर जिलाधीश से ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या मुख्य मन्त्रीजी को मालूम है ?

मुख्य मन्त्री (श्री शिवचरण माथुर) : मेरे को इस बात की कोई जानकारी नहीं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपने यह पिन पाइन्ट क्वेश्चन पूछा है, उसका मैंने उत्तर दिया है। आप राजनीतिक लाभ उठाने की दृष्टि से कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं। यह अलग से प्रश्न है इसका आप नोटिस दीजिये I will reply.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि गृह राज्य मन्त्रीजी ने यह कहा कि राजनीतिक लाभ उठा रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि इससे क्या राजनीतिक लाभ मिल सकता है। अध्यक्ष महोदय, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया यह एक घटना नहीं है, मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहूंगा, एक मेघवाल नहीं, कई मेघवालों को इस बात के लिए गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान के स्मगलर्स हैं, स्पाईज हैं, उनकी इत्तला बी. एस. एफ. को दी गई और जो कार्यवाही की उसके अगेन्स्ट में इतना बड़ा डिमांस्ट्रेशन हुआ। माननीय गृह मन्त्रीजी और सतर्कता राज्य मन्त्री जी को इसकी जानकारी होनी चाहिये। उस मेघवाल को पाकिस्तान ले गये और दो साल से उसको ट्रेसआउट किया जा रहा है। न तो बी. एस. एफ. और न राजस्थान की गवर्नमेन्ट ही कुछ कर पा रही है। मेरा निवेदन है कि आप इस मामले को सीरियसली लें। कलेक्टर ने रिपोर्ट दी, अखबारों में प्रकाशित हुई और सरकार को पता नहीं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : किस अखबार में ? किसी अखबार में नहीं आई।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको तो, अखबारों में आयेगा तब ही जानकारी मिलेगी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप बता दीजिये, किस अखबार में आया है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यही कह रहा हूं, अखबार में आई है। इसीलिए आज अखबार वाले नहीं हैं तो यह मसला यहीं खतम हो जायगा। मुख्य मन्त्रीजी, इस पर सीरियसली विचार करें, आप इसकी जानकारी प्राप्त करें, यह प्रद्युम्न सिंहजी के बस की बात नहीं है, गृह विभाग को इनके भरोसे नहीं छोड़ें। बिहार जैसी स्थिति यहां भी उत्पन्न कर देंगे, जिस प्रकार से डिपार्टमेन्ट को ये हैण्डल कर रहे हैं उससे तो मैं यही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : विषयान्तर हो रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं विषयान्तर नहीं हो रहा, अध्यक्ष महोदय । मुंगेरिया गांव है, खेतसिंहजी जानते हैं, वे बाड़मेर से आये हैं, वहां पर बैल ले जाने वाले पकड़े गये हैं । वहां पर एक फरार व्यक्ति आया उसको गिरफ्तार करवाया गया लेकिन पुलिस ने उसको प्रोटेक्शन दिया । पाकिस्तान के फरार लोग कोशिश कर रहे हैं कि मुंगेरिया के लोगों को मारा जाय । पुलिस वहां से हटा दी । इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, ऐसे मामले छोटे-मोटे हो सकते हैं लेकिन इन मामलों को सीरियसली गवर्नमेन्ट ले । मुख्य मन्त्रीजी को अखबारों से सूचना नहीं मिली, हम सूचना देंगे, यह बॉर्डर का प्रश्न है । अमीन खां जी का और हमारा दोनों का इन्ट्रेस्ट हो सकता है, उसको आप वाच करेंगे ।

श्री अमीन खां : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया, 307 के मुल्जिम और 379 के मुल्जिम को गिरफ्तार करने में आपकी पुलिस देर क्यों कर रही है ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने शरणार्थियों के बारे में प्रश्न पूछा था । जो माननीय सदस्यों ने जानकारी दी, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस के जरिये, मैं उनके बारे में जांच करवाऊंगा और नियमानुसार कार्यवाही की जायगी ।

श्री चन्द्रवीर सिंह : पाकिस्तान से जो लोग आते हैं उनको प्रोटेक्शन दिया जाता है । शिव से आने वाले माननीय सदस्य साम्प्रदायिकता भड़काना चाहते हैं और पाकिस्तान से आने वाले....

(व्यवधान)

श्री अमीन खां : पीर-पगारों की चिट्ठी लेकर जो गांव गांव में बोहरों के लिए आप घूमते हैं....शतिदानसिंह 307 का मुल्जिम है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सदन के नेता कुछ कहना चाहते हैं ।

श्री शिवचरण माथुर (मुख्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, इस सम्माननीय सदन के माननीय सदस्यों को सरकार से जानकारी प्राप्त करने का पूरा अधिकार है लेकिन उस अधिकार का प्रयोग करते हुए यदि कोई माननीय सदस्य प्रश्नों के मार्फत जानकारी चाहे और उस पर दूसरा कोई माननीय सदस्य साम्प्रदायिक होने का चार्ज लगावे, इसको मैं उचित नहीं समझता हूं ।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : आपकी सरकार ने डी. आई. आर. में बन्द....

(व्यवधान)

श्री शिवचरण माथुर : माननीय सदस्य, अमीन खां जी ने एक प्रश्न के माध्यम से जानकारी चाही, उनको अधिकार है, आपने भी चाही, उस सम्बन्ध में यह स्वीकार किया कि जानकारी नहीं है उसकी पूरी तरह से जांच करके कार्यवाही करने की बात करेंगे । इसमें कहां सवाल आता है साम्प्रदायिकता का ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह कहां सवाल आता है कि राजनैतिक लाभ उठा रहे हैं ?

(व्यवधान)

आपके शिष्य कह रहे हैं।

श्री शिवचरण माथुर : आप राजनीतिक हैं, आप राजनीतिक लाभ निश्चित रूप से उठाने की कोशिश करेंगे। यह कोई गलत बात नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री शिवचरण माथुर : अभी माननीय सदस्य ने कहा कि श्री अमीन खां जी ने इस माध्यम से साम्प्रदायिकता फैलाने की चेष्टा की है। मैं मानता हूं कि ऐसी बातें माननीय सदस्य को नहीं कहनी चाहिये, यह कोई अच्छी बात नहीं है। हमें सदन की गरिमाओं का, परम्पराओं का अच्छी प्रकार निर्वाह करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री कैलाश मेघवाल।

उद्योगों द्वारा विद्युत की चोरी

2. **श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व)**: क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) दिनांक 1-4-1980 से दिनांक 31-3-1982 तक राजस्थान में कितने यूनिट बिजली की चोरी किस-किस उद्योग व किन-किन व्यक्तियों के द्वारा की गई ? कृपया पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखें।

(2) चोरी पकड़े जाने के बाद कितने व्यक्तियों व उद्योगों के बिजली के कनेक्शन काटे गये तथा कितने के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

(3) राज्य सरकार इस प्रकार की चोरी को रोकने के क्या प्रभावी कदम उठाने का विचार रखती है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न की सूचना पूरे राज्य भर से एकत्रित करनी है, यह करीब 250 के आसपास है ? इसलिये इसमें कुछ समय लग सकता है अतः मेरा निवेदन है कि इसको स्थगित किया जाये।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : जहां तक मेरी जानकारी है, इस प्रश्न की सूचना राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्रश्न स्थगित कर दिया गया।

श्री कैलाश मेघवाल : राज्य में कहीं भी चोरी हो, इसकी सूचना इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : स्थगित कर दिया गया है।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, जहां तक सूचना का प्रश्न है इसमें तमाम प्रदेश से सूचनाएं इकट्ठी करनी पड़ेंगी। इसमें काफी समय लग सकता है।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

श्री भैंरोंसिंह शेखावत : इसका मतलब यह हुआ कि जैसे माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि जे. ईएन., ए. ईएन, एक्स. ईएन; सारी जगह से सूचनायें इकट्ठी करेंगे. इस बात की अभी कोई सूचना नहीं है, तो स्थगित क्यों हुआ? इसलिये कि प्रश्न इस सदन में नहीं आयेगा।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात की कोशिश करूंगा कि इस प्रश्न का उत्तर दूं। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि अगर पूरी सूचना उपलब्ध नहीं हुई तो मैं जितनी उपलब्ध होगी, उनका उत्तर दूंगा।

श्री भैंरोंसिंह शेखावत : यह परम्परा बिलकुल गलत है। यह आपके प्रशासन का प्रश्न है, इसका मतलब है कि सरकार इसका उत्तर दे। यह सही नहीं कि सरकार कहे, हमें इसकी सूचना नहीं मिली। क्या इसको हवाई जहाज से मंगाना था? जो रिपोर्टेड मैटर्स हैं, हम उनके बारे में आपसे जानकारी ले रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : आप दो साल के अन्दर जितने मामले हुए हैं उनकी जानकारी ले रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री भैंरोंसिंह शेखावत : इनको ज्यादा बोलने की आदत है। जिसके पीछे पड़ जायं उसको छोड़ते नहीं हैं। मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि यह सब सूचनाएं एक संकलित रूप में हैं। एक महीने की छूट लेना चाहें तो समझ में आ सकता है....

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय ने यह निवेदन किया है कि इसका उत्तर दे दिया जायेगा। अगला प्रश्न।

श्री छीतरलाल आर्य।

निर्वाचन क्षेत्र, अटरू में विभिन्न विद्यालय

3. **श्री छीतरलाल आर्य** (अटरू) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, अटरू में कुल कितने मिडिल, सैकण्डरीज, हायर सैकण्डरी स्कूल कार्यरत हैं? कृपया ग्राम वार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) किन-किन हायर सैकण्डरी स्कूल्स में कौन-कौन से ऐच्छिक विषय पढ़ाये जा रहे हैं?

( ) क्या इन हायर सैकण्डरी विद्यालयों में विषयों के अनुसार अध्यापक नियुक्त हैं? यदि नहीं, तो कहां-कहां पर अध्यापक नहीं हैं?

उप मंत्री, शिक्षा (श्री बुलाकी दास कल्ला) : (1) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, अटरू में 14 मिडिल, 5 सैकण्डरी एवं एक हायर सैकण्डरी स्कूल कार्यरत हैं। इनकी सूची सदन से टेबल पर रख दी गई है।

(2) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, अटरू में एक ही हायर सैकण्डरी स्कूल चल रहा है जिसमें कला, वाणिज्य व विज्ञान तीनों संकायों में निम्न ऐच्छिक विषय पढ़ाये जा रहे हैं :—

कला संकाय : हिन्दी, नागरिक शास्त्र एवं अर्थशास्त्र।

वाणिज्य संकाय : बही खाता, व्यापार पद्धति एवं बैंकिंग।

विज्ञान संकाय : भौतिक शास्त्र, गणित एवं जीव विज्ञान।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी को चाहिये कि जवाब दें। हम इनके पास जाते हैं तो यह कहते हैं....

श्री भंवरसिंह गुर्जर (खारची) : सारा काम चन्दनमल वैदजी करते हैं तो जवाब भी वही क्यों नहीं देते हैं ?

श्री अध्यक्ष : नियमों में ऐसा प्रावधान है कि राज्य मंत्री, उप मंत्री जवाब दे सकते हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रावधान है कि मंत्री चाहे कोई भी हो जवाब दे, लेकिन जब सदन की यह इच्छा है कि मंत्रीजी ही जवाब दें तो उनको ही जवाब देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

उप मंत्रीजी जवाब देते हैं तो मंत्रीजी का जवाब समझना चाहिये। तीसरे का उत्तर दुबारा पढ़ दीजिये।

श्री बुलाकी दास कल्ला : (3) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र अटरू में एक ही हायर सैकण्डरी स्कूल है एवं वहां सभी विषयों के अध्यापक नियुक्त हैं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा) : अभी माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि अभी विषयों के अध्यापक नियुक्त हैं। नियुक्ति देते हैं किन्तु वह वास्तव में स्टेशन में हैं या नहीं, यह बताने की कृपा करें ?

श्री बुलाकी दास कल्ला : नियमानुसार यदि कोई छुट्टी ले ले अथवा किसी कारण से अनुपस्थित हो तो उसके लिये अलग से प्रस्ताव कर सकते हैं। जहां तक नियुक्ति का सम्बन्ध है, वहां कोई स्थान रिक्त नहीं है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मंत्री महोदय, अभी तक वहां पर अध्यापक नहीं पहुंचे हैं और स्कूल वैसे ही चल रहे हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : कोई स्पेसिफिक प्रश्न हो तो बतायें। उन तमाम पदों की पूर्ति कर दी गई है, जो रिक्त थे।

श्री छीतरलाल आर्य : वहां पर अंग्रेजी का सीनियर टीचर नहीं है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अंग्रेजी के सीनियर टीचर की वहां पर नियुक्ति कर दी गई है।

श्री छीतरलाल आर्य : वहां श्री बांके बिहारी नामक एक सीनियर टीचर थे वहां से उनका ट्रांसफर कर दिया गया है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : राज्य सरकार के प्रशासनिक नियमों के कारणों से कई अध्यापकों के स्थानान्तरण होते रहते हैं तो वहां दूसरा अध्यापक नियुक्त कर देते हैं। ऐसी स्थिति में हम यह नहीं कह सकते कि कोई अध्यापक नियुक्त नहीं है। माननीय सदस्य का प्रश्न किसी एक व्यक्ति के स्थानान्तरण से सम्बन्धित है।

श्री पीरूराम(टीबी) : यह पत्र मेरे पास शिक्षा मन्त्री जी का है। इन्होंने लिखा है कि हमने 7 अध्यापक लगा दिये हैं। इनका जवाब बिलकुल गलत है। इनको सही उत्तर देने चाहिये। वायदा किया फिर भी अध्यापक नहीं भेजे। इनको इस्तीफा दे देना चाहिये। आज तक अध्यापक नहीं पहुंचे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के नेता महोदय। आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या शिक्षा मन्त्री बतायेंगे कि जिस अंग्रेजी सीनियर टीचर के बारे में पूछा गया, उसका पद 4 महीने 17 दिन से खाली है?

(व्यवधान)

श्री दुलाराम (रायसिंहनगर) : सारे मिडिल स्कूल, सैकन्डरी स्कूल व हायर सैकन्डरी स्कूलों में अध्यापक नहीं हैं और मुख्य मन्त्री जवाब दे रहे हैं। सारे राजस्थान के मिडिल स्कूल्स, हाई स्कूल्स व हायर सैकन्डरी स्कूल्स में एक भी अध्यापक नहीं है। मन्त्री महोदय क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं?

(व्यवधान)

श्री शिवदानसिंह राठौड़ (जैतारण) : सारी शिक्षा व्यवस्था को ही डुबो दिया....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री शिवदानसिंह राठौड़ : शर्म की बात है, बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्री शिवदानसिंह राठौड : बच्चों को पढ़ाने वाला गांव में नहीं और मन्त्री महोदय नींद ले रहे हैं। राजस्थान की जनता....

श्री दुलाराम . वित्त मन्त्री घाटा पूरा करना चाहते हैं लेकिन राजस्थान के बच्चे शिक्षा के बगैर बैठे हुये हैं और स्कूलों में अध्यापक नहीं हैं। यह दुदर्शा कब तक चलेगी? यह कौन सहन करेगा? राजस्थान की जनता सहन नहीं करेगी। मेरा

(श्री दुलाराम)

निवेदन है कि शिक्षा मंत्री से जवाब दिलवायें ताकि भविष्य में कमी पूरी हो सके।

श्री रामसिंह विश्नोई : यह प्रश्न केवल अटरू का होता तो आपत्ति नहीं होती लेकिन यह राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर मिडिल स्कूल, सैकण्डरी स्कूल व हायर सैकण्डरी स्कूल हैं उनका है। प्रथम तो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में आपकी अनुकम्पा से कहीं भी एक विषय के अलावा कोई पढ़ाने वाला नहीं है, जहां एक विषय है, वहां पर इनकी कृपा से एक भी अध्यापक नहीं है, यह हालत 80 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में है। मन्त्री महोदय को समय नहीं है प्रश्नों का जवाब देने का, मन्त्री महोदय हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के अध्यापकों को विषयवार नहीं देख सकते। अगर आपको समय नहीं है तो आपको इस्तीफा देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री छीतरलाल आर्य : अटरू में 4 महीने 17 दिन से अंग्रेजी का सीनियर टीचर नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य का कहना है कि अटरू क्षेत्र में हायर सैकण्डरी स्कूल में 4 महीने 17 दिन से अंग्रेजी का अध्यापक नहीं है।

(व्यवधान)

श्री दुलाराम : इस सदन की भावना है कि शिक्षा मन्त्री जवाब दें, यह सदन चाहता है कि शिक्षा मन्त्री उस कमी को पूरा करें। जवाब दिलवाया जाये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्री दुलाराम : सदन शिक्षा मन्त्री का इस्तीफा चाहता है या तो वह रिजाइन कर दें या कमी को पूरा करें। सदन इनका रेजिग्नेशन चाहता है, आप वोट करवा लें।

श्री भैरूसिंह गुर्जर (खारची) : सदन की भावना है कि शिक्षा मन्त्री इस्तीफा दे दें।

श्री शिवदानसिंह राठौड़ : शिक्षा मंत्री सदन को संतुष्ट करने के लिये....

श्री अध्यक्ष : कृपया उनकी बात सुन लीजिये। शिक्षा मन्त्रीजी।

शिक्षा मन्त्री (श्री चन्दनमल वैद) : यह प्रश्न एक स्कूल विशेष के बारे में पूछा गया था....

(व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : नहीं, नहीं, सारे राजस्थान का है।

श्री गोकुलचन्द शर्मा (सुमेरपुर) : आपके हाथ में क्या है? आप क्या कर सकते हैं?

श्री चन्दनमल वैद : मैं सारे सदस्यों का बोलने में मुकाबला नहीं कर सकता।

Page No 12

(12)

श्री गोकुलचन्द शर्मा : इस्तीफा दे दो ।

श्री दुलाराम : × × ×

एक माननीय सदस्य : शिक्षा मन्त्री को स्तीफा दे देना चाहिये ।

श्री चन्दनमल बैद : मैं निवेदन कर रहा था कि यह प्रश्न स्कूल विशेष का है....

(व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : नहीं, नहीं, सारे राजस्थान का है ।

श्री गोकुलचन्द शर्मा : एक जिले का नहीं है ।

श्री दुलाराम : इस तरह राजस्थान में एजूकेशन डिपार्टमेंट चल रहा है । विधायक रो रहे हैं । हम व्यवस्था चाहते हैं, जवाब नहीं चाहते । व्यवस्था की जाय, सारे राजस्थान का सवाल है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया नियमों का ध्यान रखें, आसन पैरों पर है । कृपया स्थान ग्रहण करें । आर्डर प्लीज । सदन के नेता कुछ कहना चाहते हैं ।

श्री दुलाराम : नेता महोदय को नहीं सुनेंगे । शिक्षा मन्त्री ने राजस्थान में शिक्षा का बंटाधार कर दिया । चाहे, अध्यक्ष महोदय, आप मुझे जबर्दस्ती निकाल दें, मैं मानने वाला नहीं हूं । आपने सारे राजस्थान में.......

श्री अध्यक्ष : आप बात तो सुन लीजिये ।

श्री दुलाराम : कौनसी बात सुन लूं ?

श्री भंवरसिंह गुर्जर : क्या शिक्षा मन्त्री इतने नाकाबिल हो गये कि सदन के नेता जवाब दे रहे हैं ? अगर नहीं है तो स्तीफा दे देना चाहिये । आप शाम तक इस्तीफा दे रहे हैं या नही ?

श्री अध्यक्ष : सदन के नेता कुछ कहना चाहते हैं ।

आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें, मुख्य मन्त्रीजी कुछ कह रहे हैं ।

श्री शिवचरण माथुर : एक मिनट सुन लीजिए ।

श्री पीरूराम : अध्यक्ष महोदय, क्या सुन लें, आज गांवों में टीचर नहीं हैं और वहां की हालत खराब है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर । माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें । इस प्रश्न का संबंध कोटा जिले के अटरू क्षेत्र के स्कूल के संबंध में है, इस पर माननीय सदस्यों ने कुछ नाराजगी सदन में व्यक्त की और जब इस प्रश्न का जवाब देने माननीय शिक्षा मन्त्रीजी खड़े हुए तो माननीय सदस्य उनकी बात सुनने को तैयार नहीं हैं....

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

(श्री अध्यक्ष)

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, सदन के नेता कुछ कहने को खड़े हुए हैं, माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। एक मिनट, पहले उनकी बात सुन लीजिये उसके बाद में अगर किसी माननीय सदस्य को कोई शंका रह जाती है तो फिर उसके बारे में भी पूछ लीजिए।

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के बारे में जब शिक्षा मन्त्रीजी जवाब देने खड़े हुए तब माननीय सदस्यों ने........

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें।

श्री दुलाराम : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा मन्त्रीजी की बात क्या सुनें, इनको शिक्षा विभाग से कोई लेना देना ही नहीं है। यह कोई जैन धर्म का प्रवचन नहीं है जो सुनें, कोई हमें इनका प्रवचन नहीं सुनना है। हम इनकी कोई बात सुनना ही नहीं चाहते। हम तो यह चाहते हैं कि सरकार गांवों में अध्यापकों की कमी को दूर करने की व्यवस्था करने को तैयार है या नहीं, और अगर यह गांवों में स्कूलों के अन्दर अध्यापकों की व्यवस्था नहीं करेंगे तो हमें इनको सुनना ही नहीं है। यह शिक्षा विभाग से तो कोई लेना देना रखते ही नहीं है, इनका तो लेना देना सिर्फ फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट से है, बड़े बड़े उद्योगपतियों से है, उद्योगों से अपना लेना-देना रखते हैं और सिर्फ उनको ही फायदा पहुंचाते हैं। यह गांवों में टीचर भेजना ही नहीं चाहते हैं। आज गांवों में स्कूलों के अन्दर अध्यापक नहीं होने के कारण हमारी बेइज्जती हो रही है। आज गांवों में हम यह नहीं चाहते कि हमारी और हमारी पार्टी की बेइज्जती गांवों के अन्दर हो। अगर यह अध्यापकों को नहीं भेज सकते हैं तो इनको वहां के स्कूलों को बन्द कर देना चाहिये। हम स्कूलों को बन्द होने की बात को सह लेंगे पर हम बेइज्जती नहीं सहन करेंगे। मेरा आपसे यह निवेदन है कि जब हम इस बात को लेकर मुख्य मन्त्रीजी के पास जाते हैं तो वह चन्दनमलजी का नाम बता देते हैं और चन्दनमलजी न तो मुख्य मन्त्री की बात सुनने को तैयार हैं न किसी दूसरे व्यक्ति की।

और, में तो यह कहना चाहूंगा कि अगर प्रधान मन्त्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी भी इनको कहें तो यह उनकी बात भी सुनने को तैयार नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय यह शख्स किसी बात को सुनने वाला नहीं है। इसलिये हम तो यह चाहेंगे कि या तो इसकी व्यवस्था करें और अगर यह व्यवस्था नहीं कर सकते हैं तो आप इनसे रेजिग्नेशन क्यों नहीं ले लेते हैं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। श्री रामसिंह विश्नोई।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष, महोदय, आप खुद शिक्षा मन्त्री रह चुके हैं आप भी यह जानते हैं कि जोधपुर जिले को 80 प्रतिशत स्कूल, जो कि गांवों में हैं, में अध्यापकों की कमी है। गांवों में टीचर्स की नियुक्तियां तो हुई हैं पर वहां पर

(श्रीरामसिंह विश्नोई)

टीचर्स नहीं हैं, गांवों में न तो इंग्लिश के टीचर हैं, न फिजिक्स के टीचर हैं और न ही दूसरे सब्जेक्ट्स के टीचर हैं और इस प्रकार वहां पर बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है। इधर इन्होंने अभी बीकानेर में डायरेक्टर के पद पर नये व्यक्ति की नियुक्ति करी है जिसने अपने जोधपुर के नीचे के जो आफिसर्स हैं उन्हें यह हिदायत दे रखी है जिसके अनुसार गांवों को टीचर्स अलॉट नहीं हो रहे हैं। मैं जोधपुर जिले विशेष तौर से लूणी और शेरगढ़ क्षेत्र के स्कूलों के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि वहा पर टीचर्स की बहुत कमी है। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि अगर शिक्षा मन्त्रीजी अध्यापकों की कमी को पूरा नहीं कर सकते हैं तो क्यों नहीं वहां के स्कूल ही बन्द कर दें और अपने पद से इस्तीफा दे दें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। कृपया शान्त रहें। मुख्य मन्त्रीजी कुछ कहना चाहते हैं।

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, यहां पर एक प्रश्न अटरू में विभिन्न विद्यालयों में अध्यापकों की कमी के बारे में सदन में उठाया गया और राजस्थान भर में अध्यापकों की कमी के सम्बन्ध में दूसरे सभी माननीय सदस्यों ने भी इस बारे में चिन्ता व्यक्त की, मैं भी उनकी चिन्ता से सहमत हूं।

श्री दुलाराम : अगर आप चिन्ता से सहमत हैं तो हटाइये इनको अपने मन्त्री मण्डल से।

(व्यवधान)

आपसे तो इनकी बनती ही नहीं। इनको बर्खास्त कीजिये।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज।

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, जब शिक्षा मन्त्रीजी बोलने खड़े हुए तो माननीय सदस्य उनकी बात सुनने को ही तैयार नहीं हुए।

श्री दुलाराम : क्या बात सुनें ? यह जो बात कहते हैं वह सुनने की ही है नहीं। क्योंकि यह व्यवस्था तो कर नहीं सकते हैं, यह तो सिर्फ आदर्श भाषण देना चाहते हैं।

श्री शिवचरण माथुर : माननीय सदस्य, अगर कोई समस्या है तो हम बैठकर उस समस्या का समाधान निकालें।

श्री दुलाराम : अध्यक्ष महोदय, इसमें समस्या किस बात की है ? टीचर्स गांवों में स्कूल में भेजने हैं, इसमें कौनसी समस्या है ? अगर आप स्कूलों में अध्यापकों को नहीं भेज सकते हैं तो आप फिर उन स्कूलों को बन्द कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री दुलाराम : अध्यक्ष महोदय, जहां गांवों में दस मास्टरों की जरूरत है वहां पर

(श्री दुलाराम)

सिर्फ दो मास्टर हैं। यह क्या बात है ?

श्री शिवदानसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मेरा मुख्य मन्त्री से यह निवेदन है कि अगर शिक्षा मन्त्रीजी से शिक्षा विभाग नहीं सम्भल रहा है तो आप उनको कोई दूसरा विभाग दे दीजिये, जहां पर यह बैठकर आदर्श भाषण दे सकें। आज राजस्थान के स्कूलों में बच्चों को उनके भाषण की जरूरत नहीं है बल्कि बच्चों को शिक्षा के लिये अध्यापकों की जरूरत है। आज गावों में स्कूलों में अध्यापकों की कमी के कारण बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। माननीय सदस्य।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय से जवाब तो दिला दीजिये।

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के नेता महोदय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, अभी मुख्य मन्त्री महोदय ने शिक्षकों की कमी के बारे में जो चिन्ता व्यक्त की, यह इनको अभी महसूस हुई या पहले से ही महसूस हो रही थी ?

श्री अध्यक्ष : चिन्ता तो अभी महसूस हुई होगी।

(व्यवधान)

श्री शिवचरण मायुर : शिक्षकों की कमी के बारे में चिन्ता कोई नई नहीं है, यह तो, जब आप इधर विराज रहे थे, तभी से है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उससे बदतर हालत तो अब हुई है उस समय ऐसी खराब हालत नहीं थी। आप यदि मेरे पद-चिन्हों पर चलना चाहते हैं, तब तो मुझे खुशी है क्योंकि वह व्यवस्था अच्छी थी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह चिंता तो आपकी देन है।

श्री शिवचरण मायुर : अध्यक्ष महोदय, आज की स्थिति में राज्य सरकार अब तीन हजार अध्यापकों की नियुक्ति कर उस जगह पर पहले टीचर्स भेजेगी जहां पर स्कूलों में टीचर्स की कमी है। अब स्थिति यह है कि समस्या तो इस प्रकार बढ़ी कि स्कूल खुलते गये और चूंकि विद्यार्थियों की संख्या उनके अनुपात में अधिक थी इसलिये अध्यापकों की कमी होती गई।

श्री दुलाराम : मेरा निवेदन यह है कि आज राजस्थान के अन्दर हायर सैकण्डरी और सैकण्डरी स्कूलों के जो रिजल्ट्स अभी आये हैं उनमें पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत सिर्फ 42 प्रतिशत ही रहा और 58 प्रतिशत विद्यार्थी फेल हो गये। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि गावों के स्कूलों में टीचर्स की कमी है। मैं मुख्य मन्त्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज गावों में स्कूल तो नाम के लिये खोल दिये गये हैं और वहां पर टीचर्स नहीं होने के कारण पूरी व्यवस्था नहीं हो रही है, यह दोष किसका है ? हम चाहते हैं

(श्री दुलाराम)

कि इस कमी को पूरा किया जाय। अगर इसी तरह की हालत चलती रही तो मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि हमारी युवा पीढ़ी के लोग इसके लिये कोई आन्दोलन करेंगे और हमारे और आपके सभी के लेने के देने पड़ जायेंगे।

श्री भंरूसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, जब सभी माननीय सदस्य इस विचारधारा के हैं कि शिक्षा मन्त्रीजी नाकाबिल हैं और यहां पर माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि इनको बर्खास्त कर दिया जाय तो फिर भी आप इनसे इस्तीफा क्यों नहीं ले लेते हैं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, यहां पर सदन के हां पक्ष के माननीय सदस्यों ने शिक्षा मन्त्रीजी के बारे में कहा कि इनसे इस्तीफा ले लिया जाय तो मेरी राय है इसके लिये सदन में मतदान करा लिया जाये कि शिक्षा मन्त्रीजी से इस्तीफा लिया जाय या नहीं ताकि इस समस्या का समाधान तो हो।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। नेक्स्ट प्रश्न।

श्री रामसिंह बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय से जवाब तो दिलाया जाय।

राजस्थान नहर पर बन्धुआ मजदूर

4. **श्री भगवानदास शास्त्री** (अजमेर पश्चिम) : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान नहर पर ठेकेदारों द्वारा बन्धुआ मजदूरों को लगाया गया है ? यदि हां, तो उपरोक्त बन्धुआ मजदूरों की कितनी संख्या है ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि बन्धुआ मजदूर ब्यावर, पुष्करगंज से भी लाकर बीकानेर के ठेकेदार, श्री उम्मेद सिंह पुत्र श्री संतसिंह शेखावत ने बन्दी बनाया था ? यदि हां, तो उसके कब्जे से बन्धुआ मजदूरों को कब तक मुक्ति दिलाई जावेगी ?

श्रम मन्त्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का सम्बन्ध कृषि मन्त्रीजी से है। इसलिये मेरा निवेदन है कि उनसे जवाब दिलाया जाय।

श्री भगवानदास शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, इसका श्रम विभाग से सम्बन्ध है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न स्थगित किया गया, कृषि मन्त्री जी जवाब देंगी।

श्री भगवानदास शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, चार हजार रुपये में लोगों को बन्धुआ बना लिया गया। यह लोग डाकुओं की तरह व्यवहार करते हैं और जिस प्रकार डाकू लोग फिरौती मांगते हैं उसी तरह फिरौती मांगते हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। नेक्स्ट प्रश्न।

श्री भगवानदास शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का जवाब कब आवेगा ?

श्री अध्यक्ष : इसी सत्र में आयेगा जब कृषि मन्त्रीजी का जवाब देने का मौका आयेगा।

श्री सुजान सिंह।

बहरोड़ से नारनौल वाया आकोली बस सेव

5. श्री सुजानसिंह यादव (बहरोड़) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बहरोड़ से नारनौल (हरियाणा) वाया आकोली बस सेवा उपलब्ध थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि वर्ष 1975 में यह बस सेवा दोनों राज्यों की सीमा तक सीमित कर दी गई ?

(3) यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में पुनः इस बस सेवा को पूर्व की भांति चालू करवाने के आदेश प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

राज्य मन्त्री, यातायात श्री जयकृष्ण शर्मा) : (1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) भविष्य में हरियाणा सरकार से इस सम्बन्ध में विचार विमर्श किया जावेगा ?

श्री सुजानसिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, सन् 1975 में एक एग्रीमेंट हुआ था, हरियाणा और राजस्थान सरकार के बीच में। बहरोड़ एक सब डिवीजन है और नारनौल एक जिला हैड क्वाटेर है। बसेज बहरोड़ से जाती हैं और 11 किलोमीटर पर जाकर रुक जाती हैं। आकोली एक छोटा गांव है और व्यापारिक केन्द्र भी होने के नाते वहां पर व्यापारी रोज पड़े रहते हैं लेकिन बसेज की व्यवस्था नहीं है। तो मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस विषय में ज्यादा से ज्यादा विचार करें और जनता की जो असुविधा है उसका जल्दी से जल्दी निराकरण करें।

श्री जयकृष्ण शर्मा : अध्यक्ष महोदय, बहरोड़ से नारनौल, जो कि हरियाणा में है, वाया आकोली बस सर्विस चलती थी परन्तु हरियाणा और राजस्थान सरकार के बीच में सन् 1975 में एक एग्रीमेंट हुआ और हरियाणा सरकार ने आब्जेक्शन किया कि निजी बसें हमारी स्टेट में नहीं आयेंगी, इसलिए इस रूट का नेशनलाइजेशन किया जाये। तो उनके और हमारे बीच में रेसीप्रोकल-एग्रीमेंट हो सकता था लेकिन उस समय निजी बसें चलती थीं इसलिए एग्रीमेंट इस प्रकार का हो गया कि राजस्थान की बसेज राजस्थान तक चलें और हरियाणा की बसें हरियाणा तक चलें। अब मैं पुनः हरियाणा सरकार को लिख रहा हूं। इस सम्बन्ध में दुबारा विचार विमर्श करके जनता की जो असुविधा है उसको दूर करने का प्रयत्न किया जायेगा।

श्री ज्ञानसिंह चौधरी (भादरा) : अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार का मामला....

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न, माननीय सदस्य।

(श्री अध्यक्ष)

माननीय सदस्य, अलग तरीके से पूछें। मैंने अगला प्रश्न ले लिया है।

श्री सी. पी. जोशी.

आगूचा (भीलवाड़ा) क्षेत्र में शीशे व जस्ते के भण्डारों के खनन की लीज

6. **श्री सी. पी. जोशी** (नाथद्वारा) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा जिले के आगूचा क्षेत्र में पाये गये शीशे एवं जस्ते के भण्डारों के खनन की लीज हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर को दी गई है ? यदि हां, तो कृपया लीज डीस की नकल मय शर्तों के सदन के पटल पर रखें।

(2) उपरोक्त परियोजना में राज्य कोष में इक्विटी शेयर (रायल्टी के अलावा) के माध्यम से कितनी राशि प्राप्त होगी ?

(3) उपरोक्त परियोजना में तकनीकी, कुशल एवं अकुशल मजदूरों में स्थानीय जिले एवं राज्यों के लोगों को न्यूनतम योग्यता सम्पन्न होने पर नोकरी में सुरक्षित स्थान रखे गये हैं या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मन्त्री, खनिज (श्री प्रद्युम्नसिंह) : (1) जी हां। लीज डीड की प्रति संलग्न है।

(2) इस परियोजना में राज्य सरकार के कोई इक्विटी शेयर नहीं हैं।

(3) परियोजना का कार्य प्रारम्भिक स्तर पर चल रहा है एवं परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। हिन्दुस्तान जिंक लि० की निर्धारित नीति के अनुसार कुशल एवं अकुशल मजदूरों एवं मजदूर वर्ग में आने वाले तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती जिला नियोजन कार्यालय के माध्यम से हा की जाती है। यदि किसी विशेष तकनीकी ज्ञान के कर्मचारियों के लिए जिला नियोजन कार्यालय के पास उपयुक्त प्रार्थी नहीं होते हैं तो जिला नियोजन कार्यालय से नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट के आधार पर ऐसे कर्मचारियों की भर्ती खुले विज्ञापन द्वारा की जाती है।

(लीज डीड की प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्पेसिफिक प्रश्न है कि जो-जो टोटल पोटेन्शल है वह गवर्नमेंट ने एस्टीमेट किया है 5 हजार करोड़ रुपये का। तो इस गवर्नमेंट ने उसको इक्विटी शेयर के अन्दर कन्वर्ट क्यों नहीं किया ? केवल मात्र रायल्टी का पैसा स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा। आपके इस पैसे के इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं होने के कारण से स्टेट गवर्नमेंट का कोई हिस्सा नहीं रहेगा। मुझे यह भी बताया जाये कि रायल्टी का कितना पैसा मिलेगा और उस पैसे को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं करने से स्टेट गवर्नमेंट को क्या-क्या नुकसान हुआ जो कि इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करने से नहीं होता ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय....

श्री सी. पी. जोशी : और यह भी बतायें, क्या यह सही है कि 5 करोड़ रुपये का टोटल असेसमेंट किया था पोटेन्शल का ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है कि वहां पर मिनरल वेल्थ कितनी धनराशि की है, तो इस बारे में तो स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कोई असेसमेंट नहीं किया था लेकिन यह निश्चित है, अध्यक्ष महोदय, कि इसके ऊपर जो वहां पर वेल्थ है, इस प्रकार के डिपाजिट्स मिले हैं वह अपने आप में बहुत अच्छे डिपाजिट्स हैं। आज की कीमत पर उनका असेसमेंट हो सकता है। भविष्य में क्या पता, कीमत गिर जाये, इसलिए कीमत के आधार पर कोई असेसमेंट नहीं किया गया, अध्यक्ष महोदय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह बहुत इम्पार्टेन्ट सवाल है। आप जवाब दीजिए कि जोइन्ट सैक्टर में राजस्थान सरकार ने और हिन्दुस्तान जिंक लि० ने दोनों ने मिलकर यह काम अपने हाथ में क्यों नहीं लिया जब कि पहाड़िया सरकार और हिन्दुस्तान जिंक लि० ने स्वीकार कर लिया था कि हम दोनों साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह बात सही नहीं है कि हिन्दुस्तान जिंक लि० ने कभी इसको स्वीकार किया था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या आपने इस बारे में आग्रह किया था कि यह काम जोइन्ट सैक्टर में होना चाहिए ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस मामले में काफी देरी हो चुकी थी। एक दफा इनफॉर्मल वे में हिन्दुस्तान जिंक लि. के मैनेजिंग डाइरेक्टर, मिस्टर कपूर मुझसे मिलने आये थे और उनसे इस बारे में मैंने बात की थी। उस समय मैंने इस विभाग का चार्ज लिया ही था, लेकिन उस समय उनका रि-एक्शन बहुत फेवरेबल नहीं था और उसके पूर्व वह लीज ग्रान्ट की जा चुकी थी. तो हमारे हाथ में फिर कुछ नहीं रह गया था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, बड़ा इम्पॉर्टेन्ट प्रश्न है। लीज कब दी गयी ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान जिंक लि. को केन्द्रीय सरकार द्वारा यह लीज दी गयी 13-3-80 को, 20 वर्ष के लिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या जिस समय लीज दी गयी थी उस समय फाइल पर यह रिकार्ड किया हुआ था डाइरेक्टर आफ माइन्स के द्वारा, लीज हिन्दुस्तान जिंक लि० को नहीं दी जायेगी और राजस्थान सरकार और हिन्दुस्तान जिंक लि० दोनों के जोइन्ट सैक्टर में यह काम होना चाहिए ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : जी नहीं। अध्यक्ष महोदय, तत्कालीन खनिज सचिव से इस बारे में बात की थी जो कि आज भारत सरकार में जोइन्ट सैक्रेटरी हैं, आपकी सरकार ने भी इस बारे में प्रयत्न किया था। आप शायद यह कहना चाहते हैं कि आपकी सरकार ने इस बारे में फाइल के ऊपर लिख दिया था कि जोइन्ट सैक्टर में होना चाहिए। यह कहीं लिखा हुआ नहीं है। आपको स्वयं को निर्णय लेना चाहिए था अगर इसको जोइन्ट सैक्टर में लेना था तो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, एक बात तो निश्चित रूप से माननीय राज्य मंत्रीजी की बात से निकलती है कि हमें इस बारे में निर्णय लेना चाहिए था कि खनन का काम जोइन्ट सैक्टर में हो। आपका ऐसा कहना है....

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं विरोधी पक्ष के माननीय नेता महोदय की बात को समझ रहा हूं। वह यह कहना चाहते हैं कि हमने फाइल पर लिख दिया था और आपने कार्यवाही नहीं की और राजस्थान के हितों का ध्यान नहीं रखा। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान के हितों का इतना ध्यान उनको था तो उन्होंने क्यों नहीं रखा। ऐसी बात पत्रावली में कहीं नहीं है, अध्यक्ष महोदय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आपने बहुत अच्छी बात कही कि पत्रावली पर हमने इस बात का कुछ भी जिक्र नहीं किया कि जोइन्ट सैक्टर में होना चाहिए लेकिन यदि हम लिख देते तो आप जोइन्ट सैक्टर में ले जाते यह निश्चित बात है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया कि जोइन्ट सैक्टर में ले जाने के और ही तरीके थे....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय....

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपने अपनी बात कह दी। इसका उत्तर दिये जाने का अवसर, माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे दिया जाना चाहिए। मुझे अवसर दिया जाना चाहिए और यह रिकॉर्ड पर आना चाहिए, अध्यक्ष महोदय, जो आपने कहा कि यह बात आप ही करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूं कि यह लीज 13-3-80 को सैंक्शन हुई....

एक माननीय सदस्य : मार्च, 80 में कौन था ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : कोई नहीं था। आप फरवरी में गये थे और पत्रावलियां उससे पहले से चल रही हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप यह बता दीजिए अध्यक्ष महोदय, वह फाइल मंगवाई जाये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, स्थिति यह है, एक प्रकार से यह एग्रीमेंट कर सकते थे उनके साथ कि जो रॉयलटी हमको मिलेगी वह लांग-टर्म में पार्टीसिपेशन माना जायेगा। ड्राफ्ट के कारण ऐसी स्थिति नहीं थी। 300 करोड़ का पैसा कहां से आता ? इतने बड़े प्रोजेक्ट को हाथ में लिया जाना था लेकिन 300 करोड़ का इन्वेस्टमैण्ट करने के लिए पैसा नहीं था। इसलिए मजबूरी में, चाहे राष्ट्रपति शासन के दौरान में रहा हो या एडवाइजर्स के दौरान में रहा हो, कोई चारा नहीं था सरकार के पास। इतने ज्यादा ओवर ड्राफ्ट में इतना पैसा आता तो कहां से आता ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय....

Page No 21

(21)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता, आर्डर प्लीज ।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न विपक्ष के नेता महोदय....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । प्रश्नकर्ता का नाम पुकारा है । आर्डर प्लीज

श्री सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न पूछने का मतलब बहुत साफ है । आपने 20 साल के लिए लीज पर दे दी और एक तरफ हम कहते हैं कि ओवर ड्राफ्ट है । आपकी उम्र 60 साल की होगी हमारी उम्र तो 32 साल है, 32 साल तक आप स्टेट को डुबाना चाहते हैं । आप इस सदन को कम से कम आश्वासन दें कि भविष्य में इस तरह की योजनाओं में इस तरह की गलती नहीं होगी । यदि आप इसको रेक्टिफाई करना चाहें तो करें जिससे स्टेट की बिना टैक्स के रेवेन्यू बढ़ सकती है अदरवाइज माइन्स के नाम पर, इक्विटी शेयर्स के नाम पर आप उसको कन्ट्रोल कर सकते हैं, बिना टैक्स लगायें हम रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं । मैं तो केवल मात्र यह जानना चाहता हूं कि कहां गलती हुई है । हम तो नौजवान हैं, हमें ओवर ड्राफ्ट के चक्कर में न लें, सदन को कम से कम यह आश्वासन दें कि भविष्य में इस तरह की गलती 20 साल की लीज के नाम पर नहीं करेंगे ।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) :

माननीय अध्यक्ष, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

एक माननीय सदस्य : इसका उत्तर आने दीजिये ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिये हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं, बहुत अच्छे सुझाव हैं । जो हमारे पास धन है और जो हमारे नये प्रोजेक्ट्स हैं, उनके बारे में जो वे कह रहे हैं उसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन राजस्थान की विषम स्थितियों को देखते हुए, जो उस समय थीं, आज भी यही चाहते हैं, भविष्य में यदि हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी रही तो इस तरह के प्रयत्न होंगे इम्पॉर्टेंट मिनरल्स के डवलपमेंट के लिए सरकार जब लीज ग्रांट करेगी उसमें किस प्रकार से हमारे हित रहें, उसके बारे में जागरुक रहेगी, अध्यक्ष महोदय ।

श्री सी. पी. जोशी : सदन को एश्योरेंस दिया जाये ।

श्री अध्यक्ष : श्री मोदी जी ।

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, यह 13. 3. 80 को लीज सैंक्शन हुई है, इसका एग्रीमेंट कब हुआ, इसका रजिस्ट्रेशन कब हुआ ।

श्री अध्यक्ष : श्री कैलाश मेघवाल ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल है । पिछले सत्र में उत्तर आया था कि एग्रीमेंट फाईनल नहीं हुआ ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, दिनांक 12.6. 80 के पत्र द्वारा वर्किंग परमिशन दी गई । 13. 3. 80 को 20 वर्ष के लिज सैंक्शन हुई । इस खनन पट्टे

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

का पंजीयन हुआ है दिनांक 5-2-81 को, अध्यक्ष महोदय।

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना एग्रीमेंट हुए उनको वर्किंग परमिशन देने के क्या विशेश कारण थे ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार के कॉर्पोरेशन को परमिशन दी गई है किसी व्यक्ति विशेष को नहीं दी गई।

श्री अध्यक्ष : श्री कैलाश मेघवाल।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यमंत्री जी ने जो ओवर ड्राफ्ट की बात कही है मैं उस के लिये निवेदन करना चाहता हूं कि वह असंगत है। जिस समय लीज के लिये अर्जी आई थी उसके पहले दो औपचारिक मीटिंग्स तत्कालीन मैनेजिंग डायरेक्टर जो हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के थे, मिस्टर कपूर, उनके साथ हुई। उनके साथ सभी संभावनाओं पर विचार हुआ था कि राजस्थान में किस तरह से कुशल और अकुशल तकनीकी लोगों को रोजगार मिलेगा। दूसरा प्रश्न और जुड़ा हुआ था कि सुपर स्मेल्टर कहां लगाया जायेगा। तीसरा, यह भी विचार किया गया था कि कर्जा लेकर इसको जोइण्ट सैक्टर में चलाया जायेगा। राजस्थान के लोगों के हितों का ध्यान रखा गया था। आप उन मीटिंग्स के मिनट्स सदन के पटल पर रखें तो स्थिति साफ होगी ....

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं।

श्री कैलाश मेघवाल : यह सही है कि उस समय राष्ट्रपति शासन था। मि० कपूर ने भी कहा था कि जब तक जोइण्ट सैक्टर और राजस्थान के लोगों को रोजगार देने की बात नहीं होगी तब तक लीज के पट्टे नहीं दिये जायेंगे। यह मिनट्स उस मीटिंग्स के आप सदन के पटल पर रखें।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, कुछ कहना चाहेंगे !

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, जो स्थिति थी उससे मैंने सदन को अवगत करा दिया है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की स्थापना

1. श्री राजबहादुर (भरतपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार की जानकारी में है कि केन्द्रीय स्तर पर राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, प्रधान मंत्री अथवा केन्द्रीय सिंचाई मंत्री की देख रेख में स्थापित

Page No 23

(श्री राजबहादुर)

किये जाने का निर्णय लिया जा चुका है ? यदि हां, तो इस अभिकरण को क्या-क्या कार्य और दायित्व सौंपे गये हैं ? इससे सरकार अवगत है ?

(2) राजस्थान सरकार की जानकारी के अनुसार उक्त अभिकरण कब तक स्थापित हो जायेगा और राजस्थान राज्य अपने हिस्से की आवश्यकताओं को उक्त अभिकरण द्वारा पूरा करने में क्या-क्या कदम उठा रहा है या उठाने की योजना बना चुका है अथवा निर्णय ले चुका है ?

उत्तर

(1) जी हां।

इस एजेन्सी का कार्य वैज्ञानिक तरीके से देश के जल स्रोतों का विकास, पेनीन-सूलर नदियों पर संभावित जलाशयों एवं लिंक नहरों का विस्तृत. सर्वेक्षण एवं फिजीबिलिटी रिपोर्ट्स बनाना है। इसके अतिरिक्त यह संगठन विभिन्न पेनीनसूलर नदियों में उपलब्ध जल की मात्रा एवं अन्तर नदी घाटी स्थानान्तरण के सम्बन्ध में भी अध्ययन करेगा।

(2) उक्त अभिकरण का गठन किया जा चुका है। केन्द्रीय सिंचाई मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय जल विकास एजेन्सी का सोसाइटी के रूप में पंजीकरण किया गया है। इसकी प्रथम बैठक दिनांक 2-9-82 को हुई थी। राज्य सरकार अपनी आवश्यकताओं के बाहरी जल स्रोतों द्वारा पूर्ण करने हेतु अपने प्रस्ताव अभिकरण को प्रेषित करेगी।

अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को आर्थिक सहायता

2. श्री कैलाश मेघवाल, (अजमेर पूर्व) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति एवं जन जाति के अत्याचार व आंतक से पीड़ित मृत एवं घायल व्यक्तियों को या उनके रिश्तेदारों को राज्य सरकार द्वारा आर्थिक राहत भी पहुंचाई जाती है ?

(2) यदि हां, तो इस बारे में क्या नियम, उप नियम व प्रक्रिया है ? प्रति सदन के पटल पर रखें ?

(3) वित्तीय वर्ष 1980–81 एवं 1981–82 में इस योजना के अन्तर्गत किस किस को कितनी कितनी आर्थिक राहत पहुंचाई गई ? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) नियमों की प्रति संलग्न है।
(परिशिष्ट 'क")

(3) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(मुख्य मंत्री)

(परिशिष्ट "ख")

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें।)

राज्य में उद्योग धन्धों में लगी पूंजी का विनियोजन

3. श्री घनश्यान तिवाड़ी (सीकर) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि केन्द्र सरकार द्वारा उद्योग धन्धों में लगाई गई पूंजी का केवल मात्र 2 प्रतिशत विनियोजन राजस्थान में हुआ है ?

(2) यदि हां, तो सरकार इस विनियोजन को बढ़ाने के लिये क्या प्रयत्न कर रही है ?

(3) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार केन्द्र सरकार से सार्वजनिक क्षेत्र में नौ बड़े उद्योग लगाने की मांग कर रही है ? यदि हां, तो यह उद्योग कौन-कौन से व किस-किस स्थान पर लगाने की मांग की गई है ?

(4) राज्य में इस समय केन्द्र के कुल कितने उद्योग हैं तथा उनमें कितनी पूंजी का विनियोजन है। उद्योगों के नाम, किस स्थान पर लगे हुए हैं तथा कितनी पूंजी का विनियोजन हुआ है, सूची में संलग्न कर सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) राज्य सरकार द्वारा राजस्थान में केन्द्रीय विनियोजन में वृद्धि करने हेतु समय समय पर उच्च स्तर पर केन्द्रीय सरकार से सम्पर्क स्थापित किया गया है तथा लगातार पत्र व्यवहार भी किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में राजस्थान के संसद सदस्यों को भी अवगत कराया जाकर उनका सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया है।

(3) राज्य सरकार के द्वारा केन्द्रीय सरकार से निम्नलिखित उद्योग राजस्थान में स्थापित करने हेतु निवेदन किया गया है:—

	संख्या	स्थान
बाम्बे हाई गैस पर आधारित फर्टिलाइजर प्लान्ट	2	भारत सरकार द्वारा चयनित स्थान पर
हिन्दुस्तान एरोनेटिक्स लि० की रक्षा सामग्री के उत्पादन हेतु इकाई	1	"

(उद्योग मंत्री)

	संख्या	स्थान
पैट्रोकेमिकल कॉम्पलेक्स	1	भरतपुर
रॉक फास्फेट पर आधारित फर्टिलाइजर कॉम्पलेक्स	1	चित्तौड़गढ़
पाइराइट पर आधारित फर्टिलाइजर प्लान्ट	1	सलादीपुरा
सुपर सीमेंट प्लान्ट	1	बूंदी
भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० की इकाई	1	भारत सरकार द्वारा चयनित स्थान पर
टेलीफोन इक्विपमेन्ट यूनिट	1	"

(4) सूचना संलग्न है।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

अलवर शहर में मकान निर्माण में राजकीय धन व मैटीरियल काम में लेना

4. सुश्री पुष्पा जैन (आमेर): क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि जिलाधीश, अलवर ने अलवर शहर में सड़क नं. 2, आर्य नगर में प्लाट संख्या 43 पर मकान निर्माण में राजकीय धन व मैटीरियल काम में लेने की शिकायत की जांच की है? यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम रहे और मकान की कीमत कितनी मानी गई?

उत्तर

जिलाधीश, अलवर द्वारा इस बिन्दु पर कोई जांच नहीं की गई है।

हरिजनों एवं आदिवासी कृषकों की भूमि पर जबरन कब्जा

5. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील प्रतापगढ़, जिला चित्तौड़गढ़ के विभिन्न पुलिस थानों में वर्ष 1980 से जून, 1982 तक कितने हरिजनों एवं आदिवासी कृषकों की खातेदारी भूमि पर सवर्णों द्वारा जबरन कब्जा व फसल को क्षति पहुंचाने की शिकायतें प्राप्त हुई? कृपया सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(श्री नन्दलाल मीणा)

(2) प्राप्त शिकायतों पर किस किस के विरुद्ध कानूनन कार्यवाही की गई ? कितने मामलों में जांच अधूरी है ? सूची सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) तहसील प्रतापगढ़, जिला चित्तौड़गढ़ के अन्तर्गत थानों में हरिजनों एवं आदिवासी कृषकों की खातेदारी भूमि पर सवर्णों एवं मुसलमानों द्वारा कब्जा व फसल को क्षति पहुंचाने की वर्ष 1980 से जून, 1982 तक कुल 14 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। सूची संलग्न है।

(2) वान्छित सूचना संलग्न सूची में अंकित है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

रीको के सहायक स्थल अभियन्ता के विरुद्ध शिकायतें

6. श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी) : क्या भ्रष्टाचार निरोधक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सवाई माधोपुर में रीको के सहायक स्थल अभियन्ता रमेश कुमार मेहरा के विरुद्ध बगैर एक स्थान से त्याग-पत्र दिये राज्य सरकार के विभिन्न संस्थानों में सेवा करने की शिकायत भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को प्राप्त हुई है ?

(2) क्या शिकायत के अनुसार मेहरा 26 नवम्बर, 1972 को सीटीपी 6 थर्मल पावर कोटा में मिस्त्री के पद पर कार्यरत थे। क्या यहां से बिना त्याग-पत्र दिये 12 फरवरी, 1981 को रीको (टोंक) में सहायक स्थल अभियन्ता के पद पर ड्यूटी जोइन करली ? क्या (टोंक) रीको से त्याग-पत्र दिये बिना 14 मार्च, 1981 को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग कोटा की अकेलगढ़ हैड़वर्क्स के सीटी जब ड़िवीजन के प्रथम अभियन्ता के पद पर कार्य भार सम्भाल लिया ?

(3) क्या अप्रेल, 1981 में भी मेहरा ने पुनः सवाई माधोपुर में रीको में कार्य सम्भाल लिया ? क्या यह सही है कि मेहरा ने सरकार को धोखा देकर अनियमित रूप से वेतन भत्ते उठाये हैं ? विभाग शिकायत पर क्या कार्यवाही कर रहा है ?

(4) यदि शिकायत प्राप्त नहीं हुई हो तो क्या विभाग उपरोक्त तथ्यों पर जांच करेगा ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। परिवाद अराजपत्रित कर्मचारी के विरुद्ध होने से उसे सम्बन्धित विभाग में जांच करने हेतु भेज दिया गया है। विभागीय जांच में प्रथम दृष्टा अपराधिक दुराचरण का मामला पाये जाने पर ही भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

(2, 3 व 4) परिवाद पर सम्बन्धित विभाग जांच कर रहा है।

हस्तकर्घा निर्यात परियोजना के तहत बुनकरों को ऋण

7. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) व

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है हाथकर्घा निर्यात परियोजना लघु उद्योग जयपुर की शाखा मांगरोल जिला कोटा में बुनकरों ने लोन प्राप्त करने हेतु अगस्त, 1981 में आवेदन-पत्र दिये थे ?

(2) यदि हां, तो उन्हें अभी तक लोन नहीं मिलने का क्या कारण है ?

(3) क्या सरकार उक्त बुनकरों को शीघ्र लोन दिलाने की व्यवस्था करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) बुनकरों को लोन नहीं मिलने का यह कारण है कि बुनकर नये कर्घे नहीं खरीदना चाहते हैं और वे पुराने कर्घों पर ही जो उन्होंने लगा रखे हैं, उन्हीं पर लोन चाहते हैं, जबकि बैंक नये कर्घों पर ही लोन उपलब्ध कराते हैं।

(3) खण्ड दो में बताई गई स्थिति के अनुसार बुनकरों को शीघ्र लोन दिलाने की व्यवस्था किया जाना सम्भव नहीं है। फिर भी अगर बुनकर कार्यशील पूंजी लेने में इच्छुक हों तो राज्य सरकार कार्यशील पूंजी बैंक से दिलवाने का प्रयास कर सकती है।

अजमेर में चोरियां, लूटमार व डकैतियों की वारदातें

8. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अजमेर नगर में दिनांक 1-4-1981 से दिनांक 31-7-1982 तक कितनी चोरियां, लूटमार व डकैतियां हुई ? कृपया तारीखवार सूची सदन के पटल पर रखें ?

(2) कितने मामलों में पुलिस द्वारा अभियुक्तों को पकड़ा गया तथा कितने अभियुक्त अभी तक पकड़ में नहीं आये हैं तथा कितने मामलों में पूरा या अधूरा माल बरामद हुआ है ?

(3) कितने मामलों का अनुसंधान पूरा होकर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है और कितने किस कारण से अभी तक अनुसंधानाधीन हैं ?

(4) कितने मामलों में न्यायालय में फाइनल रिपोर्ट दी गई है और इसका क्या कारण अदम सबूत अथवा बेकुआ रहा है ?

(5) कितने मामलों में न्यायालय में अन्वीक्षा होकर अंतिम निर्णय सुना दिया गया है ? तद्नुसार कितनों को सजा हुई और कितने बरी हुए तथा बरी होने वालों

Page No 28

(28)

(श्री कैलाश मेघवाल)

में से कितने मामलों में न्यायालय द्वारा अनुसंधान की कमियां एवं गफलत मानी गयी ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) संलग्न सूची में अंकित है।

(3) संलग्न सूची में अंकित है।

(4) संलग्न सूची में अंकित है।

(5) संलग्न सूची में अंकित है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

जैसलमेर की विद्युत वितरण योजना

10. श्री चन्द्रवीर सिंह (जैसलमेर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जैसलमेर विद्युतीकरण की आखिरी पंक्ति में होने के कारण अक्सर विद्युत वितरण व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है फलत: जैसलमेर नगर की पेयजल व्यवस्था में अक्सर बाधा उत्पन्न होती रहती है ?

(2) क्या यह सही है कि जैसलमेर मुख्यालय राज्य के विद्युत विभाग के खराब डीजल जनरेटिंग सैट्स के भंडारण का बड़ा स्थान है ? यदि हां, तो जिला मुख्यालय पर कितने सैट्स उपलब्ध हैं ?

(3) क्या यह सही है कि इन जनरेटर्स का उपयोग जल विद्युत के उपलब्ध न होने पर जैसलमेर की पेयजल वितरण व्यवस्था के लिये किया जाता है ?

(4) क्या यह सही है कि इन जनरेटर्स में से समय पर कार्य करने हेतु एक भी सक्षम नहीं है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार का इन जनरेटर्स को कार्य योग्य बनाने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) यह सही है कि जैसलमेर राज्य के विद्युत तंत्र की आखिरी पंक्ति पर अंकित होने के कारण विद्युत तंत्र में गड़बड़ होने पर अधिक प्रभावित होता है किन्तु यह कहना सही नहीं है कि इससे जैसलमेर नगर की पेयजल व्यवस्था में बाधा उत्पन्न होती रहती है।

(2) यह कहना सही नहीं है कि जैसलमेर मुख्यालय राज्य के विद्युत विभाग के खराब जनरेटिंग सैट्स के भण्डारण का स्थान है। जैसलमेर जिला मुख्यालय पर कुल 16 डीजल जनरेटिंग सैट्स उपलब्ध हैं ?

(3) इन 16 डीजल जनरेटिंग सैट में से 3 सैट का उपयोग, जल विद्युत उपलब्ध न होने पर, जैसलमेर की पेयजल वितरण व्यवस्था की विद्युत सप्लाई के लिये भी किया जाता है।

(ऊर्जा मंत्री)

(4) जी नहीं। इन जनरेटिंग सैट काफी पुराने तथा उपयोगी हैं। शेष तीन सैट जिनकी कुल क्षमता 1340 किलोवाट है अच्छी हालत में हैं तथा विद्युत उत्पादन हेतु सक्षम हैं।

सलूम्बर निर्वाचन क्षेत्र की जल प्रदाय योजना

11. श्री थानसिंह (सलूम्बर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सलूम्बर में गांव डाल डगारा खण्डोरा, समोड़ा व फीला में जलप्रदाय योजना के लिए सर्वेक्षण किया गया था ?

(2) क्या यह सही है कि सलूम्बर गिर्वा क्षेत्र में इन तीन वर्षों में एक भी योजना स्वीकृत नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार इन चारों गांवों में जल प्रदाय हेतु योजना निर्माण कर व्यवस्था करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) राज्य सरकार इस वर्ष किन-किन गांवों में जलप्रदाय योजना स्वीकृत करने का इरादा रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां, इन सभी गांवों में योजनायें स्वीकृत की जा चुकी हैं।

(2) जी नहीं। वर्ष 80–81 व 81–82 में निम्नानुसार योजनाएँ स्वीकृत की गई हैं :—

सन्	तहसील	स्वीकृत जल प्रदाय योजनाओं की संख्या	हैण्ड पम्प योजना हेतु स्वीकृत ग्रामों की संख्या
80–81	गिर्वा	2	51
	सलूम्बर	—	37
	कुल स्वीकृति	2	88

Page No 30

(30)

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

सन्	तहसील	स्वीकृत जलप्रदाय योजनाओं की संख्या	हैण्डपम्प योजना हेतु स्वीकृत ग्रामों की संख्या
81–82	गिर्वा	—	38
	सलूम्बर	3	38
	कुल स्वीकृति	3	76

(3) ग्राम डाल डगारा में हैण्डपम्प लगाये जा चुके हैं तथा ग्राम फिला में हैण्ड पम्प निर्माण का कार्य निर्माणाधीन है। ग्राम सामोरा में पम्प व टैंक योजना स्वीकृत है तथा कार्य प्रगति पर हैं। ग्राम खण्डोरा में क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना उचित प्रतीत नहीं होती अतः स्वीकृत योजना को संशोधन करवाकर हैण्डपम्प योजना स्वीकृत करवाने की कार्यवाही की जा रही है।

(4) यह विषय अभी विचाराधीन है।

श्री कल्याण सहाय शर्मा, तहसीलदार के विरुद्ध शिकायतें

12. श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) ; क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) श्री कल्याण सहाय शर्मा, तहसीलदार के विरुद्ध राज्य सरकार को तीन वर्षों में कब कब क्या क्या शिकायतें प्राप्त हुई है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) राज्य सरकार द्वारा अब तक इन शिकायतों के निस्तार की क्या व्यवस्था की गई है ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार को गत तीन वर्षों में श्री कल्याण सहाय शर्मा, तहसीलदार के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। उक्त तहसीलदार दिनांक 12-11-81 से तहसील सिकराय के पद पर तैनात है, तब से जिलाधीश, जयपुर को जो शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उनकी सूची संलग्न है।

(2) जिलाधीश, जयपुर द्वारा प्राप्त शिकायतों की प्राथमिक जांच परगना अधिकारी, दौसा से कराई जा रही है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

डी. सी. एम. उद्योग के समूहों को दी गई बिजली

15. श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) एवं श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

कोटा नगर में स्थित डी. सी. एम. उद्योग समूह के किन किन कारखानों को राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल ने गत 3 वर्षों में कितनी कितनी बिजली किस किस दर पर दी व इन कारखानों ने उसका कितना कितना भुगतान किया एवं कितनी कितनी राशि उक्त समूह के किन किन कारखानों में बकाया है ?

उत्तर

कोटा नगर स्थित डी. सी. एम. उद्योग समूह के विभिन्न कारखानों को गत 3 वर्षों में अप्रेल, 75 से अगस्त, 1982 तक बेची गयी बिजली की मात्रा मण्डल के बिलों की राशि उद्योग द्वारा भुगतान की गई राशि व उनकी ओर मण्डल की अब तक की सकल बकाया राशि का विवरण संलग्न तालिका 'अ' में अंकित कर दिया गया है। इन संस्थानों को विद्युत मंडल द्वारा उक्त समयावधि में समय समय पर विद्यमान अपनी सामान्य मूल्य तालिका (टेरिफ रेट) के अनुसार ही बिल दिया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

सलूम्बर तहसील के गांवों में हैण्ड पम्प

16. श्री थानसिंह (सलूम्बर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1980-81, 1981-82 व 1982-83 में तहसील सलूम्बर व गिर्वा में कितने गांवों में हैंड पम्पस लगाये गये हैं ? कृपया गांववार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इन तीनों वर्षों में विभाग ने जहां जहां हैंड पम्पस लगाये हैं उनमें कितने हैंड पम्पस में आज तक हैण्डिल नहीं लगाये गये हैं ? वर्ष 1980-81 से कितनों पर बाकी है ? कृपया वर्ष वार सूचना दें।

(3) क्या यह सही है कि विभाग की लापरवाही से लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाई है, जबकि कुछ गांवों में भयंकर जल संकट है सरकार अब कब तक हैंड पम्पस लगायेगी ?

उत्तर

(1) वर्ष 1980-81, 1981-82 एवं 1982-83 में तहसील सलूम्बर एवं गिर्वा के 86 गांवों में हैण्ड पम्पस लगाये गये। तहसीलवार ग्रामों की सूची संलग्न है।

(जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(2) वर्ष 80-81 में बनाये गये सभी नलकूपों पर हैण्ड पम्प लगा दिए गये हैं। वर्ष 81-82 में निर्मित 254 नल कूपों में से 19 नलकूप पर हैण्ड पम्प लगाने का कार्य बाकी है जो कि शीघ्र पूरा किया जा रहा है। वर्ष 82-83 में निर्मित 74 नलकूपों में से 38 नलकूपों में हैण्ड पम्प लगाना बाकी है व इन पर कार्य प्रगति पर है।

(3) जी नहीं। वर्ष 81-82 के बकाया 19 नलकूपों में से 10 में बच्चों द्वारा कैंप तोड़कर पत्थर भर दिये गये जिनको साफ करने का कार्य किया जा रहा है। शेष 9 नलकूपों में वर्षा के कारण रास्ता खराब है। रास्ता खुलते ही कार्य पूरा कर दिया जावेगा। वर्ष 82-83 में बकाया नलकूपों पर हैण्ड पम्प लगाने का कार्य शीघ्र ही पूरा कर दिया जावेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा खादी का क्रय

17. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर के एक भण्डार से राज्य विद्युत बोर्ड ने लाखों रुपयों की अभी खादी खरीदी है? यदि हां, तो इस भण्डार का क्या नाम है तथा किस किस किस्म का कितनी कितनी लागत का कपड़ा खरीदा गया?

(2) क्या श्री आर. एन. त्रिपाठी द्वारा इस संबंध में संबंधित मंत्री को तार देकर इस घपले की जांच करने को कहा? यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम रहा?

उत्तर

(1) विद्युत मण्डल ने अपने विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों के लिए वर्दियों की आवश्यकता का ब्यौरा निदेशक, खादी ग्रामोद्योग कमीशन, जयपुर को पत्र दिनांक 7.9.81 द्वारा मांग-पूर्ति की व्यवस्था करने हेतु भेजा था। निदेशक खादी ग्रामोद्योग कमीशन, जयपुर ने कुल मात्रा को जयपुर स्थित विभिन्न खादी भण्डारों में बांटने की सूचना प्राप्त होने पर विद्युत मण्डल ने तदनुसार उपरोक्त खरीद के आदेश इन भण्डारों को दिनांक 19.1.82 व 12.2.82 को दे दिये, जिनका पूर्ण विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" में दर्शाया गया है। विभिन्न भंडारों को आवंटित की गई वर्दियों की किस्म, कुल मात्रा व क्रय आदेश की राशि का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

किस्म	मात्रा	मूल्य
1. ऊनी जोधपुरी सूट	5,000	12,37,300.00
2. साफे	18,000	13,64,400.00
3. ऊनी हंटिग सूट	1,500	4,00,200.00
4. जर्सी	25 000	16,66,250.00
कुल		46,68,150.00

(ऊर्जा मंत्री)

(2) श्री आर. एन. त्रिपाठी, महामंत्री, राष्ट्रीय खादी कमीशन कर्मचारी यूनियन जयपुर ने एक परिवाद 21 जून, 1982 को 30 लाख के खादी के कपड़े में 8 लाख रुपये के घोटाले के क्रम में सचिव, राजस्थान राज्यविद्युत मण्डल, जयपुर को भेजा था जिसकी जांच विद्युत मंण्डल के सतर्कता अनुभाग के उप पुलिस के द्वारा की जा रही है। जांच पूर्ण होने पर ही सही स्थिति का पता लगेगा।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

केशवरायपाटन क्षेत्र में कुओं का निर्माण

18. श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : क्या जनस्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) केशवरायपाटन निर्वाचन क्षेत्र में गांवों में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु कितने कुएं निर्माणाधीन हैं तथा कब तक निर्माण कार्य पूर्ण कर दिए जावेंगे ?

(2) केशवरायपाटन क्षेत्र में कितने गांव हैं जहां पेयजल की समस्या है ? सूची सदन के पटल पर रखें।

(3) उक्त क्षेत्र में कितनी पंचायतों द्वारा पेयजल हेतु कितने कुओं के निर्माण का प्रस्ताव दिया गया है तथा कितनों की स्वीकृति दी गई है ? सूची सदन के पटल पर रखने का श्रम करें।

उत्तर

(1) जल प्रदाय योजनाओं द्वारा पेयजल उपलब्ध कराने हेतु केशवरायपाटन निर्वाचन क्षेत्र में ग्राम जैथल एवं चितावा में एक एक कुआं प्रस्तावित था। इनमें से जैथल के कुएं का कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं चितावा का निर्माणाधीन है। विभाग की जल प्रदाय योजनाओं के अतिरिक्त जिलाधीश की मार्फत विकास विभाग द्वारा भी ग्रामों में कुएं बनाने का कार्य किया जाता है। जिलाधीश द्वारा दी गई सूचना के अनुसार तहसील केशवरायपाटन में इस मद में 36 कुएं निर्माणाधीन हैं व शीघ्र ही पूरा कर लिया जावेगा।

(2) केशवरायपाटन तहसील में कुल 9 समस्याग्रस्त ग्राम थे जिनमें से 34 में पेयजल उपलब्ध कराया जा चुका है एवं शेष समस्याग्रस्त 65 ग्रामों की सूची संलग्न है।

(3) जिलाधीश द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 16 ग्रामों में स्वीकृति की गई है। सूची संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

विभिन्न सिंचाई योजनाओं पर खर्च

19. श्री राजबहादुर (भरतपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राजस्थान नहर, भाखरा नहर तथा

(श्री राजबहादुर)

राजस्थान के पश्चिमी जिलों में विभिन्न सिंचाई योजनाओं से अलग अलग प्रति एकड़ सिंचाई का क्या खर्चा होता है या कूंता गया है और अलग सिंचाई की क्या दरें लगाई गई हैं ?

उत्तर

भाखड़ा से प्रति एकड़ सिंचाई का खर्चा (कैपीटल) खर्चे एवं प्रभावित सिंचाई क्षमता के आधार पर 487 रुपये है।

राजस्थान नहर परियोजना पर कैपीटल खर्चा वर्ष 1967-68 पूरे होने के लक्ष्य से 537.35 करोड़ रुपये के विपरीत सिंचित क्षेत्र 31 रुपया एकड़ है। तदनुसार लागत रुपये 1733 प्रति एकड़ है।

पश्चिमी जिलों में अन्य सिंचाई योजनाओं मे केवल बांध ही आते हैं जिनका अलग से प्रति एकड़ खर्चा दर्शाना सम्भव नहीं है। सिंचाई की वर्तमान दरें संलग्न परिशिष्ट "क" के अनुसार हैं।

(परिशिष्ट के लिए कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम

20. **श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी** (जैसलमेर) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि रेगिस्तानी क्षेत्र में अकाल की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए सरकार द्वारा सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम स्थाई समाधान के रूप में चलाया जा रहा है ?

(2) यदि हां, तो जैसलमेर जिले में अब तक इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कितनी धनराशि का प्रावधान रखा गया तथा कितनी धनराशि व्यय की गई है ? कृपया वर्ष व पंचायत समितिवार आंकड़े सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(3) उक्त योजना के आरम्भ से कितन कितनी धनराशि कौन कौन सी योजनाओं पर स्वीकृत की गई और कितने कार्य पूर्ण करा दिये गये ? कृपया समितिवार स्थिति सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) चूंकि यह मूलरूप से परिसम्पत्ति सृजनात्मक (Creation of Infrastructure) कार्यक्रम है अतः इस कार्यक्रम के लिये धनराशि का आवंटन जिला स्तर पर ही किया जाता है इसलिये व्यय के आंकड़े भी प्रत्येक मद के जिलेवार ही दिये हैं।

जैसलमेर जिले में आरम्भ से जून, 82 तक 766-64 लाख रु० व्यय किये जा चुके हैं। वर्षवार, मदवार विवरण संलग्न प्रपत्र 'अ' में संलग्न है।

(3) वांछित सूचना प्रपत्र 'ब' में संलग्न हैं।

(प्रपत्र के लिये कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

Page No 35

(35)

तहसील लाड़पुरा का डोल्या तालाब

21. श्री हरीश शर्मा (रामगंजमंडी) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है लाड़पुरा तहसील का डोल्या तालाब सिंचाई विभाग के अन्तर्गत है ?

(2) क्या यह तालाब टूटा हुआ है ? यदि हां, तो सरकार कब तक इस तालाब की मरम्मत करवाकर सिंचाई के योग्य बना देगी ?

(3) क्या डोल्या तालाब के लिए सरकार ने अभी तक प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति नहीं दी है ? यदि हां, तो कब तक दे दी जावेगी ? यदि वित्तीय स्वीकृति दे दी गई है तो कितनी राशि की दी गई और कब दी गई ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। वर्तमान तालाब की मरम्मत का काम सिंचाई विभाग का नहीं है।

(3) इस तालाब की भराव क्षमता बढ़ाते हुए पुनः निर्माण की योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है। वित्तीय साधनों की कमी के कारण योजना की स्वीकृति निकट भविष्य में दिया जाना सम्भव नहीं है।

मैसर्स गंगानगर शुगर मिल द्वारा संचालित देशी व विदेशी मदिरा की दुकानें

22. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जनजाति उपयोजना क्षेत्रों में मैसर्स गंगानगर शुगर मिल्स द्वारा चलाई जाने वाली देशी व विदेशी मदिरा की दुकानें शराबबन्दी के पश्चात् अब अन्य व्यक्तियों को बगैर नीलाम किये दे दी गई हैं ? यदि नहीं, तो इन क्षेत्रों में शराब की दुकानें किस प्रक्रिया के अन्दर चलवाई जा रही हैं ?

(2) क्या सरकार जनजाति क्षेत्रों में शराबबन्दी समाप्ति के बावजूद शराबबंदी रखा जाना उचित मानती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

राज्य सरकार की नीति एवं आदेशों के अन्तर्गत जनजाति क्षेत्रों में देशी एवं विदेशी मदिरा की दुकानें केवल गंगानगर शुगर मिल्स द्वारा ही चलाई जा रही हैं।

(2) जी नहीं। पूरे राजस्थान क्षेत्र में अब शराबबंदी समाप्त की जा चुकी है।

Page No 36

(36)

कोटा नगर के वृहत उद्योगों पर बिक्री कर की बकाया

23. **श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) व श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या** वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

कोटा नगर के किन किन बड़े उद्योगों पर कब कब से कितनी कितनी धनराशि का बिक्री कर बकाया है व उसकी वसूली हेतु विभाग ने कब कब क्या क्या कार्यवाही की ? कृपया विस्तृत जानकारी सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

कोटा नगर के 13 बड़े उद्योगों पर बिक्री कर की बकाया का विवरण व स्थिति परिशिष्ट 'क' में दर्शायी गई है।

करीब करीब सभी मामलों में विभिन्न न्यायालयों व विभागीय अधिकारियों के स्थगन है। न्यायालयों के स्थगनों का निपटारा शीघ्र करने हेतु समय समय पर राजकीय अभिभाषकों द्वारा न्यायालय से शीघ्र निर्णय हेतु निवेदन किया जाता रहा है। विभागीय अधिकारी उनके स्तर के स्थगित मामलों का निपटारा त्वरित गति से करने के लिए प्रयत्नशील हैं। किन्तु काफी तादाद में मामले होने से क्रमानुसार पुराने मामलों का निपटारा पहले किया जाता है।

(परिशिष्ट के लिये कृपया परिशिष्ट 14 देखें)

पीपल्दाकलां (कोटा) के कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय में स्वीकृत पद

24. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

( ) पीपल्दा कलां, जिला कोटा कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय में अध्यापिकाओं के कुल कितने पद स्वीकृत हैं तथा अभी कितनी अध्यापिकायें कार्य कर रही हैं ?

(2) क्या सरकार वहां पर पढ़ाई की दृष्टि से स्वीकृत शुदा रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आदेश शीघ्र प्रसारित करेगी ?

उत्तर

(1) बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय पीपल्दा में एक द्वि०वे०शृं० एवं 5 तृ०वे० शृं० अध्यापिकाओं के पद स्वीकृत हैं। इन पदों में से प्रधानाध्यापिका दि० 13-1-81 से अवकाश पर है एवं एक पद पर एक अध्यापिका कार्यरत है।

(2) जी हां। दिनांक 12-3-82 एवं 22-7-82 को चार अध्यापिकाओं को नियुक्ति के आदेश प्रसारित किए गये थे, लेकिन किसी ने भी कार्यभार नहीं सम्भाला अब पुन: पद भरे जाने की कार्यवाही की जा रही है।

जयपुर उद्योग, सवाई माधोपुर द्वारा संचालित हायर सैकण्डरी स्कूल

25. **श्री हंसराज शर्मा : (सवाई माधोपुर) :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री हंसराज शर्मा)

(1) क्या यह सही है कि जयपुर उद्योग सवाई माधोपुर के द्वारा एक हायर सैकण्डरी स्कूल सरकारी अनुदान लेकर चलाया जा रहा है ? यदि हां, तो प्रति वर्ष सरकार द्वारा इसको कितना अनुदान दिया जाता है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उस स्कूल में प्राथमिकता केवल उद्योग में कार्य करने वालों के बालकों को दी जाती है ? यदि हां, तो उसका क्या कारण है ?

उत्तर

(1) हां। यह सही है कि जयपुर उद्योग सवाईमाधोपुर के द्वारा एक हायर सैकण्डरी स्कूल चलाया जा रहा है जिसको अनुदान दिया गया है। अनुदान 50 प्र० श० दिया जाता है। वर्षवार ब्यौरा निम्न प्रकार है:—

वर्ष	अनुदान राशि
1977-78	141415/ रु०
1978-79	162946/ रु०
1979-80	236928/ रु०
1980-81	253827/ रु०
1981-82	254778/ रु०

(2) जी नहीं। केवल उद्योग में कार्य करने वाले बालकों को प्राथमिकता न देकर यहां खानदान क्षेत्र के स्थित समस्त छात्रों को ही प्रवेश सुविधा दी जाती है तथा अन्य छात्रों को भी।

उदयपुर जिले के आदिवासियों को खनन पट्टों का आवंटन

27. श्री धानसिंह मीणा (सलूम्बर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) उदयपुर जिले में वर्ष 1980–81 1981–82 व 1982–83 में कितने आदिवासियों को खनन के पट्टे दिये ? कृपया वर्षवार ब्यौरा सदन के पटल पर रखें ?

(2) इन तीन वर्षों में गैर आदिवासियों को कितने पट्टे दिये गये और कहां-कहां ? कृपया नामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उदयपुर जिले में वर्ष 1980-81 81–82 व 82–83 के अगस्त माह तक क्रमश: 46, 38 व 7 पट्टे आदिवासियों को दिये गये। जिनका वर्षवार विवरण परिशिष्ट 1, 2 व 3 पर संलग्न है।

(2) गैर आदिवासियों को वर्ष 80-81 81–82 व 82–83 अगस्त माह तक कुल 275, 303 व 86 पट्टे क्रमश: दिये गये। जिनका वर्षवार ब्यौरा परिशिष्ट सं० 1 2 व 3 में संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर, टोंक, कोटा, इन्दौर राष्ट्रीय राजमार्ग

28. श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

Page No 38

(३८)

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

(1) जयपुर, टोंक, कोटा, इन्दौर राष्ट्रीय राजमार्ग कब घोषित हुआ ?

(2) उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग को निर्धारित मापदण्डों के अनुसार बनाने हेतु कब तक कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जयपुर, टोंक, कोटा, झालावाड़, जबलपुर, भोपाल मार्ग भारत सरकार की विज्ञप्ति दिनांक 17.2.81 द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग नं० 12 घोषित किया गया था।

(2) इस मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार बनाने के लिये भारत सरकार की योजना अनुसार प्रति वर्ष जितना धन उपलब्ध कराया जायेगा तदनुसार कार्य सम्पन्न करा दिया जायेगा।

पाली जिले में अकाल राहत के तहत सड़कों का निर्माण

29. श्री भैरूसिंह गुर्जर (खारची), श्री शिवदानसिंह (जैतारण) एवं श्री गोकुल चन्द शर्मा (सुमेरपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पाली जिले में वर्ष 1981–82 में अकाल राहत के तहत किस किस श्रेणी की कितनी सड़कों का निर्माण प्रारम्भ किया गया ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इन सड़कों का कार्य कितने प्रतिशत पूरा हो गया तथा अधूरे रहे निर्माण कार्य को पूरा करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1 एवं 2) पाली जिले में वर्ष 1981–82 में अकाल राहत के तहत जिस जिस श्रेणी की सड़कों का निर्माण प्रारम्भ किया गया तथा जितना प्रतिशत कार्य पूरा हुआ है, का विवरण (प्रपत्र 'क') सदन के पटल पर रख दिया गया है। अधूरे कार्यों को पूरा कराया जाना अभी धनाभाव के कारण संभव नहीं है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 15 देखें)

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के युवकों को प्रशिक्षण

30. श्री राजबहादुर (भरतपुर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कितने युवकों को सन् 1978 से अब तक हाथ-करघा उद्योग, शीघ्रलिपि, आई.टी.आई एवं बी.एड. आदि का प्रशिक्षण दिया गया है? कृपया वर्ष एवं जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

सूचना संलग्न है।

(परिशिष्ट क, ख, ग एवं घ)

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट 16 देखें)

जनजाति उप योजना क्षेत्र में आयुर्वेद औषधालयों के भवन

31. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या जनजाति विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

जनजाति उप योजना क्षेत्र में कितने आयुर्वेदिक औषधालय ऐसे हैं जिनके भवन निर्माण विचाराधीन है ? कृपया तहसीलवार सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

जनजाति उप योजना क्षेत्र में किसी भी आयुर्वेदिक औषधालय का भवन निर्माण विचाराधीन नहीं है।

आदिवासी क्षेत्रों के प्रसार केन्द्र

33. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या भेड़ व ऊन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि वर्ष 1982-83 में आर्थिक कटौती लागू किये जाने के कारण आदिवासी क्षेत्रों में चल रहे प्रसार केन्द्रों को बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो कहां कहां और क्यों ?

उत्तर

जी, हां। निम्न प्रसार केन्द्रः—

(1) सिद्धपुरा (चित्तौड़)
(2) फलासिया (उदयपुर)
(5) सागवाड़ा (डूंगरपुर)
(4) आबूरोड (सिरोही)

विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत जनजाति उप योजना के लिए वर्ष 1982-83 से सम्बन्धित बजट निर्णायक समिति की दिनांक 6.2.82 को हुई बैठक के निर्णयानुसार बंद किये गये।

क्षेत्रीय वन शैल्टर प्लान्टेशन प्रतापगढ़ में नियुक्त दैनिक वेतनभोगी व्यक्ति

32. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि क्षेत्रीय वन अधिकारी शैल्टर प्लान्टेशन प्रतापगढ़ द्वारा वर्ष 1980–81 में कैटल गार्ड के स्थानों पर डेली वेजेज पर कुछ लोगों को नियुक्त किया गया था ? यदि हां, तो किस किस को ? सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) नियुक्त किये गये व्यक्तियों में से किस किसने कब तक कार्य किया ? वेतन अब तक किस किसको नहीं चुकाया गया ? कारण सहित सूची सदन के पटल पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि विभाग को पुकारे के लिए लगातार निवेदन किया जाता रहा है फिर भी विभाग अब तक न तो चुकारा कर पाया है और न ही स्पष्टीकरण दे पाया है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां,

सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(6)

(वन मंत्री)

(2) उपरोक्त के कार्य कालों की सूची भी सदन के पटल पर रख दी गई है। उक्त श्रमिकों में से किसी का भुगतान बाकी नहीं है।

(3) वर्ष 1980–81 की अवधि के किसी श्रमिक का कोई भुगतान बकाया नहीं है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 17 देखें)

प्रदेश के प्रमुख नगरों में नगर निगम का गठन

34. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या राज्य सरकार प्रदेश में प्रमुख नगरों में नगर निगम गठन करने का विचार कर रही है? यदि हां, तो कौन कौनसे नगर में तथा इस संबध में क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

जी हां। मामला अभी विचाराधीन है। इसलिए निर्णय के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा।

चुंगी वसूली के मापदण्ड

35. **श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी** (जैसलमेर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में चुंगी वसूली किन किन आधारों पर की जाती है?

(2) राज्य में मूल्य के आधार पर चुंगी कहां कहां ली जाती है?

(3) क्या सही है कि राज्य के सबसे पिछड़े हुए नगरपालिका क्षेत्र जैसलमेर की चुंगी की दरें सबसे अधिक हैं? यदि हां, तो राज्य सरकार इस नगरपालिका क्षेत्र के पिछड़ेपन को देखते हुए चुंगी की दरें अन्य पिछड़े हुए जिलों के समान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्तमान में नगरपालिकाओं द्वारा चुंगी दर मूल्य, मात्रा व वजन के आधार पर वसूल की जाती है।

(2) राज्य में ऐसी कोई नगरपालिका नहीं जो केवल वजन या मूल्य के आधार पर चुंगी वसूल करती है। नगरपालिकाओं में उनके प्रस्तावानुसार स्वीकृत चुंगी अनुसूची के अनुसार कुछ आइटमों पर चुंगी की दरें मूल्य के आधार पर कुछ आइटमों पर वजन व कुछ पर मात्रा के आधार पर ली जाती है।

(3) जी नहीं।

नगरपालिका केशवरायपाटन में की गई नियुक्तियां

36. **श्री गोपाल पचेरवाल** (पाटन) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे;—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा कुछ माह पूर्व स्थाई व अस्थाई नियुक्तियों पर पावन्दी लगाने के वाद भी नगरपालिका केशवरायपाटन जिला बूंदी द्वारा नियुक्तियां दी गई हैं ? यदि हां, तो कितने व्यक्तियों को और कब ?

(2) क्या उक्त नियुक्तियों के सम्बन्ध में पालिका मण्डल से पुष्टि कराई गई है ? यदि हां, तो कब ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नही ।

(2) प्रश्न के भाग 1 के उत्तर के वाद यह प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है ।

शोकाभिव्यक्ति

श्री गोपाल स्वरूप पाठक भूतपूर्व उपराष्ट्रपति व सर्व श्री विजयपाल कटारा, अमरा मीणा रावतएवं भंवरलाल ऐरन, भूतपूर्व सदस्य राजस्थान विधान सभा को श्रद्धांजलि

श्री अध्यक्ष : सदन की अनुमति हो तो सदन की ओर से मैं शोकाभिव्यक्ति कर दूं ।

अनेक माननीय सदस्य : जी हां ।

श्री अध्यक्ष : भारत के चौथे उप-राष्ट्रपति, डा. गोपाल स्वरूप पाठक, जो अद्वितीय संसद्विज्ञ, प्रख्यात विधिवेत्ता एवं कुशल प्रशासक थे, का जन्म बरेली में 28 फरवरी, 1896 को हुआ ।

डा. पाठक ने जे. पी. आर्य हाई स्कूल, लुधियाना, गवर्नमेंट कालेज, लाहौर, आगरा कॉलेज व इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की । उन्होंने सन् 1919 में बरेली में विधि वृत्ति प्रारम्भ की व सन् 1928 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में विधि-विज्ञ के रूप में कार्य करना प्रारम्भ किया । इलाहाबाद में ही भारत की महान् विभूति मोतीलाल नेहरू तेजबहादुर सप्रू, जवाहर लाल नेहरू व हृदयनाथ कुंजरू के सम्पर्क में आने के परिणामस्वरूप उनका सामाजिक जीवन व उनके विचार उनसे प्रभावित हुए।

डा. पाठक 1945 में इलाहावाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किये गये किन्तु एक वर्ष के पश्चात् ही उन्होंने उस पद से त्यागपत्र प्रस्तुत कर दिया तथा पुनः विधि-वृत्ति प्रारम्भ कर दी। 1951 में प. जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें सरकार का मानद विधि सलाहकार नियुक्त किया तथा 1946 से 1959 तक की अवधि में उन्हें काश्मीर-विवाद के सम्बन्ध में भारत का वैधानिक पक्ष संयुक्त राष्ट्र के समक्ष प्रस्तुत करने के लिये भारतीय प्रतिनिधि मण्डल के सदस्य के रूप में भेजा गया ।

डा. पाठक अप्रेल, 1960 में राज्य सभा के सदस्य निर्वाचित हुए । उन्होंने विभिन्न संसदीय समितियों के कार्य में सदस्य के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया । 1966

(श्री अध्यक्ष)

में श्रीमती इन्दिरा गांधी के प्रधान मन्त्री बनने के बाद डा. पाठक को विधि मन्त्री का दायित्व सौंपा गया तथा विधि मन्त्री के रूप में उन्होंने अप्रेल, 1967 तक कार्य किया।

डा. पाठक ने 13 मई, 1967 को मैसूर का राज्यपाल पद का दायित्व सम्भाला तथा अगस्त, 1969 में वे उप राष्ट्रपति के पद पर आसीन हुए।

डा. पाठक ने सन् 1964 में इंग्लैण्ड में आयोजित एण्टी अपारथेड कान्फ्रेन्स में भाग लिया तथा 1965 में भारत के मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में विधिवेत्ता प्रतिनिधि मण्डल के सदस्य के रूप में रूस की यात्रा की। उन्होंने संसदीय प्रतिनिधि मण्डल के सदस्य के रूप में यूनाइटेड स्टेट्स की भी यात्रा की।

डा. पाठक इण्डियन सोसाइटी फार इण्टरनेशनल लॉ के एक्जीक्यूटिव प्रेसीडेंट व इण्डियन कौंसिल फार वर्ल्ड अफेयर्स के वाइस प्रेसीडेंट भी रहे।

मैं परम पिता से प्रार्थना करता हूं कि उनकी दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवारजन को इस महान-दुःख को झेलने की शक्ति दें।

श्री विजयपाल कटारा, तृतीय राजस्थान विधान सभा के डूंगरपुर निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य निर्वाचित हुए।

श्री कटारा का जन्म 1937 में हुआ था। आपने डूंगरपुर में शिक्षा ग्रहण की। आप स्वतन्त्र पार्टी के सक्रिय सदस्य थे। आपका समाज-सेवा के प्रति विशेष रुझान रहा। श्री कटारा का लोक गीत व लोक नृत्य के प्रति विशेष लगाव रहा। आपने विधान सभा में अपने निर्वाचन क्षेत्र का तो विशेष रूप से प्रतिनिधित्व किया ही, साथ ही विधान सभा के विचाराधीन सभी विषयों में विशेष योगदान दिया। परम पिता से प्रार्थना करता हूं कि श्री विजयपाल कटारा की दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवार के सदस्यों को इस महान् दुःख को झेलने की शक्ति दें।

श्री अमरा मीणा रावत अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित प्रतापगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से दूसरी राजस्थान विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुये थे। आप अखिल भारतीय कांग्रेस के सक्रिय सदस्य थे।

माननीय सदस्य ने विधान सभा कार्यवाही मे जागरुक रह कर सक्रिय भाग लिया। साथ ही अपने निर्वाचन क्षेत्र का प्रभावी प्रतिनिधित्व करते हुए राजस्थान को विकास के पथ पर अग्रसर करने वाले विभिन्न विषयों पर अपने अमूल्य विचार व्यक्त किये व महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किये।

मैं परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को चिर शान्ति प्रदान करे और उनके परिवार के सदस्यों को इस महान् दुःख को झेलने की शक्ति दे।

श्री भंवरलाल ऐरन, छठी विधान सभा के सदस्य नसीराबाद निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए। उनका जन्म 1 दिसम्बर, 1918 को हुआ। उन्होंने एम. ए.

(श्री अध्यक्ष)

एल.एल बी. तक शिक्षा प्राप्त की। समाज सुधार व शिक्षा प्रसार में उनकी रुचि रही। उन्होंने बालिका हितकारिणी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, नसीराबाद के प्रबन्धक के रूप में अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य किया। श्री ऐरन की टेनिस तथा वालीवाल में विशेष अभिरुचि रही।

विधि की विडम्बना है कि शव यात्रा में श्मशान गये श्री भंवरलाल ऐरन को वहीं हृदय-आघात हुआ और चिकित्सालय ले जाते समय मार्ग में ही उन्होंने अन्तिम श्वास ले ली।

विधान सभा में श्री ऐरन ने अपने निर्वाचन क्षेत्र का प्रभावी प्रतिनिधित्व तो किया ही, राजस्थान के सर्वांगीण विकास के कार्यों सम्बन्धी चर्चा में सदैव भाग लेकर कारगर व ठोस सुझाव दिये। विधायी कार्य में श्री ऐरन की विशेष भूमिका रही।

मैं परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि श्री ऐरन की आत्मा को चिर शान्ति प्रदान करे और उनके परिवार जन को यह महान् दुःख झेलने की शक्ति दे। अब मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा....

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष): एक, विट्ठल प्रसाद शर्मा का भी है।

श्री अध्यक्ष: इसमें प्रक्रिया यह है कि जिला स्तर के अधिकारियों से सूचना मांग लेते हैं, जब वहां से सूचना आ जाती है तब ही इस प्रक्रिया को लेते हैं।

अब मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे अपने स्थान पर दो मिनट खड़े होकर उनको मौन श्रद्धांजलि अर्पित करें।

(सदन ने दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की)

कृपया स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, अभी जैसा मैंने आपसे निवेदन किया कि यह मेरी जानकारी है कि एक माननीय सदस्य का स्वर्गवास हो गया—श्री विट्ठल प्रसादजी शर्मा, उनको श्रद्धांजलि कल भी प्रस्तुत की जा सकती है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय केसरीसिंह जी पाटोदी हैं, उनके बारे में मैंने जानकारी मंगाई है और जानकारी आने पर इसी सत्र में....।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: मैं दूसरी बात निवेदन करना चाहता हूं—आपने जानकारी ली, यह तो बहुत अच्छा काम किया लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि जिला अधिकारियों की यह ड्यूटी है कि वे आपको जानकारी दें किन्तु जिन्होंने जानकारी नहीं दी है उनके खिलाफ, मैं समझता हूं, मुख्य मन्त्री जी निश्चित रूप से एक्शन लेंगे। विधान सभा की परम्परा के नाते जिन अधिकारियों के ऊपर जो जिम्मेदारियां डाली गई हैं उनमें एक जिम्मेदारी यह भी है कि अगर माननीय सदस्यों की कहीं मृत्यु हो जाय या माननीय सदस्य कहीं गिरफ्तार हो जायं तो उसकी सूचना माननीय अध्यक्ष महोदय को

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

दी जाए। जिन-जिन लोगों ने इस प्रकार की सूचना नहीं दी है, अध्यक्ष महोदय, मुझे स्मरण है, पिछले सत्र में भी इसी प्रकार के प्रसंग आये थे और आपने यह कहा था कि सरकारी दल को चाहिये कि जब भी इस प्रकार की सूचना मिल जाय तो तुरन्त सूचना देने की व्यवस्था करें। मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी से कहना चाहूंगा कि इस प्रकार की कोई एम्बरेंसिग पोजीशन न हो। उससे बचने का तरीका एक ही है कि जो पुराने सर्क्यूलर हैं, उन सर्क्यूलर्स को रिट्रीट करें या एम्फेसाइज करें ताकि उसमें इस प्रकार की गलती नहीं हो सके।

श्री शिवचरण माथुर (मुख्य मन्त्री): अध्यक्ष महोदय, यह सही बात है कि इस प्रकार की अगर कोई दुःखद घटना हो जाय तो उसकी सूचना यहां पर आनी चाहिये। जैसा कि माननीय सदस्य, विट्ठल प्रसाद जी के बारे में सूचना यहां नहीं आई है, मैं इसको विश्वास दिलवाऊंगा और आगे से इस प्रकार की घटना न हो, इसके लिए समुचित व्यवस्था की जायगी।

अनुपस्थिति अनुमति

श्री राधेश्याम सदस्य, विधान सभा को 6 सितम्बर, 1982 से 12 सितम्बर, 1982 तक सदन अनुपस्थिति रहने की अनुमति।

अनुपस्थिति के लिये अनुमति। सदन की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री राधेश्याम, (विभाजन संख्या 149) सदस्य, विधान सभा ने अस्वस्थ होने के कारण 6 सितम्बर, 1982 से 12 सितम्बर, 1982 तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने के लिए अनुमति चाही है।

क्या सदन की अनुमति है?

(स्वीकृत)

अनुमति दी गई।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) सर्वश्री भैरोंसिंह शेखावत, घनश्याम तिवाड़ी, सुश्री पुष्पा जैन, सर्व श्री हंसराज शर्मा, भंवरलाल शर्मा, महावीर प्रसाद जैन, हीरालाल आर्य, बालचन्द्र आर्यवीर, रघुवीर सिंह कौशल, नन्दलाल मीणा, हरीश शर्मा, भूपालसिंह, वंशीलाल पटवा, श्रीमती विद्या पाठक, ललित किशोर चतुर्वेदी, मालाराम, दाऊदयाल जोशी, श्रीमती उज्जला अरोड़ा, तथा श्री राजबहादुर, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 30 अगस्त को बिहार प्रेस विधेयक के विरोध में राज्यपाल महोदय को पत्रकारों व गैर पत्रकारों के द्वारा ज्ञापन देने जाते समय उनके जुलूस को रोकने व उसके विरोध में पत्रकारों द्वारा राष्ट्रपतिजी के जयपुर प्रवास के कार्यक्रमों के बहिष्कार के विषय में।

मैं चाहूंगा कि राज्य सरकार की ओर से कल दिनांक 7 सितम्बर, 1982

(श्री अध्यक्ष)

को इस सम्बन्ध में सदन में एक वक्तव्य दिया जाय।

(2) श्री देवीसिंह भाटी, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला बीकानेर के थाना गजनेर में 8-9 हजार पेड़ों को काटने के बावजूद एक प्रथम सूचना रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा कार्यवाही न करने के सम्बन्ध में,

(3) श्री नाथूसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से बांदीकुई जिला जयपुर की ग्राम पंचायत हिंगोटा में सरपंच व अन्य लोगों द्वारा एक हरिजन की हत्या के विषय में,

(4) श्री गुलाबचन्द कटारिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से उदयपुर नगर में पिछले माह में पांच डकेतियों की घटना होने के विषय में,

(5) श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 3 सितम्बर से सीकर में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने के विषय में,

(6) श्री कैलाश मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 31 अगस्त को सरकार द्वारा कांग्रेस (ई) पार्टी के पदाधिकारियों की उपस्थिति में कर्मचारियों के तबादले करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में,

(7) श्री चन्द्रवीरसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से जैसलमेर जिले के कई गांवों तथा बाड़मेर, जोधपुर व बीकानेर जिलों के कई गांवों में पशुधन की चोरी कर पाकिस्तान में बेच दिये जाने की घटना के विषय में।

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है तथा जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

(8) सर्वश्री लच्छूराम व यदुनाथसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से प्रदेश में अनावृष्टि तथा अतिवृष्टि से नुकसान होने के बावजूद किसानों से ली जाने वाली फ्लेट की दरों को 30 से 70 प्रतिशत बढ़ाये जाने के विषय में।

यह विषय अविलम्बनीय लोक महत्व की घटना विशेष से सम्बन्धित नहीं है, अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : अध्यक्ष महोदय, आज कई माननीय सदस्यों ने बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आपको सूचना दी है और आज आप देख ही रहे हैं सवेरे से प्रेस भी, प्रेसगैलरी में नहीं है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, हमारी परम्परायें यह रही हैं कि जिन माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्तावों को मैं अस्वीकार कर देता हूं ......

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। जिनके अस्वीकार किये है ......

(व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष)

उनको पहले, उसके पश्चात् मैं अवसर दूंगा।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री लच्छू राम।

अनेक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, उनको बैठे-बैठे बोलने की अनुमति दी जाय।

श्री अध्यक्ष : आप बैठे-बैठे बोल सकते हैं।

श्री लच्छू राम (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में किसान लगातार 3-4 साल से अकाल और अनावृष्टि की वजह से तो परेशान है ही, इसके अलावा बिजली की कमी है, इस दोहरी मार के साथ किसान के ऊपर बिजली की दरों और सिंचाई की दरों में जो बढ़ोतरी हुई है, यह किसान के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। राजस्थान सरकार को यह चाहिए था कि किसान की बेहतरी के लिए किसान को पूरी बिजली दी जाय लेकिन किसान को 8 घण्टे बिजली देने का जो एग्रीमेण्ट था उसको छोड़कर किसान को केवल 4 घण्टे बिजली दी जा रही है। इसके बावजूद, क्योंकि 8 के बजाय 4 घण्टे बिजली दीजाती थी, फ्लेट रेट को कम करने के बजाय 30 पर्सेन्ट से लेकर 70 पर्सेन्ट तक बढ़ा दिया गया है, यह किसान के साथ बहुत अन्याय है। इस सम्बन्ध में बार-बार विधान सभा के अन्दर भी माननीय सदस्यों ने कई प्रस्ताव रखे और विधान सभा में, इसके लिए चर्चा की परंतु राजस्थान सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। किसान के साथ इस प्रकार का अत्याचार हो रहा है। यही नहीं बल्कि किसान को अपनी उपज का पूरा मूल्य भी नहीं मिल रहा है इसलिए किसान बार-बार आन्दोलन कर रहा है और आज इस सम्बन्ध में जयपुर जिले के किसान इस मसले को लेकर बिजली के सम्बन्ध में, उनकी उपज का पूरा मूल्ये मिलने के संबंध में विधान सभा के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं राजस्थान सरकार से यह निवेदन करूंगा कि किसानों की मांगों के सम्बन्ध में बिजली मन्त्री ध्यान दें और जो मांग पत्र वे पेश कर रहे हैं, उसके सम्बन्ध में विचार ही नहीं करें बल्कि उनको ज्यादा से ज्यादा छूट देने की कोशिश करें। जय हिन्द।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : अध्यक्ष महोदय, जब से कांग्रेस की सरकार केन्द्र और राज्यों में स्थापित हुई है, दिखाने को तो किसानों के प्रति घड़ियाली आंसू रोज बहाती है, उसके बावजूद आप देखेंगे और आप स्वयं महसूस भी करते हैं कि पिछले ढाई साल में किसान की कमर बुरी तरह टूटी है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि 100 में से 90 किसान गांव में घोर कष्टमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इसके पीछे बहुत से कारण हैं। उसकी उपज का उसको ठीक भाव मिलता नहीं, बिजली की कीमत रोज बढ़ाई जाती है। जब से केन्द्र में यह सरकार आयी है और यहां राज्य में कांग्रेस की सरकार आयी है, उसके बाद बिजली के भाव दुगुने किये गये, खाद के भाव दुगुने किये

Page No 47

(47)

(श्री यदुनाथ सिंह)

गये, सिंचाई की दर बढ़ायी गयी लेकिन जो प्रश्न है, व्यक्ति की जो 3 भौतिक आवश्यकताऐं हैं उनमें से अन्न एक है, उसको पैदा करने वाला प्रान्त के अधिकांश हिस्से में भूखा सोता है। अध्यक्ष महोदय, देश की पूंजी ज्यादातर खेती से पैदा हो रही है, 31 हजार करोड़ की पूंजी खेती से पैदा हो रही है जिसमें 72 पर्सेन्ट आदमी लगे हुए हैं। दूसरी ओर उद्योगों में 12 हजार करोड़ रुपये की पूंजी पैदा हो रही है, उसमें 9–10 पर्सेन्ट आदमी लगे हुए हैं। उनको बजट में दिन-पर-दिन नयी-नयी सहूलियतें दी जाती हैं। 5 हजार करोड़ रुपये का बजट पर भार तो इण्डस्ट्रियलिस्ट के लिए डाल दिया जाता है, उसको सब्सिडी दे दी जाती है कि वह बाहर कम्पीट कर पाये, लेकिन पूरे देश में 4 हजार करोड़ रुपये किसानों को लोन दिया जाता है- यह बात है। अध्यक्ष महोदय, किसानों को 176 रुपये प्रति हैक्टेयर से ज्यादा कर्जा नहीं मिलता है, सहायता नहीं मिलती है, सरकार से। इस पैसे को, अगर आप देखें, तो यह एक एकड़ में बीज की लागत की पूर्ति भी नहीं करता, खाद व अन्य पूर्तियों की बात तो आप छोड़िये। तो घड़ियाली आंसू सरकार बहाती है दिन पर दिन और चीजों के भाव बढ़ती चली जा रही है। पिछले साल ही भाव बढ़े लेकिन किसानों की पैदावार के भाव वहीं के वहीं स्थिर हो गये हैं। इससे गांव के किसानों की पूंजी खाली होती जा रही है। पिछले साल की एन.सी.आई.आर. की रिपोर्ट है उसमें 22.5 प्रतिशत किसान के विपरीत दिखाया गया है टर्म्स आन ट्रेड में, मतलब उस 22.5 प्रतिशत के हिसाब से 6600 करोड़ रुपये गांव से किसान से खिच कर पूंजीपतियों में, शहरों में चला गया। अध्यक्ष महोदय, देश की 27 प्रतिशत पूंजी पर एक पर्सेन्ट आदमी कब्जा करके बैठे हुए हैं, पूंजी गांव से शहर में चली जा रही है। हालांकि अभी बाढ़ आयी है, कुछ हिस्से में सूखा पड़ रहा है 5 साल से, लेकिन इस राज्य सरकार, के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। क्या सरकार ने पिछले 5 साल में हमारे यहां पर भरतपुर में कभी पीने के पानी की दिक्कत सुनी? इस साल वहां ऐसी घटना हुई, ऐसे हालात पैदा हुए कि वहां पर पीने के पानी की आम तौर पर दिक्कत हुई। वहां जमीन में खारा पानी है, वहां जमीन के पानी को मीठा करके काम में लाते हैं लेकिन उसकी ओर सरकार का ध्यान नहीं जाता। सरकार निकालने को किसान रैली निकालती है, सम्मेलन करती है राजकुमारजी का, कभी कुछ करती है। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि सरकार ने जो प्लेट रेट बढ़ायी है, उसको खतम करे, किसानों के पक्ष में टर्म्स-ऑन-ट्रेड को निर्धारित करने का काम करे। जो कुछ किसान पैदा करता है, उसकी लागत जो है, दुर्भाग्य से आज इस देश में जो सबसे ज्यादा उत्पादक श्रम करता है वही सबसे छोटा आदमी है, जो कम उत्पादक श्रम करता है वह बड़ा आदमी है और जो बिलकुल उत्पादक श्रम, कोई काम नहीं करता वह बहुत बड़ा आदमी होता है। अध्यक्ष महोदय, इस देश में पेट भरना भौतिक आवश्यकताओं में है। भौतिक आवश्यकताएं तीन हैं, उनमें एक अन्न भी

(श्री यदुनाथ सिंह)

है और भौतिक आवश्यकता से कभी समझौता नहीं किया जा सकता, और बातों में समझौता किया जा सकता है। श्वांस एक भौतिक आवश्यकता है, अध्यक्ष महोदय, और अगर श्वांस को आप रोकेंगे, चाहे वह मां रोक रही हो, बाप रोक रहा हो, भाई रोक रहा हो तो उसको जान से मारकर दुबारा क्रांति लाने का काम करेंगे। अध्यक्ष महोदय, कहीं ऐसी स्थिति देश में पैदा न हो जाय क्योंकि आज देश का किसान जाग रहा है सरकार अगर उस पर गोलियां चलाती है, लाठी चलाती है और उसकी भौतिक आवश्यकता को रोकती है तो वह क्रांति करने पर उतारू हो जायेंगे और सामने वाले को मारने का काम करेंगे। समय रहते सरकार चेते और किसान के प्रति, मैं चाहूंगा, सरकार संवेदनशील बने। किसान जो हमारा पेट भरता है उसके प्रति सरकार संवेदनशील बने और जो फ्लेट रेट पानी की, सिंचाई की रेट बढ़ाई हैं, उसको सरकार कम करे और टर्म्स आफ फ्लेट रेट को सरकार सुधारे। मैं इतना ही निवेदन करते हुए, अध्यक्ष महोदय, चाहूंगा कि जो आज बाहर विशाल जुलूस किसानों का आया हुआ है, उसका जो ज्ञापन है, उसकी प्रति मैंने मुख्य मन्त्री के समक्ष भी रखी थी, उस पर सरकार गम्भीरता से विचार करके एकदम फैसला करे। वरना कहीं ऐसा न हो कि किसान जाग उठे, गुस्से में आ जाय और इस सरकार के सामने क्रांति की स्थिति पैदा कर दे। अध्यक्ष महोदय, मैं इतनी ही चेतावनी देते हुए निवेदन करूंगा आपकी मार्फत कि आप सरकार पर अपनी ओर से भी दबाव डालें कि किसान को अब इग्नोर करने का समय नहीं रहा है। किसान को उसकी प्रतिष्ठा दिलाने के लिए कार्यवाही की जाय।

श्री शाऊदयाल जोशी (दूगोद) : आपने जो प्रति मुख्य मन्त्री जी, पटल पर रखी थी वह सचिवालय द्वारा उठा ली गयी क्योंकि वह आ गयी थी। यह आप पूछ लो।

श्री चाव खां (कामां) : हमारे सामने अभी जो बिजली का मसला आ रहा है, इस मामले में मैं आपका ज्यादा वक्त न लेते हुए दो ही मिनट में अपनी बात कह दूंगा। यह हकीकत है, जहां तक बिजली का सवाल है, बिजली आज किसानों को नहीं दी जा रही है, किसान बिजली के बगैर परेशान हैं। कल रात को मैं अलवर ठहरा था, वहां पर आकर लोग मुझसे मिले। उन्होंने मुझे बताया कि 3—4 महीने से परेशान किया जा रहा है, जब हम अफसरों के पास जाते हैं तो वह ए.ई.एन. के पास भेजते हैं और ए.ई.एन. ए.सी. के पास भेजता है। इस प्रकार वे एक दूसरे के पास भेज देते हैं। आपस में उन दोनों अधिकारियों में मतभेद है लेकिन उस कारण हमको फुटबाल बनाया जा रहा है और बिजली नहीं दे रहे हैं। जबकि बिजली वालों की हड़ताल चल रही थी तो उन्होंने ट्रांसफार्मर का तेल निकालकर उसे बन्द कर दिया था, जो आज तक बंद है। पहले ट्रान्सफार्मर जल गया था, जब वह जल रहा था उसी वक्त उसके लिए लिखकर दिया गया लेकिन आज तक उस बिजली के ट्रांसफार्मर को सही नहीं कराया गया। बिजली की वजह से हमारी सारी फसलें तबाह हो रही है। हजारों लाखों

(श्री चाव खां)

रुपए का प्याज का बीज जो बाहर से मंगवाया है वह बिजली के बगैर खराब हो नहीं हो रहा है बल्कि सड़ रहा है। अगर किसानों की बिजली की व्यवस्था जल्दी से जल्दी नहीं की गई तो हजारों लाखों रुपयों का नुकसान हो जायगा जिसकी जिम्मेदारी सरकार पर होगी।

श्री अध्यक्ष : आपका गला बैठा हुआ है या कहीं जोर से भाषण देकर आये हैं ?

(व्यवधान)

श्री चाव खां : इसलिए मेरा आपसे फिर कहना है कि वे किसान आज शाम को या एक-दो दिन में यहां पहुंच रहे हैं और बिजली मन्त्री से मिल कर अपनी सारी दिक्कतें उनके सामने रखेंगे। इसलिए उन लोगों को बिजली जल्दी से जल्दी मिल जानी चाहिये। जब किसानों को खाद और बीज समय पर नहीं मिलें तो उसका क्या फायदा ? लिहाजा काश्तकारों ने जो प्याज वगैरह का बीज बाहर से मंगाया है अगर वह खत्म हो गया तो काश्तकारों को बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। अतः बिजली की व्यवस्था अतिशीघ्र होनी चाहिये।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : अध्यक्ष महोदय, किसानों की ग्रामीण क्षेत्र में रहने वालों की सरकार की तरफ से उपेक्षा हो रही है। आज चारों तरफ जबकि किसान अपनी आवश्यकता की हर चीज के लिए कर्जा ले रहा है उसको अपने उत्पादन के लिए जितने भी कृषि उत्पादन संयंत्र हैं, जितनी चीजें हैं, जितने भी साधन हैं वह सुविधाजनक रूप से नहीं मिल रहे हैं, समय पर नहीं मिल रहे हैं। पिछले अर्से के अन्दर, मई के अन्दर राजस्थान के बहुत से इलाकों में ठीक, अच्छी बरसात हुई। उस बरसात में किसान समय पर बीज बो करके उपयोग करना चाहता था और खेती करना चाहता था लेकिन पिछले कई सालों में अकाल होने की वजह से, बाजरी का बीज, जो हमेशा पैदा करता रहता है, समय पर नहीं मिलने की वजह से खेती नहीं कर सका और न ही सरकार की तरफ से बीज की कोई किसी तरह की व्यवस्था हुई। किसानों की जितनी भी उत्पादन करने की चीजें हैं, चाहे बिजली देख लीजिए, चाहे छोटे मोटे एनीकट बनाने की यह योजना देख लीजिए और किसान को अपनी चीजें पैदा करने के लिए जितना पैसा या समय लगाना पड़ रहा है, वह चीजें बड़ी दुर्लभता से मिलती हैं। किसान जो पैदावार करता है उस पैदावार के भाव जहां के तहां पर स्थिर हैं और किसान को अपना उचित मूल्य भी नहीं मिलता है। मार्केटिंग सोसायटीज और बाजार के अन्दर जो भी किसान के उत्पादन की चीजें हैं वह बिलकुल सस्ते भाव बिक रही हैं। सस्ते भाव में बिकने से उसको उचित मूल्य नहीं मिलता है और उचित मूल्य नहीं मिलने से किसान जो अपनी पैदावार करना चाहता है वह ठीक तरह से नहीं कर पाता है। किसानों के साथ में जो सरकार का रवैया है और किसानों पर जो जुल्म किये जा रहे हैं उससे किसानों को अब महसूस होने लग गया है कि भैरोंसिहजी ने किसानों को खेती का जो लाभ दिलाया है सरकार उसको व्याज के साथ ले रही है। सरकार ने लाखों किसानों से व्याज लेना शुरू कर दिया है

Page No 50

(50)

(श्री महाराम चौधरी)

और किसानों के प्रति अन्तर आत्मा और भावना से कोई किसी तरह का सच्चाई और ईमानदारी से कार्यक्रम नहीं चलाया जा रहा है। किसान तो देश की रीढ़ की हड्डी है लेकिन उस रीढ़ की हड्डी की उपेक्षा हो रही है। उत्पादन किसान करता है, सारी दुनिया के लोग उत्पादन नहीं करते हैं वे किसान द्वारा किये गये उत्पादन से पेट भरते हैं लेकिन उसकी उपेक्षा की जा रही है।....

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री माहाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इसलिए समय पर किसानों को सही रूप में अंगीकार करके उनकी वाजिब चोजों और जरूरतों की पूर्ति नहीं की गई तो देश के अन्दर बड़ी भयंकर क्रांति होने जैसी समस्या पैदा हो जायेगी।

श्री मालाराम (खेतड़ी) : अध्यक्ष महोदय, किसाना रे सामने दो वर्षां रे मायने अतरी परेशानियां आ गई। खेती रे मायने कदी दो घण्टा, बिजली मिले छैः कदी तीन घण्टा बिजली मिले छै। अध्यक्ष महोदय, आप भी ई बात ने सोचो हो क्योंकि आप भी किसान हो, कम से कम सौ में से नव्वे आदमी खेती माले निर्भर है। अब उनरी समस्याओं पे अठे सरकार नी सोचेगी तो किसान तो दो वर्षां रे मायने बिल्कुल ही परेशान हो चुकयो है और ऊंरी माली हालत आप देखो हो कि कं हो रही है। बिजली री दर, खाद री दर दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है अर नाज रा भाव वी का वी हैं। तो किसानों रे प्रति आप खुद सोचे हो कि कं हालत है। अध्यक्ष महोदय, किसानां ने परेशानी है, जद किसान री समस्या आई तो बिजली मन्त्रीजी उठ्रर चल्या गया। तो कम से कम सरकार ने आप री मार्फत म्हे आ तो कह सकां कि किसान ने जो दो घण्टा, चार घण्टा अर छः घण्टा जो बिजली मिले है कम से कम ऊंकी हर किसान ने सूचना मिल जानी चाहिये कि आज थाने दो घण्टा या चार घण्टा बिजली मिलेगी तो वो बेचारो बीच में डोलतो तो नहीं फिरे, मेरो तो यही कहणो है।

व्यवस्था का प्रश्न
पत्रकार दीर्घा में पत्रकारों की अनुपस्थिति

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : किस सम्बन्ध में....

श्री नाथूसिंह : अभी निवेदन करना चाहता हूं, आप इजाजत तो दें

श्री अध्यक्ष : कुछ विषय तो होना चाहिये।

श्री नाथूसिंह : मैंने निवेदन किया था और आपने कहा था कि इसके बाद में, जब यह समाप्त हो जाएगा।

श्री अध्यक्ष : उनको बोलने की इजाजत देनी थी इसलिए आपको कहा कि बाद

(श्री अध्यक्ष)

में इजाजत दूंगा लेकिन आप विषय तो बतायेंगे ।

श्री नाथूसिंह : वह भी बता दूंगा, आप बिराजें तो । अध्यक्ष महोदय, आज पत्रकारों से प्रेस गैलरी खाली है और इस सम्बन्ध में हमने कई नोटिसेज आपके सामने दिये हैं ।

श्री अध्यक्ष : उसमें मैंने निर्णय दिया है कि कल सरकार की ओर से एक वक्तव्य दिया जाएगा तब सभी प्रश्न आप उस वक्त उठा सकेंगे ।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह था कि 30 अगस्त को पत्रकार राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देने जा रहे थे तो उनके साथ धक्का मुक्की की गई, उनके साथ मारपीट की गई क्योंकि....

श्री अध्यक्ष : वह सब प्रश्न जा जायेंगे ।

श्री नाथूसिंह : उसी असंतोष के कारण उन्होंने बायकाट करने की पूर्व में घोषणा की और बायकाट करके चले गए । मुख्य मंत्री महोदय मौजूद हैं सौभाग्य से, यदि मुख्य मंत्रीजी आज आते ही बयान देते उस स्थिति पर तो आज जो सदन में उत्तेजना है और बाहर भी इस विषय पर बहुत उत्तेजना है, अध्यक्ष महोदय, क्योंकि आज प्रेस चौथा खम्भा है लोकतंत्र का और यदि प्रेस में कोई चीज छपेगी नहीं तो....

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्रीजी प्रेस के सामने ही देना चाहेंगे ना स्टेटमेंट ।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, अगर मुख्य मंत्रीजी आज ही सदन में बयान देना चाहेंगे तब तो मैं ऐसा समझता हूं कि मुख्य मंत्रीजी प्रेस के महत्व को समझते हैं । प्रेस के महत्व को समझते हुए मुख्य मंत्रीजी को पहले दिन ही सदन में इस पर वक्तव्य देना चाहिए था ।....

श्री अध्यक्ष : इसीलिए दिला रहे हैं वक्तव्य ।

श्री नाथूसिंह : 30 अगस्त को, अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय को बिहार प्रेस विधेयक के विरोध में ज्ञापन देने जो पत्रकार गए उनको रोक ही नहीं दिया गया, बल्कि उनके साथ धक्का मुक्की की गई, मारपीट की गई । इसका उनको कोई कारण नहीं बताया गया धारा 144 वहां पर थी नहीं । उसके पश्चात् उनके साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया उस पर माननीय राज्य गृह मंत्री महोदय ने अनभिज्ञता प्रकट की और कहा कि ऐसा हुआ है तो गलत हुआ है, मुझको मालूम नहीं है । तो, वस्तु स्थिति क्या है इस सम्बन्ध में ? सदन में आज बैठे हुए हैं, माननीय मुख्य मंत्री महोदय को चाहिए कल पर न छोड़ कर के, सारी घटना उनको मालूम है, आज ही इस विषय पर सदन में वक्तव्य दें । जो संताप व्याप्त है, जो आज पत्रकारों में रोष है, हो सकता है कि कल भी पत्रकार बाय-काट कर जायें, इसलिए आज आप वक्तव्य दे दें, आप संतुष्ट कर दें । वास्तविकता क्या है इस चीज को रख देंगे तो वह स्थिति

(श्री नाथूसिंह)

दूर हो जायेगी। इसलिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं, आप सदन में आज ही इस सम्बन्ध में कोई वक्तव्य दे दें। कई विरोधी दल भी इस सम्बन्ध में बायकाट करके गये हैं। आपको मालूम है सारी स्थिति, इसलिए खड़े हो कर आप अपनी ओर से, आज ही बयान दें कि वस्तु स्थिति क्या है और आप क्या चाहते हैं, आपकी सरकार क्या चाहती है। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि जैसी मुझ को सूचना मिली है उसके अनुसार मैं निवेदन करना चाहता हूं, केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को एक पत्र लिखा है कि बिहार के अन्दर जिस तरह का विधेयक पास हुआ है उसी लाइन पर आप चलें। वस्तु स्थिति क्या है....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, ये सभी प्रश्न कल उठाये जा सकते हैं।

श्री नाथूसिंह : तो मुख्य मंत्रीजी वक्तव्य दे सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले....

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़े से शब्दों में निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि जो बात बांदीकुई से आने वाले माननीय सदस्य ने उठाई है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस संदर्भ में है कि प्रश्नकाल आरम्भ होते ही इस सदन के कई माननीय सदस्यों ने इस सदन का बहिष्कार किया है और कइयों ने यह चर्चा उठाई है। इसके साथ ही, अध्यक्ष महोदय, कल परसों या दो तीन दिन पहले इस विषय में एडजोर्नमेंट मोशन दिए थे जिस घटना के कारण पत्रकार आज बहिष्कार करके बैठे हैं। मसला ऐसा था कि हम मांग करें या नहीं करें, सरकार की ओर से स्वतः ही आज स्टेटमेंट दिया जाना चाहिए था। सरकार आज स्टेटमेंट नहीं दे रही है....

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : कल दे रही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह तो ठीक है। कल दे रही है, परसों दे रही है, नहीं दे रही है, आप अपनी इच्छा से नहीं दे रहे हैं। यदि आपकी इच्छा ही सर्वोपरि होती तो, मै समझता हूं, आप वक्तव्य नहीं देते लेकिन आपसे तो, अध्यक्ष महोदय, दिलवा रहे हैं और आप मजबूरी से दे रहे है। आप अपने मन से नहीं दे रहे हैं मजबूरी से दे रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, यह वक्तव्य यदि आज दिया जाये तो हो सकता है कि प्रेस वाले जो डिसीजन आज लेंगे उसमें इससे कोई अन्तर आवे। वे अपने बहिष्कार को चालू रखना चाहते हैं या माननीय मुख्य मंत्रीजी के वक्तव्य के बाद में वह बहिष्कार नहीं करना चाहते हैं, आखिर उनको भी कोई न कोई निर्णय तो लेना ही पड़ेगा। ऐसी हालत में, मैं निवेदन करूंगा, माननीय मुख्य मंत्रीजी का वक्तव्य आज दे दिया जावे। कल के वक्तव्य में और आज के वक्तव्य में कोई ज्यादा अन्तर नहीं है। अन्तर केवल इतना सा है कि हम यह मान कर चलेंगे कि मुख्य मंत्रीजी ने भी पत्रकारों

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

का सम्मान किया है। पत्रकारों के प्रति मुख्य मंत्रीजी के हृदय में भी सब प्रकार का महत्व और सम्मान है। यदि इसके कारण वे एवसेंट हैं तो मुख्य मंत्रीजी के वक्तव्य के बाद में हो सकता है कि वे अपने निर्णय पर विचार करें। आज पत्रकार सदन में बैठे हैं या नहीं बैठे हैं, मुख्य मंत्रीजी को इस बात की चिन्ता नहीं है। इसीलिये मुख्य मन्त्रीजी वक्तव्य नहीं दे रहे हैं और उन्हें जब इस प्रकार की चिन्ता नहीं है तो, अध्यक्ष महोदय, हमें डर लगता है कि कहीं मुख्य मंत्रीजी भारत के अन्य राज्यों के मुख्य मंत्रियों की तरह प्रेस के संबंध में इस प्रकार का विधेयक इस सदन में प्रस्तुत करने वाले तो नहीं हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि मुख्य मंत्रीजी हमारी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, पत्रकार भी इस सारी कार्यवाही के अभिन्न अंग है उनका सम्मान रखते हुए आज ही वक्तव्य दे देंगे।

वैसे आपके एक मंत्री ने क्षमा चाही है कि जो कुछ भी 30 तारीख की घटना हुई उसका हमें बड़ा दुख है। मैं ऐसा समझता हूं, वह मिनिस्टर तो ऐसे हैं, अध्यक्ष महोदय, जो हर विषय पर बोलते हैं। वह किसी की तरफ से माफी मांग लेते हैं, किसी की तरफ से घोषणा कर देते हैं। कहीं बिजली लगा देते हैं, कहीं फिल्म इंडस्ट्री, स्टूडियो लगा देते हैं वह तो मैं मानता हूं। इसलिये वक्तव्य देने का जहां तक प्रश्न है उन्होंने कह दिया, मैं मुख्य मन्त्रीजी से कहना चाहता हूं, आपके राज्य मन्त्री ने जो खेद प्रकट किया क्या आप उसका समर्थन करना चाहते हैं? मैं तो केवल इसलिये जानकारी करना चाहता हूं, जो आज गंभीर स्थिति बनी हुई है उस गंभीर स्थिति में विचार करने का प्रश्न अपने आप ही पैदा हो जायेगा, कृपया बता दें कि जो राज्य मन्त्री ने दुख, खेद प्रकट किया, क्या मुख्य मन्त्री जी उस खेद प्रकट करने की स्थिति में शामिल हैं।

श्री शिवचरण माथुर (मुख्य मन्त्री): आपने कल के लिये एडमिट कर लिया है, अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कल स्टेटमेंट दे दिया जायेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: आज आप नहीं देना चाहते। हम तो एक ही बात पूछ रहे हैं, आज नहीं देना चाहते आप? अध्यक्ष महोदय, मसला ऐसा है, हम सदन में बैठ कर करेंगे क्या? क्या कार्यवाही होगी? क्या सदन की कार्यवाही जनता में नहीं पहुंचे? मैं नहीं कहता कि मेरा भाषण जाये या मुख्य मन्त्रीजी का भाषण जाये। सदन में बैठने वाले माननीय सदस्यों ने आज शिक्षा के संबंध में जितना महत्वपूर्ण मसला उठाया है, मैं समझता हूं, हर स्कूल का बच्चा परेशान है कि हमें पढ़ाने वाले अध्यापक नहीं हैं तो उनके प्रतिनिधियो ने जितना यहां संघर्ष किया उसकी जानकारी कौन देगा? क्या एक-एक सदस्य जाकर कहेंगे कि मैंने तुम्हारे लिये लड़ाई लड़ी स्कूल में अध्यापक नियुक्त किये जायें इसलिये मैंने संघर्ष किया है? एक घंटे की मेहनत पूरी बेकार जायेगी। जिस जनता के लिये संघर्ष कर रहे हैं उसको कम्युनिकेट नहीं कर पायेंगे और कम्युनिकेट करना चाहते है जिस माध्यम से वह हमारी एजेन्सी यहां है नहीं, इसलिये मेरा यह

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

निवेदन है, मुख्य मन्त्री जी इस प्रश्न पर विचार करें। अध्यक्ष महोदय, आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं, सारे सदन के लोगों के हितों का प्रश्न है....

श्री अध्यक्ष : इसीलिये कल के लिये कह दिया है। सरकार चाहे तो आज दे सकती है। कल के लिये तो मैंने निश्चित कह दिया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप आज अनुमति दे दें तो सरकार तैयार हो जायेगी, अनुमति का सवाल है।

श्री अध्यक्ष : वह अनुमति मांगें तब हो ना ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, अनुमति के लिये तो, मैं समझता हूं, आपका संकेत हो गया है, यह संकेत ही बहुत है। यह संकेत सरकार ने सुन लिया होगा और वह नहीं सुने तो, मैं समझता हूं, मुख्य मन्त्रीजी कम से कम इस बात को जरूर ध्यान में रखेंगे....

श्री शिवचरण माथुर : यह आपका इंटरप्रिटेशन है कि संकेत है ऐसा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप चाहें तो दे सकते हैं। आप लीजिये अनुमति।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर : ग्रामीण) **:** आपने कल के लिये कहा लेकिन उन्होंने कहा कि आज अनुमति मांगें तो आज दे देंगे। इसलिये, मान्यवर, अनुमति दे दी जाये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं, ये वक्तव्य कल देते हैं तो हमें अपनी बात कहने का मौका देवें या फिर रिजेक्ट कर दें।

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) **:** आपकी व्यवस्था हो गई, कल वक्तव्य देने की बात हो गई, वापस तो व्यवस्था बदल नहीं रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप इजाजत मांगेंगे, व्यवस्था अभी बदल जायेगी।

श्री अध्यक्ष : मैंने इस पर व्यवस्था दे दी कि कल वक्तव्य दिलाया जायेगा। कुछ माननीय सदस्य सोच सकते हैं कि आज ही चर्चा कर लें लेकिन मैंने पूरे सदन के हितों को ध्यान में रखते हुए इस तरह का विनिश्चय दिया है कि कल स्टेटमेंट दिलाया जाये। सरकार यदि चाहे तो आज ही किसी वक्त दे सकती है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सरकार का तो, अध्यक्ष महोदय, पत्रकारों के प्रति कोई सम्मान नहीं है मुझे ऐसा लगता है, और कोई सम्मान नहीं है इसलिये बोल नहीं रहे हैं। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, कल सरकार की ओर से उत्तर देना ज्यादा अच्छा हो तो बहस आज हो जाये, सरकार कल उत्तर....

श्री अध्यक्ष : पहले सरकार उत्तर देगी फिर आप बहस करें। आपने जो मुद्दे उठाये हैं....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हमने पहले मुद्दे उठाये नहीं, इसलिये क्या मुद्दे उठाये जाने वाले हैं यह सरकार को पहले बता देना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : आज सवेरे प्रस्ताव को सरकार के पास भेज दिया है। कल वह वक्तव्य दे देगी उसके बाद उस पर चर्चा कर सकेंगे जैसा सदैव होता है।

सूचना

संविधान (छियालिसवां संशोधन) विधेयक, 1982 के अनुसमर्थन से सम्बन्धित राज्य सभा से प्राप्त संदेश

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

श्री सचिव (राजस्थान विधान सभा) : महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 118 का का, उपनियम (2) के अन्तर्गत संसद के दोनों सदनों द्वारा यथापारित संविधान (छियालिसवां संशोधन) विधेयक, 1982 का अनुसमर्थन करवाने संबंधी राज्य सभा द्वारा भेजे गये संदेश की सूचना देता हूं, जो निम्न प्रकार है:—

PARLIAMENT OF INDIA
RAJYA SABHA SECRETARIAT

Parliament House
New Delhi
The 18th August, 1982

No. Rs 1/21/81–B

From.

Shri Sudarshan Agarwal,
Secretary General.

To

The Secretary,
Rajasthan Legislative Assembly
JAIPUR.

SUBJECT : The Constitution (Forty-sixth Amendment) Bill, 1982-ratification of.

Sir,

I am directed to state that the Constitution (Forty-sixth) Amendment) Bill, 1982 has been passed by the House of the People on the 14th July, 1982 and by the Council of States on the 10th August, 1982. A copy of the Bill, as passed by the Houses of Parliament, is sent herewith.

2. As the Bill contains amendment which seek to make changes in the entrenched provisions specified in clause (c) of the proviso to clause (2) of article 368 of the Constitution, the amendments will require to be ratified by the Legislatures of not less than one-half of the States by resolutions to that effect passed by those Legislatures before the

Page No 56

58

(श्री सचिव)

Bill is presented to the President for his assent.

3. I am accordingly to request that a resolution ratifying the amendments may be placed before the State Legislative Assembly as early as practicable and the result communicated to this Secretariat in due course.

4. It is suggested that the proposed resolution may be on the following lines.

"That this House ratifies the amendments to the Constitution of India falling within the purview of the proviso to clause (2) of article 368 there of, proposed to be made by the Constitution (Forty-sixth Amendment) Bill, 1982 as passed by the two Houses of Parliament."

5. The Parliamentary proceedings on the Bill are being printed and as soon as they are available, the necessary number of copies thereof along with the copies of the Bill, as introduced in the House of the People and as passed by the Houses of Parliament, will be forwarded to you for the use of the Members of the State Legislature.

Yours faithfully
Sd/
SUDARSHAN AGARWAL

महोदय, मैं राज्य सभा से प्राप्त संदेश भी सदन की मेज पर रखता हूं।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

अनुमति प्राप्त विधेयक

श्री अध्यक्ष : सचिव, विधान सभा गत सत्र में पारित उन विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखेंगे जिन पर राष्ट्रपति महोदय अथवा राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है।

श्री सचिव (विधान सभा) : मैं, गत सत्र में पारित निम्नांकित विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं जिन पर राष्ट्रपति महोदय अथवा राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है:—

महामहिम राष्ट्रपति एवं राज्यपाल से अनुमति प्राप्त विधेयक

(क) महामहिम राष्ट्रपति महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयक

1. राजस्थान अत्यावश्यक सेवाएं अनुरक्षण (संशोधन) विधेयक, 1982,

2. राजस्थान स्टाम्प विधि (अनुकूलन) (संशोधन) विधेयक, 1982

3. रजिस्ट्रेशन (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1982

(श्री सचिव)

(ख) महामहिम राज्यपाल महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयक

1. राजस्थान विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 1982

2. राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1982

3. राजस्थान वित विधेयक, 1982

4. राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 1982

5. राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) विधेयक, 1982

6. राजस्थान पंचायत (अवधि का विस्तार) विधेयक, 1982

7. राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1982

8. राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 1982

अधिनियमों के परिशोधित पाठ

श्री अध्यक्ष : विधि मन्त्री, अधिनियमों के परिशोधित पाठ सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (विधि मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्न अधिनियमों के परिशोधित पाठ सदन की मेज पर रखता हूं:—

1. राजस्थान आवासन बोर्ड अधिनियम, 1970

2. राजस्थान निवारक निरोध अधिनियम, 1970

3. राजस्थान राजगामी संपति विनियमन अधिनियम, 1956

4. राजस्थान विधान सभा सदस्य (निरर्हता-निवारण) अधिनियम, 1966

इन अधिनियमों के परिशोधित पाठ गत सत्रों में सदन की मेज पर रखवाये गये थे परन्तु राजस्थान राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, 1970 की धारा 3 (2) के अन्तंगत अपेक्षित कालावधि पूर्ण न हो सकने के कारण इन्हें प्रक्रिया के नियम 169 (2) के अन्तंगत पुनः सदन की मेज पर रखता हूं।

अध्यादेश

श्री अध्यक्ष : अध्यादेशों का सदन की मेज पर रखा जाना। मुख्य मन्त्री जी।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राज्य मन्त्री, गृह) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से राजस्थान सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) (संशोधन) अध्यादेश, 1982 (अध्यादेश संख्या 3 सन् 1982 को पुरः स्थापित करता हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखता हूं।

(व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष)

बीच में आप प्रश्न ज्यादा पूछ लेते हैं इसलिये भूल जाते हैं। तैयारी करके तो आते हैं।

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैं बोला तो हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की वेदखली) (संशोधन) अध्यादेश 1982 (अध्यादेश संख्या 3 सन् 1982) सदन की मेज पर रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63 (2) के अन्तर्गत राजस्थान सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) (संशोधन) अध्यादेश, 1982 (अध्यादेश संख्या 3 सन् 1982) को प्रख्यापित करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री शिक्षा मन्त्री जी।

श्री चन्दनमल बैद (शिक्षा मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं उदयपुर विश्व विद्यालय (नाम परिवर्तन) अध्यादेश 1982, (अध्यादेश संख्या 5 सन् 1982) सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : स्वायत्त शासन मन्त्री।

श्री श्रीराम गोटेवाला (राज्य मन्त्री, स्वायत शासन) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित अध्यादेश सदन की मेज पर रखता हूं:—

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण, अध्यादेश 1982 (अध्यादेश संख्या 4 सन् 1982)

(2) राजस्थान नगरपालिका संशोधन अध्यादेश 1982 अध्यादेश संख्या 6 सन् 1982)

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63 (1) के अन्तर्गत राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 1982 (अध्यादेश संख्या 6 सन् 1982) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : जयपुर विकास प्राधिकरण अध्यादेश, 1982 को जारी करने के उद्देश्य एक कारणों का विवरण रखा जाये। आर्डर....बाद में पेश किये जायेंगे।

परिवहन राज्य मन्त्री।

व्यवस्था का प्रश्न
अध्यादेश को जारी करने के उद्देश्य एवं कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखा जाना

श्री भेरोंसिंह शेखावत : यह इम्पार्टेन्ट है। अध्यादेश, जो आज प्रस्तुत किया गया है, के जारी करने के उद्देश्य एवं कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखना चाहिये जैसा और मन्त्रीजी ने आज रखा है।

श्री परसराम मदेरणा (सिंचाई मन्त्री): यह आवश्यक नहीं है कि उद्देश्य एवं कारणों का विवरण आज ही सदन के पटल पर रखा जाय। अध्यादेश को प्रख्यापित करने के कारणों को उसी दिन सदन की मेज पर रख दिया जाये, यह आवश्यक नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह तो बहुत आवश्यक है।

श्री परसराम मदेरणा : यह बिल के पहले आ जायेगा। बिल आज नहीं आ रहा है। जल्दी नहीं लिया जा रहा है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी इसकी डेट तय करेगी। इसलिये उस डेट से पहले यह रख दिया जायेगा। माननीय सदस्यों को समय मिलेगा इसमें संशोधन देने के लिये। यह प्रक्रिया पूर्व में भी रही है कि अध्यादेश को सदन के पटल पर रखें तो उद्देश्य एवं कारणों के विवरण को भी रखा जाये परन्तु साथ ही रखना भी कोई आवश्यक नहीं है जब तक कारण तैयार न हों या प्रिन्ट नहीं हो गये हों, प्रकाशित नहीं हुए हों....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, यह नहीं है जब तक प्रिन्ट नहीं हुए हों या कारण नहीं हैं। आपने कहा है न अभी....

श्री अध्यक्ष : मैंने भी यह बात कही है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं उसी को दोहरा हूं। कारण नहीं हैं तो कारण क्या बताएंगे ?

श्री अध्यक्ष : प्रक्रिया यह रही है कि जब बिल को विधेयक के रूप में पारित करने के लिये प्रस्तुत किया जाता है उससे पहले अध्यादेश के जारी करने के उद्देश्य एवं कारणों के विवरण को सदन की मेज पर रख देते हैं इसलिये यह आवश्यक नहीं है कि इसी वक्त तत्काल उद्देश्य एवं कारणों का विवरण प्रस्तुत किया जाये। जब वे बिल लेकर आयेंगे उस समय प्रस्तुत कर दिये जायेंगे। दोनों तरह की प्रक्रिया रही है।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

अध्यादेश

श्री अध्यक्ष : परिवहन राज्य मन्त्री।

श्री जयकृष्ण शर्मा (राज्य मन्त्री, परिवहन) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित अध्यादेश सदन की मेज पर रखता हूं:—

(1) राजस्थान मोटरयान कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 1982 (अध्यादेश संख्या 7 सन् 1982)

(2) राजस्थान यात्री और माल कराधान (निरसन) अध्यादेश 1982, (अध्यादेश संख्या 8 सन् 1982)

अधिसूचनाएं

श्री अध्यक्ष : अधिसूचनाएं। मुख्य मन्त्री जी!

श्री प्रद्युम्नसिंह (राज्य मन्त्री, गृह) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से गृह (ग्रुप-5) विभाग की अधिसूचना संख्या, प. 1/6 (3) गृह-5/82, दिनांक 18 मई, 1982 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : राजस्व मन्त्री जी।

श्री परसराम मदेरणा (राजस्व मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से राजस्व (ग्रुप-4) विभाग की निम्नांकित दो अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:–

(श्री परसराम मदेरणा)

(1) अधिसूचना संख्या एफ 7 (10) रेव/ग्रुप-4/81/50, दिनांक 9 सितम्बर, 1981

(2) अधिसूचना संख्या एफ 5 (7) रेव/ग्रुप-4/76/13, दिनांक 2 मई, 1981

श्री अध्यक्ष : श्री जयकृष्ण शर्मा। पांच अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री जयकृष्ण शर्मा (राज्य मन्त्री, परिवहन) : अध्यक्ष महोदय, मैं गृह (ग्रुप-7) विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:—

(1) अधिसूचना संख्या एफ 1 (47) एच/7/78, दिनांक 18 नवम्बर, 1981

(2) अधिसूचना संख्या प. 5 (8) गृह-7/82, दिनांक 18 फरवरी, 1982

ये अधिसूचनाएं गत सत्र में सदन की मेज पर रखी गई थीं परन्तु मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 की धारा 133 की उपधारा 3 एवं राजस्थान मोटर गाड़ी कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा 2 के अन्तर्गत अपेक्षित कालावधि पूर्ण न हो सकने के कारण इन्हें राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया के नियम 169 (2) के अन्तर्गत पुन: सदन की मेज पर रखता हूं।

(3) अधिसूचना संख्या प. 5 (11) गृह-7/82, दिनांक 15 मार्च, 1982

(4) अधिसूचना संख्या प. 5 (1.) गृह-7/82, दिनांक 30 मार्च, 1982

(5) अधिसूचना संख्या प. 5 (14) गृह-7/82, दिनांक 3 अप्रेल, 1982

श्री अध्यक्ष : राज्य मन्त्री, श्री नरेन्द्रसिंह भाटी अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी (राज्य मन्त्री, उपनिवेशन) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 की धारा 29 के अन्तर्गत उपनिवेशन विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखता हूं:—

(1) अधिसूचना संख्या एफ. 4 (21) राज/उप/79 पी. टी, दिनांक 20 अक्टूबर, 1981....

व्यवस्था का प्रश्न

अधिसूचना को सदन पटल पर रखे जाने में विलम्ब

श्री भैरोंसिह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मेरी आपत्ति है। यह 20. 10. 1981 की अधिसूचना आज क्यों रखी जा रही है? इसके बाद में सत्र की एक बैठक हो चुकी है उस बैठक के अन्दर यह अधिसूचना प्रस्तुत की जानी चाहिये थी। मन्त्री महोदय, इसका उत्तर दें।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, यह अधिसूचना जब मेरे सामने दस्तखतों के लिये आयी थी तो आफिसरों ने कहा बाई मिस्टेक मिस प्लेस हो गयी थी।

(श्री नरेन्द्रसिंह भाटी)

उनके खिलाफ हमने थोड़ी कार्यवाही खिचाई, सख्ती की है । इसके लिये मैं माफी चाहता हूं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : किसकी खिचाई कर दी, किसने खिचाई कर दी ?

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या खिचाई पार्लियामेन्ट्री वर्ड है ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । माननीय मन्त्रीजी ने खेद व्यक्त कर दिया है इसलिये इस बात को यहीं समाप्त कर दिया जाये ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मन्त्री महोदय, यह बतावें कि किसकी खिचाई हुई है ? अध्यक्ष महोदय, इनको सीरियसली लेना चाहिये । 8 फरवरी के बाद सैशन चला है उसके अन्दर यह अधिसूचना प्रस्तुत हो जानी चाहिये थी । यह फाइल मिस प्लेस हुई थी क्या ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : खेद व्यक्त कर दिया है ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : खेद एक बार व्यक्त कर दो । बार बार खेद व्यक्त करने से तो खेत हो जाओगे........

श्री अध्यक्ष : पहले आप अधिसूचनाएं प्रस्तुत हो जाने दीजिये । उसके बाद माननीय सदस्य को कोई आपत्ति हो तो उत्तर एक साथ ही दे दिया जाये ।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र
अधिसूचनाएं

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी (राज्य मन्त्री, उपनिवेशन) : (2) अधिसूचना संख्या प. 2 (9) राज/उप/69, दिनांक 8 फरवरी, 1982

(3) अधिसूचना संख्या एफ. 2 (9) राज/उप/69, दिनांक 8 फरवरी, 1982

(4) अधिसूचना क्रमांक प. 4 (22) राज/उप/77, दिनांक 23 सितम्बर, 1981

(5) अधिसूचना संख्या एफ. 4 (13) राज/उप/77, दिनांक 8 फरवरी, 1982

(6) अधिसूचना संख्या एफ. 4 (2) राज/उप/76, दिनांक 22 सितम्बर, 1981

(7) अधिसूचना संख्या एफ. 4 (16) राज/उप/79, दिनांक 25 जून, 1981

(8) अधिसूचना संख्या एफ. 4 (16) राज/उप/79, दिनांक 25 जून, 1981

(9) अधिसूचना संख्या एफ. 4 (16) राज/उप//79, दिनांक 25 जून, 1981

(10) अधिसूचना संख्या एफ. 4 (11) राज/उप/81, दिनांक 30 अप्रेल, 1982

(11) अधिसूचना संख्या एफ. 4 (11) राज/उप/81 दिनांक 30 अप्रेल, 1982

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी)

(12) अधिसूचना संख्या एफ. 4 (11) राज/उप/81, दिनांक 30 अप्रेल, 1982

(13) अधिसूचना संख्या एफ. 4 (13) रेव/कोल/76, दिनांक 1 जुलाई, 1981

(14) अधिसूचना संख्या एफ. 4 (13) रेव/कोल/76, दिनांक 1 जुलाई, 1981

(15) अधिसूचना संख्या एफ. 4 (18) राज/उप/76, दिनांक 25 जून, 1981

(16) अधिसूचना संख्या प. 4 (3) राज/उप/82, दिनांक 22 अप्रेल 1982

श्री अध्यक्ष : प्रतिवेदन व लेखे ।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : मन्त्री महोदय ने एक के लिये खेद प्रकट किया है क्या बारबार खेद ही प्रकट करेंगे, 8-10 महीने हो गये हैं, 81 की हैं इनके लिये वे क्या कहते हैं ?

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के नेता ने आपत्ति उठा दी है और मन्त्री महोदय ने खेद प्रकट कर दिया है तो वह सबके लिये ही हो गया है।

श्री भगवान दास शास्त्री : इनके पास समय नहीं है या पोर्टफोलिया सम्भाल नहीं पा रहे हैं, क्या बात है ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । प्रतिवेदन व लेखे आदि ।

श्री परसराम मदेरणा, सिंचाई मन्त्री ।

प्रतिवेदन व लेखे

श्री परसराम मदेरणा (सिंचाई मन्त्री): अध्यक्ष महोदय, मैं जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 की उपधारा 4 के अन्तर्गत रिपोर्ट आफ दी बेरी कमिशन (इंक्वायरी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर लैंड) के एक से आठ खण्ड सदन की मेज पर रखता हूं ।

श्री अध्यक्ष : उद्योग राज्य मन्त्री !

श्री प्रद्युम्न सिंह (राज्य मन्त्री, उद्योग): अध्यक्ष महोदय, मैं, (1) राजस्थान वित्त निगम अधिनियम 1951 की धारा 38 की उपधारा 3 के अन्तर्गत राजस्थान वित्त निगम का सत्ताइसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1981-82 तथा

(2) कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619 ए की उपधारा 3 का भाग (बी) के अन्तर्गत दी राजस्थान स्माल इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर का बीसवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं वर्ष 1980-81 के लेखे सदन की मेज पर रखता हूं ।

श्री अध्यक्ष : श्री दिनेश राय डांगी, खादी एवं ग्रामोद्योग राज्य मन्त्री !

श्री दिनेश डांगी (राज्य मंत्री, खादी एवं ग्रामोद्योग): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम 1955 की धारा 34 की उपधारा 3 के अन्तर्गत राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग

(दिनेश डांगी)

बोर्ड के वर्ष 1964–65 से 1975-76 तक के लेखों पर अंकेक्षण प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री रामपाल उपध्याय, सहकारिता मंत्री।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (राज्य मंत्री, सिंचाई) : अध्यक्ष महोदय, सहकारिता मंत्री महोदय अनुपस्थित हैं इसलिये मैं उनकी ओर से प्रतिवेदन पेश करने की अनुमति चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : अनुमति प्रदान की गई।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं, भण्डार व्यवथा निगम अधिनियम, 1962 की धारा 31(11) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम का तेईसवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण 1980–81 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री चेतराम मीणा, सार्वजनिक निर्माण मन्त्री।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राज्य मन्त्री, गृह) (श्री चेतराम मीणा की ओर से) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619 ए की उप धारा 3 का भाग (बी) के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट ब्रिज एण्ड कन्स्ट्रक्शन कार्पोरेशन लिमिटेड का द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण 1980-81 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री नरेन्द्रसिंह भाटी, पर्यटन राज्य मन्त्री।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी (राज्य मन्त्री, पर्यटन) : अध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619 ए की उपधारा 3 का भाग (बी) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य होटल्स निगम लिमिटेड जयपुर के वार्षिक लेखे वर्ष 1979-80 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : विधायी कार्य, वापस लिये जाने वाले विधेयक

व्यवस्था का प्रश्न

राज्य राज्य विद्युत मण्डल
के वार्षिक लेखा विवरण
एवं प्रतिवेदन को सदन
पटल पर रखने में विलम्ब

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पाइन्ट आफ आर्डर।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय विद्युत मन्त्रीजी का ध्यान इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट, 1948 की धारा 61 की ओर ले जाना चाहता हूं, इसमें प्रोविजन है—

In February of each year the Board sball submit to the State Government a statement in the prescribed form of the estimated capital and revenue rceceipts and expenditure for the ensuring year.

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

(2) Such statement shall include a statement of salaries of members and officers and other employees of the Board and of such other members as may be prescribed·

अब यह तीसरा महत्वपूर्ण है जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हुं

The State Government as soon as may be after the receipt of the said statement cause it to be laid on the table of the House or as the case may be, houses of the State Legislatures and the said statement shall be open to discussion therein but shall not be subject to vote

मैं माननीय विद्युत मन्त्रीजी से पूछना चाहूंगा कि राजस्थान विद्युत मंडल ने आपको वार्षिक लेखा जोखा और एनुअल रिपोर्ट पेश करदी है और इस एक्ट के अनुसार वह तुरन्त ही इस हाउस में प्रस्तुत होनी चाहिए वह प्रस्तुत नहीं की है उसके क्या कारण हैं, कारण प्रस्तुत करें ?

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी विपक्ष के नेता ने कहा, मैं अभी आफ हैंड तो कुछ नहीं कह सकता हूं कि वह रिपोर्ट क्यों नहीं पेश हुई है। क्योंकि एक्ट की धारा 61 के अन्तर्गत यह लाजिमी है कि ये स्टेटमेंट हाउस के पटल पर रखे जाने चाहिए इसलिए मैं इस बारे में जानकारी करके आज ही आदेश दूंगा। जो स्टेटमेंट हैं वे हमारे पास आये है या नहीं आये हैं यह बात मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं क्योंकि वे भेजने से पहले कौंसिल के सामने रखें जाते हैं वे अभी तक सरकार के सामने पेश किये गये या नहीं किये गये लेकिन वे मुझे अभी तक प्राप्त नहीं हुये हैं।

मैं इसकी जांच करवा लेता हूं और फिर मैं इसी सत्र के अन्दर उनको प्रस्तुत कर दूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री महोदय से बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं आप सरकार चला रहे हैं या दुकान चला रहे हैं ? अगर सरकार चला रहे हैं, तो यह एक्ट में प्रोविजन नहीं हैं कि विद्युत मन्त्रीजी अगर मगर से बात करें। यह मैंडेटरी प्रोविजन है, इसमें यह है कि In February of each year the Board shall submit to the State Government a financial account.

बोर्ड ने सबमिट तो कर दिये हैं। अब आप कह रहे हैं जांच करायेंगे अगर प्राप्त नहीं हुये हैं, तो क्यों पेश नहीं हुये हैं, पेश नहीं हुए हैं तो पेश करवा दूंगा। तो, यह तो दुकानदार वाली बात है यह कोई सरकार की भाषा नहीं है। पेश नहीं किया है तो यह कह सकते हैं, जैसा कि भाटी जी ने कहा, भूल हो गयी है माफी चाहते हैं, अब पेश कर दूंगा आप तो इस पर ही संशय व्यक्त कर

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

रहे हैं कि अकाउंट आपके पास पेश हुए हैं या नहीं हुए हैं। सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि विद्युत मंत्री राजस्थान के यह कह रहे हैं कि मुझे पता नहीं है कि पेश हुए या नहीं, उनको पता नहीं होगा तो क्या मुनीम को पता होगा या किसी क्लर्क को पता होगा कि विद्युत मंडल के लेखा जोखा पेश हुए या नहीं हुए हैं? आप किस बात की तनख्वाह लेते हैं जब आपको इस बात का ही पता नहीं कि अकाउन्ट आपके पास आये या नहीं आये? मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अकाउन्ट आपके पास आये हैं या नहीं आये? अगर नहीं आये हैं, तो क्यों नहीं आये? विद्युत मंडल ने अगर अकाउन्ट्स पेश नहीं किये हैं तो आपने विद्युत मंडल के खिलाफ क्या एक्शन लिया है?

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि यह मैण्डेटरी प्रोविजन है लेकिन विरोधी दल के नेता जिस आक्रोश के साथ बोल रहे थे··

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आक्रोश की बात क्या है?····

श्री परसराम मदेरणा : आपकी बात का जवाब बता रहा हूं, किस बात की तनख्वाह ले रहे हैं। तो हम, जो ट्रेजरी बेंचेज में बैठते हैं, को काम करने के लिए तनख्वाह मिलती है और उसी के लिए सब को तनख्वाह प्राप्त होती है और आपको, विपक्षी दल के नेता को भी मिलती है। इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड को अपने अकाउन्ट्स पेश करने में देरी हो गयी थी। मैंने उनको हिदायत दे दी थी कि जल्दी पेश कर दें। इस फैक्ट की मुझे जानकारी नहीं है कि····

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह आपको पता नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : पहले कौंसिल के अन्दर पेश नहीं हुआ था। विद्युत मंडल के एक्ट के नीचे भी उसको पेश करवाना था। इसलिए कह रहा हूं कि उसमें देरी हो गयी। सरकार के पास आया या नहीं आया इसकी मुझे जानकारी नहीं है। जानकारी करेंगे।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, बड़े खेद की बात है माननीय मंत्रीजी अपनी गलती स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कौंसिल में पेश हो जाना चाहिए। इस एक्ट में प्रोविजन है कि जो कुछ भी कार्यवाही होगी वह फरवरी के पहले होगी। फरवरी के पहले एडवाइजरी कौंसिल के पास जाना है तो जायेगा। यदि बोर्ड की मीटिंग में रखना है तो मीटिंग में रखा जायेगा। फरवरी मैंडेटरी डेट है जिस दिन सरकार को उसका लेखा जोखा प्रस्तुत होना चाहिए एडवाइजरी कौंसिल को प्रस्तुत होना चाहिए। आप कह रहे हैं, मुझे उन्होंने कहा कि थोड़ी गलती हो गयी। यह जो कानून आपने, मैंने या किसी और ने बनाया है वह इसलिए बनाया है कि इसको लागू कर दिया जाये, यह इसलिए नहीं बनाया है कि यह परसरामजी की इच्छा से लागू

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

हो। यह लागू हो, यह सदन की इच्छा है। मैं जानना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय कैटेगोरिकली यह कहें कि लेखा जोखा फरवरी में पेश होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। इसमें सही स्थिति क्या है, कल मंत्रीजी बता देंगे सदन को।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कल बता देंगे, परसों बता देंगे, यह सवाल नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मालूम करने में टाइम तो लगेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह तो बता दें कि इनकी जानकारी में नहीं है कि लेखे जोखे पेश हो जाने चाहिए। आज 6 महीने से राजस्थान के विद्युत मंत्री को यह पता नहीं है कि विद्युत मण्डल के लेखे जोखे पेश हुए हैं या नहीं हुए हैं। परसरामजी चाहे नाराज हों चाहे राजी हों, इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात राजस्थान के लिए कोई हो नहीं सकती।

श्री परसराम मदेरणा : मैं आरम्भ में कह चुका हूं, अध्यक्ष महोदय, फरवरी में बोर्ड पेश नहीं कर सका। उसके सामने कठिनाइयां थीं, यह फैक्ट मेरी नॉलेज में है और जब यह फैक्ट मेरी नॉलेज में है, मैंने बता दिया है। मैंने बता दिया है कि फरवरी में पेश नहीं कर सके, इसके कुछ कारण थे उसमें एडवाइजरी कौंसिल का भी एक कारण था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब तक हुए कि नहीं, यह बता दीजिए ?

श्री परसराम मदेरणा : इसकी जानकारी मैं कल दूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं, अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी से कहना चाहता हूं यदि सरकारी कर्मचारी इस तरह का स्टेटमेण्ट दे देता आप उसको डिसमिस कर देते, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता। आपके साथ बैठने वाले मंत्री कहें कि मुझे यह पता नहीं है कि अकाउन्ट्स पेश हुए या नहीं हुए, आप बताइये आप पी. यू. सी. के चेयरमैन रहे हैं, उस एक्ट में लिखा है कि अगर बोर्ड इस प्रकार की गलती करता है तो बोर्ड के खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : आपको भी मंत्री स्तर की सुविधाएं हैं, आप अंकुश रखें। आपको कुछ जानकारी हो तो आप····

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे जानकारी है कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अकाउन्ट्स पेश हो गये हैं। अगर मेरी जानकारी सही नहीं है तो मुख्य मंत्रीजी और मंत्री जी दोनों बैठे हैं, कह दें कि मैं गलत बोल रहा हूं।

श्री शिवचरण माथुर (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विद्युत मण्डल के लेखे जोखे पेश होने में जो देरी हुई है उसके बारे में मंत्री महोदय ने बहुत स्पष्ट कहा है। यह कोई मैंडेटरी प्रोविजन नहीं

(श्री शिवचरण माथुर)

है कि पहले ही दिन कॉपी सदन की टेबल पर रखी जाये। मान लीजिए कोई देरी हुई है तो उसके बारे में बहुत स्पष्ट रूप से माननीय मंत्री महोदय ने अपना स्पष्टीकरण दे दिया है। विस्तृत जानकारी करके स्टेटमेण्ट देने के लिए....

(व्यवधान)

यहां पर सदन को बताया है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मुख्य मंत्रीजी, आपको नम्र निवेदन है कि दुकान चलाना बंद करो, सरकार चलाओ।

(व्यवधान)

आप सरकार चलाओ। आपको बहुमत दिया है। इंदिराजी ने थोपा है तो सरकार चलाओ।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली से पूछकर आयेंगे तब यहां बतायेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं इस सदन का सदस्य था 79-80 के अन्दर, जिस वक्त आप दुकान चला रहे थे। सदन के पटल पर पेश नहीं हुई थीं, बहुत....

श्री भैरोंसिह शेखावत : आप इन्दिरा जी को छोड़कर भाग गये थे। उस समय आप ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे थे। आप आज इन्दिराजी के भक्त बने हो, उस समय भाग गये थे।

श्री परसराम मदेरणा : मैं तो कभी इन्दिराजी को छोड़कर भागा नहीं। इन्दिराजी ने आपको भगाया है।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आजमगढ़ में इन्दिराजी के उम्मीदवार जीत गये तो आप भागकर आ गये।

राजस्थान सरकारी स्थान
(अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली)
(सशोधन) विधेयक, 1981 को
वापस लेने की अनुमति

श्री अध्यक्ष : विधायी कार्य। वापस लिए जाने वाले विधेयक। मुख्य मंत्री जी।

श्री प्रद्युम्नसिह (राज्य मंत्री, उद्योग) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से राजस्थान सरकारी स्थान....

श्री भैरोंसिह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : पाइन्ट आफ आर्डर। मैं मंत्री महोदय से क्षमा चाहूंगा अगर मैं गलती पर हूं तो वह करेक्ट कर दें। शायद यह वही विधेयक वापस लिया जा रहा है जिसके लिए आर्डिनेंस इश्यू किया है?

श्री प्रद्युम्न सिह : जी हां।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, इसके उपर आपको चिंतन करना पड़ेगा। मैं सरकार से निवेदन करना नहीं चाहता, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : मुझे भी पूर्व सूचना चाहिए कि कौन सा मुद्दा आयेगा, आज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैंने इसीलिए माननीय मंत्री महोदय से क्षमा चाही थी। मैं गलती कर रहा हूं तो करेक्ट कर दें। जल्दी में पढ़ नहीं पाया लेकिन अनुमान मेरा ऐसा है कि यह वही विधेयक है जो पिछले सत्र में प्रस्तुत किया गया था। पिछले सत्र में 23 तारीख को सरकार भाग गयी। भागते वक्त....

(व्यवधान)

20 मार्च को भागते वक्त बिल छोड़ गयी।

मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय मुख्य मंत्रीजी और सरकार इस बात को गम्भीरता से लेंगे कि पिछले सत्र में जो विधेयक पेश किया गया है ...

श्री अध्यक्ष : शांत रहें, माननीय सदस्य।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं समझता हूं कि गलत परम्परा होगी किसी विधेयक के सम्बन्ध में आर्डिनेंस इश्यू किया जाये, चूंकि विधेयक विचारार्थ है उसके सम्बन्ध में आर्डिनेंस इश्यू किया है. उस विधेयक को वापस लिया जाये। आर्डिनेंस इश्यू किया है, यह भी अपने आप में विवादास्पद विषय है। वह तो जिस समय आर्डिनेंस पर चर्चा होगी उस समय निवेदन करूंगा लेकिन यह आर्डिनेंस उस बिल को रिप्लेस करता है जो सदन में पिछले सत्र में विचारार्थ लिया गया था या जो प्रस्तुत किया गया था। सॉरी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : पिछले सत्र के अन्दर यह बिल पेंडिंग था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यही तो मैं कह रहा हूं। आपने अच्छा किया, अध्यक्ष महोदय, मैं उनका बड़ा आभारी हूं कि बात स्पष्ट करदी। मैं उस विधेयक का जिक्र कर रहा हूं जो पिछले सत्र में आपने प्रस्तुत किया है, नम्बर एक। आपकी इच्छा थी कि पिछले सत्र के अन्दर विधेयक पास हो जाये–नम्बर दो। विधेयक पास नहीं हो सका, इसलिए नहीं हो सका कि अचानक सदन स्थगित करवा दिया। तब से लेकर अब तक विधेयक की जगह आर्डिनेंस इश्यू कर दिया है, मैं इस बात की आपत्ति करता हूं। जो विधेयक विधान सभा के सामने विचारार्थ पड़ा है उसके सम्बन्ध में आर्डिनेंस इश्यू करना, मैं समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, परम्पराओं के विपरीत है, सदन का अपमान है। सरकार ने जिस प्रकार आर्डिनेंस इश्यू किया है किस आवश्यकता को महसूस करके आर्डिनेंस इश्यू किया है? उस विधेयक को सरकार वापस

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

ले रही है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं आप इस बात की व्यवस्था दें कि जो विधेयक विधान सभा के अन्दर विचारार्थ प्रस्तुत हो और किसी कारण से उसको पास नहीं कर सकें, और उस पीरियड के अन्दर आर्डिनेंस इश्यू कर दिया जाये तो यह आर्डिनेंस की भावनाओं के विपरीत है अधिकारों पर कुठाराघात है, सदन का एक प्रकार से अपमान है। आपकी इस सम्बन्ध में व्यवस्था चाहूंगा ताकि भविष्य में सरकार सावधान रहे, हम भी अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें।

श्री अध्यक्ष : इस पर मैं अपना निर्णय कल तक सुरक्षित रखता हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं आपकी आज्ञा से....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कल मिलेगी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपने जो कानूनी मुद्दे उठाये हैं....

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह तो कैंसिल हो गयी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आज्ञा ले रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आज्ञा बदलती नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : विपक्ष के माननीय नेता, आपकी तो पुरानी आदत है इस तरह कहने की। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपकी आज्ञा है, आप आज्ञा देंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दे दी।

श्री अध्यक्ष : क्योंकि निर्णय मैं कल लूंगा इसलिए आप मुझे इसके पक्ष में, विपक्ष में बात कह सकते हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आज्ञा दे दी।

श्री अध्यक्ष : इस पर मैंने अपना निर्णय कल तक के लिए सुरक्षित रखा है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग, मंडल आयोग एवं बेरी वेतन आयोग के प्रतिवेदन का सदन पटल पर उपस्थापन

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आज सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि राजस्व मन्त्रीजी ने बेरी कमीशन की रिपोर्ट सदन में पेश की, मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। खास तौर तौर से मुख्य मन्त्रीजी को, जिन्होंने सदन में यह साहस दिखाया। मैं इसके साथ ही यह निवेदन करना चाहूंगा कि सदन में शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स कमिश्नर को रिपोर्ट पर कभी चर्चा नहीं हुई। दो वर्षों से तो मैं देख रहा हूं दो वर्षों से तो कभी चर्चा नहीं हुई। शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के मामले....

श्री बृजसुन्दर शर्मा (विधि मंत्री) : यह बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे हाउस में अपना अधिकार है मैं उसको एक्सरसाइज नहीं करना चाहता। पंडितजी, यह आपकी समझ के बाहर की चीज है, मेरा जो अधिकार है....

श्री बृजसुन्दर शर्मा : लेकिन अगर हाउस में ही सारी बातें हों तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की आवश्यकता क्या होती है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको जानकारी होनी चाहिये कि जो बिजनेस होता है उसको रेगूलेट करने के लिए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है, हाउस में जो....

श्री बृजसुन्दर शर्मा : तो वह बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आयेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ये तो शायद समझेंगे नहीं, लॉ मिनिस्टर हैं....

(व्यवधान)

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग आज तीन बजे हो रही है और क्या क्या बिजनेस कब कब लिया जायेगा, कौन कौनसा कब लिया जायेगा यह उसमें तय होगा, यह हाउस की कमेटी है।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह सवाल नहीं है। यह मैं नहीं कहता, मेरा कहना तो यह है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स कमिश्नर की रिपोर्ट सदन में रखी जाये। यह बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय होगा क्या, बोलिये ? मैं इसलिए कह रहा हूं आप रूल्स को भी देख लें, लॉ मिनिस्टर हैं सब जानते होंगे फिर भी देख लें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा शिड्यूल्स कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स कमिश्नर की रिपोर्ट इस हाउस में पेश नहीं हुई है, जब तक वह पेश नहीं होगी तब तक डिस्कस नहीं होगी, इसलिए मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स कमिश्नर की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही आपकी अनुमति से यह निवेदन करना चाहूंगा कि पिछला सत्र, सरकारी कर्मचारियों के आन्दोलन से डरकर सरकार ने भागकर समाप्त किया। सरकारी कर्मचारियों का आन्दोलन पे-कमीशन के प्रश्न को लेकर हुआ। उस पे-कमीशन की रिपोर्ट सरकार ने अभी तक पेश नहीं की। पे-कमीशन की रिपोर्ट के कुछ अंश समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए, पे-कमीशन की रिपोर्ट सरकारी कर्मचारियों को मिल गई है। मैं नहीं समझ पाता कि जिस प्रश्न को लेकर काफी विवाद राजस्थान में चल रहा है, जिससे लाखों सरकारी कर्मचारी प्रभावित हैं, सम्बन्धित हैं, विधान सभा के सदस्य भी इस बात को जानना चाहते हैं उस बेरी वेतन आयोग की रिपोर्ट सदन में

Page No 71

(71)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

क्यों नहीं रखी गई ? क्या मुख्य मन्त्रीजी आश्वासन देंगे कि पे-कमीशन की रिपोर्ट सदन में रख दी जायेगी ?

इसी तरह से, अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि बैकवर्ड क्लासेज कमीशन की रिपोर्ट, मण्डल कमेटी की रिपोर्ट क्या माननीय मुख्य मन्त्रीजी इस सदन में प्रस्तुत करना चाहेंगे ? मण्डल कमेटी की रिपोर्ट लोक सभा में पेश कर दी गई, राज्य सभा में पेश कर दी गई। उस मण्डल कमेटी की रिपोर्ट में राजस्थान के जितने भी बैकवर्ड क्लासेज के लोग हैं उनको कुछ रिलीफ मिल सके उस सम्बन्ध में कुछ हम भी चर्चा कर सकें उस आधार पर मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि मण्डल कमीशन की रिपोर्ट भी इस सदन में प्रस्तुत करनी चाहिये। मैं इन दो तीन बातों का जवाब चाहूंगा।

श्री शिवचरण माथुर (मुख्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, जिन रिपोर्ट्स के सम्बन्ध में विरोधी दल के माननीय नेता ने यहां पर जिक्र किया मैं उनको दिखवा लूंगा और जो भी प्रस्तुत करने वाली बात होगी, सदन की मेज पर रखी जायेगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बेरी कमीशन की रिपोर्ट को क्या दिखवा लेंगे, पत्ता चढ़ा हुआ है ?

(व्यवधान)

कब पेश कर देंगे ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा (विधि मन्त्री) : किसने कहा कल पेश कर देंगे।

(व्यवधान)

जो पे-कमीशन की रिपोर्ट है उसको सदन में पेश करना आवश्यक नहीं है अगर गवर्नमेंट मुनासिब समझेगी तो विचार करके निर्णय लेगी। सरकार को मजबूर नहीं किया जा सकता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठीक है।

यह तो बिलकुल कानूनी बात पण्डितजी ने कही।

श्री चन्दनमल बैद : अब आप गैर कानूनी कर दो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप, चन्दन मलजी, पहले अपने मैम्बरों से निपटिये, मैं दूसरी बात कह रहा हूं, सुबह आपकी पूजा हुई वह कम नहीं हुई।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि कई चीजें ऐसी होती हैं जो कानून में लिखी नहीं होतीं, रूल्स में लिखी नहीं होतीं। लेकिन मैं कह सकता हूं परम्परा यह रही है, रावणावत पे-कमीशन की रिपोर्ट हाउस में रखी गई। उसके बाद में....

नाथप ण्डितजी बतायेंगे, एक कमीशन था

(व्यवधान)

उसकी रिपोर्ट तैयार करवाई गई उसकी रिपोर्ट हाउस में रखी गई। भारत सरकार के जितने भी वेतन आयोग हुए उनकी

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

रिपोर्ट लोक सभा में रखी गई। ये कुछ परम्परायें होती हैं, नियमों में उनका स्पष्ट उल्लेख नहीं होता। मुख्य मन्त्रीजी से मैं निवेदन करना चाहूंगा अब तक रिपोर्ट्स इस सदन में प्रस्तुत की गई हैं, किन्तु....

(1.25 म. प.)

(श्री अहमदबक्श सिंधी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

बेरी कमीशन की रिपोर्ट हाउस में पेश नहीं की गई। यह कानून में नहीं है, शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स कमिश्नर की रिपोर्ट आपको लाजिमी तौर पर हाउस में पेश करनी पड़ेगी आप हजम नहीं कर सकते। उसके बारे में क्या कहते हैं ? उसमें भी कह दीजिये कानूनन आवश्यक नहीं है, पेश नहीं करेंगे।

श्री शिवचरण माथुर : वह पेश करेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कब करेंगे ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपस में बातें अलाऊ नहीं करूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बिलकुल नहीं, आप अलाऊ मत करिये, उपाध्यक्ष महोदय। यह आपका अपमान है, बैठे-बैठे मुख्य मन्त्री जी हां ना कहते हैं, खड़े होकर जवाब नहीं देते।

विधायी कार्य: विधेयक का पुरः स्थापन
उदयपुर विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन) विधेयक, 1982

श्री उपाध्यक्ष : श्री चन्दनमल बैंद, प्रभारी मन्त्री। उदयपुर विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन) विधेयक, 1982 पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करेंगे।

श्री चन्दनमल बैंद (शिक्षा मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उदयपुर विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन), विधेयक 1982 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि उदयपुर विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन) विधेयक, 1982 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री चन्दनमल बैंद, विधेयक को पुरः स्थापित करेंगे।

श्री चन्दनमल बैंद (शिक्षा मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उदयपुर विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन) विधेयक, 1982 को पुरः स्थापित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत उदयपुर विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन) अध्यादेश,, 1982 (अध्यादेश संख्या 5 सन् 1982) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

राजस्थान भूमि एवं भवन कर (संशोधन) विधेयक, 1982

श्री उपाध्यक्ष : श्री चन्दनमल वैद, प्रभारी मंत्री, राजस्थान भूमि एवं भवन कर (संशोधन) विधेयक, 1982 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करेंगे।

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान भूमि एवं भवन कर (संशोधन) विधेयक, 1982 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान भूमि एवं भवन कर (संशोधन), विधेयक, 1982 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री चन्दनमल बैद विधेयक को पुर:स्थापित करेंगे।

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान भूमि एवं भवन कर (संशोधन) विधेयक, 1982 को पुर:स्थापित करता हूं।

सिविल प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1982

श्री उपाध्यक्ष : श्री वृजसुन्दर शर्मा, प्रभारी मन्त्री, सिविल प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1982 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करेंगे।

श्री बृज सुन्दर शर्मा (विधि एवं न्याय मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिविल प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1982 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि सिविल प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1982 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री वृजसुन्दर शर्मा !

श्री बृजसुन्दर शर्मा (विधि एवं न्याय मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिविल प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1982 को पुर:स्थापित करता हूं।

राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 1982

श्री उपाध्यक्ष : श्री वृजसुन्दर शर्मा, प्रभारी मन्त्री, राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 1982 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करेंगे।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (विधि एवं न्याय मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री बृजसुन्दर शर्मा !

श्री बृजसुन्दर शर्मा (विधि एवं न्याय मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 198? को पुरःस्थापित करता हूं।

मोटरयान (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1982

श्री उपाध्यक्ष : श्री जयकृष्ण शर्मा, प्रभारी मन्त्री....

श्री जयकृष्ण शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मोटरयान....

श्री उपाध्यक्ष : समझदार हैं, पहले ही शुरू कर दिया।

श्री जयकृष्ण शर्मा (राज्य मन्त्री, यातायात) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मोटरयान (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मोटरयान (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री जयकृष्ण शर्मा।

श्री जयकृष्ण शर्मा (राज्य मन्त्री, यातायात) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मोटरयान (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करता हूं।

राजस्थान नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 1982

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्रीराम गोटेवाला, प्रभारी मन्त्री, राजस्थान नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करेंगे।

श्री श्रीराम गोटेवाला (राज्य मन्त्री, स्वायत्त शासन) : उपाध्यक्ष महोदय, में राजस्थान नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये ?

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री श्रीराम गोटेवाला (राज्य मन्त्री, यातायात) : उपाध्यक्ष महोदय मैं आपकी अनुमति से राजस्थान नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63 (1) के अन्तर्गत राजस्थान नगर पालिका (संशोधन) अध्यादेश, 1982 (अध्यादेश संख्या 6 सन् 1982) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

विधेयक पर विचार

राजस्थान सहायता उपक्रम (विशेष उपबंध) (संशोधन) विधेयक, 1981

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवचरण माथुर, प्रभारी मन्त्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान सहायता उपक्रम (विशेष उपलब्ध) (संशोधन) विधेयक, 1981 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राज्य मन्त्री, उद्योग) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सहायता उपक्रम (विशेष उपबंध) (संशोधन) विधेयक, 1981 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : आप ठहरिये। विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का डा० उजला अरोड़ा प्रस्ताव करेंगी।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह से इस संशोधन को लाने के लिये उपक्रम किया है, मैं उन कारणों को जानना चाहूंगी और कहना चाहूंगी कि यह जनता के लिए, जनता के द्वारा चुने गये प्रतिनिधियों के द्वारा बनाये गये नियम हैं। ये संशोधन उनके दुःख, तकलीफ और परेशानियों को उत्पन्न करने के लिए किये जा रहे हैं। इसके लिये मैं प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान सहायता उपक्रम (विशेष उपबन्ध) (संशोधन), 1981 को एक माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये ताकि यह मालूम पड़े कि जनता इसमें क्या मायने रखती है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सहायता उपक्रम (विशेष उपबंध) (संशोधन) विधेयक, 1981 का विशेष संशोधन प्रस्ताव किया जा रहा है, उसमें....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : उसमें बात है। कुछ इस प्रकार के उद्योग होते हैं जिनको बीमार उद्योग कहते हैं।

Page No 76

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

जिनकी आर्थिक हालत खराब हो गई थी। उन उद्योगों के लिये अधिनियम में यह प्रावधान था कि (2) उप धारा (1) के अधीन कोई अधिसूचना 2 वर्ष से अधिक ऐसी कालावधि के लिये प्रभावशाली होगी जैसी कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाय किन्तु यह कालावधि समय-समय पर इसी प्रकार की अधिसूचनाओं द्वारा ऐसी और कालावधियों के लिये, जो एक बार में 12 मास से अधिक नहीं होगी, नवीनीकरण के योग्य होगी। परन्तु ऐसी सम्पूर्ण कालावधि कुल मिलाकर 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन के द्वारा सरकार इस पांच वर्ष की अवधि को बढ़ाकर दस साल की अवधि करना चाहती है। इसका क्या कारण है? इसका प्रमुख कारण यह है कि कुछ बड़े-बड़े उद्योगपति, जिन्होंने राज्य में उद्योग लगा रखे हैं, ने विभिन्न बैंकों से ऋण ले रखे हैं। ऋण लेने के बाद उन उद्योगों की आर्थिक हालत इस प्रकार की हो गई है कि वे चल नहीं सकते और घाटे में चल रहे हैं। सरकार उन उद्योगों को अपनी हालत ठीक करने के लिए पांच वर्ष की छूट देती है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसे कौन-कौन से उद्योग हैं जिनको पांच साल की छूट दी गई और पांच साल में वह अपनी हालत ठीक नहीं कर सके? उपाध्यक्ष महोदय, इसका सबसे बड़ा हथौड़ा मजदूरों पर पड़ेगा और जो वित्तीय संस्थाएं हैं उनके धन की लूट का रास्ता खुल जायेगा। मेरा सीधा-सीधा आरोप है कि यह प्रशासनिक अक्षमता के कारण ही हुआ है। जिस श्रेणी में ऐसे उद्योगों को लिया जाता है उस में मजदूरों का बोनस बन्द हो जाता है। मैं समझता हूं कि ऐसे उद्योग जो ऋण विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से लेते हैं, उसका ब्याज वे उन संस्थाओं को नहीं चुकाते हैं। राज्य सरकार का पैसा उन उद्योगों में लगा रहता है, उनका पैसा वसूल नहीं होता। कुछ इस प्रकार के टैक्स होते हैं जिनकी छूट ऐसे उद्योगों को देते हैं। वह छूट उनको मिल जाती है। बड़े-बड़े × × × विशेष रूप से सवाई माधोपुर सीमेण्ट फैक्ट्री के साथ × × × । राज्य सरकार इस प्रकार की छूट का उनके लिये प्रावधान करना चाहती है। इसलिये मैं पूछना चाहता हूं कि जिनको इस प्रकार की छूट दी गई है पांच साल के अन्दर उनकी आर्थिक हालत ठीक हो सकी या नहीं हो सकी? पांच साल के अन्दर उनको किन-किन वित्तीय संस्थाओं से, बैंकों से लोन दिया गया? राज्य सरकार ने बैंकों को कितनी गारन्टी दी? राज्य सरकार कितने बैंकों की गारंटीयर हुई? ऐसे कितने उद्योग थे जिनको सरकारी टैक्सों में छूट दी गई? राज्य सरकार ने मजदूरों को दी जाने वाली सुविधाओं में कटौती की। राज्य सरकार द्वारा उनकी आर्थिक हालत सुधारने के लिये क्या-क्या कार्यवाही की गई? ऐसे मुख्य उद्योग कौन-कौन से हैं जिनके कारण से राज्य सरकार को पांच साल के बजाय दस साल की कार्यवाही करने के लिए सोचना पड़ा? उपाध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि इससे राजस्थान

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

वित्त निगम के अलावा, राजस्थान सरकार की ऐसी कौन-कौन सी वित्तीय संस्थायें हैं जिनको ब्याज का नुकसान हुआ, जिनके ऋणों को चुकाने के लिये आगे के लिये छूट दी गई, और कितना ब्याज माफ किया गया ? इससे वित्तीय संस्थाओं को कितना नुकसान हुआ, यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसकी जानकारी किए बिना इस प्रकार का विधेयक लाना चाहते हैं जिससे उनका लूट का रास्ता खुल जाये। कोई भी उद्योग इस बिल से बीमार उद्योगों की श्रेणी में आकर खड़ा हो जाता है। आज हालत यह है कि जो बड़े-बड़े उद्योगपति हैं, जिन्होंने उद्योग लगा रखे हैं, उनके उद्योगों में सरकारी वित्तीय संस्थाओं का, बैंकों का पैसा फंसा हुआ है। उन उद्योगों की बैलेंस शीट्स घाटे की बनती हैं, उनको सिक उद्योग घोषित किया जाता है और वह उद्योग बीमार उद्योगों की परिभाषा में आने के पश्चात् राजस्थान वित्त निगम से राजस्थान सरकार से छूट लेते हैं और मजदूरों का शोषण करते हैं उनको दी जाने वाली सुविधाओं में कटौती करते हैं। राज्य सरकार को दिये जाने वाले टैक्स माफ किये जाते हैं और जो बड़ी-बड़ी वित्तीय संस्थायें हैं उनका ब्याज माफ किया जाता है। मैं माननीय उद्योग मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि वह कौन-से उद्योग हैं जिनके कारण आपको यह बिल लाने के लिये बाध्य होना पड़ा ? उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल इस कारण से नहीं लाया जा रहा है कि पांच साल की अवधि पर्याप्त नहीं है। आज जिनकी आर्थिक हालत ठीक नहीं है राज्य सरकार उन उद्योगों को अधिग्रहण करे। पांच साल में हालत ठीक नहीं कर सके तो आपने इनका अधिग्रहण क्यों नहीं किया ? क्यों पांच साल और देना चाहते हैं ? यह ऐसा मामला है जिसका स्पष्टीकरण किया जाना आवश्यक है।

राज्य सरकार ने स्पष्टीकरण नहीं किया है इसलिये मैं प्रस्ताव करता हूं कि कि सबसे पहले राजस्थान सहायता उपक्रम (विशेष उपबन्ध) (संशोधन), विधेयक 1981 को एक माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये। इसके कारण बतायें जायें कि पांच साल की अवधि क्यों बढ़ा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : देवीसिंह।

(अनुपस्थित)

अन्य सदस्य कोई बोलना चाहें ?

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह से यह बिल लाया गया है यह विशेष रूप से × × × की साजिश की गई है। वास्तव में पूंजीपति यह चाहते हैं कि जो मजदूरों की लाइबिलिटीज है, जो मजदूरों का पैसा है वह मैं सीधे-सीधे खा जाऊं। जिस प्रकार का नग्न नृत्य सीमेण्ट उद्योग सवाई माधोपुर में हुआ उसी प्रकार नग्न नृत्य बूंदी से आने वाले श्रम मन्त्री, श्री बृज सुन्दर शर्मा के पास के क्षेत्र केशोरायपाटन में हुआ। ये दोनों उद्योग सिक उद्योग हैं। इनको राज्य सरकार ने टैक ओवर करने की बात कही थी लेकिन वह सीधे सेण्ट्रल में चले गये। आज वहां का

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री दाऊदयाल जोशी)

मजदूर परेशान है, वह तकलीफ में है, वह पीड़ित है····

श्री उपाध्यक्ष : जो बात कह चुके हैं वह नहीं दोहराई जाये।

श्री दाऊदयाल जोशी : मेरा निवेदन करना यह है कि राज्य सरकार द्वारा जो यह अवधि बढ़ाने की बात कही जा रही है, वह बिलकुल गलत है। यह पूंजीपतियों को संरक्षण देने की बात है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रभारी मन्त्री।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष): उपाध्यक्ष महोदय, मैं बोलूंगा।

यह जो बिल प्रस्तुत किया गया है मैं चाहूंगा कि उस पर मुख्य मंन्त्री जरा गंभीरता से विचार करें। एक स्थिति ऐसी बन गई है कि सरकार स्वयं एक वीसियस सर्किल में फंस गई। जिस समय यह कानून बना था राज्य सरकार की नीयत बिलकुल साफ थी और, मैं समझता हूं, नीयत आज भी साफ होगी लेकिन सरकार स्वयं ऐसी फंस गयी कि इस सरकार को यदि हमने सावधानी पूर्वक नहीं निकाला तो इसके परिणाम बहुत घातक होंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल तब खड़ा होता है जब फैक्ट्री का बंद करने का सवाल खड़ा हो जाता है और उसमें काम करने वाले मजदूर या कर्मचारी के सामने बेकारी का संकट खड़ा होता है। आज रिलीफ अंडरटेकिंग्स ही नहीं, जिन अंडरटेकिंग्स की सरकार अपने नियंत्रण में ले उनमें संभव है कि हमारे सामने जो सबसे बड़ा दबाव आये वह मजदूरों की तरफ से आये। यदि उस फैक्ट्री का लॉक-आउट हो गया, फैक्ट्री बंद हो गई तो उसमें काम करने वाले मजदूर कहां जायेंगे ? अब मजदूर के इन्ट्रेस्ट में यदि उस फैक्ट्री का नियंत्रण अपने हाथ ले लें तो सरकार के सामने सवाल खड़ा होता है कि यदि 500, एक हजार या दो हजार मजदूर बेकार हो गये तो कल विधान सभा के सामने डिमांस्ट्रेशन करेगें, सचिवालय के सामने डिमांस्ट्रेशन करेगें, लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति खराब होगी, मजदूर को हम दूसरा एम्पलॉयमेंट दे नहीं सकते, उस कारण से हम उस फैक्ट्री को चलाना चाहें, मजबूरी में अपने हाथ में लें ? लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा कई लोग तो विचार पूर्वक इस प्रकार की स्थिति पैदा करते हैं, विचारपूर्वक उनका मॉडस आपरेंडी यह होता है कि फैक्ट्री में जो भी बढ़िया चीजें, मशीनरी वगैरह अन्य प्रकार की हैं, उनको धीरे-धीरे हम डिस्पोज ऑफ करें। उस फैक्ट्री में रॉ-मैटीरियल जितना आना चाहिये उतना रॉ-मैटीरियल लेते नहीं और रॉ-मैटीरियल लेते हैं तो ब्लैक में बेच देते हैं। मॉडस आपरेंडी उनका यह है कि जितनी भी फाइनेन्शियल इन्स्टी-ट्यूशन्स हैं इन्क्लूडिंग आर. एफ. सी., बैंक, जहां पैसा से भी उनको पैसा मिल सकता है, वह सिक इन्डस्ट्री के नाम पर फैक्ट्री को रिहेबिलिटेट करना चाहते हैं, मशीनरी को रिहेबिलिटेट करना चाहते हैं, उस नाम से जितना पैसा लिया जा सकता है, लेते हैं। मजदूर का जितना पैसा बकाया रखा जा सकता उतना रखते हैं, सरकार के करों की अदायगी नहीं करते, ब्याज का चुकाया नहीं करते, कैपीटल मेंशन नहीं करते। जब इस प्रकार

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

की स्थिति बन जाती है तो सरकार के सामने कोई चारा नहीं रहता सिवाय इसके कि या तो एक हजार पांच सौ मजदूरों को बेकार होने दें या उस फैक्ट्री का नियंत्रण अपने हाथ में लेकर चलायें।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक मैं समझता हूं, सरकार की नीयत पर किसी प्रकार का संदेह करने की आवश्यकता नहीं। मजबूरी में सरकार इस प्रकार का काम करती है लेकिन सरकार की मजबूरी का लाभ कौन उठाते हैं ? वे लोग उठाते हैं जिनको पता है कि पब्लिक अंडरटेकिंग होते ही हमारे टैक्सेज में माफी होगी, ब्याज की कटौती नहीं होगी, मजदूर आंदोलन नहीं करेंगे, मजदूरों का बोनस नहीं दिया जायगा। ये सब प्रकार के रिलीफ मिल गये और जब साउंड पोजीशन हो जायेगी तो वे यह कोशिश करेंगे कि फैक्ट्री उनको वापस मिल जाये। जब वे देखते हैं कि वापस लेते ही उस फैक्ट्री की कुछ देनदारियां देनी पड़ेंगी तो संकोच करते हैं, धीरे-धीरे डिले करते हैं कि मैं नहीं लूंगा, इस प्रकार चलता रहता है। उनको सबसे बड़ा फायदा यह है कि जो मशीनें 1939 में खरीदी गई, दो रुपये में कोइ चीज खरीदी थी तो उसकी कीमत आज 20) रुपये है। आज कोई कारखाना 10 लाख की पूंजी से चलायें तो 5 वर्ष निकलने के बाद वह कारखाना 50 लाख का हो जायेगा, उसकी पूंजी का विस्तार हो जायेगा। वह पूंजी उसकी सुरक्षित है, उसके इन्ट्रेस्ट्स सुरक्षित हैं, उसकी सारी की सारी लायबिलिटीज वाश आउट हो गई, बिलकुल साफ हो गई, सरकार को जबर्दस्त घाटा हो गया और मजदूरों को सिवाय एम्पलायमेंट के कुछ नहीं मिला। इस प्रकार की स्थिति हो गयी।

मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि आपने 5 वर्ष से 10 वर्ष की अवधि बढ़ाई है। सरकार ईमानदारी से बताये कि कौन-कौन से उद्योग ऐसे हैं जिनका 5 वर्ष में प्रबंध ठीक तरह से नहीं कर पाये ? जो प्रबन्ध 5 वर्ष में ठीक नहीं कर सकते वह उसको 10 वर्ष में कैसे करेंगे ? जिस सरकार के मंत्री को यह ध्यान नहीं हो कि विद्युत मंडल की एनुअल रिपोर्ट सदन में पेश किया जाना कानूनन आवश्यक है, उस सरकार से हम क्या भरोसा करेंगे कि जो व्यवस्था 5 वर्ष में वह नहीं कर पाये, वह 10 वर्ष में करेंगे ? क्या गारंटी है कि 5 वर्ष में जो व्यवस्था ठीक नहीं हुई वह 10 वर्ष में ठीक होगी ? उसकी कोई गारंटी नहीं। गारंटी के अलावा एक और बात निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान में सरकार ज्यादा से ज्यादा औद्योगिक संस्थाओं में काम करे, मुख्य मन्त्री भी चाहते हैं कि राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्पलायमेंट मिले, हम भी चाहते हैं कि बेकारी नहीं बढ़े, यह भी सबकी नायत है लेकिन कई बार सरकार ऐसी स्थिति में आ जाती है कि जिस फैक्ट्री को लेना चाहती है, उसको नहीं ले सकती है। उदाहरण के रूप में सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक उदाहरण दिया, जयपुर उद्योग का। मुख्य मन्त्री जी आज सामने बैठे हैं, बड़ी खुशी की बात है। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि आप अगर रिलीफ अंडरटेकिंग के नाते किसी फैक्ट्री को लेना चाहते हैं तो आप जयपुर उद्योग को क्यों नहीं लेते ? जयपुर उद्योग का तो संचालन ही आपके हाथ में नहीं आ रहा है, जयपुर उद्योग की मिल्कियत भी

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

आपके हाथ में आ रही है। इनका तो केवल संचालन ही आपके हाथ में आ रहा है, आप उसकी मिल्कियत भी लीजिये। 10 करोड़ केवल खर्चा लगेगा और 10 करोड़ के बदले में राजस्थान को 60 करोड़ की पूंजी मिलने वाली है। मुख्य मन्त्री उसको नहीं लेकर....

श्री शिवचरण माथुर (मुख्य मन्त्री) : 60 करोड़ ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 7 नहीं 60 करोड़ की पूंजी है, सिक्स्टी करोड़ की पूंजी है, जो 60 करोड़ की पूंजी आपको केवल 10 करोड़ में मिल रही है, वह नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि जयपुर उद्योग जिसका है वह बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति हैं, पैसे का भी प्रभाव है, वैसे राजनैतिक दृष्टि से भी उनका प्रभाव है। अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में जनता पार्टी के शासन में एक कानून लोक सभा में प्रस्तुत हुआ था, शायद 10 जुलाई, 1979 को। लोक सभा अधिवेशन शुरू हुआ, जो पहला विधेयक इस संबंध में प्रस्तुत किया गया था उसमें यह था कि जयपुर उद्योग सीमेन्ट कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया को दे दिया जाये। सीमेन्ट कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया के संबंध में मैंने एतराज किया। मैंने उस समय प्रधान मन्त्री से भी बात की, उस समय जो उद्योग मन्त्री, जार्ज फर्नाण्डिज थे उनसे भी बात की। मैंने कहा सीमेन्ट कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया से इस उद्योग को नहीं चलवा सकते, सीमेन्ट कारपोरेशन ऑफ इण्डिया ने मना कर दिया कि हम इस उद्योग को नहीं ले सकते। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार यह उद्योग चलाये, राज्य सरकार को यह उद्योग दे दिया जाय और इस तरह का अमेंडमेंट, जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है, में प्रस्तुत कर दें। करीब 1।। घंटे दो घंटे तक चर्चा हुई और चर्चा होने के बाद में प्रधान मन्त्री ने मुझे उस समय कहा कि आपको तुरंत 10 करोड़ देने पड़ेंगे तब जाकर यह फैक्ट्री आपको मिलेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास 10 करोड़ देने की स्थिति का अवार्ड था। मैंने कहा 10 करोड़ इस अवार्ड से तुरंत देना आवश्यक नहीं है, मुझे केवल 3।। करोड़ तुरंत देना है, राज्य सरकार 3।। करोड़ देगी, आप लोक सभा में जो विधेयक प्रस्तुत हुआ है उसमें संशोधन करवा दें, राजस्थान गवर्नमेंट इस जयपुर उद्योग को हाथ में ले लेगी। उसके लिये 3।। करोड़ देगी। उस समय विधेयक प्रस्तुत हुआ। आज भी हालत यह है, मुख्य मन्त्रीजी, मैं कहना चाहूंगा आप बहुत घोषणायें करते हैं, आपको राजस्थान की बहुत बड़ी चिंता है, आप समाचार पत्रों में इस प्रकार की बात व्यक्त करते हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप जयपुर उद्योग को अपने कब्जे में ले लें, इससे राज्य सरकार को कोई घाटा नहीं होगा। राजस्थान में कई अधिकारी ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने जयपुर उद्योग को चलाया, घाटे से बाहर निकाला। मुझे खुशी हुई मैंने अखबारों में पढ़ा, न मालूम कहां तक सही है कह नहीं सकता, कि जयपुर उद्योग सरकार द्वारा अपने हाथ में लेने के बाद पहली बार लाभ में आया। यह और भी खुशी की बात है। उस लाभदायक उद्योग को अपने कब्जे में क्यों नहीं लेते ? आप छोटे छोटे उद्योगों को अपने कब्जे में लेंगे और वह क्यों लेंगे ? क्योंकि आपको इसके कारण घाटा होगा, किसी का टैक्स

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

माफ करना पड़ेगा, किसी का ब्याज माफ करना होगा, किसी का आर० एफ० सी० का लोन लांग टर्म पेमेंट में कन्वर्ट करना होगा, दूसरा बैंकों का पैसा नहीं चुकायेंगे, कुछ इस प्रकार की स्थिति होगी, मजदूरों के बोनस के बारे में आपको परिवर्तन करना होगा। मुख्य मन्त्रीजी, आप हिम्मत दिखावें, जयपुर उद्योग को अपने कब्जे में कर लें तो बहुत बड़ी बात है। जयपुर उद्योग को कब्जे में करने का अर्थ यह होगा कि राजस्थान में जिस उद्योग से आपको फायदा मिल रहा है वह उद्योग होगा और एशिया का सबसे बड़ा कारखाना यदि राज्य सरकार पब्लिक सैक्टर में चलायेगा तो, मुख्य मन्त्री जी, आपकी छवि में चार चांद लगेंगे। आप बड़े समाजवादी हैं, समाजवाद की आप चर्चा करते हैं। पूंजी का विकेन्द्रीकरण नहीं पूंजी का समाजीकरण हो, पूंजीपतियों के हाथ में पूंजी नहीं रहे, यह आपके दिल की तमन्ना है। आप हमेशा यह प्रचार करते आये हैं कि हिंदुस्तान में समाजवाद आ सकता है। मुख्य मन्त्रीजी, आपकी मौजूदगी में यदि उद्योग वापस सेठ के पास चला जायेगा तो जनता कहेगी कि मुख्य मन्त्री बोले थे, समाजवाद वह तो उनकी जुबान पर था, मन में पूंजीपतियों का पोषण, पूंजीपतियों की गुलामी है। अगर जुबान से निकाली हुई आपकी बात सही है, जो आज तक समाजवाद की व्याख्या करते रहे है आज तक पूंजीवाद के खिलाफ बोलते रहे हैं, आज तक कहा कि सेटों के आगे नतमस्तक नहीं होंगे, मैं आपसे निवेदन करूं कि अशोक जैन और आलोक जैन के सामने राजस्थान के मुख्य मन्त्री घुटने नहीं टेकें तो 60 करोड़ की पूंजी राजस्थान में आ जायेगी उसको लिया जाय, अपनी हिम्मत दिखाएं, समाजवाद का प्रचार और समाजवाद की व्याख्या आप करते रहे हैं और करिये।

उपाध्यक्ष महोदय, होगा क्या कि इन छोटी मोटी इण्डस्ट्रीज को, जयपुर मैटल्स और जयपुर स्पिनिंग मिल्स को सरकार हाथ में ले लेगी। उपाध्यक्ष, मुझे पता नहीं था कि यह बिल आज ही सदन में ले लिया जायेगा। उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर स्पिनिंग मिल्स के बारे में मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसको राज्य सरकार के हाथ में लेने के पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है जो मैं आज नहीं फिर कभी इस सदन में आपको बतलाऊंगा। आज मैं विवश हूं क्योंकि मुझे इस बात का पता नहीं था कि आज ही सदन में इस बिल को लिया जायेगा।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (विधि मन्त्री) : आज नहीं ले रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ले रहे हैं। मैं कह रहा हूं ले रहे हैं आप कह रह रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो चाहता हूं कि आज इस बिल को नहीं लिया जाय। आप कहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। वे शायद पूछ कर आ रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय, अभी पता चल जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप अपनी बात अब तक जारी रखें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं तो मेरी बात जारी रख रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय,

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, राज्य सरकार दो उद्योगों को अपने हाथ में लेने के लिये अवधि बढ़ा रही है, तो उससे होगा क्या ? ठीक है, आप मजदूरों को एम्पलायमेंट दे देंगे लेकिन इतने बड़े कारखाने को तो आपको अपने हाथ में लेना चाहिये। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा, आप इसकी अवधि पांच से बढ़ाकर दस वर्ष क्यों करना चाहते हैं ? यह जयपुर मैटल्स और....

एक माननीय सदस्य : जयपुर उद्योग।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जयपुर उद्योग और जयपुर मैटल्स ये दो ही हैं। आप इनकी अवधि बढ़ाना क्यों चाहते हैं, आप इनको टेक ओवर क्यों नहीं कर लेते ? उपाध्यक्ष महोदय, यह तो आपको पता ही होगा कि हमारे यहां बिजली के पैसे नहीं मिल रहे हैं राजस्थान के जो खनिज उद्योग हैं उनकी रायल्टीज भी पूरी नहीं आ रही है और जो हमारे 76 करोड़ रुपये के प्रिफेंशियल शेअर्स हैं उनका भी डिविडेन्ड हमें नहीं मिल रहा है। तो, उपाध्यक्ष महोदय, इस जयपुर उद्योग के बारे में मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस उद्योग के जो मालिक हैं उन्होंने इस तरह चतुराई से मैनुपुलेन किया है कि इस इण्डस्ट्री से जो अभी लाभ हुआ है उसको कौन लेगा जो इसका फायदा हुआ है वह सर्वप्रथम तो बैंक में जायेगा क्योंकि आपको यह सुनकर ताज्जुब होगा कि इस इण्डस्ट्रीज के मालिकों, जो सेठ हैं, ने बैंक से मिलकर, और बैंक भी वे हैं जो कि नेशनलाइज्ड हैं, उनसे इतने पैसे ले लिये जितने वे बैंक्स उनको दे ही नहीं सकते थे। कानूनन वह पैसा बैंक उनको नही दे सकता था। पर, जब उस पैसे की वसूली की बात हुई तो उन्होंने यह कह दिया पैसा नहीं दे सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिए एक कमेटी अपाइन्ट हुई उस कमेटी ने सारे अकाउन्ट्स चैक किये और अपनी यह रिपोर्ट दी कि यह पैसा बैंक का नहीं चुकाया जा सकता है। इससे क्या हुआ ? न बैंक मरा और न ही बैंक का मैनेजर मरा, पर बैंक में जो जनता का पैसा था जनता की जो पूंजी लगी हुई थी वह जनता मर गयी, इसलिए उनको चिन्ता नहीं थी। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, मुख्य मन्त्री जी, कि जो आप इन उद्योगों को रखने के लिये अवधि पांच से बढ़ाकर दस वर्ष करने जा रहे हैं उनकी अवधि न बढ़ाकर आप उन उद्योगों को टेकअप ही क्यों नहीं कर लेते हैं ? आप इनकी अवधि पांच साल से बढ़ाकर दस वर्ष क्यों करने जा रहे हैं ? आप इनको टेकअप ही करलें।

उपाध्यक्ष महोदय, इस फैक्ट्री के बारे में आपको सुनकर ताज्जुब होगा। इस फैक्ट्री को लेने में हिम्मत चाहिये और जब हिम्मत की बात आती है तो मुझे आपको यह कहना पड़ेगा कि पहाड़ियाजी में हिम्मत थी। मैं तो कई बार लोगों से कहता हूं कि पहाड़िया जी में हिम्मत थी लेकिन वर्तमान में जो हमारे मुख्य मन्त्रीजी हैं उनमें पहाड़ियाजी के मुकाबले हिम्मत की बहुत कमी है, वे उनसे कमजोर हैं तो कई बार लोग इसको मजाक की बात कहते हैं, पर यह मजाक नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : अब तारीफ करने से क्या फायदा वह तो अब नहीं रहे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह तो, उपाध्यक्ष महोदय, सब आपकी कृपा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मन्त्रीजी से यह निवेदन कर रहा हूं कि आप जयपुर उद्योग के बारे में पता लगावें कि इस फैक्ट्री के खिलाफ कितने केसे रजिस्टर हुये हैं, फौरजरी के। उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर उद्योग के मालिकों और मुनीमों के खिलाफ राजस्थान के सी. आई. डी. में लगभग 16 मुकदमें रजिस्टर हुये थे। उपाध्यक्ष महोदय, इस जयपुर उद्योग के मालिकों ने जिस प्रकार से चीटिंग किया है उसके खिलाफ जनता पार्टी के शासनकाल में इनके विरुद्ध 16 मुकदमे दर्ज हुए और जब जनता पार्टी का शासन काल चला गया तो मैंने उस समय के मुख्य मंत्री जी, पहाड़ियाजी, से यह कहा था कि आप इन उद्योगपतियों के खिलाफ कार्यवाही करें, तो पहाड़ियाजी ने यह कहा था कि मैं इनके खिलाफ में कार्यवाही करूंगा। पहाड़ियाजी ने उनका चालान करने को कहा, उपाध्यक्ष महोदय, पहाड़ियाजी उन सेठों का तो चालान नहीं करवा सके पर पहाड़ियाजी का खुद का ही चालान हो गया। मुख्य मन्त्रीजी, आप गृह मन्त्रीजी भी हैं, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि उन केसेज का क्या हुआ? जो मुकदमे उन सेठों के खिलाफ में बनाये गये थे उनका क्या हुआ? आप अपने डिपार्टमेंट से पूछें कि जिन लोगों ने दुनिया भर को चीट किया और दुनिया भर के लोगों के माल पर कब्जा किया, दुनियां की माइन्स पर चीटिंग से कब्जा किया उन पर इतने केसेज बने उनका क्या हुआ? आप अगर आज जयपुर उद्योग को अपने हाथ में ले लेते हैं तो राजस्थान को सीमेन्ट मिलेगी। आज सीमेन्ट के थैलों में कम सीमेन्ट मिलती है। इसके अलावा दुनिया भर की रियायतें सरकारी रियायतें मिलती हैं लेकिन जो वहां पर गड़बड़ियां हो रही हैं उनके खिलाफ में सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर रही है क्योंकि आज वह सरकार के हाथ में है। सीमेन्ट की जो क्वालिटी मिलनी चाहिये जनता को वह नहीं मिल रही है, जितनी लोगों को सीमेन्ट मिलनी चाहिये वह नहीं मिल रही है और सीमेन्ट का जो लाभ मजदूरों को मिलना चाहिये वह मजदूरों को नहीं मिल रहा है। ऐसी हालत में सरकार क्यों इसकी अवधि पांच से बढ़ाकर दस वर्ष कर कर रही है? आप इसकी अवधि नहीं बढ़ा कर इसे टेकअप ही क्यों नहीं कर लेते हैं? आपको इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा. आपको तो सिर्फ लोक सभा में इसके लिये विधेयक पेश करवाना पड़ेगा और आप इसको टेकअप कर लेंगे। मुख्य मन्त्रीजी, आप इसको एक बार टेकअप कर लेंगे उसके बाद में आप मेरे साथ सवाई माधोपुर चलेंगे तो वहां पर देखेंगे कि सवाई माधोपुर का बच्चा बच्चा सवाई माधोपुर के मजदूरों के परिवार वाले आपकी उम्र भर गाथा गायेंगे और यह कहेंगे कि राजस्थान में एक ऐसा मुख्य मन्त्री आया था जिसने राजस्थान की जनता का पैसा पूंजीपतियों के जबड़े में से निकाल कर जनता के हाथ में दे दिया। वरना तो, मुख्य मन्त्रीजी, आप जितने दिन तक यहां पर हैं और जिनकी कृपा से यहां पर विराजे हुए हैं मुझे तो आप में ऐसी हिम्मत नजर नहीं आती है और जो आप यहां पर राजस्थान के हितों की बातें करते हैं राजस्थान के हितों का चिन्तन करतें हैं राजस्थान के हितों की सुरक्षा की बातें करते हैं वह सभी बेकार हैं।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस आधार पर यह कहना चाहूंगा कि यह जो विधेयक सदन में प्रस्तुत किया गया है उस पर जयपुर ग्रामीण से आने वाली माननीय सदस्या ने जो प्रस्ताव जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का प्रस्ताव रखा है उसके समर्थन में मैं भी यह कहना चाहूंगा कि इसको जनमत जानने हेतु परिचालित किया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : प्रभारी मन्त्री।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) : उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर राजस्थान में इण्डस्ट्रियलाइजेशन की बात की जाती है उसके लिये मेरा यह निवेदन है कि यहां पर छोटे छोटे उद्योगों को पनपने नहीं दिया जा रहा है और उन उद्योगों को आज नोटिस दिये जा रहे हैं। सरकार छोटे छोटे उद्योगों की कोई सहायता नहीं कर रही है न ही उनके लिये कोई व्यवस्था कर रही है। आज यहां पर यह स्थिति है कि सरकार के गृह मन्त्री इन सेठों से मिले हुए हैं और मजदूरों को किसी प्रकार की राहत नहीं मिल रही है। आज मजदूरों के खिलाफ साजिश हो रही है। यही कारण है कि इन उद्योगों की अवधि सरकार पांच से बढ़ा कर दस वर्ष कर रही है। उपाध्यक्ष महोदय, आज किसी भी कारखाने में मशीनें पांच साल में घिस जाती हैं ऐसी स्थिति में आप उनकी मदद क्यों कर रहे हैं। आज आप छोटे छोटे उद्योगों की कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं और इन बड़े उद्योगों को आप सहायता देने जा रहे हैं। इस प्रकार से जो हमारे छोटे छोटे उद्योग हैं उनमें कमी आयेगी और उनको नुकसान होगा, इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा, इस विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री प्रभारी मन्त्री जी।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राज्य मन्त्री, उद्योग) : उपाध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता महोदय ने और माननीय सदस्यों ने इस विधेयक के बारे में अपने विचार सदन में व्यक्त किये उनके लिये मैं उनका आभारी हूं। माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे। मैं उपाध्यक्ष, महोदय, माननीय सदस्यों ने जो विचार व्यक्त किये उनके कुछ मुद्दों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। यह जो दो अन्डरटेकिंगस थे सर्वप्रथम उनको दिसम्बर, 1977 और मार्च, 1978 में रिलीफ के लिये हाथ में लिया गया। यहां पर शायद इस बात को कहने की कोशिश की गयी जैसे सरकार ने पूंजीपतियों के हितों को साधने के लिये इन उद्योगों को हाथ में लिया है।

एक माननीय सदस्य : यह मैंने नहीं कहा।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आपने नहीं, आपमें से किन्हीं लोगों ने कहा। आप चाहें तो रिकार्ड देख लीजिये। यहां पर मजदूरों के हितों के बारे में जो यह बात कही गयी कि उनको रोजगार मिलेगा, पर, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा, पूर्व में ऐसा किया गया था। ब्यावर में जो मिल है उसको भी रिलीफ देने के लिये अण्डरटेक किया गया। मैं इस बात को इसलिये ध्यान में लाना चाहूंगा कि इन उद्योगों की मियाद पांच

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

साल से बढ़ाकर दस साल की जा रही है अगर इनकी मियाद नहीं बढ़ायी गयी तो इन इण्डस्ट्रीज की हालत खराब हो जायेगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ये फैक्ट्रीज लिक्वीडेशन में चली जायेंगी और इनकी स्थिति वैसी ही हो जायेगी जैसी कि सन् 77-78 में हो गयी थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए, मजदूरों की इतनी बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुए रिलीफ बढ़ाई गई। राजस्थान के अन्दर ही नहीं मद्रास, तमिलनाडु और बम्बई के अन्दर भी इस प्रकार के अण्डरटेकिंग्स की अवधि दस दस साल है उसी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान में भी इस प्रकार का कदम उठाया गया है।

यह कोई बहुत बड़ा अमेण्डमेन्ट नहीं है, छोटा सा है 5 साल से 10 साल की अवधि की है। आपने जयपुर उद्योग के बारे में बहुत कुछ कहा। राजस्थान में सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने जुलाई, 79 में जिस बिल की आप बात कर रहे हैं...

श्री उपाध्यक्ष : यह तो बताइये, मंत्री महोदय, कि 5 साल में क्या प्राप्ति की है, आपने ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अभी उस मुद्दे पर आऊंगा। वह मुद्दा मेरे सामने है और मैं आपके सामने अभी अर्ज करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर उद्योग के बारे में और समाजवाद पर विरोधी दल के माननीय नेता महोदय ने जोरदार भाषण दिया। उन्होंने कहा, आप इंदिरा गांधी की मर्जी से टिके हुए हैं, पहाड़िया जी बहादुर थे या कमजोर थे। सन् 67 से मुझे आपकी बातें सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, आपकी बातों से, उपाध्यक्ष महोदय, आदमी को इतना जोश आ जाये....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह तो पहाड़िया जी को कमजोर ही मानते हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं किसको कमजोर मानता हूं और किसको ताकतवर मानता हूं यह तो आपके सोचने की बात नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, सन् 67 से विरोधी पक्ष के माननीय नेता को देखा, मुख्य मन्त्री के रूप में भी देखा, इनके साथ इतने लम्बे अर्से तक रहने का मेरा सौभाग्य रहा है। कोई इनकी बातें सुने तो जोश में बावला हो जाये। आदमी को आसमान में चढ़ा देते हैं कि आप कमजोर हैं, आप इन्दिरा गांधी की मेहरबानी से बैठे हुए हैं, आप फलां की मेहरबानी से बैठे हुए हैं। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, हकीकत के ऊपर हमें आना पड़ेगा.... ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह तथ्य नहीं हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैं आपसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूं, जुलाई, 79 के अन्दर जब यह बिल पार्लियामेंट में इन्ट्रोड्यूस हुआ उस समय सेन्टर में भी आपकी सरकार थी और राजस्थान में भी आपकी पार्टी की सरकार थी। 79 में यह बिल कोई तुरत–फुरत आनन फानन में नहीं आ गया था

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

पार्लियामेन्ट के अन्दर कम से कम दो तीन महीने कन्टीनुअस चला था। पार्लियामेन्ट में बिल आया होगा तब आपने क्यों नहीं भारत सरकार से कहा कि आप नेशनलाइज करने की बात कर रहे हैं, सीमेन्ट कार्पोरेशन आफ इण्डिया को देने की बात कर रहे हैं, आप हमको दे दीजिए यह आपने कहा ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कहा था।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपने कहा, मैं कहता हूं, लेकिन आपकी बात भारत सरकार ने नहीं मानी। क्यों नहीं मानी....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मानी है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : बिल कैसे इन्ट्रोड्यूस हुआ पार्लियामेन्ट के अन्दर, जब स्टेट गवर्नमेन्ट को देने की बात थी, सीमेन्ट कार्पोरेशन आफ इण्डिया को देने की बात थी....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं बोलूंगा ? मेरा भी नम्बर आयेगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपकी इतनी चलती थी, आप इतने ताकतवर थे तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने अपनी बात उस समय क्यों नहीं मनवाई ? आपकी बात कहां चली गयी उस वक्त ?....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपको बताऊंगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, एक माननीय सदस्य ने कहा कि यह पूंजीपतियों के हितों की बात की जा रही है। मैंने पूर्व में ही यह बात कह दी है कि यह मजदूरों के हितों के लिए है। मूल मुद्दा यह है कि लोग बेरोजगार नहीं हो जायें। उनकी बहुत बड़ी संख्या है, बहुत बड़ी संख्या में मजदूर हैं इसलिये उनके हितों को ध्यान में रखते हुए इस बिल को लाया गया है।

जहां तक मुनाफे और घाटे का प्रश्न है, इसमें बहुत बड़ा मामला नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, अगर कोई यह सोचें कि राजस्थान सरकार भी इस मिल को लेना चाहती है तो मैं आपको बता दूं कि हमारी नीति साफ है कि हम नहीं लेना चाहते हैं। मुझे कहने में कुछ संकोच नहीं है, मैंने पिछले समय भी कहा था। पिछले सत्र में भी जब मैं माननीय पहाड़ियाजी के मंत्री मण्डल में मंत्री था तो मुझे उनकी तरफ से जयपुर उद्योग के प्रश्न के बारे में उत्तर देने का अवसर मिला था। मैंने उस समय भी कहा था कि सरकार की इस मिल को लेने की इच्छा नहीं है। हम इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहते है क्योंकि आज जयपुर उद्योग की हालत बहुत खस्ता है। आज इसको लें तो इसको रिहेबिलिटेशन के लिए 25 करोड़ रुपया चाहिये, 30 करोड़ रुपया चाहिये उस मशीनरी को मॉडर्न मशीनरी के बराबर लाने के लिए, वर्किंग कैपीटल अलग चाहिएगा और फिर देनदारियां ऊपर से और हैं। हम कहां से लायेंगे ? देनदारियों का क्या होगा ? लाइबिलिटीज तो खतम होंगी नहीं। आप कहते हैं कि

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

11 करोड़ का कम्पेन्सेशन आप इनको दे दीजिए। ठीक है, लेकिन 11 करोड़ लेगा कौन ? आज ही लिटीगेशन में जाने की स्थिति पैदा हो जायेगी। मेरा आपसे निवेदन है कि व्यावहारिकता की दृष्टि से देखें। आज आप अपने दिमाग के अन्दर बम्बई के फ्लेट की कुछ कीमत समझ लीजिए, दिल्ली के मकान की कुछ कामत समझ लीजिए और जो जयपुर उद्योग की यहां जमीन है उसकी कुछ कीमत समझ लीजिए। सीलिंग का ही झगड़ा चल रहा है। आज हाईपोथेटिकल के आधार पर कीमत हो सकती है लेकिन बाजार में क्या मिलने वाला है यह देखने वाली बात है। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की नीयत नहीं है राजस्थान सरकार इसको नहीं चलाना चाहती है। इसको नेशनलाइज करके भारत सरकार सीमेन्ट कार्पोरेशन आफ इण्डिया से चलवायेगी या किस एजेन्सी के माध्यम से चलवायेगी यह भारत सरकार को तय करना है। यह मामला भारत सरकार के विचाराधीन है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बात निवेदन करना चाहूंगा कि हमने कहीं लिखकर नहीं दिया है कि इसको नेशनलाइज नहीं किया जाये। यह राजस्थान सरकार ने नहीं कहा है। तो यहां किसी पूंजीपति के हित साधने का प्रश्न कहां पैदा होता है, उपाध्यक्ष महोदय।

आपने जानकारी घाटे की चाही थी मेरा निवेदन है सन् 1976-77 में 2 करोड़ 31 लाख 1977-78 में 2 करोड़ करोड़ 81 लाख, 1978-79 में 1 करोड़ 83 लाख 1979-80 में 4 करोड़ 35 लाख और 1980-81 में 4 करोड़ 53 लाख का घाटा इसमें हुआ है। कुछ और भी फिगर्स हैं लेकिन मैंने राउण्ड फिगर्स में अमाउन्ट बताया है। उपाध्यक्ष महोदय, यह तो जयपुर उद्योग की स्थिति रही।

इसके साथ आपने कमानी के बारे में पूछा। 1977-78 में करीब 1 करोड़ 35 लाख का घाटा, 1978--79 में 39 लाख का घाटा, 1979--80 में 3 लाख रुपये का घाटा हुआ। 1980--81 में 8 लाख 41 हजार रुपये का प्रॉफिट हुआ। फिर 1981--82 में 60 लाख रुपये का घाटा हो गया इस, प्रकार टोटल लॉस करीब 304 लाख रुपये का रहा। लेटेस्ट फिगर्स यह दिये हुए हैं। मैं आपसे यह निवेदन कर रहा था कि जहां तक इसके मैनेजमेन्ट का सवाल है, मैनेजमेन्ट के अन्दर प्राइवेट पार्टीज का कोई दखल नहीं है। जयपुर उद्योग का मैनेजमेन्ट एक तरह से जोइन्ट मैनेजमेन्ट है और गवर्नमेन्ट मैनेजमेण्ट है। किसी पूंजीपतियों के हितों के साधने की बात कैसे हो गयी ? मूल मुद्दा इस बिल को लाने के लिए यह है कि मजदूरों के हितों के लिये यह बिल लाया गया है। इसका पीरियड एक्सपायर हो रहा था और अगर इस पीरियड को एक्सटेण्ड नहीं करते हैं तो मजदूरों के हितों पर कुठाराघात होगा इसलिए मूल रूप से इसी उद्देश्य से यह बिल लाया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान सहायता उपक्रम (विशेष उपबंध)

(श्री उपाध्यक्ष)

(संशोधन) विधेयक, 1981 को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

राजस्थान सहायता उपक्रम (विशेष उपबंध) (संशोधन) विधेयक, 1981 को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया ।

विधेयक पर विचार

प्रश्न यह है कि राजस्थान सहायता उपक्रम (विशेष उपबंध) (संशोधन) विधेयक, 1981 विचारार्थ लिया जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया ।

विधेयक का पारण

श्री शिवचरण माथुर, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान सहायता उपक्रम (विशेष उपबंध) (संशोधन) विधेयक, 1981 को पारित किया जाये ।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राज्य मंत्री, उद्योग): मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सहायता उपक्रम (विशेप उपबन्ध) (संशोधन) विधेयक, 1981 को पारित किया जाये ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष): उपाध्यक्ष महोदय, विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव प्रभारी मंत्री जी ने सदन में प्रस्तुत किया है । अभी, उपाध्यक्ष महोदय, आपने सुना होगा, प्रभारी मंत्री जी ने मेरी कुछ बातों का उत्तर दिया है और उत्तर में यह भी कहा है कि मैंने उनको समाजवादी माना है । मैं ऐसी भूल नहीं कर सकता । आपको समाजवादी मान लूं तो उस समय समाजवादी की परिभाषा बदलनी पड़ेगी । मैंने आपको समाजवादी नहीं कहा था, यदि आप समझ गये हैं तो मेरी गलती हुई, मैं क्षमा चाहता हूं । उपाध्यक्ष महोदय, समाजवादी मैंने कहा था माननीय मुख्य मंत्रीजी को और यह मैंने नहीं कहा, ये निरन्तर वर्षों से कहते आ रहे हैं । पिछले सत्र में तो मैंने इनको एक बात याद भी दिलाई थी । बाली में 1962 या 1963 में मुख्य मंत्रीजी ने अपने भाषण में कहा था कि समाजवाद बिना खूनी क्रांति के नहीं आ सकता । अब जो इतने कट्टर समाजवादी हैं जिनकी रग रग में समाजवाद भरा हुआ है, उपाध्यक्ष महोदय, उन समाजवादी मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा....

(व्यवधान)

नहीं, फूट फूट कर जो समाजवादी हैं, ऐसे मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं....

(व्यवधान)

आप तो दोनों नहीं समझोगे, न समाजवाद समझोगे, न पूंजीवाद समझोगे, इसलिये आप न बोलें तो अच्छा है जो समझते हैं उनको बोलने दें ।

मैं यह निवेदन कर रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि माननीय मंत्री महोदय ने जो एक बात कही वह विचित्र है । वे सिद्धांततः

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

इस बात को स्वीकार करते हैं कि सीमेंट कार्पोरेशन आफ इण्डिया को यह फैक्ट्री जानी चाहिये ? आपकी बात से यह अन्दाज लेकर चलना चाहता हूं कि आपने जो कुछ कहा....

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैंने कहा है कि भारत सरकार इसको नेशनलाइज करेगी। सीमेंट कार्पोरेशन आफ इण्डिया से चलवाना है या किस एजेन्सी से चलवाना है यह निर्णय भारत सरकार के ऊपर है। हमने किसी पूंजीपति के हाथ में देने के लिये नहीं कहा है। यह नहीं कहा है कि किसी पूंजीपति को या पुराने मालिक को इस फैक्ट्री को दिया जायेगा। मेरे कहने का अभिप्राय यह है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपका अभिप्राय: सही है, आपने जो कहा है उसका किसी को मुगालता नहीं है। मेरे कहने का मतलब इतना सा है कि सीमेंट कार्पोरेशन आफ इण्डिया इस फैक्ट्री को टेक ओवर करती है तो आपको कोई आपत्ति नहीं है। मैं ऐसा समझता हूं कि आप को आपत्ति नहीं है यदि इस उद्योग को सीमेंट कार्पोरेशन आफ इण्डिया लेती है। मुख्य मंत्रीजी की गर्दन जिस तरह से हिल रही है, मैं समझता हूं, वे चाहते हैं कि सीमेंट कार्पोरेशन आफ इण्डिया को दे दिया जाये। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप एक वर्ष से राजस्थान के मुख्य मंत्री हैं आपने पांच से 10 वर्ष की अवधि बढ़ाने के संबंध में इस सदन में बिल प्रस्तुत कर दिया इसलिये कि यह फैक्ट्री सीमेंट कार्पोरेशन आफ इण्डिया ले ले। आपने कभी प्रधान मंत्रीजी को चिट्ठी लिखी है, आपने कभी प्रधान मंत्री जी से निवेदन किया है ? आपने न प्रधान मंत्रीजी को चिट्ठी लिखी न निवेदन किया। इस सदन में चर्चा हुई तो आप कहते हैं कि सीमेंट कार्पोरेशन आफ इण्डिया को दे दिया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है सी. सी. आई. जयपुर उद्योग को ले ले, मैं भी इसको पसन्द करूंगा लेकिन ज्यादा मैं यह पसन्द करूंगा कि राजस्थान सरकार इसको टेक ओवर करे। अगर राजस्थान सरकार इसको टेक ओवर करने में अपने आपको असक्षम मानती है तो मैं यह चाहूंगा कि सी. सी. आई. इसको ले ले। क्या मुख्य मंत्रीजी सदन में इस बात की घोषणा करेंगे कि राजस्थान सरकार भारत सरकार से निवेदन करेगी कि जयपुर उद्योग को सी. सी. आई. के अधीन दे दिया जाये, यह मेरा पहला प्रश्न है ? उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, मुख्य मंत्रीजी यह कह रहे हैं कि उसमें इतना घाटा होगा यदि हम ले लेंगे। माननीय प्रभारी मंत्रीजी, श्री प्रद्युम्न सिंह जी, भी कह रहे हैं उसको लेने में घाटा होगा, रिहेबिलिटेशन के लिये हमें 50 करोड़ रुपया चाहिये। कम्पेनसेशन के मामले में केवल 11 करोड़ रुपया देकर फैक्ट्री को हाथ में ले सकते हैं लेकिन मशीनरी के रिहेबिलिटेशन के लिये हमें 35 करोड़ रुपया और चाहिये। मैं निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, हमने बैंक्स का नेशनलाइजेशन किस बात के लिये किया है ? हमने बैंक्स का नेशनलाइजेशन इस बात के लिये किया है कि सोशल रिफार्म्स में

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

बैंक्स का कन्ट्रीब्यूशन हो। आपने कभी कोशिश की कि बैंक्स हमें पैसा देंगे या नहीं देंगे? क्या आपने इस बात की कोशिश की कि बैंक्स से जयपुर उद्योग के रिहेबिलिटेशन के लिये पैसा मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है? मैं ऐसा समझता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, जिस समय जनता पार्टी की सरकार थी उस समय भी यह क्वेश्चन था, उस समय हमारे पास खजाने में कोई 25 करोड़ रुपया सुरक्षित नहीं रखा था उस समय 25 करोड़ की भी आवश्यकता नहीं थी उस समय 15 करोड़ चाहिये था। प्राइस एसक्लेशन के कारण, मैं मंत्री महोदय की बात माननने को तैयार हूं कि 25 करोड़ रुपये की लागत आज के दिन आयेगी। क्या हमने कोई अटेम्पट इस बात के लिये किया है कि फाइनेन्शियल इन्स्टीट्यूशन्स से पैसा लें? क्या आपने बैंक्स को अप्रोच किया है? क्या आपने अदर फाइनेन्शियल इन्स्टीट्यूशनन्स को अप्रोच किया है? क्या अप्रोच करने के बाद आपको यह जानकारी मिली कि इस फैक्ट्री की मशीनरी के लिये, रिहेबिलिटेशन के लिये जितनी राशि चाहिये वह नहीं मिलेगी? मेरी जानकारी के अनुसार कोई अटेम्प्ट नहीं किया। न आपने इस बात का अटेम्प्ट किया कि भारत सरकार सीमेंट कार्पोरेशन आफ इण्डिया इसको अपने कब्जे में ले न इस बात का अटेम्प्ट किया कि फाइनेन्शियल इन्स्टीट्यूशन्स से कर्ज लेकर इसकी मशीनरी के लिये, इसके रिहेबिलिटेशन के लिये जो धन चाहिये उस धन की पूर्ति करें। अध्यक्ष महोदय, तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आपने कहा है किसी पूंजीपति के दबाव में आकर यह बिल नहीं लाये। क्या संकेत करती हैं यह दोनों बातें? सी. सी. आई. को देने के लिये अटेम्प्ट नही किया, आपने अपने कब्जे में लेने के लिये कोई अटेम्प्ट नहीं किया। आप इस बात को देख रहे हैं कि अपने आप भारत सरकार कोई फैसला कर ले हम इस बीच में पड़े नहीं। आखिर उद्योग किसका है? उद्योग राजस्थान में लगा हुआ है। राजस्थान सरकार के 76 लाख रुपये के शेयर्स हैं, एक दो पैसे के नहीं हैं। इलेक्ट्रिसिटी और माइन्स की लगभग 3।। करोड़ रुपये, मैं थोड़ा गलत हो सकता हूं, 3।। से 5 करोड़ की बकाया है। यदि अवार्ड स्वीकार कर लिया, 11 या 10।। करोड़ रुपये का अवार्ड है, तो अपने बैंक की और दूसरी जो देनदारियां हैं उन देनदारियों में कटौती कर दी जायेगी और राजस्थान को अपने 5।। करोड़ रुपये की जगह 2।। या 2। करोड़ रुपया मिलेगा और बाकी का जो अमाउंट मिलेगा वह सैकण्ड कैटेगरी में मिलेगा। सैकण्ड कैटेगरी में, मेरी याददाश्त के अनुसार, 1। करोड़ रुपया रखा है बाकी कोई भी पैसा मिलने वाला नहीं है। तो, मैं समझता हूं, जो पैसा हमें दे रहे हैं वह हमारा अपना ही पैसा है। यदि आप इसको ले लेते हैं तो आखिर दिक्कत कहां होती है? मैंने अखबारों में पढ़ा था और मैं सही मानता हूं कि जयपुर उद्योग में प्राफिट था। इस मशीनरी से प्राफिट हुआ है। हमारे अधिकारी उसको प्राफिट में लाये हैं सी. सी. आई. नहीं लाई। उपाध्यक्ष महोदय, आपकी जानकारी के लिये बता दूं, माननीय वित्त मन्त्री जी को जानकारी होगी हिन्दुस्तान में सी. सी. आई. ने जितने

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

उद्योग चलाये सब घाटे में चलाये हैं, सब बैठे हैं। सी. सी. आई. का एक भी उद्योग ऐसा नहीं है जो हिन्दुस्तान के अन्दर प्राफिट दे रहा हो। एक उद्योग ऐसा नहीं है जो प्राफिट में चल रहा हो। जिस उद्योग के अन्दर जितना उत्पादन होना चाहिये, जिस कैपेसिटी की मशीनरी है जिस कैपेसिटी का प्लांट है उस कैपेसिटी से कहीं उत्पादन होता हो। सी. सी आई. हाथ उठा रही है कि हम लेना नहीं चाहते। राजस्थान सरकार कहती है तुम्हें लेना पड़ेगा। भारत सरकार सी. सी. आई. को कहती है तुम लो, वह लेने को तैयार नहीं है। राजस्थान सरकार कहती है दिल्ली के लोग जो फैसला करें वह फैसला हमें मन्जूर है। मैं आपको एक ही बात कहता हूं, राजस्थान का कोई भी मुख्य मन्त्री दिल्ली के फैसले के बल पर चलेगा तो राजस्थान का कोई लाभ नहीं होगा, कोई भला नहीं होगा। दिल्ली आपके साथ दया करने वाली नहीं है। राजस्थान का भला वही मुख्य मन्त्री कर सकता है जो दिल्ली से संघर्ष करे, दिल्ली से संघर्ष करके अगर इस मामले में राजस्थान के हितों की रक्षा कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते तो आपकी मर्जी की बात है। माननीय प्रद्युम्नसिंह जी, एक बात कह गये, मैं समझता हूं, वे थोड़ी जानकारी कर लें और गम्भीरता का परिचय दें। मैंने कोई बात कह दी तो मजाक में नहीं लें। मैं अपनी आत्मा से और दिल से चाहता हूं जयपुर उद्योग को राजस्थान सरकार ले। मैं दिल से चाहता हूं कि 60 करोड़ रुपये की पूंजी राजस्थान के हाथ से नहीं निकले। मैं दिल से चाहता हूं कि एशिया का सबसे बड़ा उद्योग राजस्थान की सरकार चलाकर संसार को बता दे कि सरकार जो उद्योग चलाती है उसमें भी फायदा हो सकता है, उसमें फायदा उत्पादन क्षमता के आधार पर हो सकता है। हमें हमारे अधिकारियों पर विश्वास है उनकी क्षमता पर विश्वास है, उनकी ईमानदारी पर विश्वास है। बड़ाया साहब ने उस फैक्ट्री की हालत सुधारी है, और बड़ाया साहब को यदि जयपुर उद्योग के काम पर लगाया जाता है तो, उपाध्यक्ष महोदय, यह कहा जा सकता है कि निश्चिंत रूप से लाभ होगा। रिहेबिलिटेशन के लिये जितनी पूंजी की आवश्यकता हो वह किसी फाइनेंशियल इन्स्टीट्यूशन से लें, लेकिन माननीय मन्त्री महोदय जवाब क्या देते हैं कि आप उस समय मुख्य मन्त्री थे–जुलाई 79 के अन्दर, जिस समय बिल पेश हुआ, उस समय यह क्यों नहीं हुआ। माननीय मन्त्री जी, आपकी जानकारी के लिये कहना चाहता हूं, आपके रिकार्ड में लैटर आया कि नहीं यह मुझे नहीं मालूम लेकिन मेरे पास मोरारजी भाई की चिट्ठी है, जिसमें मोरारजी भाई ने सिद्धांतः इस बात को स्वीकार किया था कि राजस्थान गवर्नमेंट इसको टेक-ओवर करना चाहती है तो हमें आपत्ति नहीं होगी, मुझे यह और कहा कि इस सम्बन्ध में आप केन्द्रीय उद्योग मन्त्री जी से मिलें। उद्योग मन्त्री जी, जो कई दिनों तक इसको नहीं चाहते थे, का कहना था कि सीमेन्ट कॉर्पोरेशन को दिया जाय, आपको लेना है तो क्यों नहीं आप कॉर्पोरेशन से लें। मैंने कहा, यह डबल ट्रान्जेक्शन हम नहीं करना चाहते हैं, देना हो तो स्ट्रेट-वे में राजस्थान गवर्नमेंट को दे दो तब बिल पेश हुआ और बिल पेश

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

होने के बाद में मुझे कहा गया कि राजस्थान से लोक सभा के सदस्यों से इसमें संशोधन पेश कराया जाय और उस संशोधन को स्वीकार किया जाय।

माननीय प्रद्युम्न सिंह जी, आपने ये बातें जबानी ऑफिसर्स से सुनलीं और यहां कह दीं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक प्रश्न उठाया था जिसका इन्होंने जवाब नहीं दिया। जो गृह राज्य मन्त्रीजी हैं वे बता दें कि इस उद्योग के खिलाफ कितने कॉग्नीजेबल ऑफेन्स पेण्डिंग पड़े हैं, और उन पेंडिंग केसेज में क्या हुआ? और अब आप कहते हैं कि मैं पूंजीपतियों का पक्ष नहीं लेता।

उपाध्यक्ष महोदय, सारे मामले ऐसे हैं जिनमें इस उद्योग के मालिक इन्वॉल्व हैं। आज यदि कोई प्रोसीक्यूशन होगा तो भैरोंसिंह का नहीं होगा, माननीय प्रद्युम्न सिंहजी का नहीं होगा, न ही किसी लेबर का प्रोसीक्यूशन होगा। उन मामलों में यदि प्रोसीक्यूशन होगा तो उन सेठों का होगा, जिनका इस उद्योग पर कब्जा है। आप उन फाइलों को दबा **कर सांप की तरह कुण्डली मार** कर बैठे हैं। क्यों नहीं निकालते हैं उन फाइलों को? आप छोटे-छोटे मामलों में महादेवजी की गिरफ्तारी करवा सकते हैं लेकिन, मुख्य मन्त्रीजी और राज्य मन्त्री जी, आप इन मालिकों की, उन पूंजीपतियों और करोड़पतियों की गिरफ्तारी नहीं करवा सकते हैं? आप खेतड़ी के मजिस्ट्रेट को बेगुनाह गिरफ्तार करवा सकते हैं, राजस्थान के और बेगुनाह लोगों को आप गिरफ्तार करवा सकते हैं लेकिन जिन लोगों ने राजस्थान का पैसा खा लिया, लूट लिया, उनमें जिनके खिलाफ कानूनी केस बने हुए हैं, उनके बारे में हमारी सरकार मौन बैठी है, फाइल दबा कर बैठी है। क्यों बैठे हैं फाइल दबा कर? क्यों नहीं उनके खिलाफ चालान करते है? क्यों नहीं एक्शन लिया जाता है?

मैं कहना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि पूंजीपतियों से तो मिले हुए हैं। मिले हुए हैं वह तो समझ में आ गया लेकिन पूंजीपतियों के साथ और गरीबों के साथ कानून की दृष्टि से आप जो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे है वह तो कम से कम मत करिये। आज एक छोटा आदमी, गरीब आदमी फोर्जरी कर लें तो, उपाध्यक्ष महोदय, चालान हो जाय; कहीं मार पिटाई का मामला हो तो चालान हो जाय, यदि कोई छोटा व्यापारी सामान कम दे दें तो चालान हो जाय, कम तोल दे तो चालान हो जाय। मैं पूछना चाहता हूं, यह अशोक जैन और आलोक जैन इन्होंने कौनसा ऐसा अपराध नहीं किया जिसके लिये राजस्थान में केस रजिस्टर्ड नहीं हों और राजस्थान के मुख्य मन्त्रीजी उसका चालान नहीं करावें? मैं प्रमाण के आधार पर, उपध्यक्ष महोदय, कहना चाहता हूं, मुख्य मन्त्री जी उन दोनों को बचा रहे हैं। किस कारण से? राजस्थान के हित के कारण नहीं, यह राजस्थान के हित में नहीं है कि वे बचें, राजस्थान के हित में नहीं है कि उनका प्रॉसीक्यूशन न हो। फिर मैं यह नहीं समझता कि यह हित और क्या हो सकता है। मैं यह बात सदन के माननीय

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सदस्यों पर छोड़ता हूं, वे अनुमान लगायें कि इस मामले में प्रोसीक्यूशन किस आधार पर नहीं हो रहा है, इसका कारण क्या है। मैं कहना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय कि इस फैक्ट्री को लेने के सम्बन्ध में, खैर, आपके और मेरे मतभेद हो सकते हैं। आप 25 करोड़ रुपये के साधन नहीं जुटा सकते हैं, यह भी मैं मानता हूं कि इस समय राजस्थान वित्तीय संकट से गुजर रहा है। वित्त मन्त्री जी रोज वित्तीय संकट की बात करते हैं और यह भी आशंका है कि उस वित्तीय संकट में पैसे मिलें या नहीं मिलें। अगर हमारी साख इतनी ही गिर गई हो कि कोई बैंक हमें उधार नहीं दे, कोई फाइनेंशियल इन्स्टीट्यूशन उधार न दे तो फिर कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि भारत सरकार इसको टेक-ओवर करे। कैसे चन्दनमलजी कहते हैं कि जब से मैं वित्त मन्त्री बना हूं, मैंने साख बनाई है। आपने साख बनाई है, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस बनी हुई साख का प्रमाण तो तभी मिलेगा जब इतने बड़े उद्योग को चलाने के लिये....

(व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद (शिक्षा मन्त्री) : मैंने ये शब्द कभी काम में नहीं लिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया।

(व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : मेरा तो निवेदन है मेरे मुंह से निकले जो शब्द यहां रख रहे हैं वह सही नहीं हैं। उसमें साख का बात नहीं है....

(व्यवधान)

लेकिन जो आप कह रहे हैं, वह सही नहीं है। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि जो बात मैंने कही है उसको ही कहें; जो बात नहीं कही है उसको न कहें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने चन्दनमलजी की कोई बुराई नहीं की, न मैंने सरकार की कोई बुराई की है। मैंने तो इतना सा कहा है कि चन्दन मलजी जब से आये हैं तो राजस्थान की वित्तीय स्थिति उन्होंने सुधारी है और इससे वे नाराज होते हैं तो मैं माफी चाहता हूं।

श्री चन्दनमल बैद : साख बनाने और सुधारने में फर्क है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, तारीफ करूं तो मुश्किल है बुराई करूं तो मुश्किल है अब आप ही बताइये क्या करूं।

श्री चन्दनमल बैद : आप सही बात कहिये, झूंठ मत कहिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने तो यह कहा है वित्तीय स्थिति सुधारी है। नहीं सुधारी है तो आगे बात करेंगे। लेकिन मैं जो बात पूछना चाहता हूं, क्यों नहीं मुख्य मन्त्री जी जबाब देते हैं, प्रद्युम्न सिंहजी से जवाब दिलाना चाहते हैं तो मैं यह मानकर चलता हूं कि

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

आप इस मामले में सीरियस नहीं हैं, क्योंकि राज्य मन्त्रीजी कभी इन चीजों में सीरियस नहीं रहे हैं और न हो सकते हैं, वे मेरे मित्र हैं, मित्र होते हुए भी मैं कहता हूं कि वे इन चीजों को सीरियसली नहीं लेते। जैसे, आज सुबह आगूचा वाले मामले में नॉन-सीरियस वे थे उन्होंने कोशिश इस बात की की कि जनता पार्टी को पेश कर दिया जाय। अगर आपकी जगह दूसरा समझदार मन्त्री होता तो कोशिश इस बात की करता कि विधान सभा की डिबेट का लाभ उठाकर भारत सरकार को कहता कि आगूचा माइन्स को जोइन्ट सैक्टर में लिया जाय और 500 करोड़ रुपये की पूंजी, जो हिन्दुस्तान जिन्क ले गया, राजस्थान को मिले। आपकी जगह कोई समझदार आदमी होता तो निश्चित रूप से यह कहता। मैं समझता हूं, माननीय मुख्य मन्त्री....

(व्यवधान)

को भी भरोसा और विश्वास नहीं है....

(व्यवधान)

श्री शिवचरण माथुर : भरोसे वाली कोई बात नहीं है। गंभीरता से वे उत्तर दे रहे हैं, यह नहीं कि बात को टाल रहे हैं....

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : भरोसा तो आपको तब पता लगेगा जब जवाब देंगे और आपको भी ले डूबेंगे। मैं आपसे निवेदन कर रहा था केवल इतना सा कि कोई छोटी मोटी फैक्ट्री का मामला हो और कोई एक लाख पचास हजार का मामला हो तो समझ में आ सकता है। मेजर क्वेश्चन है कि जयपुर उद्योग को हम अपने कब्जे में लेना चाहते हैं क्या? जयपुर उद्योग ने हमारे पैसे खाये हैं, जनता के पैसे खाये हैं, फोर्जरी की है, चारसौ बीसी की है सब कुछ किया, तो उस सब के लिये उसको दण्डित करना चाहते हैं या नहीं। मैं, मुख्य मन्त्री जी, आपसे केवल यही आग्रह करना चाहता हूं कि यदि जयपुर उद्योग के मालिकों को दण्डित नहीं करना चाहते हैं तो फिर छोटे-छोटे व्यापारियों, छोटे-छोटे दुकानदारों को दण्डित करने की तथा छोटे किसानों के ऊपर चालान करने की आवश्यकता नहीं है; शुरूआत करनी है तो वहां से करिये। कानून सबको एक निगाह से देखता है, कानून में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो सकता है। लेकिन आपने कानून में भेदभाव किया है। तो अन्त में मैं मुख्य मन्त्रीजी से तीन बात पूछना चाहता हूं क्या इन्होंने, सी. बी. आई को फैक्ट्री को दिया इस सम्बन्ध में कुछ कहा है? एक बात। दूसरी बात, मैं जानना चाहता हूं, इन मशीनों को रिहेबिलिटेट करने के लिये 25 करोड़ की आवश्यकता की बात करते हैं तो क्या कभी उसका असेसमेंट कराया कि 25 करोड़ की आवश्यकता है? कभी किसी से असेसमेंट कराया? असेसमेंट कराया तो क्या किसी फाइनेंशियल इन्स्टीट्यूशन से बात की है कि वे राजस्थान सरकार को 25 करोड़ रुपये फैक्ट्री की मशीनों के

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

रिहेबिलिटेशन के लिये देने को तैयार हैं या नहीं ? दो प्रश्न। तीसरा क्वेश्चन मैं यह पूछना चाहता हूं, राजस्थान में फैक्ट्री मालिकों, मुनीमों और जिन्होंने भी हिसाब-किताब में घोटाले किये हैं या जिन लोगों ने फैक्ट्री का रुपया सिस्टर-कन्सर्न में लगा कर इस फैक्ट्री को घाटे में पहुंचाया है उन लोगों के खिलाफ पुलिस में केस रजिस्टर हुए हैं ? मेरे विचार गलत हो सकते हैं, सही नहीं। यह मुख्य मन्त्रीजी बतायें कि कितने सही हैं, और सही हैं तो उन लोगों के चालान करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। इन तीनों प्रश्नों का उत्तर देंगे तो ठीक होगा। बाकी यह समझें कि जनता पार्टी ने यह किया और यह नहीं किया, तो यह ठीक नहीं है जो करना था उसका वह समय तो गया। अब तो समय आपका है, आप कुछ करके बता देंगे तो हम यह समझेंगे कि हमने जो गलती की थी उस गलती को मुख्य मन्त्रीजी ने सुधार कर राजस्थान के हित में अच्छा काम किया। इतना ही मैं कहना चाहता हूं इससे ज्यादा कुछ नहीं।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : माननीय राज्य मन्त्रीजी ने अपने वक्तव्य में एक बात कही इस पर मुझे नीति सम्बन्धी राजस्थान प्रदेश सम्बन्धी नीति के संबंध में कुछ शंका उत्पन्न हुई। उन्होंने कहा, राष्ट्रीयकरण की नीति में इस उद्योग को लेने की बात नहीं है और इस पर हम नहीं सोचेंगे, केन्द्र सोचगा, सी. सी. आई. सोचेगी। मैं जानना चाहता हूं as a matter of poricy कि क्या राजस्थान सरकार कोई भी उद्योग हो, उसकी कैसी भी स्थिति हो, या कितनी ही उद्योग को बढ़ाने की सम्भावना हो, क्या उनकी नीति का एक अंग बन गया है कि राष्ट्रीयकरण के नाम से घबराते हैं और कुछ नहीं करना चाहते हैं ? अगर इस केस में ऐसा कुछ नहीं है तो फिर और कौनसे हालात उत्पन्न हो गये, यह स्वयं राजस्थान सरकार सोचे या किसी नीति से निर्धारण कर दिया कि हम तो नहीं ही करेंगे। सीमेन्ट के क्षेत्र में आप जा नहीं सकते, सी. सी. आई. करेगी। क्या जो शिड्यूल है कान्स्टीट्यूशन का वह बदल गया है ? यह तो एक नीति की बात है, बिलकुल स्पष्ट रूप से कहें। दूसरी बात बड़ी गंभीर है कि जब पुलिस में केस पूंजीपतियों के खिलाफ रजिस्टर्ड हैं तो आप कोई कार्यवाही क्यों नहीं कर रहे हैं ? मैं कहता हूं अगर आप बिना उत्तर दिये यह चाहते हैं कि कितना असेसमेंट हुआ, कितना रिहेबिलिटेशन के लिये चाहिये, तो मुझे अफसोस है कि मैं इसका पूरा अध्ययन नहीं कर सका। लेकिन मुझे मालूम होता है कि इस केस में बहुत बड़ी चीज इन्वॉल्व है। आपने पॉलिसी का सवाल उठाया है। क्या आपकी पॉलिसी यह हो गयी है कि किसी उद्योग का किसी भी हालत में भी राष्ट्रीयकरण नहीं करेंगे, नहीं लेंगे और देंगे भी, तो केन्द्रीय सरकार को देंगे ? क्या आपकी नीति यह है ?

श्री उपाध्यक्ष : प्रभारी मन्त्री उत्तर देंगे।

श्री प्रद्युम्नसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, केज के सम्बन्ध में विपक्ष के माननीय नेता महोदय ने जो कहा, उसमें मुझे जो

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

पोजीशन बतायी गयी है वह यह है कि जूरिस्डिक्शन के पॉइन्ट के ऊपर वह केसेज दिल्ली पुलिस में रजिस्टर हो गये हैं और पुलिस कमिश्नर को हम बराबर लिख रहे हैं यह जानकारी मुझे अभी दी है। मुझे इससे पहले जानकारी नहीं थी, मैं इसको स्वीकार करता हूं कि उनके खिलाफ केस रजिस्टर हैं या नहीं। आप 77 में आये और आपकी सरकार ने ही ढाई साल, 28 महीने, इन्वेस्टीगेशन में ले लिये। यह आपकी जानकारी में बाद में आया....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या जवाब दे रहे हैं ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं जवाब ठीक दे रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप डेट बता दीजिए, उससे पता लगेगा कि ढाई साल में क्या किया।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैंने आपसे निवेदन किया....

श्री राजबहादुर : उपाध्यक्ष महोदय, क्षमा करेंगे, अभी आपने कहा, जूरिस्डिक्शन के बेसिस पर दिल्ली में रजिस्टर हुए हैं। ऑफेन्स कहीं और हुआ घटना कहीं और घटी दिल्ली में कैसे पहुंच गये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, वह राज में बाद में बताऊंगा कि दिल्ली में केस क्यों रजिस्टर हुए।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप यह बता दीजिए कि भारत ओवरसीज का हैड ऑफिस कहां पर था।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मुझे इससे पहले जानकारी नहीं थी कि केसेज रजिस्टर हैं या नहीं। जयपुर उद्योग के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, मैं स्वीकार करता हूं इसको। हर केस की जानकारी राजस्थान के अन्दर हो, यह मेरे लिए सम्भव नहीं मैंने अभी जो जानकारी प्राप्त की, उसके बारे में मैं सदन को सूचित कर रहा हूं। अगर उत्तर नहीं दिया जा रहा है सदन के अन्दर, इस मुद्दे के ऊपर....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी, यह बड़ा सीरियस मामला है। अगर कोई केसेज रजिस्टर हुए हैं तो उनको आगे बढ़ाया जाना चाहिए।

श्री प्रद्युम्नसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर इतना ही कह सकता हूं आपके ऑब्जर्वेशन के बाद कि यह मामूली केसेज नहीं हैं और सरकार इसको बहुत गम्भीरता से ले रही हैं। मैं जानकारी प्राप्त करूंगा। सरकार किसी किस्म का किसी पूंजीपति को प्रोटेक्शन देने का इरादा नहीं रखती। अगर उन्होंने दोष किया है तो निश्चित रूप से जो कर्म किया है उसकी उनको सजा भुगतनी पड़ेगी, यह मैं विश्वास दिलाकर चल सकता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, हमारा प्रोटेक्शन देने का कोई इरादा नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक मिनट के लिए। मैं उनके हित में ही बोल रहा

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

हूं । उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि जिस समय ये केस रजिस्टर किये गये थे, मेरे ऊपर भी इस बात का दवाव आया था कि राजस्थान से इन केसेज को दिल्ली में ट्रान्सफर कर दिया जाय जिससे दिल्ली में वह मालिक मैनुपुलेट कर सकें और इन केसेज में फाइनल रिपोर्ट लग जाय । मैंने कहा, किसी भी हालत में राजस्थान की पुलिस इन्वेस्टीगेशन करेगी; कोई क्वेश्चन खड़ा नहीं हो सकता जिसमें ट्रान्सफर होकर केस दिल्ली में चले जायें । मुझे इस बात की खुशी है कि मालिक एक बात में जीत गये कि राजस्थान की पुलिस केसेज लेकर दिल्ली चली गयी जहां वे जिस ढंग से चाहें मैनुपुलेट कर लें ।

श्री राजबहादुर : यह तो जूरिस्डिक्शन का सवाल है । जब क्राइम यहां हुआ है, फैक्ट्री यहां है, आफेन्स यहां हुआ है, सब चीज यहां है तो यहां से अगर इनको दिल्ली भेजा जाता है तो इसका एक ही मतलब होगा और इस सरकार पर आरोप लगेगा कि निश्चित रूप से संरक्षण दिया जा रहा है, प्रोटेक्शन दिया जा रहा । क्योंकि न आप कुछ एक्शन लेने को तैयार हैं, न कोई एक्शन ले रहे हैं और उनको खुले रूप से प्रोटेक्शन क्यों मिल रहा है, यह भी....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह केसेज राजस्थान सरकार की सहमति से गये हैं, राजस्थान सरकार ने स्वयं ट्रान्सफर कराये यह मुद्दा भी बहुत महत्वपूर्ण है ।

श्री उपाध्यक्ष : यह केसेज ट्रान्सफर हो ही नहीं सकते । जहां हुआ है कॉज आफ एक्शन, वही केस दर्ज होगा ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: हंस रहे हैं आपकी सीरियस बात पर ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैंने आपसे कहा कि मुझे इस बारे में पूरी जानकारी नहीं है । इस बारे में मुद्दे की जो बात है वह यह है कि हमारा किसी को प्रोटेक्शन देने का इरादा नहीं है । एपेरेन्टली आपने यहां जो सवाल पूछा, वह इण्डस्ट्री से संबंधित था, आपने क्रिमनल केसेज के बारे में पूछा जिसकी पूरी जानकारी मुझे नहीं है, न मेरे विभाग के जो अधिकारी हैं....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बड़ा सीरियस मैटर है । राजस्थान की सरकार पूंजीपतियों के हाथों में खेल रही है, पूंजीपतियों को संरक्षण दे रही है । मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप माननीय मन्त्रीजी को निर्देश दें कि वे तैयार होकर आयें उस समय तक इस बिल पर विचार को पोस्टपोन किया जाय ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, पोस्टपोन करने की कोई आवश्यकता नहीं है । उपाध्यक्ष महोदय, आपने पूछा कि क्रिमनल केसेज रजिस्टर हैं, उनका क्या हुआ ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उनमें करोड़ों रुपये का पैसा डूबा हुआ है, छोटे-छोटे व्यापारियों का, राजस्थान का ।

श्री उपाध्यक्ष : जयपुर उद्योग का बिल नहीं है ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जयपुर उद्योग का ही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह जयपुर उद्योग और उदयपुर मैटल्स दोनों का ही है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में छोटे-छोटे व्यापारियों ने लाखों रुपये सिक्योरिटी के जमा कराये थे, सीमेण्ट के एरियर्स के जमा कराये थे, वह सारे रुपये खा गये, जो मजदूर काम करते थे, उनकी मजदूरी के रुपये खा गये। उन सबमें करोड़ों रुपये राजस्थान के डूबे हुए हैं। उनका क्या होगा? राजस्थान सरकार उन रुपयों को....

श्री प्रद्युम्नसिंह : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हजम कराना चाहती है। × × × यहां पर सरकार काम कर रही है। उपाध्यक्ष महोदय, विचार करेंगे इस बात पर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह आपकी तरह नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपकी तरह नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, बोल्ड डिसीजन लेना जानते हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री भैरोंसिह शेखावत : पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री उपाध्यक्ष : पाइन्ट आफ आर्डर क्या है?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने जो जो ऑब्जर्वेशन दिये, उसमें से पॉइन्ट ऑफ आर्डर निकल आया। पाइन्ट आफ आर्डर यह निकल गया सदन की परम्परा रही है कि स्पीकर के, चेयर के आब्जर्वेशन को सीरियसली लिया जाय। यह बात तो आप भी चाहेंगे चेयर से जो भी आब्जर्वेशन दिये जायं, वह यह सदन सीरियसली ले, ऐसी आपकी भी मन्शा है। नहीं है? उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए निवेदन कर रहा था, आपने एक ऑब्जर्वेशन दिया कि माननीय सदस्य, यह जो केसेज रजिस्टर हुए हैं, वह ट्रान्सफर नहीं हो सकते। आपने कहा, मुझे जानकारी नहीं कि किन सर्कम्स्टान्सेज में यह ट्रान्सफर हुए, किसमें नहीं हुए। उन्होंने एक वर्ड यूज किया कि जूरिस्डिक्शन की स्टेज के ऊपर यह केस दिल्ली में रजिस्टर हुए। जिन शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया है, मैं यह चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, यह मामला बहुत सीरियस है, इसको सीरियसली लिया जाय। बिल चाहे आज पास न हो, कल पास हो जाय, कोई आपत्ति नहीं। माननीय मन्त्री महोदय इसके बारे में पूरी जानकारी सदन को दें और सदन को कॉन्फीडेंस में लेकर इस बिल को पास करायें तो ज्यादा अच्छा होगा। इसकी गारण्टी मैं लेता हूं, यदि जवाब में आपने इन केसेज की पूरी स्थिति बता दी और आपकी नीयत साफ हुई कि हम पर दबाव नहीं आया था और केसेज वहीं रजिस्टर हो गये, एक क्वेश्चन सीधा सा है, इससे पहले राजस्थान सरकार

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

से किसी भी स्टेज पर, किसी भी स्तर पर, मुख्य मंत्री, उद्योग मंत्री या गृह मन्त्री ने इनका रेफरेन्स दिया था कि इनको हम दिल्ली में रजिस्टर कराना चाहते हैं या सब इन्सपेक्टर ने बाला-बाला केसेज दिल्ली में रजिस्टर करवा दिये ? दिल्ली में केस रजिस्टर करवाये तो कम्प्लेनेन्ट कौन है ? अब यह कुछ ऐसी बातें हैं, उपाध्यक्ष महोदय, जिनका जवाब आना चाहिए और, मैं समझता हूं, यदि उनकी नीयत साफ है तो इस पर आज उत्तर न देकर कल फाइल देख लें। उन्होंने कह भी दिया कि मैं तो इसको देखकर ही बताऊंगा। मैं नहीं भी नहीं कह सकता, कोई सवाल खड़ा ही जायेगा। वह जानकारी वह कर के नहीं आये तो उनके साथ मेरी सहानुभूति है। लेकिन मेरी सहानुभूति और बढ़ जायेगी यदि वह पूरे फैक्ट्स को सदन के अन्दर प्रस्तुत करेंगे तो उनका भी वर्चस्व बढ़ेगा, राजस्थान सरकार की प्रतिष्ठा बढ़ेगी और, मैं समझता हूं, जिन लोगों ने गलत काम किया है उन दोषियों को दण्ड देने की प्रक्रिया भी हम पूरी कर पायेंगे। इस आधार पर, उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो मानें या नहीं मानें, आपका ऑब्जर्वेशन जब भी होता है उस पर वे हंसते हैं, इससे मुझे अंदाज लगता है, आपके ऑब्जर्वेशन के प्रति ज्यादा सीरियस, सिन्सियर नहीं हैं। इसलिए मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं। आप इसको चाहे पोस्टपोन कर दें, कल वह जवाब दे देंगे। यदि आपका ऑब्जर्वेशन हो जायेगा तो वह मान जायेंगे।

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं एक ही जवाब देना चाहता हूं....

श्री राजबहादुर : मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूं कि दो साल से....

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्ष के नेता महोदय ने जो बात कही मैं उससे कतई सहमत नहीं हूं। उन्होंने कह दिया कि जो आप बात कहते हैं तो मैं हंसता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही अदब के साथ कहना चाहता हूं कि आसन के प्रति मेरा पूरा सम्मान है, आदर है, आपके प्रति भी है। उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के बारे में जो प्रश्न माननीय विरोधी पक्ष के नेता महोदय ने पूछा है उससे इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। यह बिल मूलतः मजदूरों के हितों को ध्यान में रख कर लाया गया है ...

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ....जयपुर उद्योग के मजदूरों का पैसा है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, उनका बयान पूरा हो जाने दीजिए फिर बाद में कहिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, हम यह कहते हैं कि प्रोविडेंट फण्ड का पैसा किसका है ? प्रोविडेंट फण्ड का पैसा मजदूरों का है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : I am not defending them. मैं उनको डिफेंड करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप डिफेंड कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य,... प्रभारी मंत्री महोदय बयान दे रहे हैं, उनको सुनने के बाद में :....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के मंत्री पूंजीपतियों के सामने षाष्ठांग प्रणाम करके घुटने टेक दें, मैं इस सदन में, इस प्रकार का दृश्य नहीं देखना चाहता । हम कहते हैं कि कम से कम वचाओ तो इस राजस्थान को....

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, ये मंत्री लोग अशोक जैन और आलोक जैन के सामने घुटने टेक दें और आपके सामने घुटने टेक रहे हैं, अफसोस इस बात का है ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : जी हां । उपाध्यक्ष महोदय....

श्री राजबहादुर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह प्रश्न पूछना चाहता हूं....

श्री प्रद्युम्नसिंह : अशोक जैन और आलोक जैन के सामने घुटने टेकने की बात कहते हैं, हम काहे के लिए टेकेंगे ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उनसे पैसे खा रहे हैं, मजदूरों के प्रोविडेंट फण्ड का पैसा खा रहे हैं, उनके हितों का ख्याल नहीं कर रहे हैं ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, अपनी जो कमियां रह गई हैं उनको छुपाने के लिए offence is the best defence. उनको पूछें कि उन्होंने उस समय पैसे नहीं खाए थे ? ढाई साल तक इन्वेस्टीगेशन नहीं कराया इन चीजों का । उस समय सो रहे थे ? क्या कर रहे थे उस समय ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह मेरी ही हिम्मत थी । उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरी हिम्मत थी कि जयपुर उद्योग पर कब्जा कर लिया । एक सीमेंट के थैले में दबने वाले मेरे से क्या बात करेंगे । आप जवाब दीजिए ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, 28 महीनों में इन्होंने इन्वेंस्टीगेशन कम्पलीट नहीं कराया ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने तो फैक्ट्री पर कब्जा कर लिया । आपकी कांग्रेस हुकमत् ने जो तीस वर्षों में नहीं किया वह मैंने 28 महीनों में कर लिया ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जिन तथ्यों के बारे में कहा है, मैं जानकारी कर लूंगा । सरकार की कतई मंशा नहीं है किसी को प्रोटेक्शन देने की, न प्रोटेक्ट करने की है । इस बारे में कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कॉल अटेंशन दें, एडजोर्नमेंट मोशन दें यदि स्टेटमेंट चाहते हैं तो जो

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

प्रासन की व्यवस्था होगी उसके माध्यम से पूरी सूचना उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप इस तरह से इस बिल को स्वीकार नहीं करा सकते । जब आपसे सूचना चाही गई तो आप सूचना नहीं दे सकते ।....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज । Let him say.

श्री घनश्याय तिवाड़ी : सुबह विद्युत मंत्री जी से....

श्री उपाध्यक्ष : Please sit down.

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, यह दुकानदारों की सरकार है, राजनीतिज्ञों की सरकार नहीं है । राजस्थान की तीन करोड़ जनता को दुकानदारों से बचाओ । उपाध्यक्ष महोदय, ये सेठ और दुकानदार, आज राजस्थान की पूंजी को जो लोग खा गए उनको बचा कर राजस्थान का शोषण कर रहे हैं ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह आरोप असत्य है, निराधार है ।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह तो इसी बात से प्रमाणित है कि इन मजदूरों के प्रोविडेंट फण्ड के केसेज में आप कोई विचार नहीं करना चाहते । यह आरोप इस बात से प्रमाणित है कि वे मजदूरों का पैसा खा गए और आप इस पैसे के बारे में कुछ नहीं करना चाहते ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य.... आर्डर प्लीज........माननीय सदस्य ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह आरोप अपने आप प्रमाणित है ।

श्री उपाध्यक्ष : Let him finish. उनको पहले कहने दीजिए, फिर आप कहियेगा ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री राजबहादुर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक स्पेसिफिक प्रश्न पूछना चाहता हूं । मेरा प्रश्न यह है कि चाहे ढाई साल लगे हों या दो साल लगे हों, मुझे यह बताया जावे कि यह कैसे हुआ, यह घटना यहां घटी, जूरिस्डिक्शन यहां पर था तो कोई भी कार्यवाही राजस्थान सरकार के किसी भी कर्मचारी की ओर से किसी भी अधिकारी की ओर से इन अपराधों की छानबीन के लिए इन्वेस्टीगेशन के लिए तो की होगी कुछ तो किया होगा इन दो वर्षों में ?

श्री उपाध्यक्ष : ये कह रहे हैं कि मैं जानकारी कर लूंगा ।

श्री राजबहादुर : मेरा प्रश्न तो दूसरा है। मेरा प्रश्न यह है कि राजस्थान सरकार की ओर से इन अपराधों के बारे में कोई भी कार्यवाही, एनी एक्शन अगर नहीं हुआ तो प्रोटेक्शन था, वह बचाने की बात थी। तीन साल में कोई भी कार्यवाही क्यों नहीं हुई ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पूर्व में आपसे निवेदन किया कि किसी अन्य माध्यम से मुझसे यह प्रश्न किया जा सकता है और उसी के माध्यम से मैं उत्तर दूंगा। इस वक्त इस तरह की मेरे पास कोई ऐसी जानकारी नहीं है। यह तो बिलकुल इन्नोसेंट बिल था जिसके माध्यम से मियाद पांच वर्ष से दस वर्ष करने की, अमेंडमेंट लाने की बात है।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इसका मतलब है कि पांच साल तक और प्रोविडेंट फण्ड का पैसा नहीं दिया जाएगा, पांच सालों में मजदूरों को बोनस नहीं दिया जाएगा, पांच सालों में मजदूरों को इसी आधार पर चुकाया जाएगा। सवाल यह है....

(अनुपस्थित)

श्री प्रद्युम्नसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न दूसरे माध्यम से पूछें। इस प्रश्न का इस बिल से कोई रिलेशन नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : रिलेशन कैसे नहीं है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : आप केवल यह चाहते हैं कि सरकार को बिना सूचना के आधार पर बिल को डैफर करना पड़े, इस बात के लिए मनमानी करवा कर रुकवाना चाहते हैं, इस बिल को डैफर करवाना चाहते हैं। मैं इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप, उपाध्यक्ष महोदय, कर सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय के अधिकार को आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं। यह उनके अधिकार की बात है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर) : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज, माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, मैं अलाऊ नहीं करूंगा, यह मेरी व्यवस्था है।

श्री दाऊदयाल जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, यही तो पीड़ित हैं....

(व्यवधान)

श्री हंसराज शर्मा : मैं आरोप लगाता हूं कि इसमें लाखों रुपये खा गए....

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री हंसराज शर्मा : × × ×

× × × माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : आसन पैरों पर है और आप बोले जा रहे हैं। नहीं लिखा जाएगा आप की बात को।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : सीमेंट उद्योग वाले सेठ की गाड़ी चुनाव में रही है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप शांति से उनका बयान सुनें।

श्री प्रद्युम्नसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्ष के नेता महोदय ने जो मुद्दे उठाये हैं उनका मैं पूर्व में उत्तर दे चुका था। अतः मैं इस सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस बिल को पारित करने की कृपा करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, On a point of order. उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल मनी बिल है और मनी बिल के नाते इसमें कोई स्टेटमेंट दिया हुआ नहीं है। मनी बिल होने के नाते जब तक स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेण्डीचर नहीं होगा तब तक यह बिल पास नहीं हो सकता है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह मनी बिल नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बताओ कि यह मनी बिल कैसे नहीं है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह मनी बिल नहीं है। खाली आपके कह देने से कि यह बिल मनी बिल नहीं हो जायेगा ? It is not the money bill.

श्री उपाध्यक्ष : मनी बिल नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कैसे नहीं है ?

श्री चन्दनमल बैद : व्यवस्था दे दी। व्यवस्था दे दी। अब व्यवस्था को चैलेंज कर रहे हैं....

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान सहायता उपक्रम (विशेष उपबन्ध) (संशोधन) विधेयक, 1981 को पारित किया जावे।

(ध्वनि मतदान)

अनेक माननीय सदस्य : Noes have it.

अनेक माननीय सदस्य : Ayes have it.

श्री उपाध्यक्ष : मैं दुबारा पूछ लेता हूं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आज चार बिल है।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे मालूम है।

प्रश्न यह है कि राजस्थान सहायता उपक्रम (विशेष उपबन्ध) (संशोधन) विधेयक, 1981 को पारित किया जावे ?

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

राजस्थान सहायता उपक्रम (विशेष उपबन्ध) (संशोधन) विधेयक, 1981 पारित किया गया।

व्यवस्था का प्रश्न

राजस्थान लोक मांग वसूली (संशोधन) विधेयक, 1981 के अन्त में मूल खण्ड का अभाव

श्री उपाध्यक्ष : श्री चन्दनमल बैद, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान लोक मांग वसूली (संशोधन) विधेयक, 1981 को विचारार्थ लिया जावे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : On a point of order. यह राजस्थान पब्लिक डिमाण्ड रिकवरी (अमेंडमेंट) बिल, 1981 जो आपने विचारार्थ प्रस्तुत किया है, एक कमी है। उपाध्यक्ष महोदय, जो भी बिल यहां पर पेश किया जाता है यदि उसके मूल सैक्शन्स में कोई सैक्शन इन्सर्ट करते हैं या एड करते हैं तो उन सैक्शन का मूल पाठ दिया जाता है। यह मूल पाठ इस विधेयक के अन्त में नहीं दिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : आप रिलीफ अण्डरटेकिंग पढ़ रहे हैं ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जी हां।

श्री उपाध्यक्ष : That matter is over.

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह पब्लिक डिमाण्ड रिकवरी बिल है उसके अन्तर्गत जो धारा 2 है उसमें इन्सर्ट किया है। लेकिन इसका मूल पाठ इसमें दिया हुआ नहीं है। इसलिये जब तक इसकी भावना का पता नहीं हो तब तक हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। यह बिल अधूरा है और जब तक यह इसमें नहीं जोड़ा जावे तब तक विचार नहीं किया जा सकता।

श्री उपाध्यक्ष : Objection over ruled.

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कैसे ओवर रूल्ड, साहब ?

विधेयक पर विचार

राजस्थान लोक मांग वसूली (संशोधन) विधेयक, 1981

श्री चंदनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान लोक मांग वसूली (संशोधन) विधेयक, 1981 को विचारार्थ लिया जाये।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष : विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव करेंगी, डा. उजला अरोड़ा, घनश्याम तिवाड़ी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : मैं डाक्टर नहीं हूं, साहब।

श्री चंदनमल बैद : मान लिया, साहब, चाहे होम्योपैथ हों।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप भी तो वैद्य हैं।

श्री उपाध्यक्ष : वह वैद्य नहीं हैं, वैद हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान लोक मांग वसूली (संशोधन) विधेयक, 1981 जो हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है, इसमें दो तीन मुख्य बातें ऐसी हैं जो शंकास्पद हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि इन बातों की जानकारी के लिए राजस्थान लोक मांग वसूली (संशोधन) विधेयक, 1981 को एक माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये।

इसमें पहली बात तो यह है कि जैसे सरकारी कम्पनियां है. कुछ ऐसी कम्पनियां हैं जिनमें 50 प्रतिशत सरकार के शेयर हों या ऐसे संस्थान जिनमें राज्य सरकार का कोई हित निहित हो उनमें वसूली करने के लिए सिविल न्यायालय, दीवानी न्यायालय हैं, अगर उनकी कोई मांग, कांट्रैक्ट, संविदा है, उन्हें कोई रुपया वसूल करना है उसके लिये दीवानी न्यायालयों की प्रक्रिया में न पड़ना पड़े और गवर्नमेंट दूसरे तरीके से सीधी वसूली कर सके इसलिये संशोधन विधेयक लाया गया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, इसमें दो तीन शंकाओं की संभावना है। एक इसमें लिखा है—"किसी लोक उपक्रम से किये गये किसी करार के अधीन या अनुसरण में और किसी लेख या पत्राचार द्वारा या अन्यथा साक्षित किसी ऋण या अग्रिम के पुनर्संदाय में, या उपक्रम के द्वारा या उसकी ओर से की गई किन्हीं सेवाओं या किये गये किन्हीं प्रदायों के बदले में, अथवा किसी लोक उपक्रम के किसी कर्मचारी द्वारा हानि, दुर्विनियोग, गबन या न्यास भंग के परिणाम स्वरूप संदेय हो।" उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह करना है, मान लीजिये, कोई ऐसी कंपनी है जिसमें 50 प्रतिशत शेयर सरकार के हों और किसी दूसरे व्यक्ति से या संस्था से कॉन्ट्रैक्ट किया गया हो, और इस कांट्रैक्ट में सरकारी शेयर प्राप्त कम्पनी का दोष हो, उस दोष के बावजूद सरकारी शेयर प्राप्त कम्पनी उससे वसूली करना चाहे रुपया तो न्यायालय की शरण नहीं, न्यायालय के नोटिस की जरूरत नहीं, सीधा का सीधा लोक मांग के रूप में वसूली करने का अधिकार प्राप्त कर लेगी। उसके द्वारा, उस व्यक्ति को संविधान के द्वारा, कानून के द्वारा संरक्षण प्रदान किया हुआ है उसको हानि पहुंचेगी और इस कारण उनको रुपया वसूल करने का डायरेक्ट अधिकार मिल जायेगा। एक तरीके से जिस प्रकार से सहकारी बैंकों में और राजस्व की वसूली होती है उस तरह से वसूली करने का, संपत्ति को कुर्क करने का अधिकार मिल जायेगा जो किसी भी प्रकार से, कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से सही नहीं है। दूसरे, संविधान का उल्लंघन तो है ही, क्योंकि दीवानी प्रक्रिया निश्चित की हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, तीसरा यह निवेदन करता हूं, मान लीजिए कि कोई काम करने वाला कर्मचारी काम कर रहा हो और काम करते करते किसी मैकेनिकल डिफेक्ट से किसी मशीन का नुकसान हो जाता है लेकिन मैनेजमेंट यह समझता है या बदला निकालने के लिए कम्पनी से इस कर्मचारी के द्वारा जानबूझ कर तोड़फोड़ की गई, यह मान करके उस कर्मचारी से रुपया वसूल करना चाहे, इस सम्बन्ध में नं० 3 पर जो इन्सर्ट किया गया है उस हिसाब से

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

उस कर्मचारी को कहीं भी संरक्षण प्राप्त नहीं है, और इस संरक्षण के अभाव में उस व्यक्ति का कोई जानने वाला नहीं है। सारी की सारी वसूली, क्योंकि न्यास भंग हो गया और न्यास भंग होने के बाद किसी व्यक्ति पर बकाया हो और कानून नहीं हो तो वह व्यक्ति प्रमाणित कर सकता है कि बकाया नहीं है, लेकिन इस विधेयक के पारित करने के पश्चात उस व्यक्ति के सभी अधिकार समाप्त हो जाते हैं। और, जैसा सरकार चाहेगी, वसूली करना, उसके साथ बदला निकालना चाहेगी, अपनी मान्यता प्राप्त विधियों के द्वारा, मान्यता प्राप्त कानूनों के द्वारा, मान्यता प्राप्त दीवानी न्यायालयों की प्रक्रिया के द्वारा इस प्रकार का काम न करके डायरेक्ट वसूली करेगी, उससे बहुत बड़ा खतरा हो जायेगा। व्यक्ति को जो राइट्स मिले हुए हैं उनका इसमें हनन होता है। उपाध्यक्ष महोदय, एक निवेदन और करना है वह यह है कि देश में दो प्रकार के कानून व्यापार करने वाली संस्थाओं के नहीं होने चाहिये। सरकार अगर वसूली करती है, सरकारी बकाया की, सरकारी डिपार्टमेंट की, वह तो ठीक है, लेकिन सरकार जब व्यापार करती है, बिजनेस करती है तो फिर वहां बराबर आकर क्यों नहीं खड़ी होती है? सरकार यही अधिकार प्राइवेट कम्पनियों को नहीं देना चाहती। उनमें भी वित्तीय संस्थाओं से धन लिया हुआ है। और, उपाध्यक्ष महोदय, सारा दायरा इतना विशाल किया गया है कि राज्य सरकार के जिसमें भी वित्तीय हित निहित हो, राज्य सरकार के वित्तीय हित आज राजस्थान निगम में हैं, राजस्थान सरकार का अधिकार आज अन्य वित्तीय संस्थाओं में है, गोडरेज में है, अन्य बहुत सी संस्थायें है जिनमें राज्य सरकार का हित निहित है, वहां राज्य सरकार इस प्रकार से वसूली करेगी तो आर्थिक अराजकता उत्पन्न होने का खतरा होगा। एक ओर वित्तीय अधिकारों का हनन होगा, उपाध्यक्ष महोदय क्योंकि दूसरे भी काम करते हैं, करोड़ों का बिजनेस करते हैं, उनके भी कांट्रैक्ट होते हैं, उनके भी कर्मचारी काम करते हैं, उनका रुपया भी डूबता है, वहां भी बैंक का, प्राइवेट फण्ड्स का और अन्य रुपया है वे भी कोर्ट में जाकर, कोर्ट के द्वारा डिक्री कराकर रुपया वसूल करते हैं। तो, या तो राज्य सरकार को चाहिए कि व्यापार में न आये और अगर व्यापार करती है तो ठीक उसी प्रकार से आना चाहिये जिस प्रकार से प्राइवेट फर्म, व्यक्ति आते हैं। इस प्रकार यह भेद-भाव मूलक कानून है, अतः मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस कानून से, इस संशोधन के द्वारा इस प्रकार का बहुत बड़ा अधिकार सरकारी संस्थाओं को देने का प्रावधान किया जा रहा है, यह बहुत गलत काम है। इसलिये इस संशोधन विधेयक को जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाय ताकि लोगों का पता लग सके, लोग उस पर अपनी राय प्रस्तुत कर सकें और उसके बाद अपना फैसला कर सकें। माननीय वित्त मंत्री जी से मैं चाहूंगा कि जो 2-3 शंकायें मैंने प्रस्तुत की हैं उनका स्पष्टीकरण करने की कोशिश करें। क्या इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा नहीं हो सकती हैं?

श्री उपाध्यक्ष : श्री देवीसिंह भाटी।

(श्री उपाध्यक्ष)

(अनुपस्थित)

Any other honourable member ?

प्रभारी मंत्री जवाब देंगे ।

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, जो बिल मैंने विचारार्थ पेश करने की आपसे अनुमति मांगी है उसके बारे में सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने 2-3 शंकाएं प्रस्तुत की हैं। उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा। पहली शंका यह कि किसी भी कम्पनी, जिसमें सरकार का हित निहित बारे में कि कम्पनी जब भी चाहेगी, जिससे पैसा वसूल करना चाहेगी' पब्लिक डिमाण्ड्स रिकवरी एक्ट का सहारा लेगी, ऐसी बात उपाध्यक्ष महोदय; नहीं है। इसमें साफ लिखा हुआ है, ऐसी कम्पनी, जिसमें 50 प्रतिशत से ज्यादा राज्य सरकार की पूंजी हिस्सा हो उसको ही अधिकार होगा, बाकी जितनी कम्पनियां है, जिनमें राज्य सरकार का हित निहित होगा उसके लिए नोटिफिकेशन निकाल कर, अधिसूचना जारी करनी पड़ेगी कि इन कम्पनियों को हम इस बात के लिये अधिकृत करते हैं। जब तक उनको अधिकृत नहीं करेंगे उनको पब्लिक डिमाण्ड्स रिकवरी एक्ट के अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। दूसरी बात निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि पब्लिक डिमाण्ड रिकवरी की वसूली कोई कंपनी अपने आप नहीं कर सकती। उसको कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी के सामने मांग पेश करनी पड़ती है। उसके बाद कलेक्टर उसको नोटिस देता है जिससे कि वसूली करना चाहते हैं। उनको सरसरी तोर पर सुनने के बाद अधिकार देता है कि आपका अधिकार वाजिब है और इस चीज को कर सकते हैं। तीसरा मेरा निवेदन यह है कि —

"under or in pursuance of a written instrument; or"

लिखित में हो, एविडेन्स हो, कारस्पोंडेंस, लिखा-पढ़ी में हो, मतलब पूरी तरह से कोई ऐसी मांग हो कि जिसका सबूत हो उसी की वसूली करने के अधिकार मिल रहे हैं। केवल मनमाने ढंग से करने की बात नहीं है। अगली बात निवेदन करना चाहता हूं, वह यह है कि जो मेन एक्ट है उसमें भी यही वडिंग्स हैं जो हमने यहां क्वोट किये हैं। वह यह है—

"under or in pursuance of an agreement with the public undertaking and evidenced by a writing, a correspondence or otherwise......"

तीसरे क्लॉज का सब क्लॉज (2) और सब क्लॉज (3)–है उसमें वही वडिंग हैं जो मैन एक्ट में है। इसमें कोई नया अधिकार नहीं ले रहे हैं। हम तो इतने ही अधिकार ले रहे हैं कि सरकारी विभागों को जो पी, डी. आर. एक्ट के नीचे वसूली करने के अधिकार हैं वे इन सरकारी संस्थानों को भी हो जायें जिनमें 50 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा पूंजी सरकार की हो। उपाध्यक्ष महोदय; अभी इस बात की बड़ी ताईद की जा रही थी कि आप पूंजीपतियों की हिमायत कर रहे हैं, सरकार की नहीं कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो सरकार

(श्री चंदनमल बैद)

की हिमायत के लिये बिल लाया हूं। अब आपको क्या हो गया ? अब आप कहते हैं कि प्राइवेट इन्डस्ट्री को और पब्लिक इंडस्ट्री को एक ताकड़ी में रख दीजिये, आप बराबर रखिये। जो सरकारी संस्थान हैं उनको कुछ ऊंचे दर्जे में रख दिया जाए, जो प्राइवेट लोग हैं वे दीवानी अदालतों में जायें और जो सरकारी संस्थान हैं उनको पी. डी. आर. एक्ट के तहत वसूली करने के अधिकार दिये जाएं, तो मैं समझता हूं कि अच्छा काम कर रहे हैं कोई बुरी बात नहीं कर रहे हैं।

यह बिल शुरू शुरू में जनता पार्टी ने पेश किया था। वह इस बिल को पास नहीं करा सकी। यह हो सकता है कि उसकी मंशा नहीं हो। 78 में यह बिल पेश किया गया था और वह पास नहीं कराना चाहती थी, केवल आंसू पोंछने के लिए ही वह यह बिल लायी थी। इसके बाद चार साल के बाद में इसको जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये, यह उचित नहीं है क्योंकि यह गजट में बराबर छपता रहा है, 78 में छपा है, 80 में छपा है और फिर 82 में छपा है। चार साल तक यह जनमत के लिए प्रचारित होता रहा है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह बिल पारित किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि लोक मांग वसूली (संशोधन) विधेयक, 1981 को जनमत जानने हेतु परिचालित करने संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया है।

प्रश्न यह है कि राजस्थान लोक मांग वसूली (संशोधन) विधेयक, 1981 को विचारार्थ लिया जाये ?

(अस्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

विधेयक का पारण

श्री चन्दनमल बैद।

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान लोक मांग वसूली (संशोधन) विधेयक, 1981 को पारित किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : Any hon'ble member may like to speak ?

No one ?

प्रश्न यह है कि राजस्थान लोक मांग वसूली (संशोधन) विधेयक, 1981 को पारित किया जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

राजस्थान कार्निया उपरोपण विधेयक, 1982

श्री छोगालालकंवरिया, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी एक आपत्ति है। यह राजस्थान कार्निया उपरोपण विधेयक है, इस बिल का आप प्रस्ताव कर रहे हैं। यह कार्निया जो शब्द है यह कौनसी भाषा का है? आंग्ल भाषा का है? संस्कृत भाषा का है? कार्निया की डेफिनेशन क्या है?

श्री उपाध्यक्ष : यह कोर्निया है।

श्री दाऊदयाल जोशी : यह उपरोपण क्या है फिर?

श्री उपाध्यक्ष : आंख की बीमारी है।

श्री दाऊदयाल जोशी : यह तो मैं भी जानता हूं। मैं चिकित्सक हूं।

श्री उपाध्यक्ष : Please sit down. He will explain.

श्री छोगालाल कंवरिया (चिकित्सा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, कोर्निया आंख का वह हिस्सा है, हमारी आंख में जो काला-काला मोटा सर्किल है उसके ऊपर सोफिस्टिकेटेड पतला लैंस होता है, उसको हम कोर्निया कहते हैं। यह कोर्निया इंगलिश का शब्द है और इसको एडॉप्ट किया है कार्निया बना कर हिन्दी में। इसका तर्जुमा आप जानना चाहते हैं, यह आंख के ऊपर लैंस है, ट्रान्सपेरेण्ट है जिससे आदमी को दीखता है। यह आंख के ऊपर एक झिल्ली होती है जिसको लेन्स कह दीजिए या झिल्ली कह दीजिए, इसकी मेडिकल टर्म है, कोर्निया।

श्री दाऊदयाल जोशी : उपाध्यक्ष महोदय ....

श्री उपाध्यक्ष : It is not a school class. Please sit down.

श्री दाऊदयाल जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना यह है कि इसमें दो भाषाएं आ गई हैं, एक हिन्दी की और दूसरी अंग्रेजी की।

श्री उपाध्यक्ष : हिन्दी में कोई शब्द हो तो आप बता दीजिये।

श्री दाऊदयाल जोशी : वह बता रहा हूं। यह डाक्टर रघुवीरा की डिक्शनरी है, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी इसको देख लेते तो अच्छा होता। इसमें कार्निया शब्द का प्रयोग किया है पेज 418 पर जिसमें टैक्निकल शब्दों का वर्णन है जिसमें लिखा है कार्निया मीन्स ट्रान्सपेरेन्ट अर्थात स्वच्छा। उपरोपण लिखते हैं तो यह शब्द लिखिये। एक तरफ आपने अंग्रेजी शब्द 'कार्निया' का प्रयोग किया है और उसके साथ हिन्दी के शब्द 'उपरोपण' का प्रयोग कर रहे हैं। यह हमारी भाषा का अपमान है। यह हिन्दी भाषा का अपमान है। इसकी हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा अवहेलना की जा रही है। मेरा निवेदन है कि कार्निया की जगह इसको स्वच्छा लिखा जाये। यही मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय, आप विचार कर लें, अगर हिन्दी में इसका तर्जुमा है तो आप उसको एडॉप्ट कर लें। आप बैठिये, माननीय सदस्य।

श्री छोगालाल कंवरिया : मैंने इसको नोट कर लिया है। मै इसका जवाब दे दूंगा।

श्री दाऊदयाल जोशी : यहां कानिया हटेगाऔर इसमें स्वच्छा आयेगा। यह नोट किया है न आपने। नहीं तो यह दुर्भाग्य है राजस्थान का। यह हिन्दी का अपमान है। राष्ट्र भाषा का अपमान है।

श्री उपाध्यक्ष : आपने चश्मा नहीं लगाया है।

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं विना चश्मे के भी देखता हूं। दोनों तरह से काम लेता हूं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, अंग्रेजी के कई शब्दों को हिन्दी में एडॉप्ट किया गया है, जैसे रेल।

श्री उपाध्यक्ष : यह हिन्दी की महानता है।

श्री दाऊदयाल जोशी : जहां शब्द नहीं मिले वहां पर उपयोग किये गये हैं। परन्तु यह देश का सौभाग्य है कि उसे डाक्टर रघुवीरा जैसा व्यक्ति मिला है जिसने हिन्दी के करोड़ों शब्द लिखे हैं। मैं आपको पेज बता रहा हूं। आपके विभाग ने इसको नहीं देखा है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जाइये।

श्री दाऊदयाल जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, अगर कानून विभाग हिन्दी की अवहेलना करेगा तो यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी। कानून विभाग को निश्चित रूप से डा. रघुवीरा की डिक्शनरी को देखना चाहिए जिसने कोनिया का हिन्दी शब्द लिखा है।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है तो आप इसको अपना लीजिये।

श्री छोगालाल कंवरिया : यह मेडिकल टर्म है कोनिया की। आप जो दूसरा शब्द कह रहे हैं वह नहीं है। अंग्रेजी का शब्द हमने हिन्दी में एडाप्ट कर लिया है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, अंग्रेजी का हिन्दी में कहीं तर्जुमा है तो आप उसको एडाप्ट कर लीजिए वरना नहीं।

(व्यवधान)

I will not allow.

श्री छोगालाल कंवरिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान कानिया उपरोपण विधेयक, 1982 को विचारार्थ लिया जाये।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष : डा० उजला अरोड़ा।

(अनुपस्थित)

श्री घनश्याम तिवाड़ी।

(अनुपस्थित)

श्री देवीसिंह भाटी।

(अनुपस्थित)

अब आप बोलना चाहें तो बोलें।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस बिल के ध्येय का सवाल है यह बहुत अच्छा है। वास्तव में आंख का दान सबसे बड़ा दान है। आंख की बीमारी से जो पीड़ित हैं राजस्थान में, उनको नेत्र दान मिले, नये नेत्र प्राप्त हों' जहां तक इस बात का सवाल है इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मेरा निवेदन करना यह है कि इस बिल के तहत आप जो अधिकार लेने जा रहे हैं, राज्य सरकार द्वारा रजिस्टर्ड चिकित्सा विशेषज्ञ के रूप में अधिसूचित नेत्र विशेषज्ञ जिसमें सम्मिलित हैं, यानि, आंख निकालने का यह बिल है। पुतली, जिसका दुवारा प्रत्यारोपण किया जायेगा, वह काम में ली जाएगी, यह बिल इस बात के लिए आया है। मेरा निवेदन करना यह है कि राजस्थान का नाम ही नहीं सारे हिन्दुस्तान का नाम बदनाम किया है इस मेडिकल विभाग ने। यह वह चिकित्सक हैं जिनको आप अधिकार देने जा रहे हैं जो मेडिकल विभाग में है, इनके यहां के जो चिकित्सक हैं जिन्होंने आंखे फोड़ी हैं, उनको भी आप अधिकार देने जा रहे हैं।

आंखे फोड़ी हैं उस काण्ड का जिक्र हम अलग से करने जा रहे हैं ....

श्री उपाध्यक्ष : वह अलग मामला है।

श्री दाऊ दयाल जोशी : अलग इसलिए नहीं है क्योंकि इस बिल के द्वारा उन लोगों को भी आप अधिकार देने जा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष :

श्री दाऊ दयाल जोशी : ऐसा ही हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : वैसे आपकी मर्जी है, लेकिन यह बिल तो ठीक ही आ रहा है, मानव के भले के लिए ही है।

श्री दाऊ दयाल जोशी : जैसा निवेदन कर रहा हूं कि रजिस्टर्ड चिकित्सा विशेषज्ञ, जो अधिकृत नेत्र विशेषज्ञ बनाने जा रहे हैं, उनको भी इसमें सम्मिलित किया गया है। जिन लोगों ने आंखें फोड़ी हैं, ऐसे दो व्यक्तियों को राज्य सरकार द्वारा आर. एम. पी. की डिग्री देकर नेत्र विशेषज्ञ घोषित किया है, तब तो उन्होंने आंखें फोड़ दी और अब यह अधिकार और देने जा रहे हैं। मेरा निवेदन करना यह है कि राजस्थान में दो बिल और आने वाले थे, मंत्री महोदय, वे कहां गये ? आप हो बिल क्यों नहीं ला रहे हैं ? आपने आज से चार दिन पहले ही घोषणा की है कि आप अब वे बिल नहीं ला रहे हैं।

Page No 112

(112)

(श्री दाऊदयाल जोशी)

उन्होंने घोषणा की है कि अगले सत्र में बिल लायेंगे । मेरा निवेदन करना यह है, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, आप उस बिल को लाते और इस बिल को नहीं लाते तो कोई बड़ी बात नहीं हो जाती, 6 महीने में कोई पहाड़ नहीं टूट जाता। राजस्थान भर में लोगों की आंखें फोड़ी जा रही हैं। आज भी राजस्थान भर में अयोग्य लोगों द्वारा राजस्थान मे तीन लाख रुपया इकट्ठा किया गया है । उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना यह है कि राजस्थान भरमें अयोग्य लोगों ने प्रमाण पत्र छपवायें हैं और सारे एम. एल. ए. के पास भेजे हैं जो यहां पर बैठे हैं । यह राजस्थान का दुर्भाग्य है कि राजस्थान में आंख-फोड़ो काण्ड हुआ फिर भी हमारे गांवों में इनका नाम लेकर व्यक्ति डाक्टर बन रहा है, फलां लाल, फलां लाल यह प्रमाणपत्र ले रहा है कि 20 साल से प्रेक्टिस कर रहे हैं, यह बड़े कुशल चिकित्सक हैं, इसलिये इनको अधिकार दिया जाये । प्रतिलिपि स्वास्थय मंत्री, प्रतिलिपि मुख्यमंत्री, प्रतिलिपि स्वास्थय सचिव, यह तीन प्रतियों में दिया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : मेरा नाम नहीं है ।

श्री दाऊ दयाल जोशी : आपका भी है, आपके पास भी आये होंगे। मेरा निवेदन यह है तीन प्रतियों में आया है मेरे पास, पढ़े-लिखे आदमी के पास एक पंसारी आया, जो कि लोगों को गोली को पीसकर इंजेक्शन लगा देता है। मुझसे सर्टिफिकेट लेने आया था । मैंने कहा, भाई, यह क्या कर रहे हो ? उसने कहा कि आप चिंता मत करें, 300 रुपये दिये हैं मेडिकल प्रेक्टिस के लिये । मैं आर. एम. पी. राजस्थान का हूं, 300 रुपया मैंने मेरी जयपुर की संस्था को दिया है । जयपुर वाले सारे राजस्थान भर से तीन लाख रुपये इकट्ठे कर रहे हैं और यह तीन लाख रुपया उसकी जेब में जायेगा जो कि हमारा रजिस्ट्रेशन करेगा । आप तो दस्तखत कर दें । मैंने कहा कि कल तो तू पंसारी था और आज डाक्टर बन गया, मजदूरों की बस्ती में दुकान लगा दी और डाक्टर बन गया । उसने कहा कि मेरे पास दो हजार वोट हैं । मैंने कहा कि मुझे वोटों की चिन्ता नहीं है, लोगों के मरने की चिन्ता है। अभी आंख फोड़ो काण्ड हुआ, मंत्री महोदय उसको भूल गये । उस बिल का क्या हुआ ? चार दिन पहले घोषणा की है कि अगले सत्र में वह आयेगा । मैं कहता हूं कि वह अगले सत्र में भी नहीं आयेगा । उस शारीर बिल का क्या हुआ ? आज भी हमारे मेडिकल कालेज चिल्ला-चिल्ला कर कह रहे है कि हमारे बच्चों को डैड बाडी नहीं मिल रही है और वे शव छेदन के बिना अयोग्य रहकर कालेजों से निकाले जा रहे हैं । उसको प्राप्त करने की कोई बात नहीं है, उसकी आपको चिंता नहीं है । आंख फोड़ो काण्ड के बाद राजस्थान भर के अन्दर ऐसे अयोग्य और बेईमान लोगों, राजस्थान का नाम कलंकित करने वाले लोगों जिन्होंने लोगों की जीवन ज्योति को छीन लिया है, जिन्होंने लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया, के खिलाफ तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिए थी, उनको जेलों में बन्द कर देना चाहिए था । ऐसा नहीं करके आपने 26 विशेषज्ञ राजस्थान

(श्री दाऊदयाल जोशी)

भर में बैठा रखे हैं जो कि डिस्पेंसरी में आंखें ठीक करते हैं। आज राजस्थान भर में साढ़े सात हजार प्राइवेट प्रेक्टिशनर्स हैं, उनमें बहुत से झूठ मूठ की डिग्री लेकर बैठे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, ऐसे लोगों से कोई प्राक्टिस नहीं करायेगा।

श्री दाऊ दयाल जोशी : जरूर करायेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यही तो निवेदन कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आंख फोड़ने वालों से नहीं करवायेगा।

श्री दाऊदयाल जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इस सरकार पर और इस सरकार के स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर सीधा-सीधा चार्ज है, आरोप है जिन लोगों ने तीन लाख रुपया इकट्ठा किया है, उन्होंने यह कहा है कि दाऊजी, हमारा तो रजिस्ट्रेशन होकर रहेगा, राजस्थान की सरकार तो क्या राजस्थान सरकार के ऊपर की सरकार भी आयेगी तो भी हमारा रजिस्ट्रेशन होने से वह रोक नहीं पायेगी। वह बिल तो कोने में गया ...

श्री उपाध्यक्ष : आप भी तो रजिस्टर्ड हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं तो आयुर्वेद में हूं। मैं आयुर्वेदाचार्य हूं इसलिए इस आधार पर अधिकृत हूं, इसलिए ही तो मेरी आत्मा दुखती है कि अयोग्य लोग, बिना पढ़े-लिखे लोग इस प्रकार से डिग्री लेकर राजस्थान की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और स्वास्थ्य मंत्री जी ऐसे किसी भी अयोग्य व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जा रही है, उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, बल्कि उनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे डर है, शायद तीन लाख रुपया रजिस्ट्रेशन करवाने के लिये इकट्ठा किया है, और जिसका कार्यालय घी वालों के रास्ते जयपुर में है उससे पैसा राजस्थान सरकार के किसी व्यक्ति के पास आ गया है और वह पैसा आने के कारण ही इस बिल को रोक दिया गया है।

दूसरा निवेदन यह है इसमें कहा गया है लावारिस लाश, और एक है, जो स्वेच्छा के अपनी आंख देना चाहे। अपनी इच्छा से दे तो वह तो ठीक है। यह जो प्रावधान है, उपाध्यक्ष महोदय, इसके अन्तर्गत जो प्राइवेट प्रेक्टिस करने वाले लोग हैं, जैसे डाक्टर सरदार सिंह हैं, वे बहुत अच्छे डाक्टर हैं, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन वे लावारिस लाश के साथ क्या कुछ नहीं करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : लावारिस लोग वहां जायेंगे ही नहीं।

श्री दाऊदयाल जोशी : लायेंगे और वे लाशें प्राप्त करेंगे। उसका कोर्निया लेकर, उसकी स्वेच्छा प्राप्त करके लोगों से अधिक पैसे लेंगे लावारिस लाशों की चोरी करेंगे। तो मेरा निवेदन यह है कि इस बिल में अनेक खामियां हैं और इस कानून में भी अनेक कमियां हैं। यह बिल

(श्री दाऊदयाल जोशी)

पिछले सत्र में भी आया था, इसके बावजूद भी इसका आद्योपान्त अध्ययन नहीं किया गया। सबसे बड़ी बात, जो कि मैंने शुरू में ही कही है, इसका नाम ही गलत लिखा गया है–आधा हिन्दी में है और आधा अंग्रेजी में है। वैसे मैं मानता हूं कि इसका उद्देश्य अच्छा है लेकिन इसमें अनेक कमियां हैं, इसलिये मेरा निवेदन है कि राजस्थान कानिया उपरोपण विधेयक, 1982 को एक माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : आप जवाब दीजिये।

श्री छोगा लाल कंवरिया (चिकित्सा मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य ने जो कुछ बातें कही हैं, बिल के बारे में बताया है उसका मैं सबसे पहले उत्तर देना चाहता हूं। आपने आंख-फोड़ो काण्ड का जिक्र किया, जो धौलपुर और भरतपुर में हुआ था। जहां तक इस मामले में विभाग का ताल्लुक है, जैसे ही हमको सूचना मिली तुरन्त ही उस जगह पर हमारे अधिकारी पहुंचे और उनके खिलाफ कार्यवाही की गयी।

श्री दाऊदयाल जोशी : अभी भी आपरेशन हो रहे हैं।

श्री छोगा लाल कंवरिया : जहां तक दूसरे डाक्टरों का ताल्लुक है अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आयी है। अभी तक मेरी जानकारी में तो ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आयी है। जब कभी भी इस प्रकार की रिपोर्ट आयी है कि जान-बूझकर किसी डाक्टर ने, आई-स्पेशलिस्ट ने लापरवाही करके इस तरह का अपराध किया है तो उसकी हमने जांच करायी है। जांच कराने पर दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाती है। वे व्यक्ति यू. पी. के थे, जिनके खिलाफ कार्यवाही की जा चुकी है। अभी आपने एक जिक्र और किया है। यहां पर ऐसे व्यक्तियों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है जिनके पास मेडिकल डिग्री नहीं है। आपने यह भी आरोप लगाया कि इस तरह से रुपया इकठ्ठा किया जा रहा है। तो मैं इस बात के लिए आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि विभाग की जानकारी में ऐसी कोइ बात नहीं है।

(व्यवधान)

प्राइवेट प्रेक्टिशनर्स के रजिस्ट्रेशन का पहले से ही प्रावधान था जिनका अनुभव के आधार पर रजिस्ट्रेशन किया जाता है, अब उनके लिये कानून बनाने के ऊपर विचार किया जा रहा है। तो यह भी विभाग देख रहा है कि इस प्रकार अगर किसी व्यक्ति को मेडिकल साइंस का पूरा ज्ञान नहीं है तो उसका रजिस्ट्रेशन नये रूप से नहीं करते हैं।

अब इस बिल के सम्बन्ध में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है। दुर्भाग्यवश हमारा देश हिन्दुस्तान दुनिया के अन्य देशों से जहां तक नेत्र रोग का सवाल है, सबसे ज्यादा नेत्र रोग से पीड़ित है। भारतवर्ष में राजस्थान ऐसा प्रदेश है जहां सबसे ज्यादा लोग नेत्र रोग से पीड़ित हैं। सबसे ज्यादा नेत्र रोगों से पीड़ित होने के कारण ही सारे हिन्दुस्तान में हमारी प्रधान मन्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी

(श्री छोगालाल कंवरिया)

ने बीस सूत्री कार्यक्रम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम रखा है। उस कार्यक्रम के अन्तर्गत, सूत्र नम्बर–14.......

(व्यवधान)

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, यह राजस्थान के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेण्ट होगा। आंखों की बीमारी भारतवर्ष के अन्दर राजस्थान में सबसे ज्यादा है। इस को दूर करने के लिए बिल बनाया जाना आवश्यक है। नेत्रों में दो, तीन या चार तरह के रोग होते हैं। पहला, कैटरेक्ट है जिससे बहुत ज्यादा पीड़ित होते हैं। लेकिन जो कार्निया लैंस है उससे भी कई पीड़ित हो जाते हैं। जब इस कार्निया में आपेक आ जाती है, ट्रान्सपेरेन्सी खतम हो जाती है तो अगर किसी मनुष्य का कार्निया ग्राफ्टिंग कर दिया जायें तो उससे उसको नेत्र ज्योति प्राप्त हो जाती है। यह एक बड़ा महत्वपूर्ण बिल है। जहां तक इसके महत्व और उपयोगिता का प्रश्न है माननीय सदस्यों ने भी इसकी प्रशंसा की है। इसके अन्दर जो प्रावधान रखे गये हैं वह इस प्रकार है कि जो लोग अपनी मृत्यु के समय लिखित में भेज देते हैं कि मेरे मरने के बाद मेरे नेत्र कार्निया दान दे दिये जायें, आई बैंक में रख दिये जायें, या लिखित में न देकर दो व्यक्तियों के सामने कह दें, वह भी मान लिया जाता है। लिखित में न दे, इस तरह की उनकी इच्छा हो तो बाद में मृत व्यक्ति के वारिस द्वारा भी दान दिया जा सकता है। लावारिस व्यक्ति के लिए भी है, जिसकी कस्टडी में लाश होती है, वह भी उपयुक्त समझे तो उसके द्वारा कार्निया दिया जा सकता है। इसे देने के लिए आई बैंक्स होते हैं, ऐसी संस्थाएं होंगी जो इसके लिए अधिकृत होंगी। ऐसे अधिकृत व्यक्ति या डाक्टर द्वारा वह नेत्रदान लिया जायेगा जो इसके लिए ट्रेण्ड होंगे। इस प्रकार इस बिल में किसी प्रकार की खामी नहीं है बल्कि जो अपनी नेत्र ज्योति खो देते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा गुण साबित होगा। मैं माननीय सदस्यों को यह निवेदन करना चाहता हूं यह बिल बड़ा महत्वपूर्ण है। आप सब जानते हैं कि शरीर के अन्दर आंख कितना महत्वपूर्ण अंग है, भगवान की अद्भुत देन है। यहां तक कि मोस्ट साफिस्टीकेटेड लेंस भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते। इस महत्वपूर्ण अंग आंख, जिसे चक्षु भी कह दीजिए और कई नाम हैं, को अगर बचाना है तो यह बिल सबसे ज्यादा महत्व का है। ऐसे व्यक्ति, जिनकी आंखें चली गयी हैं, कार्निया खराब हो गया है, के लिए यह बिल बहुत उपयोगी साबित होगा। कई लोगों को नेत्र ज्योति मिल जायेगी। यही मेरा निवेदन है इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि इसको विचारार्थ लिया जाये और....

श्री दाऊदयाल जोशी : दो प्रश्न करना चाहता हूं। एक तो माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : No question after discussion.

प्रश्न यह है कि राजस्थान कार्निया उपरोपण विधेयक, 1982 को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाये।

(अस्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

विधेयक जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया जाता है।

प्रश्न यह है कि राजस्थान कानिया उपरोपण विधेयक, 1982 को विचारार्थ लिया जाये।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

विधेयक का पारण

श्री छोगा लाल कंवरिया : प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि बिल पारित किया जाये।

श्री छोगालाल कंवरिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान कानिया उपरोपण विधेयक, 1982 को पारित किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शास्त्री जी।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय प्रभारी मंत्री जी ने जो अपने विचार रखे हैं उससे तो कोई भी पक्ष या विपक्ष को आपत्ति नहीं। किन्तु मेरे कहने का मतलब यह है कि जो चीज जिस में भी ली जाती है, जिसके लिए मांग करते हैं, आप तो यह जानते हैं कि किसी का भी कहीं मर्डर हो जाता है, कोई पानी में भी एक्सीडेण्ट हो जाता है या विदेश में मर जाता है तो एक परम्परा रही है कि हम इस लाश को देखें। वह तो जमाना गया। अब नया जमाना है। अगर कोई व्यक्ति अपनी जिन्दादिली से कह दे कि मेरे नेत्रों को मेरे मरने के समय मैं दान करना चाहता हूं तो दो गवाह हों वह चाहे उसके रिश्तेदार हों। विशेषकर आपने इस विवरण में उनके लिये नहीं लिखा है जो, :0 प्रतिशत एक्सीडेण्ट से मरते हैं। उनका पोस्ट मार्टम करते हैं, पूरा का पूरा मैटीरियल निकालकर गठरी बनाकर दे देते हैं बस ऊपर चमड़ी रहती है जिसका 5 किलो भी वजन नहीं होता है, ऐसे व्यक्ति के लिए इसमें कोई विवरण नहीं दिया गया है। नेत्र दान है, यह मामूली दान नहीं है। किसी घर का कोई व्यक्ति चाहे मां, बाप, पत्नी या स्वयं हो, नेत्र निकालने के बाद कुरूप हो जाता है। वह अपने जन्म में एक वसीयत लिखकर दे जाये। उसके साथ जो भी मैटीरियल मिलेगा उसकी सुरक्षा इस बैंक के द्वारा होगी। जो राजस्थान में हास्पिटल हैं, जयपुर में तो मेडिकल कालेज हैं मेडिकल कालेज के सिवाय कही भी देंगे तो वह नेत्रदान मिट्टी में जायेगा। क्योंकि व्यक्ति अपने पिता, मां, रिश्तेदार ...

(व्यवधान)

जो नेत्र दान देता है चाहे वह व्यक्ति आग में जाये चाहे उसको दफनाया जाये, क्रिश्चियन हो तो चाहे पेटी में बन्द करें, उसकी लाश तब तक सुरक्षित रहती है, जब तक उसके रिश्तेदार, जो कहीं बाहर गये हों, उसको देख नहीं लें। अलग अलग धर्मों की अलग अलग परम्परायें हैं। भारत धर्म निरपेक्षता में विश्वास

(भगवान दास शास्त्री)

रखता है। भारत सरकार की तरफ से इस पर कोई बंधन भी नहीं है। अपने भारत का यह सौभाग्य है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जहां मेडिकल औषधालय हैं, जहां मेडिकल कालेज हैं, वहीं नेत्रों की सुरक्षा हो सकती है। इसके प्रचार के लिये व्यवस्था कहां है? 5–10 मिनट के लिए जयपुरअजमेर से प्रचार हो, रेडियो कार्यक्रम में उसके लिए स्थान रहना चाहिए। जैसे ही व्यक्ति की आंख उपलब्ध हो, नेत्र रोगी आये और आधा घण्टे के अन्दर अपनी आंख ठीक कराकर चला जाये। जहां तक मुझे मेडिकल का ज्ञान है, डाक्टर लोग बताते हैं क्योंकि उनके सम्पर्क में आता रहता हूं वे कहते हैं कि जो अन्धे हैं यदि उनका ब्रेन बाक्स ही खतम है, नसें खतम हैं उनके एक आंख तो क्या दस आंखें लगाई जायें तो भी उनको होश नहीं आयेगा। माननीय मंत्री महोदय से मेरी करबद्ध प्रार्थना है जो चीज आप लगाना चाहते हैं उसकी घोषणा की आवश्यकता नहीं है, उन्हें मांगने वाले को चाहे आप टेलीग्राम दें, चाहे स्पेशल दूत भेजें, आप उसको जाकर कहें कि आधे घण्टे में आपको वहां पहुंचना है। दस-पन्द्रह किलोमीटर तक से वह पहुंच सकता हैपरन्तु पहुंचने के लिये जो सुविधा चाहिये उसके खर्चे के बारे में कोई विवरण नहीं दिया है। कम से कम यह भी मान लें तो मन्त्री महोदय दस करोड़ का फण्ड अलग से आपको रखना होगा बजट में, जिससे जो सूचना देने वाले हैं, उनको कुछ मिल सके। जैसे परिवार नियोजन में नस कटवाने के 50 रुपया देते हैं और लाने वाले को पचास रुपया देते हैं। यह जो रोग है, जो अन्धता का भारतवर्ष में रोग बढ़ रहा है उसका कारण विटामिन का अभाव है और उसके साथ-साथ ज्ञान का अभाव है। गांव के लोग धूप की परवाह नहीं करते, बीमारियों के अन्दर आंखों में मामूली दवा डालते हैं। विशेषकर, मैंने यहां तक देखा कि नकली डाक्टर के पास चले जाते हैं। नकली डाक्टरों पर थोड़ा नियन्त्रण रखिये ताकि नकली डाक्टरों से हम उनको बचा सकें। भारत के गांव, विशेषकर राजस्थान के गांव छोटे-छोटे हैं, नकली डाक्टर्स और प्रोवेशनर्स पहुंच जाते हैं। भागलपुर तो अलग रहा, राजस्थान में भागलपुर की कमी नहीं है। वे डाक्टर्स आंख फोड़ दें तो भी पता नहीं पड़ता और कोई कम्पलेन्ट करने वाला भी नहीं है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो अमूल्य वस्तु दान में मिल रही है उसका सदुपयोग करने के लिए आने वाले बजट में, माननीय वित्त मंत्री यहां उपस्थित हैं, विशेषकर दस करोड़ की सुविधा दें। ऐसा नहीं कि आप पहले बिल पास करवा लें और बिल आपकी तिजोरी में पड़ा रहे। उनको अगर सचमुच राहत देना चाहते हैं, जो नेत्र विहीन लोग हैं तो बजट में प्रावधान करें। छोटे-छोटे बच्चे हैं, जिनको दो दो फीट मिट्टी में गाड़ देते हैं, कुत्ते उनको खाकर बिखेर देते हैं, उनके लिए तो आपने ठीक किया लेकिन ज्यादातर जो अन्धे हैं विशेषकर छोटे बच्चे इसलिये हो जाते हैं कि कोई पत्थर मार दिया, गिल्ली मार दी, लाठी मार दी, बाई चान्स खेलते खेलते होली में रंग लग गया मेडिसन गैस फेंक दी या तेजाब दुश्मनी की वजह से तेजाब फेंक दिया।

(श्री भगवान दास शास्त्री)

मेरे कहने का मतलब यह है कि आंखों की सुरक्षा तभी होगी जब विशेष फण्ड का प्रावधान कर सकेंगे। इसके साथ ही साथ जो मेडिकल कालेज हैं उनके सिवाय नेत्रों को अन्यत्र न रखें। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : एक साथ ही जवाब दे दीजिये।

श्रीमती विद्या पाठक।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कानिया ग्राफ्टिंग बिल, जो माननीय मन्त्री महोदय ने पेश किया है, के विषय में मैं भी कहना चाहती हूं। यद्यपि इस बिल के अपोजीशन की कोई रेलेवेन्सी नहीं है और उसके लिए मैं खड़ी भी नहीं हुई हूं, लेकिन मुझे जो कुछ आशंकायें, शंकायें, और कमियां इसे देखने से प्रतीत होती हैं उनकी ओर सरकार का ध्यान दिलाना नितान्त आवश्यक है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी मन्त्री महोदय ने आंखों की बात की, वह उम्दा और बड़ी आवश्यक बात है। कहावत भी है कि Prevention is better than cure. पर मैं माननीय मन्त्री महोदय से कहना चाहती हूं कि आंखों के प्रोटेक्शन के लिए तो राज्य सरकार ने कोई कदम नहीं उठाये। और जो माल-न्यूट्रीशन की वजह से आंखें खराब होती हैं, खराब हाईजीन की वजह से आंखें खराब होती हैं, इनहैरेन्ट आंखों की बीमारी की वजह से आंखें खराब होती हैं, इन सबसे ज्यादा जरूरी चीजों की तरफ तो सरकार का ध्यान नहीं गया। सबसे ज्यादा अन्धे वर्ल्ड भर में कहीं हैं, आंखों की बीमारियां, जो खराब हैं, नुकसानदायी हैं नहीं हैं तो हिन्दुस्तान में हैं और हिन्दुस्तान में अगर कहीं हैं तो हिसाब से राजस्थान नम्बर एक पर आता है। यह बहुत बैकवर्ड स्टेट है। इन सारी चीजों की तरफ जब तक माननीय मन्त्री महोदय आप और आपके विभाग का ध्यान नहीं जायेगा, तब तक कानिया ग्राफ्टिंग से पार्ट आफ दी प्राब्लम भी साल्व नहीं हो पायेगी। फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि इस बिल की आवश्यकता नहीं है। इस बिल की आवश्यकता बहुत महसूस की जा रही है। अभी भरतपुर काण्ड की बात हो रही थी लेकिन मैं इस के बारे में डिटेल में नहीं कहना चाहूंगी। अभी आपने कहा कि जैसे ही पता लगा वैसे ही निषेधाज्ञा जारी कर दी, यह बात सही है, मन्त्री महोदय, पर आप यह भी रिकाल करेंगे कि इस तरह के काण्ड बीच-बीच में कई बार होते रहे हैं और हर बार विभाग निषेधाज्ञा जारी करता रहा है, मनाही करता रहा है, और आदेश निकालता रहा है उसके बावजूद रिपीटेडली एक के बाद एक कम से कम चार-पांच जगहों से इस तरह की रिपोर्ट आई। उन पर भी कोई इफैक्टिव कार्यवाही नहीं कर सके। कई बार इस तरह के चान्स आते हैं, एडहाक आदेश एक के बाद एक आपके यहां से जारी हो जाते हैं। ऐसा नहीं किया जाय। एक के बाद फिर रिपीट होता है तब उस बात की ओर विभाग का ध्यान जाता है। यह बहुत ही निन्दनीय और सोचनीय स्थिति है, इस पर विचार किया जाना चाहिये।

(3 37 म.प)

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत सभापति, पदासीन)

(श्रीमती विद्या पाठक)

दूसरा इसमें रेस्पान्सिबिलिटी का सवाल भी आता है कि यह जो कार्यवाही की गई, आप और आपकी सरकार उसकी जिम्मेदारी से कैसे बरी हो सकती है ? वे सारे काण्ड जो किये गये, विभाग के सहयोग से ये बातें आयोजित की गई, विभाग और राज्य सरकार का सहयोग उसमें रहा। इसलिये उतनी ही जिम्मेदारी विभाग की है। इसीलिए कहा जाता है कि इसकी जिम्मेदारी विभाग की है। बार-बार निशेधाज्ञा जारी करते रहे हैं, उसका कोई प्रभाव नहीं होता, यह स्वयं में ही हीनियस है, एक बहुत गलत कार्य है। माननीय मन्त्री महोदय जो यह बिल प्रोड्यूस कर रहे हैं मैं इसका विरोध नहीं कर रही हूं परन्तु यह बहुत ही सैन्सटिव इश्यू है। बहुत गम्भीरता से चिन्तन के बाद कार्यप्रणाली कैसी हो विशेष ध्यान इस पर देते हुए इसको काम में लेने में, इसको पास करने के बाद काम में लिए जाने में बहुत सतर्कता बरतनी पड़ेगी। यह बहुत सैन्सटिव टेण्डर इश्यू है जो हर एक की भावना को छूता है। आंख जैसे रत्न के लिए है जैसा अभी आपने कहा, इसलिए इस पर बहुत विचार करने की आवश्यकता है। पेज नंबर 2 पर, आपने बिल इण्ट्रोड्यूज किया, पार्ट 5 पर आपने एक शब्द स्पेसिफाई किया है–मेडिकल प्रेक्टिशनर। उसमें बहुत आशंकाएं हमारे दाऊदयालजी ने भी व्यक्त की हैं। इस तरह के मेडिकल प्रेक्टिशनर्स शहरों में तो ठीक है स्पेशलिस्ट होंगे मगर मेडिकल प्रेक्टिशनर्स किस तरह के होंगे इसको स्पेसिफाई नहीं किया गया है। केवल एक शब्द स्पेसिफाई किया है, प्रोबेशनर गांवों में रह रहे हैं जो इतने इनएफिशियेन्ट हैं कि आंखों के आपरेशन के नाम पर आंखें फोड़ सकते हैं वह किस प्रकार, प्रॉपर्ली कॉर्निया को निकाल पायेंगे, किस प्रकार से जो बहुत डेलिकेट ऑर्गन हैं उनको निकाल पायेंगे ? उनको अधिकार दे रहे हैं, इस बात पर विचार करें और इस बात को सतर्कतापूर्वक सोचें। आपने यहां यह भी स्पेसिफाई किया कि ट्रेनिंग दी जायेगी। लेकिन किस प्रकार की ट्रेनिंग होगी, कितने टाइम की होगी, और फिर क्या पैटर्न होगा, यह स्पेसिफाई नहीं हुआ है। हमारे यहां शहरी क्षेत्रों में तो ठीक है। जहां तक ग्रामीण क्षेत्र का सवाल है, वहां जोर जबर्दस्ती भी हो सकती है, डिक्लेरेशन लिख कर बनाते हैं, दो आदमियों का सबूत भी चाहिए। वरबल-विशेज का होगा तो इसमें भारी गड़बड़ होगी क्योंकि वरबल एविडेन्स के कोई मायने नहीं निकलते हैं कि किस प्रकार की इन्टेन्शन है, कैसी इन्टेन्शन है। विशेष तौर से ग्रामीण क्षेत्र में यह भी हो सकता है कि परिवार में दुश्मनी हो और बदला लेना चाहते हों। इस पर आप पुनः चिन्तन करें, ऐसी मेरी अपेक्षा है। एक प्राब्लेम होगी, अनक्लेम्ड बाडीज के बारे में। अन-क्लेम्ड बॉडीज उन इंस्टीट्यूशन की कस्टडी में मानी जायेगी जिसमें कि उस व्यक्ति की डैथ हुई। अब अन-क्लेम्ड बाडीज के बाद भी कई केस हो जाते हैं, आंखों के निकालने के बाद भी कमियां रह जाती हैं। फिर इसके लिए पुलिस केस होंगे। बहुत सी प्राब्लेम्स होंगी, लॉ-एण्ड-ऑर्डर की सिचुएशन होंगी, जन

(श्रीमती विद्या पाठक)

असन्तोष और विरोध होगा, इसके प्रति आप सावधान रहें। जैसा अभी एक माननीय सदस्य ने भी कहा इसके लिए, इसकी वाइड- पब्लिसिटी होनी चाहिए सिर्फ गजट में नोटिफिकेशन पर्याप्त नहीं है। जब तक इसकी वाइड पब्लिसिटी नहीं की जा सकती तब तक आप जनता को आई-ग्राफ्टिंग के लिए, कॉर्निया ग्राफ्टिंग के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं कर सकते। यदि नहीं कर सकते तो यह निश्चित है कि इसका विरोध होगा। इसलिए इसकी वाइड पब्लिसिटी की जाये, इसके तौर-तरीके बताये जायें। साथ ही यह सोचना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि यह एक्ट आये भी या नहीं। मैं समझती हूं कि लोग इसको समझ गये तो इससे डिसएग्री नहीं करेंगे क्योंकि यह ह्यूमैनेटेरियन कॉज है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार की जानकारी में यह भी है कि कई जगह आई-बैंक स्थापित हो गये हैं, आई-ग्राफ्टिंग सैंटर हो गये हैं, तो इन आई- बैंक्स का यूज क्या हो रहा है, यूटिलिटी क्या है? यह भी आप बताने का कष्ट करें। इसके अलावा आई निकाली जायेगी, कॉर्निया निकाली जायेगी, मगर क्या वह डैड-बाडी जिसके घर में है वहां पर निकाली जायेगी या इंस्टीट्यूशन में निकाली जायेगी? यह एक नाजुक विषय है, बड़ा टच करने वाला विषय है, इसमें हरएक की भावनाएं सम्मिलित हैं। कौन सी प्रेमिसेज में एक्सट्रेक्शन होगा? जिस तरह का बिहार में हुआ वैसा होगा। इस बात पर भी आप विचार करें। किस तरह की आइज एक्सेप्टेबल होंगी और किस प्रकार की नॉन-एक्सेप्टेबल होंगी। आपने यह नियम बना रखा है कि जब रूल बनेंगे तो सदन की टेबल पर रखे जायेंगे। लेकिन होता यह है कि जब एक्ट पास हो गया तभी से वह बिल पास होने के बाद ही काम में ले लिया जाता है और कार्यवाहियां शुरू हो जाती हैं। इसको कमेटियां एक्जामिन भी करती हैं और हमारे अधिकारियों का ध्यान भी बहुत दिन बाद जाता है। इसलिए वह रूल जब तक सदन से पास न हो जायें तब तक इसको काम में नहीं लिया जाये। इसके लिए मैं बहुत-बहुत विरोध करूंगी। यह प्रावधान पहले काम में ले लिए गए तो बड़ा असन्तोष होगा। इसलिए इसको आप वार्निंग समझें जनता की ओर से। राज्य सरकार के हित में, जनता के हित में यह होगा कि रूल को सदन में पेश होने से पहले काम में नहीं लिया जाना चाहिए। कुछ और भी बातें हैं जिन पर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं, मैं समझती हूं कि आप इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेंगे। इसके सारे आस्पेक्ट्स थोरोली स्टडी की जाए। मैं आशा करती हूं, इसका मिसयूज न हो, इस बात को देखते हुए आप इस बिल पर विचार करने का कष्ट करेंगे, और जो कुछ सवाल मैंने उठाये हैं उनका जवाब देंगे।

श्री दाऊदयाल जोशी (बीगोद) : माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने बताया कि आंखफोड़ काण्ड के ऊपर हमने बड़ा अच्छा एक्शन लिया है। मेरी जानकारी के अनुसार राजस्थान में 735 व्यक्ति नेत्र विशेषज्ञ के रूप में मोगा, भिवानी आई

(श्री दाऊदयाल जोशी)

हॉस्पिटल के नाम पर कार्यरत हैं। मेरे कोटा में इस प्रकार के 9 हॉस्पिटल चलते हैं, मोगा आई हॉस्पिटल के नाम पर। उनके हॉस्पिटल पर आज तक, जब मैं यहां आया हूं तब तक ताला लगा हुआ है। यानि, इसका मतलब यह है कि वह 735 अन-क्वालिफाइड नेत्र चिकित्सक राजस्थान में कार्यरत हैं। वे बराबर सरकार की पूर्ण जानकारी में कहीं न कहीं बैठकर के आंखें फोड़ रहे हैं, ढोल बजाकर या पैम्फलेट बांट कर नहीं फोड़ रहे हैं, लेकिन फोड़ जरूर रहे हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मोगा आई हॉस्पिटल के नाम से जितने भी चिकित्सक काम करते हैं, क्या आपने उन पर ताले लगवा दिये भरतपुर काण्ड के बाद ? इसका आप जवाब दें, एक तो यह। दूसरा, माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि 3 लाख रुपये मेरे पास नहीं आये। मैं, मंत्री महोदय, आपसे कहना चाहता हूं कि 7 हजार 335 एप्लीकेशन राजस्थान के भिन्न-भिन्न एम. एल. एज. के हस्ताक्षर करवाकर आपकी सेवा में माननीय मुख्य मंत्री की सेवा में, राजस्थान के स्वास्थ्य सचिव की सेवा में प्रमाण पत्र की कॉपियां रजिस्टर्ड आई हैं। सात हजार तीन सौ पैंसठ का मेरे पास फिगर है। हो सकता है कि डाक की गड़बड़ी के कारण आपके पास दो हजार ही आई हों। तो यह सात हजार तीन सौ पैंतीस नाम मेरे पास हैं। लेकिन इनके अलावा भी, अलग से कई प्रार्थना पत्र हैं। उन सात हजार तीन सौ पैंतीस व्यक्तियों से तीन-तीन सौ रुपये फीस ली है, राजस्थान रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिशनर्स, राजस्थान, जयपुर के नाम पर। प्रमाण पत्र आपके पास नहीं आये, अगर नहीं आये तो फिर मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे इतना ही कहना है आप निश्चित रूप से अगले साल में उन अन-क्वालिफाइड प्रेक्टिशनर्स, जिनका आप पर दबाव है, जो आपको और आपकी पार्टी को वोट दिलाते हैं, जो आपको पैसा देते हैं, जिनका अकाउन्ट घी वालों के रास्ते में है, के लिए आप कानून लायें, उनके ताले लगवा दें। मैं आशा करता हूं आप इस पर विचार करेंगे। मेरे गांव में एक परिवार के आदमी से पैन्सिलीन का इंजेक्शन लगाने के, आपरेशन करने के 350 रुपये लिए एक बोतल ग्लूकोज चढ़ाने के लिए 50 रुपये लिए। माननीय मंत्री महोदय, आंख फोड़ के नाम पर जो फिगर्स मैंने बताये तो क्या, माननीय मंत्री महोदय, आपकी सेवा में एक भी एप्लीकेशन नहीं आई ? इन दोनों का जवाब दें।

श्री छोगालाल कंवरिया (चिकित्सा मंत्री) : माननीय सभापति महोदया, यह कॉर्निया ग्राफ्टिंग का जो महत्वपूर्ण बिल आपके सामने रखा गया है उसके संबंध में कुछ माननीय सदस्यों ने सुझाव दिए हैं। जहां तक उनके सुझावों की बात है, बहुत कुछ उन पर विचार किया जायेगा। लेकिन बहुत सी शंकायें, जो उन्होंने व्यक्त की हैं, उनके संबंध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, जैसे माननीय सदस्य श्री शास्त्री जी ने बताया कि किस तरह से प्रबन्ध किया जायेगा, किस प्रकार से इनका आई-बैंक बनाया जायेगा

(श्री छोगालाल कंवरिया)

और किनका रजिस्ट्रेशन किया जायेगा, कार्निया ग्राफ्टिंग के लिये किया जायेगा, इसके संबंध में मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इस बिल में नम्बर 7 में नियम बनाने की शक्ति का जो प्रावधान दिया गया है उसमें राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा इस अधिनियम के अनुबंध को कार्यान्वित करने के लिए नियम भी जारी कर सकेगी। तो इसमें पूर्व प्रश्न और आपने जो शंकायें व्यक्त की हैं उनको भी ध्यान में रखा जायेगा। जो आपने महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं इनकी दृष्टि से इस प्रकार का कोई प्रबन्ध किया जायेगा ताकि इसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हो, न कोई नाजायज फायदा उठा सके। इसमें यह भी प्रावधान है कि आई ग्राफ्टिंग का कार्य करने की उनको ट्रेनिंग दी जायेगी। क्लॉज 6, जो इसमें दिया हुआ है, उसके अनुसार ऐसे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, जो आई-स्पेशलिस्ट्स होंगे, को एक ट्रेनिंग दी जाएगी। उस ट्रेनिंग के बाद उनके पास सर्टीफिकेट होगा उसके बाद ही उनको वह कार्य दिया जायेगा। इसके अलावा संस्थाएं भी वह होंगी जो कि ऑथोराइज्ड होंगी, हर संस्था को यह कार्य नहीं दिया जा सकेगा। आथोराज्ड संस्था उसमें मेडिकल कालेज आयेगा। अगर हम यह सोचेंगे कि कोई ऐसी संस्था हो, मेडिकल कालेज के अलावा कोई आई हॉस्पिटल हो और कोई ऐसी संस्था हो जो कि आईज के आपरेशन का कार्य करती हो, उसके लिए भी विचार किया जा सकता है। तो नियमों में उन सबका प्रावधान किया जायेगा और किसी प्रकार की आशंका न रहे, इस प्रकार के इसमें नियम बनाये जायेंगे।

आपने यह भी संदेह व्यक्त किया कि इस बिल में बहुत सी जगह ऐसी भी हैं, जैसे किसी आदमी का एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होने के बाद उस आदमी की इनक्वेस्ट रिपोर्ट होती है। तो ऐसे केसेज, जिसमें इनक्वेस्ट रिपोर्ट होना बाकी है, को हम नहीं लेंगे। उस केस के लिए भी इसमें प्रावधान है कि ऐसे केसेज को नहीं लिया जायेगा जब तक उसका वह न हो। इनक्वेस्ट रिपोर्ट होने के बाद ऐसे केसेज लेंगे, क्योंकि इसमें व्यर्थ शंकाएं पैदा हो सकती हैं, कोई आदमी किस प्रकार से मरा, क्या हुआ। उसके लिए इसमें प्रावधान दिया हुआ है कि ऐसे केसेज को नहीं लिया जायेगा। और भी इसमें इस प्रकार के प्रावधान किये जायेंगे जिससे इसमें किसी प्रकार की कोई शंका न रहे, कोई इसका दुरुपयोग न कर सके, क्योंकि आई कॉर्निया इतनी वैल्यूएबल चीज है, यह ऐसा लैन्स है जिससे आदमी की खोई हुई नेत्र ज्योति मिल जाती है। तो, सब प्रकार से इसका ध्यान रखा जायेगा। राजस्थान में यह अब लागू हो रहा है, यह कभी का लागू हो जाना चाहिए था। अन्य राज्यों में भी लागू है और सैन्टर ने भी इस पर जोर दिया है। तो, जितने भी आपने सुझाव दिए हैं उनका ध्यान रखते हुए हम इसके लिए उपयुक्त नियम बनायेंगे, आई-बैंक कायम करेंगे और नियमों के अनुसार यह सब कार्य होगा। आपके बहुत सुझाव आये हैं, उन पर जरूर गौर किया जायेगा।

(श्री छोगालाल कंवरिया)

इसके अलावा आपने और भी बातें कही हैं....

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : दाऊदयाल जी की बातों का जवाब....

श्री छोगालाल कंवरिया : जो विचारणीय बातें हैं उन पर अवश्य विचार किया जाएगा।

(व्यवधान)

मैं यहीं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री दाऊदयाल जोशी : दो ही प्रश्न। एक तो, मोगा भिवानी आई अस्पताल राज्य में चल रहे हैं, उनमें क्या आंख फोड़ कांड के बाद ताले लगा दिए गए हैं डिपार्टमेंट के द्वारा ? एक बात। दूसरे, 300 रुपये सहित यहां राजस्थान के रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स ने एप्लीकेशन्स मांगी है, आर० एम० पी० के नाम पर, उसमें सारे राजस्थान से 3 लाख रुपये इकट्ठे हुए हैं। जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, दाऊदयाल जी, आप तो दस्तखत कर दो, बावले क्यों हो रहे हो। आपको वोट लेना है या नहीं ? नहीं तो, ऐसी-की-तैसी कर देंगे, हम कोटा जिले में बैठे हैं, सारे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, सारे वोट हमारे पास आते हैं, दस्तखत करो, सब हो जायेगा, आपको तो केवल दाऊदयाल जोशी लिखना है। इस प्रकार 300 रुपये के हिसाब से राजस्थान भर में 3 लाख रुपये इकट्ठे किए हैं, 3 लाख रुपये की जाकर थैली पटकेंगे। इस प्रकार की 7 हजार एप्लीकेशन आई हैं, 7633 और आपके पास उनकी कापियां आई हैं, 300 पर मैंने दस्तखत किए हैं। वह आई हैं क्या ?

श्री छोगालाल कंवरिया : जहां तक मेरी जानकारी है, अभी तक मैंने कोई शिकायत नहीं देखी है। फिर भी यदि आई होगी तो उस पर जांच की जायेगी, अवश्य विचार किया जायेगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपका हिस्सा आया या नहीं ?

श्री छोगालाल कंवरिया : यह आरोप निराधार और मिथ्या है।

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं कोई आरोप नहीं लगाता, स्वास्थ्य मंत्री जी। पहली बार आपका और मेरा रूबरू हो रहा है, क्योंकि हम दोनों साथी रहे हैं, पी. यू. सी. मैम्बर के नाते। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं। लेकिन जिस दिन से मैंने यह बात सुनी है उसी दिन से मेरे दिमाग में कीड़ा रेंग रहा है। जिसको 3 लाख रुपया मिलेगा, वह तो गया काम से और भी आंख फोड़ कांड होते रहेंगे। इसलिए मैं पूछता हूं कि वह 3 लाख रुपये आये हैं क्या ? और ये आई अस्पताल बंद होंगे या नहीं ? मोगा आई हॉस्पिटल राजस्थान में कितने बंद हुए ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : राजस्थान में प्राइवेट रूप से ऐसे कितने अस्प-

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

साल हैं जिनके पास एम. बी. बी. एस. की डिग्रियां नहीं हैं और आंखों के आपरेशन कर रहे हैं, आंखों का काम कर रहे हैं, इस प्रकार से प्राइवेट काम करने वाले कितने डॉक्टर्स हैं ?

श्री छोगालाल कंवरिया : जितने प्रश्न आपने उठाये हैं····

श्री सभापति : आपके पीछे माननीय सदस्य बोल रहे हैं।

श्री जयदेव प्रसाद इंदोरिया (रतनगढ़) : सभापति महोदया, जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है उस पर काफी सुन्दर सुझाव आये हैं। वास्तव में इस विधेयक की भावना और उद्देश्य तो पवित्र है। लेकिन एक माननीय सदस्य ने अभी कहा कि राजस्थान में इसका प्रचार किया जायेगा। ऐसे-ऐसे शब्द स्वास्थ्य मंत्री जी, आपके सैकेटरी ने जोड़ दिए, कॉनिया, वह सिर्फ आपको खुश करने के लिए, कंवरिया से कानिया कर दिया और स्वास्थ्य मंत्री···

श्री सी० एल० कंवरिया : कंवरिया और कानिया में फर्क है।

श्री जयदेव प्रसाद इंदोरिया : वह कंवरिया से कानिया कर दिया। यहां आयुर्वेद के विद्वान बैठे हैं. इन्होंने जो शब्द उसमें बताया था वह या राजस्थानी में कोई शब्द हो, वह जोड़िए। जो आपके नाम को प्रचारित करने वाला शब्द है उसको हटा दीजिए। शब्द ऐसे होने चाहिए कि आम जनता, अनपढ़-से-अनपढ़ आदमी भी समझ सके कि आखिर इसका प्रयोग करने का तात्पर्य क्या है। माननीय जोशी जी ने हिंदी का जो शब्द अभी बताया है वह वास्तव में सही है, उसको जोड़ दीजिए और मेहरबानी करके इसको पास कर दीजिए, इससे बहुत फायदा होगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : और वह शब्द शब्द न जोड़ें तो कांइया शब्द जोड़ दीजिए।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : सभापति महोदय, इस विधेयक का तो हम स्वागत करते हैं लेकिन मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। आपने रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के रजिस्ट्रेशन के लिए विधायकों को जो पावर्स दी है कि कोई भी व्यक्ति आयेगा और विधायक से कहेगा कि मैं इतने साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं तो वह रजिस्ट्रेशन करा लेगा और सर्टिफिकेट उसको दे सकेगा, उसके बाद में वह इलाज कर सकेगा, सर्टिफिकेट देने योग्य हो जायेगा, सब कुछ कर सकेगा। मैंने देखा है, प्रैक्टिशनर्स, विधायकों से आकर कहते हैं कि हम 35-35 वर्ष से प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इस तरह के सर्टिफिकेट्स ले लेते हैं। 35 साल के विधायकों से सर्टिफिकेट लेते हैं 35 साल से अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं इनको जानता हूं। इस तरह के सर्टिफिकेट्स दिए गए हैं।

श्री छोगा लाल कंवरिया : सभापति महोदय, माननीय सदस्य विषयांतर हो रहे हैं। यह बिल तो कॉर्निया ग्राफ्टिंग के लिए है। आप पूछ रहे हैं रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के संबंध में। यह गलत बात है, मैं इसका जवाब दूंगा।

श्री नाथू सिंह : आपने लिखा है, क्लॉज 5 पढ़िए। एक्सप्लेन नहीं किया, इसको डेफिनेशन में दिया है। मेरा मतलब यह है, क्योंकि महत्वपूर्ण मामला चल रहा है इसलिए मैं तो केवल आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि हमारे सामने यह दिक्कत आ जाती है। इसलिए मेडिकल बोर्ड बिठाइए, वह उनका टेस्ट करेगा कि योग्य है या नहीं, वह सर्टिफिकेट दें। विधायकों को क्यों फंसा रहे हैं? हमारे पास मैम्बर्स, प्रधान, सरपंच आ जाते हैं कि इस पर लिखो। 5 साल की प्रैक्टिस नहीं हुई और 35 साल का सर्टीफिकेट ले जाते हैं। क्या आप जनता के साथ न्याय कर रहे हैं? इसको बंद कीजिए और जिनके रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, यहीं रोकिए और मेडिकल बोर्ड बिठाइये, उसको टैस्ट करने दीजिए। यह जो नर्सेज और कम्पाउंडर्स होते हैं वह डॉक्टर्स होने का रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं।

श्री छोगालाल कंवरिया : यह दूसरा विषय है।

श्री नाथू सिंह : मैं और बात पर हंस रहा हूं। मंत्री महोदय, आप आश्वासन दीजिए कि आप चैक करेंगे।

श्री सभापति : जवाब दे दिया तो इसको पास कर दिया जाए।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : सभापति महोदया, मैंने दो प्रश्न मन्त्री महोदय से किए उनका जवाब नहीं आया। मैंने इनसे पूछा था कि जो विधेयक के अन्तर्गत नियम बनाये जाते हैं वह नियम इस सदन में पारित होने के बाद ही काम में लाये जायेंगे। एक बात तो यह है। दूसरी बात यह है, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहती हूं, यह तो शायद मन्त्री महोदय की जानकारी में होगा ही कि स्टेट में कितने आई हास्पिटल हैं जो आलरेडी काम कर रहे हैं? यदि हां, तो वह कहां पर काम कर रहे हैं और क्या काम कर रहे हैं? यह दो प्रश्न हैं। आज तक एक्ट बना नहीं है तो ऐसी स्थिति में वह प्रोपर फंक्शन नियमानुसार कर नहीं सकते हैं। उनके बिना उनका फंक्शन क्या है?

श्री छोगालाल कंवरिया : सभापति महोदया, माननीय सदस्य ने यह प्रश्न उठाये हैं कि क्या इस विधेयक के अन्तर्गत नियम सदन के द्वारा बनाये जायेंगे। तो इसके लिए मेरा निवेदन यह है कि नियम जो भी इस विधेयक के अन्तर्गत बनाये जायेंगे वह सदन के सामने नहीं रखे जायेंगे। बल्कि इस विधेयक के क्लाज 7 के अन्तर्गत गवर्नमेंट को अधिकार दिए गये हैं सरकार को, इस संबंध में नियम बनायेगी। मेरा ख्याल यह है कि जहां तक मेरी जानकारी है, नियमों को सदन में

(श्री छोगालाल कंवरिया)

लाने की आवश्यकता नहीं है। यह तो सरकार के अधिकार में है कि वह इसके लिए उपयुक्त नियम बनाये। यह क्लाज 7 में यह स्पष्ट लिखा हुआ है।

श्री मतीविद्या पाठक : सभापति महोदय, मन्त्री महोदय ने जो कहा है उसके लिये मेरा निवेदन है कि जो भी इस विधेयक के अन्तर्गत नियम बनाये जायेंगे वह इस सदन से स्क्रूटिनाइज होंगे। उसके बाद ही वह नियम लागू होंगे। आप चाहें तो देख लीजिये इस बिल में लिखा हुआ है। मेरा निवेदन यह है कि पहले नियम बनाये जाएँ। सदन से स्क्रूटिनाइज होने के बाद ही काम में लाये जायें। उसके पहले काम में न लाये जायें। एक्ट बनने के बाद नियम बनने के बाद फवशन में आये।

(व्यवधान)

श्री महावीरप्रसाद जैन (टौंक) : नियमों का प्रावधान इस एक्ट में रखा जायेगा तब ही नियम ठीक होंगे। वरना आपके दिमाग में, मन्त्री महोदय, जो उपयुक्त होगा वही आप नियमों में रखेंगे। यह सारे जो सुझाव माननीय मन्त्री महोदय ने दिये हैं वह आपके दिमाग में बैठ गये होंगे। उनके अनुसार आप नियमों में प्रावधान करेंगे ऐसा आप विचार रखते हैं व या ?

(व्यवधान)

श्री सभापति : आप जवाब देना चाहते हैं। प्रश्न यह है कि राजस्थान कानिया उपरोपण विधेयक, 1982 को पारित किया जाय।

श्रीमती विद्यापाठक : ऐसे बिल पारित नहीं करने दिया जाय। मन्त्री जी जवाब देने जा रहे हैं।

श्री सभापति : सभी बोल चुके हैं। आपके प्रश्नों के उत्तर दिये जा चुके हैं। मन्त्रीजी, आप जवाब देना चाहते हैं ?

श्री ईश्वर लाल सैनी : उत्तर दिया जा चुका है।

श्री छोगालाल कंवरिया : मैंने उत्तर दे दिया है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मन्त्री जी उत्तर देना नहीं जानते हैं वह तो सिर्फ ट्रांसफर के बारे में जानते हैं। इस विधेयक के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। इसलिए मैंने कहा कि जो माननीय सदस्यों ने सदन में सुझाव दिये हैं उन सुझावों को आप नियमों में शामिल करें तो उचित रहेगा। अगर ऐसा नहीं किया तो उपयुक्त नियम उपयुक्त जगहों पर नहीं होंगे तो उचित नहीं होगा। मंत्री जी जानते ही नहीं कि कौनसा नियम उपयुक्त है और कौनसा नहीं।

(व्यवधान)

श्रीमती विद्या पाठक : सभापति महोदय, मन्त्रीजी ने जो जवाब दिया उससे कुछ पता नहीं चलता। मैंने दो प्रश्न उठाये थे उनका जवाब मन्त्रीजी ने क्या दिया, यह मेरी समझ में नहीं आया, मैं उसको नहीं समझ सकी हूं अतः आप मेरी मदद करें, आप

Page No 127

(125)

(श्रीमती विद्या पाठक)

समझ गये हों तो आप बता दें। अगर मंत्री महोदय नहीं समझे हों तो मैं उन प्रश्नों को रिपीट करूं। अगर अभी जवाब नहीं देना चाहते हों और बाद में जवाब देना चाहते हों तो यह विधेयक बाद में आ जाये।

(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : सभापति महोदया, मन्त्री महोदय बार बार वही उत्तर दे रहे हैं। अब इसको सदन में पारित किया जाए।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : हमारे प्रश्नों का जवाब नहीं आया।

श्री सभापति : प्रश्न यह है।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। मैं प्रश्न कर रही हूं।

प्रश्न यह है कि राजस्थान कानिया उपरोपण विधेयक, 1982 को पारित किया जाए।

(स्वीकृत)

राजस्थान कानिया उपरोपण विधेयक, 1982 को पारित किया गया।

श्री चन्दनमल वैद विधेयक प्रस्तुत करेंगे।

श्रीमती विद्या पाठक : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सभापति महोदया। आन ए पाइन्ट आफ आर्डर।

सभापति महोदया, मैंने मंत्री महोदय से दो प्रश्न किये थे। मेरे दोनों ही प्रश्न ऐसे नहीं थे जिनसे कि गवर्नमेंट की पोजीशन एमबेरेसिंग होती हो और उनका जवाब नहीं दिया जाय। जवाब नहीं देने से यह पता चलता है कि गवर्नमेंट ने शियर मेजोरिटी से यह बिल पास करवा दिया है।

श्री सभापति : माननीय सदस्या, आप खुद नियमों को अच्छी तरह जानती है। यह विधेयक पारित कर दिया गया है। विधेयक के पारित होने के बाद आप उस पर बोल रही हैं।

श्रीमती विद्या पाठक : सभापति महोदया, मैं तो यह जानती थी कि चेअर पर आप जैसी विदूषी बैठी हुई हैं। मुझे यह आशा थी कि आप मेरे प्रश्नों का जवाब जरूर दिलायेंगी। मेरे दोनों प्रश्नों का जवाब नहीं आया।

श्री सभापति : माननीया सदस्या, हर एक आशा की पूर्ति की अपेक्षा नहीं की जा सकती है।

श्रीमती विद्या पाठक : सभापति महोदया, मेरे दो प्रश्न थे उनका उत्तर नहीं आया। मैंने आपसे मदद मांगी आपने मुझे मदद नहीं दी।

श्री सभापति : माननीय सदस्या, विधेयक पारित हो चुका है।

श्रीमती विद्या पाठक : मुझे बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सरकार चेयर से शियर मेजोरिटी से बिल पास कराने का काम करवा रही है। आप मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं दिला सकीं, इसका मुझे खेद है।

राजस्थान समाज शिक्षण बोर्ड (निरसन) विधेयक, 1982

श्री सभापति : श्री चन्दनमल बैंद।

श्री चन्दनमल बैंद (वित्त मंत्री) : सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान समाज शिक्षण बोर्ड (निरसन) विधेयक, 1982 को विचारार्थ लिया जावे।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान समाज शिक्षण बोर्ड (निरसन) विधेयक, 1982 को विचारार्थ लिया जाये।

एक माननीय सदस्य : किसको।

श्री सभापति : इस को, जिसको अभी रखा गया है।

प्रश्न यह है कि समाज शिक्षण बोर्ड (निरसन) विधेयक, 1982 को विचारार्थ लिया जाय।

(व्यवधान)

हां जिनके अमेन्डमेंट हैं वह बोलेंगे।

श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : यह क्या चीज है ? माननीय मन्त्री महोदय क्या इन्ट्रोड्यूस कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, श्री घनश्याम तिवाड़ी। आप बोलना नहीं चाहते हैं तो दूसरे को बोलने की अनुमति दी जाय।

(व्यवधान)

श्री चेतराम मीणा (राज्य मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण) : पता नहीं हो तो बैठ जाओ।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : सभापति महोदया, राजस्थान समाज शिक्षण बोर्ड (निरसन) विधेयक, 1961 को 1961 में इस सदन द्वारा पारित किया गया था। उस समय से लेकर इसको आज तक डाउन कर दिया। आज दिन तक कोई समाज शिक्षण बोर्ड का गठन ही नहीं किया गया।

(व्यवधान)

कल्ला साहब आपको पता नहीं है। आप चाहें तो देख लें, आज दिन तक समाज शिक्षण बोर्ड का गठन नहीं किया गया।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आपकी सरकार जब आई तब आप कर देते।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह बिल आपकी सरकार ने पास किया था। हमारी सरकार ने न तो इस बिल को पास किया न इसका निरसन करने गयी। तो, सभापति महोदय, राजस्थान समाज शिक्षण बोर्ड (निरसन) विधेयक 1961 में पारित किया गया था उसके अन्तर्गत आज दिन तक कोई बोर्ड का गठन नहीं किया गया और न ही आज दिन तक सरकार को इसके लिये एक पैसा ही खर्च करना पड़ा। अब इस विधेयक का निरसन कराने के लिये विधेयक लेकर आ रहे हैं। मेरा मन्त्री महोदय से एक ही प्रश्न है कि यह विधेयक ऐसे ही पड़ा रहा तो क्या कारण था, आज दिन तक इसके लिये कोई कार्यवाही नहीं की गयी? अब आज इनको क्या तकलीफ हो रही है कि इस बिल को ला रहे हैं। जब कि इस बिल के पास होने के बाद सरकार को एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ा तो अब क्या कानूनी अड़चन आ रही है? दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि अब प्रौढ़ शिक्षा के आधार पर आप कह रहे हैं कि एक राष्ट्रीय कार्यक्रम आयेगा। इसलिये अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसको निरसित करना है। तो प्रौढ़ शिक्षा के साथ यह भी रहे तो क्या तकलीफ है? क्या यह दोनों एक साथ नहीं रह सकते? दूसरा मेरा निवेदन है कि अगर प्रौढ़ शिक्षा के साथ साथ यह भी चलता रहे तो क्या दोनों के रहने से कोई तकलीफ हो सकती है? हो सकता है कि आज दिन तक पैसे नहीं मिले और अब आगे पैसे मिल जायं। तो मेरा यह निवेदन है कि अगर दोनों ही रहें तो क्या कन्ट्रोवर्सी है। दोनों का कार्यक्रम एक हो सकता है लेकिन कार्य करने की सीमा तो बहुत अधिक है। अपने यहां पर जो शिक्षण का कार्यक्रम है वह बहुत बाकी है, बहुत से लोग अनपढ़ हैं, बहुत सा इस प्रकार का काम है और साक्षर बहुत से लोग नहीं हैं। इस प्रकार की स्थिति थी तो कृपया तीन बातें स्पष्ट करें कि जब से यह कानून बना तब से इसके अन्तर्गत कोई कार्यवाही क्यों नहीं हुई और शिक्षण बोर्ड का गठन क्यों नहीं हुआ? सरकार के पास रुपये की उपलब्धि नहीं थी, इस कारण से इसके अन्तर्गत कार्यवाही नहीं हुई? कार्यवाही नहीं होने क्या नुकसान हुआ? अगर कार्यवाही नहीं करनी थी तो इस विधेयक का प्रारूप क्यों बनाया गया और विधान मण्डल के द्वारा क्यों पास कराया गया?

दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि यह जो प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम आया है इसके बारे में क्या कोई कन्ट्रोवर्सी है? क्या दोनों में मतभेद है? एक ही कार्यक्रम चल सकता है या एक ही काम को करने के लिए दो तरह के कार्यक्रम चल सकते हैं। आज ऐसा कौन सा कारण पैदा हो गया कि जो हमको इस विधेयक को निरसित करना पड़ रहा है।

तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, माननीय सभापति महोदया, इस बात की जनता को जानकारी होनी चाहिए कि राजस्थान लेजिस्लेटिव असेम्बली ने जो विधेयक 1961 में पारित किया था उसके अन्तर्गत बीस साल तक राजस्थान सरकार ने कोई भी कार्यवाही नहीं की। इस प्रकार से कानून बना बना कर उनको ताक में रखना प्रारम्भ कर दिया तो न तो अपने लिए शोभादायक है और न राजस्थान विधान सभा, जो पास करती है, के लिए शोभादायक है। तो या तो कानून बनाया ही नहीं जाये और अगर कानून बनाया जाये तो उसके अन्तर्गत

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

कार्यवाही की जाये। कार्यवाही बीस साल तक नहीं की गई तो आज कौन सी आवश्यकता पड़ गयी कि इस कानून को निरस्त करने का विधेयक लाना पड़ा। कुछ कारण हैं उन कारणों के लिए जनता के पास जायें। जनता सुनें और समझे कि इस प्रकार के कानून हमारे प्रान्त में रहे हैं कि कानून तो बन गये लेकिन बीस सालों तक उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई। आपने 12 महीने बाद, दो साल बाद या तीन साल बाद क्यों नहीं निरस्त कराया और आज क्यों करा रहे हैं? ऐसे कौन से कारण पैदा हो गए? मैं कहना चाहूंगा कि इन सब कारणों की जानकारी जनता को होनी चाहिये इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान समाज शिक्षण बोर्ड (निरसन) विधेयक, 1982 को एक माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय।

श्री सभापति : श्री देवीसिंह भाटी।

(अनुपस्थित)

मंत्री जी।

श्री चन्दनमल बैद (शिक्षा मन्त्री) : सभानेत्री जी, सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह एतराज उठाया है कि समाज शिक्षण बोर्ड विधेयक का जो कानून बना था 1961 में उसका आज निरसन क्यों किया जा रहा है। क्या इसकी जरूरत नहीं थी? अगर जरूरत नहीं थी तो पास क्यों कराया गया? पास कराया गया तो इसको लागू क्यों नहीं किया गया? लागू नहीं किया गया तो निरस्त करने की जरूरत थी तो आज ही क्यों, बनने के दो तीन साल बाद ही क्यों नहीं कराया? मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सन् 1961 में समाज शिक्षण बोर्ड अधिनियम बनाया गया उस समय यह विचार था कि एक बोर्ड बनाया जायेगा जो कि अडल्ट एजुकेशन की, प्रौढ़ शिक्षा की, नान-फार्मल एजुकेशन की और इसी तरीके से दूसरी जो सामाजिक शिक्षा है उसके बारे में कुछ कार्य करेगा। उस समय जो सरकार थी उसने यह महसूस किया कि इस काम के लिए जो धन चाहिए वह धनराशि हमारे पास नहीं है। धीरे-धीरे प्रौढ़ शिक्षा का काम और नान-फार्मल एजुकेशन का काम भारत सरकार की योजनाओं के तहत चलने लगा तो यह समझा गया कि जब सारे काम भारत सरकार की योजनाओं के तहत चल ही रहे हैं और भारत सरकार की योजना के तहत हमारे यहां प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड बन गया है तो इस समाज शिक्षण बोर्ड की आवश्यकता नहीं है। इस बात को मैंने ही महसूस नहीं किया है बल्कि इस बात को जनता पार्टी की सरकार ने भी महसूस किया है। उन्होंने ही यह बिल तैयार किया। वह पास नहीं करा सके वह दूसरी बात है। उन्होंने ही तैयार किया। उसके बाद पहाड़िया सरकार आई उन्होंने भी इसकी मंजूरी दी। वह भी चाहते थे कि इसको निरस्त कर दिया जाये। दोनों ही सरकारें पास नहीं करा सकीं। अब मेरे ऊपर जिम्मेदारी आई है। यह एक ऐसा कानून है जो कानून कान्ट्रेडिक्ट्री तो नहीं है लेकिन डुप्लीकेसी जरूर है। एक ही काम के लिए दो तरह के बोर्ड बनें–एक तो समाज शिक्षा बोर्ड बने और दूसरा प्रौढ़ शिक्षा का बोर्ड बने, एक राजस्थान की सरकार के तहत चले और एक भारत सरकार की

(श्री चन्दनमल वैद)

योजना के तहत चले, तो यह डुप्लीकेसी है। इस वास्ते यह उचित समझा गया कि इसको निरस्त कर दिया जाये और प्रौढ़ शिक्षा का और नान-फार्मल एजूकेशन का कार्यक्रम है वह भारत सरकार की योजनाओं के तहत ही चलाया जाये।

सब जानते है इस बात को कि प्रौढ़ शिक्षा का काम भारत सरकार की योजना के तहत चल रहा है। सरकार की तरफ से भी चल रहा है और स्वयं सेवी संस्थाओं की तरफ से भी चल रहा है। नान-फार्मल सेन्टर्स, आप जानते हैं, को हमारे बीस सूत्री कार्यक्रम में भी स्थान मिल रहा है। वह तो चल रहा है, चलाना है हमें, ज्यादा तेजी के साथ चलाना है लेकिन डुप्लीकेसी हो रही थी, एक ही काम के लिए दो तरह का बोर्ड बनाने का प्रावधान था। जब कोई भी कानून की जरूरत नहीं होती है तो उसको स्टेट्यूट बुक में नहीं रखना चाहिए। यह तरीका है और एक कानूनी तरीका है कि कोई भी कानून जिसकी जरूरत नहीं है उसको जबरदस्ती आप स्टेट्यूट बुक में न रखिये। उसका निरसन कर दिया जाये। इसलिये यह उचित समझा गया कि इसको निरस्त कर दिया जाये। मैंने ही नहीं समझा, तीन साल से बराबर इसको समझा जा रहा है कि निरसन कर दिया जाये। तो मेरे ऊपर आई है यह जिम्मेदारी, सभानेत्री जी।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान समाज शिक्षण बोर्ड (निरसन) विधेयक, 1982 को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

विधेयक पर विचार।

प्रश्न यह है कि राजस्थान समाज शिक्षण बोर्ड (निरसन) विधेयक, 1982 को विचारार्थ लिया जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

विधेयक का पारण

श्री चन्दनमल बैद (शिक्षा मंत्री) : सभानेत्री जी, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान समाज शिक्षण बोर्ड (निरसन) विधेयक, 1982 को पारित किया जाये।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : सभापति महोदया, मैं तो एक बात कहना चाहूंगा कि आप वापस ले रहे है यह बहुत अच्छी बात है लेकिन कम से कम इससे यह तो सिद्ध होता है कि आप केवल मात्र यहां पर बहुमत में हाथ उठवाकर कोई भी कानून पास करवा लेते हैं और कभी वापस ले लेते हैं, इससे सदन का समय बरबाद होता है।

श्री चन्दनमल बैद : अल्पमत से कभी पास हुआ है क्या आज तक ?

श्री नाथूसिंह : बहुमत से ही तो कराते हैं।

श्री चन्दनमल बैद : बहुमत से ही तो करा रहे हैं और क्या कर रहे हैं।

श्री नाथूसिंह : यही बात तो मैं कह रहा हूं। आप ठीक नहीं कर रहे हैं, आप बहुमत का दुरुपयोग कर रहे हैं।

मैं यह कह रहा हूं, 1961 में आपने यह कानून पास किया उसके बाद आपकी सरकारें आईं किन्तु वह लागू नहीं कर पाये। प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम चल रहा है, उसके तहत सेन्टर चल रहे हैं लेकिन उनमें कितनी धांधली होती है, कितना पैसा आता है, कहां जाता है इसका पता नहीं है। हम चाहते हैं कि आपका नियन्त्रण उस पर रहे....

श्री चन्दनमल बैद : माननीय सदस्यों का मुझ पर यह एतराज है कि आज पैसा इधर उधर जा रहा है वह चैक नहीं कर पाते हैं। मैं बहुत गम्भीरता से सोच रहा हूं और इसको चैक करना चाहता हूं।

श्री नाथूसिंह : तब तक आप रह जायेंगे क्या? आपके तो हाथ धोकर पीछे पड़ रहे हैं। आज देखा नहीं सवेरे। हमको लग रहा है आज के हिसाब से अगले साल तक आप मंत्री भी रह पायेंगे या नहीं ...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, विषय पर बोलें।

श्री चन्दनमल बैद : कोई फर्क नहीं पड़ता है।

श्री नाथूसिंह : मैं विधेयक को वापस लेने का स्वागत करता हूं। यह अधिनियम बेकार पड़ा था, कोई काम नहीं था लेकिन जो आपका प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम चल रहा है इसके स्थान पर जिस प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम को लाये हैं उसमें अनियमिततायें बहुत हैं। उसमें धन का दुरुपयोग बहुत होता है। जिस भावना से विधेयक को पास किया गया था पहले अगर उसको ठीक ढंग से चलाना है तो कम से कम जो अनियमिततायें प्रौढ़ शिक्षा में होती हैं और ढंग से कार्य नहीं कर पाते हैं उस पर आप पूरा ध्यान दें। आपातकाल के दौरान आपने देखा होगा कि प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम चल रहा था राजस्थान विश्व विद्यालय के द्वारा और उसमें लाखों रुपयों का घोटाला हुआ उसके बारे में कुछ नहीं कहना है। जब तक आप शिक्षा मन्त्री रहें, आपकी जब तक सरकार रहे, मुझे पता नहीं आपकी सरकार कब तक रहेगी, तब तक तो कम से कम इस प्रकार के भ्रष्टाचार को रोकें।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : सभापति महोदया, 1961 के अन्दर ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर शिक्षा का प्रचार और प्रसार करने के लिए, निरक्षरों को साक्षर बनाने के लिए यह कार्यक्रम चलाया गया था और कानून बनाया गया लेकिन इस कानून के इतने दिनों तक रहते हुए भी गांवों के अन्दर इस कार्यक्रम की कोई उपयोगिता सिद्ध नहीं हुई। यह स्टेट लेवल का आपने कानून बनाया था। अब राष्ट्रीय लेवल पर प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम है उसके अन्तर्गत यह कार्यक्रम चलाया गया। जो कानून ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर शिक्षा का प्रचार करने के लिए बनाया गया था इसको बनाया यह

(श्री महाराम चौधरी)

लागू नहीं हुआ तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं राष्ट्रीय लेवल पर निर्धारित राष्ट्रीय नीति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का प्रचार करने के लिये, शिक्षा की लोगों को जानकारी दिलाने के लिये यह कार्यक्रम आप सुचारू रूप से चला सकेंगे। हमको अनुभव है, 1961 में जब प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम गांवों के अन्दर चला उस कार्यक्रम को आप कतई नहीं चला सके, आप उसमें अक्षम रहे। अब कतई उम्मीद नहीं है कि इस राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को गांवों के अन्दर ठीक ढंग से आप चला सकेंगे। जहां तक पहले का हमारा अनुभव है, ग्रामीण क्षेत्रों से आप भी सम्बद्ध हैं, एक भी आदमी, एक भी व्यक्ति अक्षर लिखना सीख नहीं पाया है। गांवों में साक्षरता आपको नजर आती है? आपने जो कानून बनाया वह लागू नहीं हो सका। सेन्ट्रल से यह कार्यक्रम चालू हो रहा है, आप कहते हैं उसको लागू कर सकेंगे, यह हमारी समझ में कतई नहीं आया है। न तो इसकी उस वक्त आवश्यकता थी, जब आपने बनाया, इसलिये कि उसको आप नहीं चला सके। अब डुप्लीकेसी को मिटाने के लिये राष्ट्रीय हित का कार्यक्रम बनाकर गांवों में शिक्षा का प्रचार करना चाहते हैं। हमको ऐसा महसूस होता है कि राष्ट्रीय लेवल का जो कार्यक्रम है उसको आप सुचारू रूप से नहीं चला सकेंगे? इसलिये न तो उस वक्त इससे कार्य सिद्धी हुई है और न अब कोई उम्मीद है कि कार्य सिद्ध हो सकेगा।

श्री सभापति : और कोई माननीय सदस्य बोलना चाहें?

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : माननीय सभापति महोदया, अभी अभी माननीय मंत्री महोदय ने जैसा कहा और बड़े गर्व के साथ कहा कि कोई कानून कभी अल्पमत से पास होता है क्या? माननीय मन्त्री महोदय ऐसा बयान देंगे तो हमारे बोलने का कोई मतलब नहीं होगा।

श्री चन्दनमल बैद : माननीय सदस्या, मैं उप मन्त्रीजी से इसी सम्बन्ध में बात कर रहा हूं।

श्रीमती विद्या पाठक : तो आप बात कर लें, मैं बैठ जाती हूं।

अभी माननीय मन्त्री महोदय ने बड़े गर्व के साथ कहा कि अल्पमत से कहीं बिल पास होते हैं क्या? एक मानी हुई बात है, यह बात सही है अल्पमत से बिल तो पास नहीं होते। पर यह क्या अच्छी बात है। आप लोगों को फ्री प्रेस नहीं चाहिये इसीलिये आप प्रेस की अवमानना चाहते हैं। अगर आपके स्टेटमेंट आपकी कान्स्टीट्एयूसी तक पहुंचे तो दुबारा आपका रिटर्न होना प्राब्लम हो जायेगा। अल्पमत से पास नहीं होते मगर बहुमत आपको मिला है इसलिये कि आप काम सही करें, ठीक ढंग से करें। सिर्फ नीति या अनीति में बहुमत के आधार पर हाथ खड़ा करवाने के लिये बहुमत नहीं मिला। मैं आपसे दो प्रश्न पूछना चाहती हूं, मुझे विश्वास है हमें फिर देखने को मिलेगा कि उन दोनों प्रश्नों के जवाब नहीं आयेंगे और आप बहुमत के आधार पर इस बिल को इन्ट्रोड्यूस करवाने में या पास करवाने में सफल हो जायेंगे। मेरा पहला प्रश्न यह है माननीय मन्त्री महोदय से, 1961 में जो यह जनार्दनराय

(श्रीमती विद्या पाठक)

नागर द्वारा बिल पुर: स्थापित हुआ और पास होकर एक्ट हो गया। समाज शिक्षण एक्ट 1961 में बना तो प्रौढ़ शिक्षा से सम्बन्धित एक्ट कब पास हुआ ? एक तो मेरा यह प्रश्न है। इसी के साथ दूसरा प्रश्न यह है कि बीच में जो गैप रहा उसको आपने कैसे रेगुलेराइज किया। दूसरा प्रश्न मैं यह पूछना चाहती हूं यह जो आपने सदन से बिल पास करवाया, जो बना, सदन से हाथ उठवाकर हां या न करवाया, इतना सरकारी खजाने का पैसा खर्च हुआ जो मेन पावर के रूप में खर्च हुआ और उसको किसी भी तरह यूटिलाइज नहीं कर पाये, मिसयूज की आपकी आदत है और आपकी सरकार की आदत है उसमें हमें कोई कहने की जरूरत नहीं है, यह मानी हुई बात है, यह जानी हुई बात है मगर मेरे प्रश्न पूछने का मतलब यह है कि इतने लोगों के हाथ उठवा कर आपने माननीय सदस्यों का, इस सदन का क्या अपमान नहीं किया। अगर उसका यूज नहीं करना था तो आपको हाथ नहीं उठवाने थे। क्यों नहीं आपके खिलाफ प्रिविलेज मोशन मूव हो सकता। यह दोनों प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहती हूं।

श्री सभापति : आप उत्तर दे दीजिये।

श्री चन्दनमल बैद : सभानेत्री जी, मेरी समझ में नहीं आया माननीय सदस्या कहना क्या चाहती हैं....

श्रीमती विद्या पाठक : मैं फिर कह दूं....

श्री चन्दनमल बैद : आपका तात्पर्य कोई साफ नजर नहीं आया। एक तो आप यह पूछना चाहती हैं....

श्रीमती विद्या पाठक : मैं आपसे डाइरेक्ट पूछ लूं। आपको मेरा मतलब स्पष्ट कर दूं।

एक तो यह है 1961 से समाज शिक्षण बोर्ड एक्ट बना उसके बाद प्रौढ़ शिक्षा का एक्ट कब पास हुआ ? कब चालू हुआ ? 1961 से प्रौढ़ शिक्षा का आ गया और पैरलल व्यवस्था की आवश्यकता नहीं समझी ? मैं पूछना चाहती हूं प्रौढ़ शिक्षा कब शुरू हुई ? 1961 के बाद प्रौढ़ शिक्षा शुरू होने तक कैसे काम में लाया गया। दूसरा प्रश्न यह है इसको काम में नहीं लाना था तो सदन को क्यों मिस गाइड किया गया, ×× I am sure, I am not heading for privilege. इस सदन को गुमराह करने की कोशिश की, इस पर प्रिविलेज मोशन मूव क्यों नहीं हो सकता ? क्या यह सदन का अपमान नहीं है ? यह दो प्रश्न पूछ रही हूं।

श्री चन्दनमल बैद : पहला प्रश्न तो यह है कि 1961 में यह विधेयक पास करवाया गया। 1961 में जब विधेयक पास करवाया उस समय यही मन्शा थी कि समाज शिक्षण बोर्ड का गठन किया जाये लेकिन किन्हीं कारणों से, जिन्हें सभी जानते हैं, उसका गठन नहीं हो सका। उसके बाद भारत सरकार की यह नीति चली कि प्रौढ़ शिक्षा....

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : कब चली ?

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री चन्दनमल बैद : आज से कई वर्षों पहले चली। कई साल पहले चली।

श्री भंवरलाल शर्मा : ईयर ?

श्री चन्दनमल बैद : ईयर तो मेरे को याद नहीं है।

श्रीमती विद्या पाठक : आपके अधिकारी बैठे हैं····

श्री चन्दनमल बैद : वे बतायेंगे तो मैं आपको बता दूंगा।

कई वर्षों पहले यह नीति शुरू हुई। उस नीति के अनुसार प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड बना। प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड ने यह सारा काम करना शुरू कर दिया तब यह उचित समझा गया कि प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड इस काम को कर रहा है तो समाज शिक्षण बोर्ड की आवश्यकता नहीं है। माननीय सदस्या को यह बात याद दिलाना चाहता हूं कि जब वे समाज कल्याण मंत्री थीं उस समय उनके डिपार्टमेंट ने एक प्रस्ताव दिया कि क्योंकि प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड का काम शुरू हो गया है इसलिये समाज शिक्षण बोर्ड के कानून की आवश्यकता नहीं है इसको निरस्त किया जाये। वहां से प्रस्ताव शुरू हुआ है····

श्रीमती विद्या पाठक : मैं निरस्त करने के विरुद्ध नहीं हूं। मेरा विरोध तो यह है कि आपने अपनी पावर का मिसयूज किया है····

श्री चन्दनमल बैद : कोई मिसयूज नहीं किया है····

(व्यवधान)

श्रीमती विद्या पाठक : बिलकुल। आपने विधेयक को पास करवाने के लिये हाथ उठवाकर हां या न करवाया है और उसके बाद यूज नहीं किया····

(व्यवधान)

सदन में पास करवाया है। करवाना ही नहीं था और करवाया है तो कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं ?

श्री चन्दनमल बैद : मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं जब प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड का काम शुरू हो गया उसके बाद यह उचित समझा गया कि समाज शिक्षण बोर्ड का जो कानून बनाया गया है उसको निरस्त कर दिया जाये। यह प्रस्ताव कई दिनों से चल रहा था क्योंकि प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड द्वारा यह काम राज्य स्तर पर चल रहा है, पूरी जिला परिषदें बन गई हैं उन जिला परिषदों को यह काम सौंप दिया जाये। सारे राज्य में जब प्रौढ़ शिक्षा का कार्य धीरे धीरे चल रहा है तो इस कानून से डुप्लीकेसी होती वह उचित नहीं था इसलिये ऐसे कानून को निरस्त करने के लिये यह बिल लाया गया गया है। बहुत से कानून पास करवाये जा रहे हैं और जब उचित समझा जाता है उसको रिपील करते हैं। अगर प्रिविलेज मोशन मूव करेंगे तो सबसे पहले आपके ऊपर आयेगा, प्रस्ताव आपके टाइम में शुरू हुआ है। मैं यही निवेदन करूंगा कि इस विधेयक को पारित करें।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय मंत्री महोदय, आप तो फुल पाइन्ट चैक कर दें····

श्री चन्दनमल बैद : बार बार आर्गूमेंट नहीं हो सकते हैं, जवाब दे दिया।

श्रीमती विद्या पाठक : नहीं आर्गूमेंट का जवाब नहीं आया है। आपने तो प्रौढ़ शिक्षा के गीत गाये हैं। आपने आर्गूमेंट का कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा यह टाइम गैप बिटविन दिस एक्ट पास होने में और प्रौढ़ शिक्षा के इन्ट्रोड्यूस होने में है, इतना लम्बा समय आपने लिया तब तक यह एक्ट निरर्थक पड़ा रहा तो क्यों नहीं इसका निरसन करवाया गया। यह विधायकों का अपमान हुआ है। मेरा आब्जेक्शन मेन कहने का यह है।

श्री चन्दनमल बैद : यह सही है कि कुछ दिनों तक पैसों की कमी के कारण यह विधेयक काम में नहीं लिया गया। यह सही बात है, उसके बाद जब प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड बन गया और बोर्ड द्वारा शिक्षा का कार्यक्रम भारत सरकार की नीति के अनुसार शुरू हो गया तो समाज शिक्षण बोर्ड, जो उसी काम को करता है, की आवश्यकता नहीं रही। इस वास्ते निरसन बिल लाया गया है।

श्रीमती विद्या पाठक : यह साइमलटे-नियसली क्यों नहीं करवा लिया गया? प्रौढ़ शिक्षा का प्रारम्भ हुआ तो यह तभी निरसन क्यों नहीं कराया गया।

श्री चन्दनमल बैद : उसके सम्बन्ध में ही तो मैं कह रहा हूं कि आपने उस समय विचार नहीं किया, आपको हिम्मत नहीं हुई कि आप विधान सभा के सामने आयें....

(व्यवधान)

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय मन्त्री महोदय, आपको भी आये दो साल से ऊपर हो गये अब आपको इसका होश आ रहा है। मेरे कहने का सिर्फ मतलब यह है ...

श्री चन्दनमल बैद : हमको होश तो आया लेकिन आप तो बेहोश रहीं।

श्रीमती विद्या पाठक : कमाल है, मंत्री महोदय, प्रश्न का जवाब तो दे नहीं रहे हैं।

(विराम)

श्री सभापति : और कोई प्रश्न पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय सभानेत्री जी, मैं अपनी बात कहती रहूं और माननीय मंत्री जी अपनी बात करते रहें तो जवाब प्रापर आयेगा नहीं। आप मदद नहीं करेंगी ?

श्री सभापति : आप कोई दूसरा प्रश्न पूछ लें....

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय सभापति महोदया, जब इसकी जगह प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड बन गया तो इसमें देर करने से फायदा क्या है ? इसको अब प्रारम्भ करने में क्या दिक्कत आ रही है ?

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : आप समझ गये क्या ?

(विराम)

श्री सभापति : और किसी माननीय सदस्य को बोलना हो तो बोल सकते हैं।

(विराम)

प्रश्न यह है कि····

(व्यवधान)

आप अजीब बात कर रहे हैं। एडजोर्न करूं या कोई पक्का जवाब आ रहा है ?

श्री बृज सुन्दर शर्मा (विधि मंत्री) : यह एक ऐसा मुद्दा उठाया गया है कि पहले एक कानून पास कर दिया····

(व्यवधान)

श्री सभापति : कोई विषय नहीं है तो अच्छी बात है। कोई बात आ रही है या एडजोर्न करूं।

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : लाइन क्रास करनी है क्या ?

एक माननीय सदस्य : आप केवल टाइम लेना चाहते हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : आपने जो सवाल उठाया है····

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

प्रश्न यह है कि राजस्थान समाज शिक्षण बोर्ड (निरसन) विधेयक, 1982 को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही 45 मिनट के लिये स्थगित की जाती है, केवल 45 मिनट के लिये।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. 4.35 बजे 45 मिनट के लिये स्थगित हुई)

विधान सभा की बैठक पुनः म. प. 5.20 बजे प्रारम्भ हुई

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

समिति का प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति के पन्द्रहवें प्रतिवेदन पर विचार एवं पारण

श्री अध्यक्ष : विधि मन्त्री, कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन रखेंगे।

व्यवस्था का प्रश्न

कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन की प्रतिलिपियों का माननीय सदस्यों को वितरण

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पाइन्ट आफ आर्डर····

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप तो मौजूद थे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : मौजूद था इसलिए ही तो कह रहा हूं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मेरा यह निवेदन है कि अभी तो कार्यवाही शुरू हुयी है, अभी तो वैक्यूम है, वैक्यूम में पाइन्ट आफ आर्डर कहां से आ गया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपके एक शब्द बोलते ही वैक्यूम तो खतम हो गया है। अब तो कार्यवाही शुरू हो गयी है। मेरा निवेदन यह है कि इस सदन में पूरे सत्र के लिये कार्य सलाहकार समिति की रिपोर्ट पेश होने जा रही है, पूरे सत्र में क्या कार्यवाही होगी इसका विवरण आ रहा है तो माननीय सदस्यों को यह आपत्ति हो सकती है कि हमारे पास लिखित में कुछ नहीं है। मेरे को तो कह सकते हैं क्योंकि मैं तो वहां पर मौजूद था पर अन्य माननीय सदस्य तो मौजूद नहीं थे उनको इस बारे में जानकारी नहीं हो सकती है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : कल सुबह तो पहुंच ही जायेगी सबके पास।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कल सुबह जो लिस्ट पहुंचेगी वह तो पास शुदा पहुंचेगी। जब सबको जानकारी ही नहीं है तो वे पारित किस प्रकार से कर देंगे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप भी नेता रहे हैं सदन के और अभी विपक्ष के नेता हैं, आपको तो जानकारी है कि बी. ए. सी. के अन्दर सभी पार्टियों के प्रतिनिधि होते हैं, उनसे विचार विमर्श के बाद ही सब तय किया जाता है। फिर कल सुबह तो सभी माननीय सदस्यों को मिल ही जायेगी इसमें कोई खास आपत्ति की क्या बात है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इनकी तो आदत है बीच के अन्दर बोलने की, इसलिए ये बोल गये हैं।

मेरा निवेदन यह है कि कल जिस समय यह वितरित होगी उस समय तक तय, पारित हो चुकी होगी। अभी सब माननीय सदस्यों को पता ही नहीं है कि किस विषय के लिए कितना समय रखा गया है और वह समय पर्याप्त है या नहीं है। कल तो मंजूर शुदा सर्कूलेट होगी, उससे क्या फायदा है। इसलिये मेरा निवेदन यह है, मेरा सुझाव यह है कि इसको पारित करने से पहले सदस्यों को इसकी जानकारी होनी चाहिये। अब आप यह कह देंगे कि जानकारी के लिये पढ़ कर सुना रहे हैं तो सुनने से क्या होगा। मान लो आप अनुसूचित जाति के आयोग की रिपोर्ट के लिए एक दिन रख रहे हैं और सदस्य उस पर दो दिन बहस करना चाहते हैं क्योंकि उस पर एक दिन में कुछ बहस नहीं हो सकती है तो उसके लिये संशोधन देने का सदस्यों को समय कहां से मिलेगा। अगर सदस्यों को यह मालूम हो जाये कि आप इसके लिये एक दिन रख रहे हैं तो वे इसका विरोध करेंगे। इसलिये मैं यह कह रहा हूं, मेरा इतना सा निवेदन है कि पारित होने से पहले यह सबको मालूम होना चाहिए।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : क्या इसका मतलब यह है कि कल कोई बिजनेस नहीं होगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : होगा क्यों नहीं, जो तय है वह होगा।

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के नेता महोदय ने एक पाइन्ट आफ आर्डर उठाया है कि जो कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है उसकी प्रतिलिपियां सदस्यों को मिली नहीं है। यह भी कहा कि विधि मंत्री जी कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन को पढ़ कर सुनाना चाहते हैं उससे सभी माननीय सदस्य उसके बारे में अपनी आपत्तियां प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे।

ऐसा है कि हमारी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी एक मिनिएचर आफ हाउस होती है, उसमें सदन के सभी पक्षों के, सभी दलों के सदस्यों का प्रतिनिधित्व होता है काफी गहराई से विचार करके आम तौर पर कार्य सलाहकार समिति अपने प्रतिवेदन को तैयार करती है। विपक्ष के नेता महोदय को भी जानकारी है कि आज भी काफी विस्तृत चर्चा करने के पश्चात ही जो कार्य इस सत्र में लिये जाने थे उनको अंतिम रूप दिया गया है। इसके अलावा अभी विधि मंत्री जी ने कहा था कि वह कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन को माननीय सदस्यों की सहूलियत के लिए पढ़ कर सुना देंगे। मैं समझता हूं कि यह कोई ऐसी विकट समस्या नहीं है, कोई बड़ी समस्या नहीं है, इसलिए विपक्ष के नेता महोदय ने जो आपत्ति उठायी है उसको मैं निरस्त करता हूं।

समिति का प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति के पन्द्रहवें प्रतिवेदन पर विचार एवं पारण

श्री विधि मंत्री।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (विधि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के पन्द्रहवें प्रतिवेदन को उपस्थापित करता हूं जो निम्न प्रकार है: —

कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 6 सितम्बर, 1982 को म. प. 3–00 बजे हुई। समिति सिफारिश करती है कि दिनांक 7 सितम्बर, 82 से 21 सितम्बर, 1982 तक सदन में लिये जाने वाले कार्य के लिये समय का बंटवारा निम्न प्रकार से किया जाय—

मंगलवार, दिनांक 7 सितम्बर, 1982	1. राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, 1982
	2. राजस्थान सार्वजनिक द्यूत अध्यादेश (संशोधन) विधेयक, 1982
	3. राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 1982

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

4. सिविल प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1982 पर विचार एवं पारण ।

बुधवार, दिनांक 8 सितम्बर, 1982

1. राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1982

2, उदयपुर विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन) विधेयक, 1982

3. राजस्थान सरकारी संस्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 1982

4. मोटर यान (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1982

गुरुवार, दिनांक 9 सितम्बर, 1982

1. राजस्थान मोटर यान कराधान (संशोधन) विधेयक, 1982

2. राजस्थान यात्री और माल कराधान (निरसन) विधेयक, 1982

3. राजस्थान कृषि साख प्रचालन (कठिनाइयां निराकरण) (संशोधन) विधेयक, 1982

4. राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1982 पर विचार एवं पारण ।

शुक्रवार, दिनांक 10 सितम्बर, 1982

1. राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल लिमिटेड का 34 वां प्रतिवेदन, तथा

2. राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम के द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन व लेखों पर विचार

शनिवार, दिनांक 11 सितम्बर, 1982 व रविवार, 1982 — बैठक नहीं होगी

सोमवार, दिनांक 13 सितम्बर, 1982 व मंगलवार, दिनांक 14 सितम्बर, 1982 — जयपुर विकास प्राधिकरण विधेयक, 1982 पर विचार एवं पारण ।

बुधवार, दिनांक 15 सितम्बर, 1982

1. वर्ष 1982-83 के लिये अनुपूरक अनुदान की मांगें (प्रथम संकलन) एवं तत्संबंधित विधेयक पर विचार एवं पारण ।

2. वर्ष 1975-76 के लिए अतिरेक अनुदान

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

	की मांगों तथा तत्संबन्धी विधेयक पर विचार एवं पारण
गुरुवार, दिनांक 16 सितम्बर, 1982	1. आयुक्त अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के 26 वें प्रतिवेदन पर विचार
शुक्रवार, दिनांक 17 सितम्बर, 1982	1. गैर सरकारी कार्य
	2. संविधान (छियालीसवां संशोधन) विधेयक, 1982 के अनुसमर्थन संबंधी संकल्प पर विचार एवं पारण
शनिवार, दिनांक 18 सितम्बर, 1982 व रविवार, दिनांक 19 सितम्बर,	बैठक नहीं होगी ।
सोमवार, दिनांक 20 सितम्बर, 1982	राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के वार्षिक वित्तीय विवरण पर विचार
मंगलवार, दिनांक 21 सितम्बर, 1982	उपरोक्त में से अवशेष कार्य यदि हो ।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं ...

श्री बृजसुन्दर शर्मा : प्रस्ताव तो हो जाये ।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दिनांक 8.9.82 को निम्नांकित विधेयक को भी विचारार्थ एवं पारित करने हेतु लिया जाये–

राजस्थान भूमि एवं भवन (संशोधन) विधेयक, 1982

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलहाकार समिति के 15 वें प्रतिवेदन से अपनी सहमति प्रकट करता है ।

श्री नन्दलाल मीणा : (प्रतापगढ़) अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं........

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पूर्व में सदन की यह परम्परा रही है कि कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन जो होते हैं उस पर हम सर्वसम्मति से सहमति प्रकट करते हैं । केवल एक वार पिछली बार ऐसा नहीं हो सका था और उसमें मतभेद हो गये थे । अगर कुछ माननीय सदस्य यह महसूस करेंगे कि पहले के दिनों में कोई विषय रह गया है जिस पर पर्याप्त चर्चा नहीं हुई है तो उस पर विचार कर लेंगे और उसको 21 तारीख को ले लेंगे । ऐसा मैं समझता हूं ।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति और जन जाति कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा के लिये एक ही दिन रखा गया है जबकि जयपुर विकास प्राधि-

(श्री नन्दलाल मीणा(

करण के बारे में विचार करने के लिये दो दिन का समय निश्चित किया गया है। राजस्थान की 28 प्रतिशत जनता की समस्याओं पर विचार करने के लिये केवल एक दिन का ही समय निश्चित किया गया है यह कम है इसको कम से कम तीन दिन किया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : आपने जो बात कही है यह बात मेरे भी ध्यान में थी इसलिये मैंने एक दिन खाली रखा है। अगर इस तरह का कोई प्रस्ताव आयेगा तो उस दिन उस विषय को ले लिया जायेगा और उस पर चर्चा कर लेंगे। पहले 20 तारीख को ही सत्रावसान होने वाला था लेकिन इसलिये ही 21 तारीख को खाली रखा है। मेरे ख्याल से इसमें सन्तुष्टि नहीं होगी तो उस परिस्थिति में उस दिन के समय का इसमें उपयोग कर लिया जायेगा।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : जयपुर विकास प्राधिकरण के लिये एक दिन का ही समय रखा जाये और अनुसूचित जाति एवं जनजाति कमीशन की रिपोर्ट पर विचार का समय बढ़ाया जाये।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है कि यह एक सभा है और विधान सभा है कानून बनाने वाली। आपने देखा है कि पिछले दो सालों मे हमने बहुत कम कानून बनाये हैं। कानून बनाने की प्रक्रिया का भी माननीय सदस्यों को ज्ञान जरूरी है इसलिये जयपुर प्राधिकरण के ऊपर दो दिन का समय रखने की कोशिश की गयी है

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, आपने यह कहा कि कानून बनाने की प्रक्रिया का ज्ञान हो लेकिन एक दिन में चार चार विधेयक रखे हैं तो फिर किस प्रकार विचार होगा• और ज्ञान होगा ?

श्री अध्यक्ष : कार्य सलाहकार समिति की बैठक में इस प्रश्न पर विस्तार से विचार हुआ है। उसमें यह पाया गया कि ये काफी छोटे छोटे हैं इसलिए एक एक दिन में चार चार विधेयकों को लिया गया है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : लेकिन कल के दिन तो आपने पांच रखे हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के पन्द्रहवें प्रतिवेदन से अपनी सहमति प्रकट करता है ?

(स्वीकृत)

सहमति प्रकट की गयी

कार्य सलाहकार समिति के पन्द्रहवें प्रतिवेदन से सहमति प्रकट की गयी।

जो माननीय सदस्य विधेयकों के संबंध में अपने संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहें वे कल 11 बजे तक दे सकते हैं।

सदन की बैठक कल दिनांक 7 सितम्बर, 1982 के प्रात: 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. 5 34 बजे मंगलवार दिनांक 7 सितम्बर, 1982 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई)

(141)

परिशिष्ट-1

तारांकित प्रश्न संख्या 3 की सूची

विद्यालयों की सूची 30-9-81

पंचायत समिति—अटरु जिला–कोटा

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	
1.	रा. उ. मा.वि.	अटरु
2.	रा. मा. वि.	मोठपुर
3.	"	कव ई
4.	"	अडोरा
5.	"	कुन्जेड
6.	"	आटोन
7.	रा. उ. प्रा. वि.	आर्डोद
8.	"	सकतपुर
9.	"	चरडान
10.	"	कुन्डी
11.	"	बहरोद
12.	"	कटावर
13.	"	मनावता
14.	"	पटना
15.	"	दिवाली
16.	"	खेडली गंज
17.	"	मूडसा विसौती
18,	"	दीलोद हाथी
19.	"	अन्ताना
20	मिशन, स्कूल	पिपलोद

———

परिशिष्ट 2

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके प्रश्न एवं उनके उत्तर

टोंक शहर में चबूतरों का नियमितीकरण

7. श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि टोंक शहर में नगर परिषद् द्वारा बहुत सारे व्यक्तियों के चबूतरे जो कि बहुत समय से बने हुए थे उन्हें नियमित करने का निर्णय लिया गया और नियमितीकरण के प्रयोजनार्थ नियमानुसार उक्त व्यक्तियों ने राशि जमा करा दी थी ?

(2) यदि हां, तो फिर उनके नाम रजिस्ट्री क्यों नहीं करवाई गई है ? इसके लिये कौन जिम्मेदार है ? अब कब तक रजिस्ट्री करवाकर उन्हें पट्टा दे दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) टोंक में बहुत समय से बहुत सारे चबूतरे नहीं बने थे। नगर परिषद् टोंक द्वारा कुछ चबूतरे जो जनवरी, 1981 के बाद के बने हुए हैं, उ को नियमित करने का आदेश दिया था एवं इस हेतु पांच व्यक्तियों ने राशि जमा भी कराई थी।

(2) इनकी नियमानुसार रजिस्ट्री नहीं कराई जा सकती क्योंकि डिप्टी टाउन प्लानर की इसमें पूर्व स्वीकृति आवश्यक थी।

उदयपुर-रतनपुर सड़क पर दुर्घटनाएं

8. श्री भेरूलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर से रतनपुर सड़क पर 12 किलोमीटर पर ऊंडा नाला है जहां बराबर दुर्घटनायें होती रहती हैं, जिससे जन-धन का काफी नुकसान होता है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इसी सड़क पर करीब 18 किलोमीटर पर एक ऐसा विकट मोड़ है जिसके कारण आये दिन घातक दुर्घटनायें होती रहती हैं ?

(3) यदि हां, तो इन स्थानों पर भविष्य में दुर्घटनायें रोकने के ख्याल से क्या सरकार इन सड़कों का सुधार करने का विचार रखती ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) उदयपुर से रतनपुर राष्ट्रीय राज मार्ग नं. 8 सड़क पर 12 कि० मी० पर अंडा नाला पर कभी कभी दुर्घटनाएं हो जाती है जिनसे जन धन की क्षति होती है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(2) यह सही नहीं है कि सड़क पर करीब 18 किलोमीटर पर एक विकट मोड़ है अतः आये दिन घातक दुर्घटनाएं होने का प्रश्न नहीं उठता।

(3) ऊंडा नाला पुल पर दुर्घटनायें रोकने के विचार से उचित सुधार कार्य करवाये जाने का तखमीना भारत सरकार को भेजा जा चुका है। कार्य स्वीकृत होने पर प्रारम्भ कराया जायेगा।

ग्रेजिंग पेडोक्स वन, पाली में पेड़ों की अवैध कटाई।

9. श्री भैरू सिंह गुर्जर (खारची)

श्री शिवदान सिंह राठौड़ (जेतारण)

श्री गोकुल चन्द शर्मा (सुमेरपुर) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या पाली जिला उपवन संरक्षक कार्यालय में समीपस्थ ग्रेजिंग पेडोक्स वन में पेड़ों की अवैध कटाई की शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हा, तो कब ?

(2) क्या प्राप्त शिकायत की जांच कराई गई है ? यदि हां, तो उक्त जंगल में अवैध रूप से काटे गये पेड़ों की संख्या कितनी है ?

(3) जंगल की अवैध कटाई के लिये जिम्मेदार कौन लोग हैं एवं उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) जी हां। अवैध कटाई के संबंध में माननीय विधायक सर्व श्री गोकुल चंद शर्मा व भैरू सिंह गुर्जर की लिखित शिकायत दि. 17. 7. 82 को तथा माननीय सांसद श्री मूलचन्द डागा की लिखित शिकायत दि. 21. 7. 82 को प्राप्त हुई।

(2) शिकायत की जांच हेतु निदेशक, सतर्कता वन विभाग को दि. 17. 8. 82 को आदेश दिये जा चुके हैं। जांच अभी जारी है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही सही स्थिति की जानकारी ज्ञात हो सकेगी।

(3) जांच के उपरान्त ही कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार है, बताना संभव होगा व इसके पश्चात ही दोषी पाये जाने वाले लोक सेवकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

ग्राम ठिपरी तहसील पीपल्दा में रहन मुक्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत छापा

10. श्री हीरा लाल आर्य (पीपल्दा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले की पीपल्दा तहसील के ग्राम ठीपरी में दिनांक 9-7-1976 को तत्कालीन एस. डी. ओ. ने रहन मुक्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत वहां के श्री पन्ना लाल रामकुमार महाजन के यहां छापा मार कर सोना एवं चांदी के जेवर वसूल किये थे ?

(149)

(श्री हीरालाल आर्य)

(2) यदि हां, तो उक्त जेवर किन-किन व्यक्तियों का कितना था तथा कितने में गिरवी था ? कृपया पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त जेवर उन गरीब व्यक्तियों को लौटा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा अब कब तक लौटा दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जेवरात की पूर्ण विवरण की सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(3) उक्त जेवरात आयकर विभाग, कोटा के यहां जमा है जो उनके यहां दर्ज केस के निपटा दिये जाने के बाद वापस हो सकेंगे।

(45)

फर्द तलाशी श्री दामोदर प्रा. भंवरलाल महाजन निवासी ढोपरी जेवरात गिरवी दि. 8-7-76 मु. ढोपरी सब तहसील इन्द्रगढ़ थाना खातोली जिला–कोटा (राज.)

क्र.सं.	नाम मालिक जेवर	नाम जेवर	रकम जिसके पेटे यह रहन की गई	हुलिया जेवर	वजन सी.एम.एम.जी.	केफियत
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री माधो पटेल बोरदा	मुरकी सोना चोपड़ा	1600/-	देशी घड़त	10-80	
2.	श्री माधो पटेल बोरदा	नथ सोना		बोरीदार बीच में लाल नग मय जंजीर चांदी	54-200	
3.	श्री कल्याण भील सीनोता	कंठी सोना	650/-	फूलीदार बीच में चांदे सफेद नग मय बोरदाना	50-950	
4.	श्री रामधन नाई ढीपरी	कंठी सोना	1200/-	फूलीदान मय बारदाना गुंथी हुई	46-200	

1	2	3	4	5	6	7
5.	श्री रामधन नाई ढीपरी	कंठी सोना	1200/-	चौकड़ी बीच में फूली गुलाबी सफेद नग लगी हुई मय बारदाना	53-580	
6.	श्री रामधन नाई ढीपरी	कंठी सोना	1200/-	चौकड़ी गुलाबी सफेद नग गुंथी हुई मय बारदाना	40-150	
7.	श्री धन्नालाल धाकड़ शेरपुर	कंठी एक	600/-	बीच में नग चांद वाला सफेद हरे गुलाबी रंग के मय बारदाना	63-900	
8.	श्री धनपाल गूजर बेजपुर	कानों के चौकड़े जड़ी व एक तावीज		दो हरे चौकड़े तावीज के दो मय बारदाना	15-50	रकम का उल्लेख नहीं है।
9.	श्री केशरीलाल	गोखरू सोना चार नग दो जोड़ी	6000/-	गोखरू मोती की बनावट की	62-300 62-600	
10.	श्री केशरीलाल	हार गले का सोने का		नेकलास गुलाबी नग में लगे हुये	35-700	
11.	श्री केशरीलाल	जंजीर गले की सोना		देशी घड़त टांके वाली	11-250	

1	2	3	4	5	6	7
12.	श्री कजोड़ चमार नीमसरा	कानों के झेले सोना	900/-	सूतीया मय बारदाना एक के एक तरफ धागा बंधा हुआ एक लड़ी	23-100	
13.	,, माधो मीणा नीमच	टड्डा सोना	1600/-	बोरियादार मय बारदादा तांवा	210-650	
14.	,, जगन्नाथ मीना सीनोता	नथ सोना		बोरियादार बीच में एक लाल रंग छः पुली मय जंजीर चांदी	41-200	रकम का उल्लेख नहीं है।
15.	,, घासी चमार शेरगंज	चोकड़ा नग चार जोड़ी दो सोना		दोवड़ा	20-300	,,
16.	,, रामनारायण आड़ाठोला	चौकड़ा सोना कानों के दो नग एक जोड़ी		दोवड़ा	10-450	,,
17.	,, केसरीलाल महाजन निमोला	चौकड़ा सोना दो नग एक जोड़ी	—	दोवड़ा	9-800	
18.	,, गोपाल कोली कोटडा	गुट्टीया सोना एक जोड़ी	300/-	फूलीदार एक में गुलाबी नग एक बिना नग मय बारदाना	3-950	

1	2	3	4	5	6	7
19.	श्री गोरू गुजर बैंजपुर	चोकड़ा सोना दो नग	500/-	दोबड़ा	10-600	
20.	,, मांगीलाल मीना खेड़ली	नथ सोना एक	1700/-	मोरयादार बीच में लाल नग चार बोरिये पांच फूली एक हरा नग गय जंजीर	51-500	
21.	,, मांगीलाल मीना खेड़ली	टड़ा सोना एक		दोनों मुंह पर बोरियामय बारदाना तांबा	266–00	
22.	,, जगन्नाथ गुजर बागरोन	सूरज सोना एग	80/-	काली सानी में पुड़िया हुआ मय बारदाना	19-200	
23.	,, माधोचमार शेरगंज	सूरज सोना एक	600/-		23-80	
24.	,, कजोड़ चमार नीमसरा	कंठी सोना एक	2000/-	बीच में चौकड़ी गुलाबी नग चार लगे हुये काली तानी से पुरी मय बारदाना	33-200	
25.	,, कजोड़ चमार नीमसरा	चोकड़ा सोना दो नग एक जोड़ी		दोवड़ा	10-560	
26.	,, कजोड़ चमार नीमसरा	झेला सोना दो नग एक जोड़ी		एक लड़ी सुतिया	22-150	

1	2	3	4	5	6	7
27.	श्री पूर्णानन्द पटवारी सिनोता	हार एक व टोकरी दो नग एक जोड़ी सोना	2000/-	नेकलेस टोकरी गुलाबी रंग की नग लगे हुये	43-500	
28.	,, मीना कुम्रागांव	चोकड़ी सोना दो नग एक जोड़ी	300/-	दोवड़ा	11-100	
29.	,, रामगोपाल सिनोता	चोकड़ा सोना दो नग एक जोड़ी	350/-	दोवड़ा	9-700	
30.	,, मोतीलाल पटेल बकरावदा	झेला सोना एक जोड़ी	350/-	सूतिया एक लड़ी	17-100	
31.	,, रामनारायण सोनोता	सूरज सोना एक	225/-	काली तानी में पोया मय बारदाना डिब्बे में. 1	25-500	
			योग		1353-850	

जेवरात चांदी के

32.	श्री रामकिशन मीना सीनोता	मरेंड़ी तोड़ा चांदी एक जोड़ी दो नग	500/-	देशी पुरानी चांदी एक बिना कील का	0-911-00	

1	2	3	4	5	6	7
33.	श्री श्रीराम मीना सीनोता	कड़िये जोड़ दो नग चार नीमठ	1108/-	नीमठ देशी घड़त	1-517-00	
34.	,, मांगीलाल कीर गोठड़ा	आंवला नग दो जोड़ी एक	100/-	देशी घड़त मय कील के	0·228-00	
35.	,, सी चमार ढीपरी	एक कटला चांदी का व दो कनकती चाँदी की	200/-	कटला तानी में पया हुआ पुराने सिक्के की लेन्ट की तीन लड़ी वाला	1-128-00	
36.	,, मांगीलाल बाई खेड़ली	बलिया नग दो एक कनकती चांदी की		बलिया नीमर बेलदार कनकली मोतिया लड़	0-687-00	
37.	,, प्रहलाद चमार ढीपरी	आंवला चांदी नग दो एक जोड़ी	120/-	देशी घड़त मय कीली	0-239-00	
38.	,, श्रवण मीना खेड़ली	कढ़िया नग चार, दो जोड़ी चांदी	1000/-	नीमर देशी डतम	1-493-00	
39.	,, कजोड़ चमार, नीमसरा	आंवला चांदी छोटे दो नग व कनकती चांदी	900/-	आंवला एक बिना कील कनकती मोतिया लड़	0-554-00	
40.	,, चतरा की ढीपरी	आंवला बडे नग दो व एक छोटा बरिया नग दो कनकती चांदी एक	500/-	एक बिना कील का आंवला कड़े में एक कील पोले बरिया सौ भर कनकती तीन लड़ी	0-844-00	

1	2	3	4	5	6	7
41.	श्री जगन्नाथ गूजर, बागरोद	कड़िया नग दो एक जोड़ी चांदी	700/-	देशी इतठी भर	0-989-00	
42.	„ जुगल पासवान ढोपरी	आंवला नग दो कड़िया बच्चे के पैरों की बिल्लीया एक बाजरी जोड़ी एक नग दो वाजू एक चांदी की	900/-	वाजू पोया हुआ एक मय वारदाना आंवले पीले कड़िया नीभर वलिया बोरडार बाजरी दो तरह की गोखरू व मोती वाली	0-995-00	
43.	„ भूरिया चमार, ढोपरी	आंवला जोड़ी एक नग दो कनकती चांदी का	350/-	कनकती मोतिया लड़ तीन लड़ी पांच नग हरे लाल नग लगे हुपे आंवला पीले	0-563-00	
44.	„ मदन पासवान, ढोपरी	जोड़ मय झालर कुल 14 नग	600/-	जोड पोले खसर घुमेरदार देशी घड़त	0-806-00	
45.	„ प्रहलाद मीना	तोड़े चान्दी नग चार दो जोड़ी	1400/-	मराठी तोड़े एक में कील नहीं है देशी घड़त	1-904-00	
46.	„ केसरीलाल महाजन निमोला	खुगाली एक कड़ीया छोटी दो नग कड़ी जोड़ एक वाजू वन्द दो कनकती नग चांदी	1800/-	कनकती मोतियां लड़ तीन लड़ी मय वारदाना दो खुगाली नीमर लच्छा वना हुआ मय वारदानो कड़िया नीमर चुडी नीमर	2-652-00	

1	2	3	4	5	6	7
47.	श्री चन्दा चमार चाणदा	कडुलिया नग दो बल्लिया नग दो	800/-	कडिलिया नीमर कड़ूलिया नार मड़ी बल्लिये सादा मुंह पर पत्तीयां मुड़ी हुई	1-245-00	
48.	,, सी चमार शेरपुर	खुंगाली एक ग्रांवला नग दो बाजू नग पोंच एक कनकती एक चांदी	1500/-	खुगाली नीमर ग्रांवला पोले बिना कील कनकती मोतिया लड़ तीन लड़ी बाजू व पांच पोये हुये मय बारदाना	1-572-00	
49.	,, हनुमानदास, ढीपरी	झाझर नग दो व चूड़ी दो चांदी		चूड़ी पोली झांझर नीमर रूकदार	0-354-00	
50.	,, रनपाल गूजर बेंजपुर	कनकती एक बाजू एक ग्रांवला नग चार जोड़ी दो कड़िया दो कड़ूलिया नग दो चांदी	1100/-	कड़लिया नारमुखी ग्रांवले पोले बिना किले कनकती तीन लड़ी मय बारदाना बाजू तानों में पोकर मय बारदाना	1-0-60	

1	2	3	4	5	6	7
51.	श्री मांगीलाल मीना, ढीपरी	बाजू एक कनकती एक कड़ा नग दो आंवला नग चार बाजरी नग दो	700/-	बाजरी एक बिना कील लच्छा पोया हुआ बाजू गुया हुआ मय बारदाना कड़ा बोरदार आंवले पोले कनकती सुतजा बिना कील	1-025-00	
52.	,, बसन्ता नाई ढीपरी	आंवला दो कनकती दो कनकती एक पीतल दो चान्दी	350/-	आंवला पोले एक बिना कील कनकती तीन लड़ी मय बारदाना पीपलपत्ता मय जंजीर व मारू तीन मय बारदाना	0-777-00	
53.	,, केशरीलाल महाजन निमोदा	बाजू एक कड़ा नग दो बाजरी नग दो आंवला नग दो चूड़ी नग दो	1500/-	बाजू पोया हुआ मय बारदाना आंवला बाजरी एक बिना कील सूड़ीया ठोमर	2-387-00	
54.	,, बंशी कुम्हार बागरोंद	कनकती चान्दी एक	200/-	मोतिया लड़ सात जगह लाल हरे नग लगे हुये तीन लड़ी	0-362-00	

Page No 156

(154)

1	2	3	4	5	6	7
55.	श्री देवा चमार ढोपदी	कनकती चान्दी एक	100/-	मोतिया माड़स दो लड़ी	0-234-00	
56.	,, जुवाहरा भील सीगोता	बाजू एक चांदी पुराने सिक्के पंचम जार्ज के एडवर्ड आदि तादाद 42 एक कील वाली		बाजू पोया हुआ मय बारदाना पुराने सिक्के	0-725-00	कीमत का उल्लेख नहीं है ।
57.	,, रामनारायण मीना आडागेला	खुंगाली एक आंवला नग दो कड़िया नग पांच कनकती एक चांदी	1500/-	कनकती मोतिया लड़ कड़िया खुंगाली ठोमर आंवला पोला	2-515-00	
58.	,, मांगीलाल मीना, खेड़ली	खुंगाली एक चांदी	1700/-	ठोमर मय बारदाना	1-177-00	
59.	,, सीताराम चमार, ढोपरी	खुंगाली एक चांदी	300/-	नीमर मय बारदाना	0-502-00	
60.	,, भेरू मीना, राजपुरा	खुंगाली चांदी एक	880/-	नीमर मय बारदाना	0-938-00	
61.	,, जुगल पासवान ढोपरी	चूड़ियां पोली नग 6 कनकती चांदी एक	700/-	कनकती दो लड़ी बीच में गुंथी हुई एक तरफ एक लड़ मोतियां	0-687-00	

1	2	3	4	5	6	7
62.	श्री जगन्नाथ पटेल, सीनोता	तोड़ा चांदी	200/-	मेंढ़स चूडियां पोली देशी घड़त मराठा तोड़ा बिना कील	0-885-00	
63.	,, रामनारायण मीना, सीनोता	कनकती चांदी एक	30/-	मोतियां तीन लड़ी	0-395-00	
64.	,, विश्ना कोली, गोठड़ा	चूड़ियां बच्ची की चार नग चांदी	100/-	चूड़िया पोली	0-129-00	
65.	,, माधो चमार, शेरपुर	कनकती चान्दी एक	600/-	मोतिया लड़ तीन लड़ी	0-357-00	
66.	,, श्याना चमार सुमेर नगर	कड़िया चांदी	424/-	ठोमर देशी घड़त	0-704-00	
67.	,, रामनारायण मीना, सीनोता	खुंगाली चांदी एक	700/-	खुगाली ठीमर मय वारदाना	0-937-00	
68.	,, नूना चमार, शेरगढ़	खुंगाली एक चांदी की	360/-	ठीमर मय वारदाना	0-478-00	
69.	,, कजोड़ चमार, नीमसरा	आंवला नग दो बाजरी एक कनकती नग एक चांदी	250/-	कनकती पोली लड़ तीन लड़ी वाली पोले छोटे वाजरी वोटेदार	0-575-00	

Page No 158

(158)

1	2	3	4	5	6	7
70.	श्री कजोड़ चमार, नीमसरा	खुगाली एक कनकती चांदी एक	2000/-	खुगाली ठोमर कनकती गोतिया लड़ी तीन लड़ी	0-760-00	
71.	,, नाथू खटीक ककरावदा	खुगाली एक लड़ी, खुगाली छोटी एक बाजरी जोड़ी एक कनकती नग दो कडिया नग दो टनका नग दो ग्रांवला नग चार	1500/-	टनका पोला रूदार ग्रावला पोला तीन बिना कील कनकती मोतिया लड़ी तीन लड़ी	2-470-00	
72.	,, केशरीलाल महाजन निमोदा	ग्रांवले नग चार बाजरी एक चांदी की	120/-	ग्रावला पोला तीन बिना कील वाली बोरेदार खुगाली नीभार	0-574-00	
73.	,, भूना चमार शेरगढ़	खुगाली चांदी	400/-	मय बारदाना तीन जगह हरे लाल नग लगे हुये	0-482-00	
74.	,, विश्ना चमार ढोपरी	कनकती चांदी	200/-	सूतिया मय बारदाना	0-400-00	
75.	,, रसुल लुहार गोठड़ा	खुगाली एक बाजू एक बाजरी एक ग्रांवला नग दो पोंच एक	500/-	ग्रावला पोले बिना कील बाजू बोरेदार पोज व बाजू नथी हुई	1-0-65	

Page No 159

1	2	3	4	5	6	7
76.	श्री रामनारायण मीना सीनोता	खुंगाली एक कड़िया दो	968/-	ठीमर देशी घड़त	1-198-00	
77.	,, माधो पटेल नीमसरा	चूड़िया कासर जोट नग 18 चांदी	1500/-	चूडिया पोली झाबर हुकदार	1-735-00	
78.	,, पूर्णानन्द पटवारी सिनोता	गड़ी नग 2 चूड़ियां नग 10 झावरी नग 2 चांदी		चुडिया नीमर कड़िया पोली झाझरी रोरूदार	1-122-00	रकम इन्द्राज नहीं है।
79.	,, काना कीर सीनोता	बाजू एक कनकती एक	300/-	बाजू पोया हुआ व कनकती पोली लड़ 3 मय बारदाना	0-643-00	
80.	,, पूरिया आकड़ ढीपरी	खुंगाली एक बीढीया 2 आवला दो बाजरी एक चांदी की	700/-	बाजरी आंवला कड़िया पोली सुगारी ठोमर	1-482-00	
81.	,, कल्याण चमार श्योपुर	कड़िया पोलो-2 कड़िया नीमर-2	400/-	कड़िया बिना कीलों की पोली ठोरिया फूलपत्ती जड़े हुये	0-592-00	
82.	,, गोपाल कोली गोठडा	कनकती एक चांदी	300/-	मोतिया लड़ तीन लड़ी एक लड़ तीन लड़ी	0-350-00	

1	2	3	4	5	6	7
83.	,, जुगल पासवान ढोपरी	कढिया चान्दी नग 2	400/-	ठोमर	0-751-00	
84.	,, कंवरा चमार शेरगंज	कढिया छोटी नग दो चांदी		ठोमर	0-435-00	
85.	,, केशरीलाल महाजन निमोला	कठिया नग दो	360/-	ठोमर	0-738-00	
86.	,, भेरिया कोली गोठड़ा	कनकती चांदी	200/-	तीन लड़ी मोतिया लड़ी	0-460-00	
87.	,, बजरंगलाल मीना शेरगढ़	कनकती चांदी एक	325/-	तीन लड़ी मोतियां लड़ी ठोमर	0-468-00	
88.	,, रामनारायन मीना सीनोता	खुंगाली चांदी एक	700/-	ठोमर मय बारदाना	0-782-00	
89.	,, गोरू गूजर बंजपुर	कनकसी चांदी एक	500/-	चार लड़ी मोतिया नौ नग लगे हुये	0-547-00	
90.	,, लक्ष्मीनारामण बागरोद	तोड़ा एक चान्दी	300/-	मराठा तोड़ा	0-460-00	
91.	,, मांगीलाल गूजर खेड़ली	बाजू चांदी छोटा एक	80/-	सिक्केदार पोया हुआ मय बारदाना	0-193-00	
92.	,, प्रहलाद चमार ढोपरी	पोंच चांदी एक		बोरियादार मय बारदाना	0-63-00	
93.	,, पांचू चमार ढोपरी	कनकती चांदी एक	100/-	मोतिया लड़ दो लड़ी	0-212-00	

1	2	3	4	5	6	7
94.	श्री हजारीनाथ चाण्दा	कडिया नग दो चांदी	300/-	ठीमर देशी लड़	0-993-00	
95.	,, माधोलाल मीना कंथागांव	कडिया चांदी नग	800/-	ठीमर देशी लड़	1-245-00	
96.	,, पांचू चमार ढीपरी	खुंगाली एक बाजू एक गुट्या लड़दार कनकती चांदी		कनकती चार लड़ी बाजू पोला पोया हुआ मय बारदाना खुंगाली के लच्छा लगा हुआ	1-470-00	रकम का इन्द्राजनहीं है।
97.	,, हजारी नाथ चाण्डदा	कडिया नग दो चान्दी	400/-	ठोमर सूतली में बनी हुई	0-807-00	
98.	,, मांगीलाल मीना खेड़ली	बलिया नग दो चांदी	250/-	ठोमर देशी घत	0-403,00	
99.	,, मोरपाल मीना टोड़ी	तोड़ा चान्दी नग दो		मराठा घड़त मय कील	1.132.00	
100.	,, मोरपाल मीना टोड़ी	आंवला नग 11 छोटे-बड़े चान्दी कड़ा नग दो चांरदी-पोल नग चांदी 1 कनकती नग 1 चांदी	100/-	एक आंवला टूटा हुआ पोला कड़े पोले एक पोच पोई हुई मय बारदाना कनकती पोली लड़ 3	2.480.00	

Page No 162

160

1	2	3	4	5	6	7
101.	श्री पांचू चमार सिनोता	बलिया नग तीन चांदी खुंगाली छोटी एक चांदी		खुंगाली नीमर बलिया घूंघरूदार नीमार	0.457.00	
					किलो ग्राम 63–'583	

तहसील जैतारण (पाली) के लिये अर्द्ध विकसित क्षेत्र विशिष्ट योजना

11. श्री शिवदान सिंह राठौड़ (जैतारण) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या तहसील जैतारण (जिला पाली) के लिए अर्द्ध विकसित क्षेत्र विशिष्ट योजना बनाई गई थी ?

(2) यदि हां, तो इस योजना में कौन-कौन से ग्राम विद्युतीकरण हेतु सम्मिलित किये हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) यह योजना कब तक स्वीकृत कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। तहसील जैतारण (जिला पाली) का सर्वे किया जाकर विद्युतीकरण योजना (एस. यू. श्रेणी में) का प्रारूप बनाया गया था।

(2) उक्त प्रस्तावित योजना में सम्मिलित 32 ग्रामों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) इस योजना की स्वीकृति के संबंध में अभी निश्चित रूप से कुछ कहना संभव नहीं है।

तहसील जैतारण की अर्द्ध विकसित क्षेत्र विशिष्ट प्रस्तावित योजना में सम्मिलित ग्रामों की सूची

क्र. सं.	गांव का नाम	कोड सं.
1.	बलाड़ा	15/1/62
2.	पीपलिया	28
3.	लासनी	61
4.	मुण्डावा	27
5.	आसरलाई	88
6.	निम्बेड़ा खुर्द	87
7.	टूकड़ा	86
8.	बासी चैनपुरा	81
9	प्रतापपुरा	65

क्र. सं	गांव का नाम	कोड सं.
10.	ग्यास	64
11.	घोड़ावड़	26
12.	राबड़ियास	66
13.	अमरपुर	73
14.	बालूपुरा	74
15.	सेवरियां	80
16.	पालियास	84
17.	कोटड़िया	15/179
18.	हीन्दावास	78
19.	गांगलिया	68
20.	लिखमणिया	69
21.	गोडावास	72
22.	गुम्बलिया	71
23.	फटमोर दयालपुरा	75
24.	धनेरिया	76
25.	हिंगोगियां	63
26.	देवरिया राजपूतान	82
27.	खाती खेड़ा	35
28.	खेड़ा नैनपुरा	83
29.	तुम्बड़ावास	46
30.	खेड़ा मोलावास	11
31.	आखरवासनी	41
32.	सोमवास	34

पाटन व डग क्षेत्र में खोले एवं क्रमोन्नत किये विद्यालय

12. **श्री बाल चन्द्र आर्य वीर** (डग) **श्री अनंग कुमार जैन** (झालरापाटन) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) झालावाड़ जिले के पाटन व डग विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में गत शैक्षणिक सत्र में कितने मिडल, सैकण्डरी, प्राईमरी व हायर सैकण्डरी स्कूल खोले गये या क्रमोन्नत किये गये ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या सरकार का वर्तमान शिक्षा सत्र में दोनों क्षेत्रों में मिडल व हायर सैकण्डरी स्कूल्स खोलने का विचार है ?

(3) क्या डग सैकण्डरी स्कूल्स को हायर सैकेण्डरी में क्रमोन्नत करने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या वर्तमान शैक्षणिक सत्र में क्रमोन्नत कर दिया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सन् 1981–82 में पाटन पंचायत समिति व डग पंचायत समिति क्षेत्र में निम्नलिखित प्राथमिक विद्यालय ही खोले गये :—

1—किशन नगर (पंचायत समिति डग)

2—सरावा (पंचायत समिति झालरापाटन) सन् 1981–82 में पाटन व डग पंचायत समितियों में कोई नया उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं खोला गया।

सन् 1981–82 में पूरे राज्य में कोई नये माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं खोले गये।

(2) सन् 1982–83 में नये उच्च माध्यमिक विद्यालय तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलते समय विभिन्न प्रस्तावों पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जावेगा।

(3) सैकण्डरी स्कूलों को सन् 1982-83 में हायर सैकण्डरी स्कूलो में क्रमोन्नत करते समय सैकण्डरी स्कूल डग के बारे में भी गुणावगुण के आधार पर विचार किया जावेगा।

बालोतरा में रोडवेज का सब-डिपो खोलना

13. **श्री अमराराम चौधरी** (पचदरा) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या बालोतरा शहर बाड़मेर जिले का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर होने के कारण वहां रोडवेज का, सब-डिपो खोलने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक सब-डिपो खोल दिया जावेगा ?

(2) क्या राजस्थान राज्य परिवहन निगम ने बालोतरा व नारोडा से अहमदाबाद और डूंगरपुर तक कई महीनों तक बसें चलाई थीं ? यदि हां, तो ये बसें कौन से वर्ष से कब तक चलीं ? क्या निगम इन बसों को निरन्तर चालू करेगा ? यदि हां, तो कब से ?

(श्री ग्रमराराम चौधरी)

(3) क्या परिवहन निगम ने नारोड से पचपदरा वाया बालोतरा शटल बस सेवा प्रारंभ कर दी है ? यदि हां, तो कब से ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। बालोतरा (नाकोडा) से ग्रहमदाबाद बस सेवा का संचालन माह जनवरी, 1976 से माह जून, 1976 के तृतीय सप्ताह तक एवं बाद में दिनांक 12-4-79 से 19-4-79 तक किया गया था। नाकोडा डूंगरपुर बस सेवा का संचालन दिनांक 1-5-81 से 27-8-81 तक किया गया था। वर्तमान में इन बसों का संचालन पुनः प्रारम्भ करने का विचार ग्रभी नहीं है।

(3) जी नहीं।

जैसलमेर जिले की खनिज सम्पदा

14. श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी (जैसलमेर): क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जैसलमेर जिले की खनिज संपदा का कोई सर्वेक्षण कराया गया है ? यदि हां, तो उक्त जिले में कौन-कौन से खनिज पदार्थ उपलब्ध हैं ग्रौर कौन-कौन सी जगह व कितनी-कितनी मात्रा में उपलब्ध हैं ? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या उपलब्ध खनिज पदार्थों का खनन कराया जा रहा है ? यदि हां, तो किस-किस खनिज पदार्थ का खनन कराया जा रहा है व किस मात्रा में ?

(3) क्या राज्य सरकार के पास उपलब्ध खनिज भण्डारों का खनन कराने की कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) जी हां। जैसलमेर जिले में राज्य के खान एवं भू विज्ञान विभाग एवं भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा समय समय पर खनिजों की खोज व पूर्वेक्षण का कार्य किया जाता रहा है। जिसके फलस्वरूप खनिज जिप्सम, ग्लास सैण्ड, सिलिसियस ग्रर्थ, लाइम स्टोन, डोलोमाइट पीलीमिट्टी, संगमरमर एवं इमारती पत्थर का होना उपलब्द पाया गया है। प्रारम्भिक सर्वेक्षण से लाइम स्टोन के 50 मिलियन टन के भण्डार, जिप्सम के 12.4 मिलियन टन के भण्डार, सिलिका सैण्ड के 14.4 मिलियन टन के भण्डार, सिलिशियश ग्रर्थ के 1.20 मिलियन टन के भण्डार ग्रनुमानित किये गये हैं ? इमारती पत्थर ग्रौर संगमरमर बहुलता में उपलब्ध है।

(2) राज्य सरकार ने इस जिले में प्रधान खनिज नियमों के ग्रन्तर्गत जिप्सम

(खनिज मन्त्री)

खनिज के दोहन हेतु 1 खनन पट्टा, डोलोमाइट के 2 खनन पट्टे एवं 3 खनन पट्टे पीली मिट्टी के स्वीकृत किये हुए है। इसके अलावा अप्रधान खनिज नियम के तहत कुल 30 खनन पट्टे स्वीकृत किये हुए हैं जिसमें से 3 मार्बल के, 22 मैसेनरी स्टोन के, 3 सैण्डस्टोन के तथा 2 एशलट पत्थर के हैं। वर्ष 1980 में विभिन्न खनिजों का जो उत्पादन हुआ है, उसका विवरण संलग्न परिशिष्ट में अंकित है।

(3) उपलब्ध खनिज पदार्थों के उनकी उपयोगिता के अनुसार खनन पट्टे स्वीकृत कर खनन किया जा रहा है। अलग से कोई योजना राज्य सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

जैसलमेर जिले में वर्ष 1980 में विभिन्न खनिजों के उत्पादन के आंकड़े

क्र. सं.	खनिज का नाम	उत्पादन टनों में
1	2	3
1.	जिप्सम	11649.00
2.	पीली मिट्टी	10172.00
3.	डोलोमाइट	2841.80
	अप्रधान खनिज	
4.	1. संगमरमर	
	2. ब्लाक्स	1406 टन
	3. खण्डा	6105 टन
	सैण्डस्टोन	
5.	1. डाइमेंशनल	2014 टन
	2. खण्डा	520 टन
6.	लाईम स्टोन	76
7.	लाइम कंकर	120 टन
8.	मैसेनरी स्टोन	40018 टन

(168)

जयपुर में स्टेशन रोड पर निर्माणाधीन सरगम होटल

15. श्री जीतमल जैन (अलवर) : क्या नगर आयोजना एवं नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर में स्टेशन रोड पर निर्माणाधीन 'सरगम होटल' के मालिकों ने होटल के निर्माण की स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रार्थना-पत्र एवं नक्शा किस तिथि को नगर विकास न्यास को प्रेषित किया ? कृपया प्रार्थना-पत्र की नकल एवं नक्शा सदन के पटल पर रखें।

(2) होटल के निर्माण की स्वीकृति न्यास द्वारा किस तिथि को प्रदान की गई ? कृपया स्वीकृति पत्र की नकल सदन के पटल पर रखें।

(3) क्या 'सरगम होटल' उन सब नियमों व उप-नियमों की पूर्ति करता है जो होटल के निर्माण के लिये आवश्यक है ?

उत्तर

(1) निर्माणाधीन सरगम होटल की स्वीकृति हेतु प्रार्थना पत्र एवं नक्शे दिनांक 26-2-82 को नगर विकास न्यास को प्रेषित किया गया। आवेदन पत्र की प्रति एवं नक्शे की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) होटल निर्माण की स्वीकृति न्यास द्वारा प्रदान नहीं की गई है अतः स्वीकृति पत्र की नकल सदन के पटल पर रखने का प्रश्न नहीं है।

(3) होटल निर्माण के सम्बन्ध में न्यास को प्रेषित आवेदन पत्र की अभी तक नियमों व उप नियमों के अन्तर्गत जांच पूर्ण नहीं हो पाई है। अतः बताना सम्भव नहीं है।

Dated 26.2.1982

The Secretary,
Urban Improvement Trust,
Jaipur.

Sub: Hotel Plans.

Dear Sir,

Sets (each of 10 drawings) are being submitted for your kind approval.

Kindly approve soon and oblige.

Thanking you.

Yours faithfully
Sd/—
Prithivi Raj

Set: 1. Site Plan
2. Plan ground Floor
3. Mezanine plan
4. First floor plan
5. Second & third floor plan
6. Basement plan
7. Sections
8. sections
9. Elevations
10. Elevations

ग्राम पंचायतों को मुख्यालय से सड़क मार्ग से जोड़ना

16. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

क्या यह सही है कि सरकार ने ग्राम पंचायतों के मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ने की नीति की घोषणा की है ? यदि हां, तो इस नीति के क्रियान्वयन हेतु इस वर्ष कितनी धन राशि व्यय किये जाने का अलग से प्रावधान है ।

उत्तर

जी हां।

वर्ष 1981-82 में सरकार ने 20 संकल्प कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम पंचायत के मुख्यालयों को सड़कों से जोडने की नीति की घोषया की थी इस वर्ष इस नीति के क्रियान्वयन हेतु धन राशि का कोई अलग से प्रावधान नही रखा गया है ।

बांस विक्रय के डिपोज

17. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में बांस की टोकरी आदि के व्यवसाय पर निर्भर व्यक्तियों के लिये राज्य सरकार ने कहां-कहां बांस के डिपोज विक्रय हेतु स्थापित किये हैं ? कृपया उदयपुर संभाग में स्थित डिपोज की सूची सदन के पटल पर रखें ।

(2) क्या यह सही नहीं है कि डिपोज पर बांस विक्रय के लिये उपलब्ध नहीं हैं ? यदि नहीं, तो तहसील प्रतापगढ़ के वन व्यापार मण्डल में माह जून से जुलाई, 1982 तक कितने बांस विक्रय हुए एवं प्रति माह कितने बांस शेष रहे ?

उत्तर

(1) राज्य में इन व्यावसायिकों के लिए अलग से कोई बांस डिपो स्थापित नहीं किये गये हैं । उदयपुर सम्भाग में बांस की बिक्री हेतु निम्न विभागीय बिक्री केन्द्र स्थापित हैं—

1. गोवर्धन विकास उदयपुर ।

2. खैरवाड़ा जिला उदयपुर ।

3. बांसी जिला चित्तोड़गढ़ ।

4. प्रतापगढ़ जिला चित्तोड़गढ़ ।

(2) साधारणत: विभागीय बिक्री केन्द्रों पर बांस की बिक्री वर्षा के पूर्व ही समाप्त करने के पूर्ण प्रयत्न किये जाते हैं जिससे बांस खराब नहीं हों । विभागीय बिक्री केन्द्र प्रतापगढ़ में माह जून एवम् जुलाई, 1982 में बांसों की बिक्री निम्न प्रकार रही—

माह	माह के प्रारम्भ में स्टाक	माह के दौरान बिक्री	शेष स्टाक
जून, 82	3285 नग	1810 नग	1475 नग
जुलाई, 82	1475 नग	1450 नग	25 नग

जयपुर नगर के समीप कृषि भूमि का रूपान्तरण

18. **श्री राजबहादुर (भरतपुर)**: क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या जयपुर नगर के समीप कृषि भूमि को आवासीय भूमि में परिवर्तित करने के लिये 35.00 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से कोई नई प्रक्रिया इस कथित उद्देश्य से स्वीकृत की गई थी कि जो लोग सन् 1981 की बाढ़ की चपेट में आये उनका पुनर्वास किया जा सके ?

(2) क्या भूमि रूपान्तरण की साधारण प्रक्रिया में यह परिवर्तन करने का लाभ बाढ़ की चपेट में आये परिवारों एवं लोगों को न मिलकर कतिपय अन्य ऐसे व्यक्तियों ने उठाया है जिन्होंने कुछ गत वर्षों में कृषि भूमि के बड़े-बड़े टुकड़े जयपुर शहर के आस-पास इस उद्देश्य से खरीदे थे कि उनका रूपान्तरण आवासीय भूमि में हो जाने पर उन टुकड़ों को प्लाट में परिवर्तित करके भारी लाभ उठाया जा सके ?

(3) क्या कृषि भूमि के रूपान्तरण की इस नई प्रक्रिया से अरबन लैण्ड सीलिंग एक्ट की व्यवस्थाओं की अवहेलना होती है?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता है।

(3) जब योजना ही स्वीकृत नहीं हुई है, तो अरबन लैण्ड सीलिंग एक्ट को व्यवस्थाओं की अवहेलना का प्रश्न हो नहीं उठता है।

सीकर नगर में नया बालिका हायर सैकण्डरी स्कूल खोलना

19 **श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर)** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सीकर नगर में बालिका हायर सैकण्डरी स्कूल पहले सीकर नगर के मध्य बजाज रोड पर चितलागया स्कूल के पीछे स्थित था। क्या यह भी सही है कि इस स्कूल का स्थानान्तरण लक्ष्मणगढ़ रोड पर शहर के एक कोने पर कर दिया गया है ? इन दोनों स्कूलों के नाम क्या-क्या है ?

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार स्कूल से सम्बद्ध मारू परिवार से हुए समझौते के अन्तर्गत तथा राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश से एक नया स्कूल लक्ष्मणगढ़ रोड पर खोलने के लिये बाध्य थी और उसी बाध्यता के कारण नया स्कूल न खोल कर पुराने स्कूल का स्थानान्तरण किया गया ?

(3) क्या सरकार सीकर शहर की जनसंख्या को देखते हुए छात्राओं का एक हायर सैकण्डरी स्कूल पर्याप्त मानती है ?

उत्तर

(1) जी हां। बजाज रोड स्थित विद्यालय का नाम राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, सीकर था, और अब विद्यालय का नाम श्री राधाकृष्ण

(शिक्षा मन्त्री)

मारू राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सीकर है।

(2) जी नहीं।

(3) नया बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है।

छात्रों को रियायती टिकट

20 **श्री हरीश शर्मा** (रामगंजमण्डी) **श्री बालचन्द्र आर्य वीर** (रूपालवाड़ा) : क्या यातायात राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने छात्रों को टिकट दर में रियायत देना बन्द कर दिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) सरकार पुनः कब से छात्रों को रियायत देने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) रियायती सुविधा नियमानुसार विद्यमान है। अतः पुनः चालु करने का प्रश्न ही नहीं है।

जयपुर शहर के श्मशान एवं कब्रिस्तान

21. **श्रीमती उजला अरोड़** (जयपुर ग्रामीण) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर शहर में कुल कितने श्मशान व कब्रिस्तान हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राज्य सरकार श्मशानों व कब्रिस्तानों की दशा सुधारने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कृपया योजना की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त श्मशानों व कब्रिस्तानों में मृत्यु दिवस अंकन के लिये नगर परिषद् से किन्हीं कर्मचारियों की नियुक्ति की हुई है ? यदि हां, तो कहां कहां पर किस किसकी ? कृपया नामवार सूची सदन के पटल पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों ? व्यवस्था कब तक कर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) जयपुर शहर में 13 श्मशान तथा 12 कब्रिस्तान हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) श्मशानों एवं कब्रिस्तानों की दशा सुधारने के लिए समय समय पर आवश्यकतानुसार विकास मद से व्यय किया जाता है। इस वर्ष इसके विकास पर 1,07,810 रु. का व्यय किया जा चुका है।

(3) जी हां। मुख्य श्मशानों एवं कब्रिस्तानों पर मृत्यु दिवस अंकन के लिए अल्प गाहवारी पारिश्रमिक पर संकलनकर्ता नियुक्त हैं। नामवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(171)

परिशिष्ट (क)

जयपुर शहर में स्थित श्मशानों व कब्रिस्तानों की सूची

श्मशान घाट

1. घाटगेट श्मशान
2. चांदपोल श्मशान
3. सूरजपोल श्मशान
4. लाल डूंगरी
5. लाल पोल (गंगापोल)
6. कागदीवाड़ा (ब्रह्मपुरी)
7. लाल कोठी
8. मधुवन (टोंक फाटक)
9. एन. बी. सी. के पीछे हसनपुरा ए
10. एन. बी. सी. के सामने हसनपुरा बी
11. झोटवाड़ा
12. जलमहल
13. टाटा नगर नाहरी का नाका

क कब्रिस्तान:—

1. घाटगेट
2. चार दरवाजा
3. नाहरी का नाका
4. ईदगाह
5. कर्बला मोड़
6. ग्रमानि शाह
7. हसनपुरा
8. झोटवाड़ा
9. ईसाई का कब्रिस्तान घाटगेट
10. " " चांदपोल
11. टोंक फाटक
12. सांगानेर रोड

(177)

जयपुर शहर में स्थित श्मशान घाटों की सूची निम्न प्रकार हैं

क्र. सं.	श्मशानघाट का नाम	संकलनकर्त्ता का नाम	माहवारी पारिश्रमिक
1.	घाटगेट श्मशान घाट	श्री रूड़मल	25.00 रु.
2.	चांदपोल श्मशान घाट	" बाबूराम	25.00 रु.
3.	सूरजपोल श्मशानघाट	" गोपाल लाल	17.00 रु.
4.	लाल डूंगरी "	" सूरजपोल वाला की गोपाललाल की फार्म लकड़ी वाले कालू के पास रहते हैं।	
5.	लाल कोठी (गंगापोल) श्मशान घाट	" मृतक के वारिस ही कार्यालय में आकर ही फार्म भरते हैं क्योंकि वहां मृत्यु संख्या बहुत कम है।	
6.	कागदीवाड़ा (ब्रह्मपुरी) श्मशान घाट	" "	
7.	लालकोठी श्मशान घाट	" "	
8.	मधुवन (टोंक फाटक)	" "	
9.	एन. बी. सी. के पीछे हसनपुरा श्मशान घाट	" "	
10	एन. बी. सी. के सामने हसनपुरा बी संन्तोष नगर श्मशान घाट	" "	
11.	झोटवाड़ा श्मशान घाट	" "	
12.	जलमहल "	" "	
13.	टाटा नगर नाहरी का नाका श्मशान घाट	" "	

(173)

जयपुर शहर के कब्रिस्तानों की सूची निम्न प्रकार है

क्रम सं.	कब्रिस्तान का नाम	संकलनकर्त्ता का नाम	मासिक अल्प मासिक मिक
1.	घाटगेट (सुरशाह) कब्रिस्तान	श्री जलाल शाह	25-00 रु.
2.	चार दरवाजा (शंकरशाह) ,,	,, अजीत शाह	17-00 रु.
3.	नाहरी का नाका कब्रिस्तान	,, जहूर मोहम्मद	17-00 रु.
4.	ईदगाह (रेवड़ी की कोठी) ,,	,, मकबूल शाह	17-00 रु.
5.	कर्बला मोड़ कब्रिस्तान	फार्म कार्यालय में आकर भरते हैं।	
6.	अमानी शाह ,,	,, ,,	
7.	हसनपुरा ,,	,, ,,	
8.	झोटवाड़ा ,,	,, ,,	
9,	ईसाईयों का कब्रिस्तान घाटगेट	सेन्टर जिला चर्च वाले प्रमाण पत्र देते हैं और फार्म कार्यालय में आकर भरते हैं।	
10.	ईसाईयों का कब्रिस्तान चांद पोल	फर्म वाले प्रमाण पत्र देते हैं और फार्म कार्यालय में आकर भरते हैं।	
11.	टोंक फाटक कब्रिस्तान	फार्म कार्यालय में आकड़र भरते हैं,	
12.	सांगानेर रोड कब्रिस्तान	,, ,,	

नोट:- दो कर्मचारी सर्व श्री राधाकिशन श्री प्रभुदयाल नियमित वेतन शृंखला नियुक्त है कार्यालय में जन्म मृत्यु के फार्म देते हैं व फार्म भरा कर लेने का कार्य करता है।

ह/—
स्वास्थ्य अधिकारी
नगर परिषद, जयपुर

मीठड़ी से लाछड़ी सड़क निर्माण कार्य

22. **श्री रामधन** (लाडनू) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मीठडी से लाछडी सड़क तथा निम्बी गौधा से माल गांव सड़क का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि इन सड़कों के टेण्डर काफी पहले हो चुके थे फिर भी कार्य पूरा नहीं हुआ ?

(3) क्या यह भी सही है कि ग्राम लाछडी के मुखियान द्वारा एक शिकायत कनिष्ठ अभियन्ता, लाडनू तथा अधिशासी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, नागौर को की गई थी कि ठेकेदार समय पर कार्य करना नहीं चाहता अतः इसकी जांच करके टेण्डर दूसरे व्यक्ति को देवें या ठेकेदार से समय पर कार्य करवायें ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(4) क्या यह भी सही है कि कार्य नहीं करने पर भी ठेकेदारों को समय पर पूरा भुगतान किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(5) क्या सरकार इन अधूरी कच्ची सड़कों को पूरा करवाने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

मीठड़ी से लाछड़ी तथा निम्बी गौधा से मालगांव तक सड़क का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है। ये कार्य अकाल राहत के अन्तर्गत स्वीकृत किए गये थे तथा 13-7-82 को राहत कार्यों के बन्द किए जाने से ये कार्य अधूरे रह गये हैं।

(2) इन सड़कों पर ग्रेवल की ढुलाई हेतु टेण्डर जून, 82 में आमंत्रित किये गये थे परन्तु 31-7-82 को अकाल राहत कार्य बन्द किये जाने के कारण ढुलाई का कार्य भी बन्द कर दिया गया तथा कार्य पूरा नहीं किया जा सका।

(3) जी नहीं। ऐसी कोई शिकायत इस विभाग को प्राप्त नहीं हुई।

(4) जी नहीं। ठेकेदारों को उनके द्वारा 31-7-82 तक किये गये कार्यों का ही भुगतान किया गया है।

(5) ये कार्य अकाल राहत के अन्तर्गत प्रारम्भ किये गये थे। ये सड़कें योजना में नहीं ली गई हैं। अतः अभी पूरा करने का प्रश्न विचाराधीन नहीं है।

भेड़ पालन के राजकीय फार्म्स

23. **श्री महाराम चौधरी** (नागौर) : क्या राज्य मंत्री, भेड़ व ऊन विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भेड़ व ऊन विभाग में राजस्थान में भेड़ पालन के कितने राजकीय फार्म्स हैं ? ये किस उद्देश्य एवं योजना के अन्तर्गत स्थापित किये गये हैं ? कृपया उनके नाम, स्थान शुरू होने का वर्ष तथा उन पर पाली जाने वाली नस्लों के नाम सदन के पटल पर रखें।

(श्री महाराम चौधरी)

(2) प्रत्येक भेड़ फार्म पर स्थापना से लेकर आज तक कितना कितना व्यय किया गया है? कृपया मदवार व वर्षवार खर्च का विवरण सदन के पटल पर रखें।

(3) प्रत्येक भेड़ फार्म पर स्थापना से लेकर आज तक भेड़ों की मृत्यु दर, मैमनों की मृत्यु दर व दोनों की शामिल मृत्यु क्या रही है तथा उन्हीं क्षेत्रों में निजी भेड़ पालकों की भेड़ों की मृत्यु दर क्या रही है? कृपया वर्ष वार विवरण सदन के पटल पर रखें।

(4) इन फार्म्स पर वर्षवार लेम्बिग प्रतिशत स्थापना से लेकर आज तक कितना रहा है तथा लक्ष्य से कितना कम या ज्यादा रहा है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? यदि लक्ष्यों से उपलब्धियां कम रहीं हैं, तो किसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है? कृपया पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखें।

(5) प्रत्येक भेड़ फार्म पर कितनी कितनी जमीन है तथा उन पर कितने कितने ट्यूब वेल या कुएं हैं और उनका उपयोग किस प्रकार किया जाता है? क्या यह सही है कि उन फार्मों पर उतनी जमीन होने के बावजूद भी हर वर्ष लाखों रुपयों का चारा-दाना क्रय किया जाता है? यदि हां, तो फार्मवार व वर्षवार भेड़ों की संख्या के साथ कृपया व्यय-विवरण सदन के पटल पर रखें।

(6) क्या यह सही है कि उन फार्मों पर उतनी जमीन व उतना चारा-दाना क्रय करने के उपरान्त भी भेड़ों को चरने के लिए गंगानगर या अन्य जिलों में भेजा जाता है? यदि हां, तो किस किस फार्म की कितनी-कितनी भेड़ें तथा इस पर कितना-कितना व्यय यातायात, यात्रा भत्ता, चारा-दाने आदि पर किया गया है? कृपया पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखें।

(7) क्या भेड़ फार्मों पर कौन कौन अधिकारी स्थापना से लेकर आज तक रहे हैं? कृपया नीचे दिये गये प्रोफार्मा में विवरण सदन के पटल पर रखें।

फार्म का नाम	वर्ष	अधिकारी/ अधिकारियों के नाम
1	2	3

अधिकारी की योग्यता	कब से	कहां तक
4	5	6

भेड़ों की संख्या	मृत्यु दर	भेड़ों में मैमनों में
7	8	9

लेम्बिग प्रतिशत लक्ष्य	उपलब्धि	अधिक/कमी का कारण
10	11	12

दोषी अधिकारी के विरुद्ध की गई कार्यवाही	विशेष विवरण
13	14

(8) क्या यह सही है कि भेड़ व ऊन विभाग में डेयरी पैटर्न पर कर्मचारियों/

(श्री महाराम चौधरी)

अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया व दिया जा रहा है ? यदि हां, तो कितने समय का तथा किन कर्मचारियों/अधिकारियों को कब कब दिया है ? क्या शासन से ऐसी स्वीकृति ली गई थी ? यदि हां, तो कब ? और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ली गई ? अब तक इस प्रशिक्षण के लिये कितना व्यय किया गया है तथा उसकी क्या उपयोगिता एवं उपलब्धियां रही है ? क्या राज्य सरकार ऐसे अनधिकृत व्यय, व्यर्थ का प्रशिक्षण दिलाने वाले अधिकारी के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की मंशा रखती है ? यदि हां, तो क्या ? और यदि नहीं, तो क्यों नहीं।

(9) क्या दूध व ऊन विपणन के लिए एक ही नीति अपनाना व्यावहारिक दृष्टि से सही है ? ऊन व मांस विपणन की भावी क्या क्या योजनाएं हैं तथा इससे भेड़ पालकों को क्या लाभ राज्य सरकार पहुंचाना चाहती है ?

(10) राजस्थान ऊन विपणन फेडरेशन में स्थापना से लेकर आज तक क्या लक्ष्य एवं उपलब्धियां रही हैं ? कृपया वर्षःवार विवरण मय मदवार आय व्यय व लाभ हानि के सदन के पटल पर रखें।

(11) राजस्थान ऊन विपणन फेडरेशन की स्थापना से लेकर आज तक प्रबन्ध निदेशकों ने देश-विदेश में यात्राओं पर कितना व्यय किया है ? कृपया निम्न प्रोफार्मा में सूचना सदन के पटल पर रखें :

प्रबन्ध व निदेशक का नाम	माह	कहां से	कहां को
1	2	3	4

यात्रा साधन	यात्रा प्रयोजन	व्यय*	अन्य विवरण
5	6	7	8

(12) (क) सूखा सम्भाव्य क्षेत्र परियोजना अन्तर्गत भेड़ चरागाह विकास में राज्य स्तर पर कार्य की देखरेख के लिए कौन सक्षम अधिकारी होता है ?

(ख) चरागाह विकास योजना पर शुरू से लेकर आज तक कौन कौन व्यक्ति रहे हैं ? तथा उनको क्या कार्य करने होते हैं और क्या अधिकार हैं ? कृपया निम्न तालिका में सूचना सदन के पटल पर रखें :

अधिकारी का नाम	स्थायी पता	योग्यता
1	2	3

चरागाह विकास की विशेष योग्यता	अवधि
4	5

(ग) क्या यह अधिकारी विभाग के अन्य कार्य की देखरेख भी करता है ? यदि हां, तो किन नियमों एवं आदेशों के अंतर्गत?

(घ) क्या वर्तमान में कार्यरत अधिकारी के विरुद्ध कई भ्रष्टाचार व रिश्वतखोरी की शिकायतें राज्य सरकार के पास हैं ? यदि हां, तो राज्य सरकार अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने की मंशा रखती है ?

उत्तर

(1)

क्र सं.	भेड़ प्रजजन फार्म का नाम I	स्थान	शुरू होने का वर्ष	पाली जाने वाली नस्लों का नाम
1.	2.	3.	4.	5.
1.	जयपुर	पुराना घाट जयपुर I	1949	विदेशी नस्ल रैम्बूले एवं देशी नस्ल-मालपुरा एवं संकर भेड़ें।
2.	जोड़बीड़	(बीकानेर),	1952	नाली × रशियन मेरीनो की संकर भेड़ें मगरा, मारवाड़ी, नाल
3.	चित्तौड़गढ़	(चितोढ़)	1966	कोरीडेल × सोनाड़ी
4.	बांकलिया	(नागौर)	1968	चौकला चौकला × रशियन मेरीनो की संकर भेड़ें
5.	वृहद-स्तरीय भेड़ प्रजजन फार्म फतेहपुर I	(सीकर)	1973-74	विदेशी रशियन मेरीनो, देशीनाली नाली × रशियन मेरीनो की संकर भेड़ें

फार्मों का उद्देश्य निम्न प्रकार है :—

1 देशी-विदेशी एवं संकर नस्ल का एक शुद्ध अभिजात पशु-झंड बनाये रखना।

2. प्रचलित नस्ल की भेड़ो का प्रजनन व बहुगुणन और उन्नत निष्पादन।

3. सही निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पशु-झुण्ड रखने वाले भेड पालकों को उन्नत नस्ल की भेड़े पैदा करना, देशी और संकर मेंढे वितरण करना।

4. विदेशी मेंढों से स्थानीय भेडो का संकर प्रजनन करवाना एवं स्थानीय वातावरण की परिस्थितियों में संकर पशुओं के कार्य निष्पादन का अध्ययन करना तथा वितरण के लिये संकर भेड़ों को पैदा करना।

5. विदेशी भेड़ो की स्थानीय वातावरण, परिस्थितियों में प्रजनन कराना एवं विभाग द्वारा चलाये जा रहे संकर प्रजनन कार्यक्रम के लिये स्थानीय वातावरण में पनपने लायक विदेशी नस्ल के मेंढ़े उत्पन्न करना।

(1721)

राज्य मंत्री, भेड़ व ऊन)

(2) अधीनस्थ भेड प्रजनन फार्मों पर वर्ष 1971-72 से 1981-82 तक का व्यय विवरण मदवार एवं वर्षवार परिशिष्ट सख्या 1 से 5 तक संलग्न है तथा सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) प्रत्येक भेड़ फार्म पर वर्ष 71-72 से 1981-82 तक भेड़ों की मृत्यु-दर, मैमनों की मृत्यु-दर, एवं इन दोनों की शामिल मृत्यु-दर, क्रमशः 6,7, एवं 8 पर संलग्न है तथा सदन के पटल पर भी रख दिया गया है। उन्हीं क्षेत्रों में निजी भेड़-पालकों की भेड़ों की मृत्यु-दर रिकार्ड नहीं की गई है।

(4) विभाग के बिभिन्न भेड़ प्रजनन फार्मों पर वर्ष 7,1-72 से वर्ष 81-82 तक वर्षवार लेम्बिंग प्रतिशत परिशिष्ट-9 पर संलग्न है। उक्त परिशिष्ट पर ही वर्ष 80-81 तक के लेम्बिंग लक्ष्य अंकित हैं। इससे पूर्व विभाग द्वारा कोई भी लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये तथा फार्मों पर लक्ष्यों की अपेक्षाकृत उपलब्धि प्राकृतिक कारणों से कम रही है जिसके लिये कोई भी अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेवार नहीं माना गया है। इसलिए किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है। पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(5) फार्मों पर उपलब्ध जमीन, ट्यूब वेल एवं कुओं की सूचना निम्न प्रकार है :—

क्र. सं.	भेड़ प्रजनन केन्द्र का नाम	जमीन एकड़ में	संख्या ट्यूब-वेल	कुए
1.	फतेहपुर	9380	9	–
2	जोडबीड	1790	3	–
3.	चित्तौड़गढ़	657	–	2
4.	बांकलिया	266	3	–
5.	जयपुर	556	–	2

(5) इन ट्यूब वेलों/कुओं का उपयोग चारा, घास, चारे के पेड़ एवं दाना उत्पन्न करने तथा फार्म के जानवर एवं कर्मचारियों हेतु किया जाता है। यह सही है कि हर वर्ष चारा-दाना क्रय किया जाता है। लेकिन चारे की खरीद अधिकतर अकाल, अतिवृष्टि और विदेशी जानवरों को ही खिलाने के लिए की जाती है—फार्मवार एवं वर्षवार खर्चा परिशिष्ट 1 से 5 के क्रम संख्या 6 पर अंकित है तथा भेड़ों की संख्या परिशिष्ट—10 पर है।

(6) जी हां। भेड़ प्रजनन केन्द्र, जोडबीड (बीकानेर) की करीब 1,200 भेड़ें वर्ष 1981-82 में तथा 958 भेड़ें 1982-83 में प्रति वर्ष चार माह के लिये इसी प्रकार बृहद स्तरीय भेड़ प्रजनन फार्म फतेहपुर की 676 भेड़ें वर्ष 1982 में छः माह के लिए राजकीय केन्द्रीय फार्म, सूरतगढ़ (गंगानगर) पर चरने के लिए भेजी गई, इन पर किया व्यय परिशिष्ट—11 पर अंकित है तथा पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(राज्य मन्त्री, भेड़ व ऊन)

(7) फार्म पर वर्ष 1971-72 से 81-82 तक पदस्थापित अधिकारियों का प्रपत्रानुसार विवरण परिशिष्ट—12 पर संलग्न है तथा विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है

(8) जी हां, दिया गया है, एक माह का।

क्र. सं.	समय	कर्मचारी/अधिकारी की संख्या
1.	4-1-82 से 4-2-82 तक	13
2.	18-1-82 से 12-2-82 तक	17
3.	15-2-82 से 15-3-82 तक	19
4.	22-3-82 से 22-4-82 तक	15

भेड़ व ऊन प्रशिक्षण केन्द्र में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के जो प्रशिक्षण चला करते थे उनमें भेड़ उत्पादकों को सहकारी समितियां बनाने के बारे में प्रशिक्षण भी जोड़ दिया गया है। जनवरी, 1982 से अब तक पिछले 4 प्रशिक्षणों में अधिकारी व कर्मचारियों को और विषयों के साथ साथ सहकारी समितियों का भी प्रशिक्षण दिया गया। राज्य में भेड़ व ऊन उत्पादन का कार्यक्रम सहकारिता के माध्यम से चलाने का पूर्व में ही निर्णय लिया जा चुका है, इसी निर्णय के अन्तर्गत वर्ष 1976-77 में राजस्थान भेड़ व ऊन सहकारी विपणन फेडरेशन की स्थापना की गई तथा ऊन खरीदने का कार्यक्रम विभाग से लेकर फेडरेशन को दिया गया। राज्य सरकार ने इस वर्ष राज्य की योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत जयपुर व भीलवाड़ा जिलों में सहकारी समितिया बनाने की स्वीकृति दी है।

सहकारी समितियां बनाने की योजना की वित्तीय स्वीकृति राज्य सरकार से माह जुलाई, 82 में प्राप्त हो चुकी है। यह प्रशिक्षण दिलाने हेतु अलग से कोई खर्चा नहीं किया गया। उपयोगिता एवं उपलब्धियों का अभी तक अंकलन नहीं किया गया है, क्योंकि भेड़पालक सहकारी समितियों का गठन कार्य प्रगति पर है।

(9) जी हां। दूध व ऊन का विपणन उत्पादकों की सहकारी समितियों के द्वारा करने की नीति है तथा सहकारी समितियों के प्रशासनिक गठन का स्वरूप एक जैसा है, जो कि राज्य सरकार के सहकारी कानूनों के नियमानुसार अपनाया जाता है।

भेड़पालकों को सहकारी समितियों के माध्यम से ऊन व जानवर की खरीद कर देश व विदेशों में भेजी जायेगी जिससे कि

(राज्य मंत्री, भेड़ व ऊन)

गरीब भेड़पालकों को अपनी ऊन व जानवरों का उचित मूल्य मिल सके। इस प्रकार का लाभ राज्य सरकार पहुंचाना चाहती है।

(10) राजस्थान ऊन विपणन फेडरेशन में स्थापना से लेकर आज तक का वांछित विवरण परिशिष्ट—13 पर अंकित है, तथा सदन के पटल पर रख दिया गया है।

प्रबन्ध निदेशक का नाम	माह	कहां से	कहा को	यात्रा का साधन	यात्रा का प्रयोजन	व्यय	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
श्री उम्मेसिंह आई. ए. एस.	दिसम्बर 1980	जयपुर	दुबई, बंहरीन, कुवेत	वायुयान	राजस्थान से मांस एवं जिन्दा जानवर निर्यात हेतु	रु. 27,000/-	मुख्य मुख्य आयात कर्त्ता संस्था से सम्पर्क कर निर्यात अनुबन्ध किये गये।

(181)

(12)(1) संयुक्त निदेशक

(2) अधिकारियों की सूचना निम्नतालिका में अंकित है। उक्त अधिकारियों का कार्य सूखा सम्भावित क्षेत्र परियोजना के तहत लिये गये भू–खण्डों पर चरागाह विकास करके भेड़पालक सहकारी समितियों के सुपुर्द कराये जाने के निर्देशन का कार्य:—

अधिकारी का नाम	स्थाई पता	योग्यता	चरागाह विकास की विशेष योग्यता	अवधि
1	2	3	4	5
1. डा. बी. सी. पटनायक	वैज्ञानिक भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर (मालपुरा)	एम. बी. एस-सी. पी. एच. डी	—	21-10-76 से 24-5-77
2. डा. पी. बी. माथुर	–यथोपरि,	यथोपरि	—	22-6-78 से 31-7-80
3. डा. एस. डी. कल्ला	संयुक्त निदेशक डी.पी.ए.	–यथोपरि	—	31-7-80 से लगातार

(182)

1	2	3	4	5
	पी. भेड़ व ऊन बिभाग जयपुर			

(3) जी हां निदेशक में निहित शक्तियों के अन्तर्गत ।

(4) एक शिकायत श्री सी. एल. माथुर के नाम से प्राप्त हुई थी लेकिन उनके दिये गये पते पर जांच करने पर इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं मिल पाया ।

183

परिशिष्ट—1

भेड़, प्रजनन केन्द्र, जयपुर पर 1–4–71 से 31--3–82 तक का व्यय प्रपत्र

क्र. सं.	मद	1971–72	72-73	73-74	74-75	75-76	76-77	77-78	78-79	79-80	80-81	81-82
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	संवेतन	0.66	0.67	0.82	0.90	1.01	1.18	1.42	1.57	1.95	2.26	2.75
2.	मजदूरी	0.16	0.15	0.17	0.13	0.20	0.12	0.20	0.23	0.26	0.25	0.40
3.	यात्रा भत्ता	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.06	0.09	0.08
4.	चिकित्सा व्यय	0.08	0.04	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.03	0.03	0.02
5.	कार्यालय व्यय	0.09	0.12	0.36	0.20	0.38	0.35	0.36	0.29	0.23	0.29	0.25
6.	पशुओं का भरण-पोषण	0.10	0.95	1.62	1.48	2.52	1.81	1.47	1.56	2.00	1.29	2.31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.	मोटर गाड़ियां	0.01	0.01	0.01	0.04	0.03	0.07	0.08	0.09	0.10	0.06	0.08
8.	लघु निर्माण कार्य	—	0.40	0.20	0.04	0.09	0.01	0.06	—	0.05	—	—
9.	औजार एवं संयंत्र	1.20	—	—	—	—	—	0.65	—	0.19	0.12	—
10.	चरागाह विकास	—	—	0.40	—	—	—	0.09	0.08	—	0.16	0.19
11.	पशुओं की खरीद	—	—	—	—	—	—	0.13	0.09	0.80	—	—
	योग:—	2.31	2.35	3.62	2.83	4.32	3.57	4.49	3.95	5.67	4.55	6.08

परिशिष्ट–2

व्यय प्रपत्र भेड़ प्रजनन केन्द्र भेड़ बीड (बीकानेर) वर्ष 1971–72 से 1981–82

1 पशु पालन

2 भेड़ व ऊन विभाग

3 भेड़ प्रजनन केन्द्र

(रुपये लाखों में)

क्र.सं.	लेखा शीर्षक	1971–72	72–73	73–74	74–75	75–76	76–77	77–78	78–79	79–80	80–81	81–82
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	वेतन	0·58	0·60	0·55	0·74	0·80	0·64	1·09	1·21	1·68	1·50	1·78
2.	मजदूरी	0·04	0·83	0·03	0·03	0·05	0·88	0·09	0·20	0·14	0·06	0·38
3.	यात्रा व्यय	0·04	0·03	0·02	0·01	0·03	0·04	0·03	0·06	0·13	0·09	0·06
4.	चिकित्सा व्यय	0·01	0·01	0·01	0·01	0·01	0·01	0·02	0·01	0·04	0·02	0·01
5.	कार्यालय व्यय	0·14	0·09	0·12	0·12	0·16	0·19	0·29	0·23	0·40	0·20	0·31
6.	पशुओं का भरण-पोषण	0·07	0·14	0·15	0·21	0·16	0·34	0·59	0·65	0·50	0·93	0·71

Page No 188

(186)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.	मोटर गाडियां	0·06	0·04	0·04	0·02	0·05	0·05	0·13	0·06	0·08	0·10	0·17
8.	चरागाह विकास	0·05	0·03	0·03	0·02	0·52	0·32	0·11	—	—	0·15	0·35
9.	लघु निर्माण	—	0·01	0·01	0·01	—	—	—	—	—	—	—
10.	पशुधन क्रय	0·20	—	—	0·23	0·10	0·38	0·03	—	—	—	—
	योग	1·19	0·98	0·96	1·40	1·88	2·25	2·37	2·42	2·97	3·05	3·77

परिशिष्ट 3

भेड़ प्रजजन केन्द्र चितौड़गढ़ पर 1-4-71 से 31 मार्च, 1982 तक का प्रपत्र

1. पशु पालन

2. भेड़ व ऊन विभाग

3. भेड़ प्रजनन केन्द्र

(रुपये लाखों में)

क्र. सं. 1	लेखा शीर्षक 2	71-72 3	72-73 4	73-74 5	74-75 6	75-76 7	76-77 8	77-78 9	78-79 10	79-80 11	80-81 12	81-82 13
1.	संवेतन	0.41	0.45	0.46	0.62	0.80	0.80	0.96	1.04	1 35	1.35	1.43
2.	मजदूरी	0.03	0.03	0.03	0.03	0.07	0.09	0.17	0.16	0.18	0.15	0.19
3.	यात्रा व्यय	0.01	0.02	0.02	0.02	0.04	0.01	0.02	0.02	0.10	0.04	0.04
4.	चिकित्सा व्यय	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.03	0.03	0.02	0.02
5.	कार्यालय व्यय	0.06	0.07	0.08	0.10	0.17	0.29	0.21	0.23	0.28	0.30	0.25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.	मोटर गाडियां	0.01	0.01	0.01	0.04	0.03	0.05	0.05	0.06	0.09	0.10	0.12
7.	औजार एवं संयंत्र	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.52	—
8.	मवेशियों का भरण पोषण	0.13	0.50	0.24	0.40	0.54	0.56	0.56	0.56	0.40	0.38	0.49
9.	लघु निर्माण	—	—	—	—	-0.09	-0.26	-0.30	—	-0.03	—	—
10.	पशुधन क्रय	—	—	—	0.05	—	0.10	0.70	0.08	0.23	0.28	0.33
11.	चरागाह विकास	—	—	—	—	—	0.12	—	0.07	—	0.13	0.15
	योग :—	0.66	1.09	0.85	1.28	1.75	2.29	2.90	2.25	2.69	3.27	3.02

• परिशिष्ट 4

व्यय प्रपत्र भेड़ प्रजनन केन्द्र बकरियां वर्ष 1971 से 1981-82

10. पशुपालन
ज.भेड़ व ऊन विकास
भेड़ प्रजनन केन्द्र

(रुपये लाखों में)

क्र. सं.	लेखा शीर्षक	71-72	72-73	73-74	74-75	75-76	76-77	77-78	78-79	79-80	80-81	81-82
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	संवेतन	0.46	0.50	0.69	0.69	0.56	1.12	0.77	0.98	1.20	1.10	1.20
2.	मजदूरी	0.04	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.11	0.11	0.08	0.10	0.13
3.	यात्रा व्यय	0.02	0.03	0.02	0.03	0.02	0.03	0.04	0.06	0.10	0.04	0.05
4.	चिकित्सा व्यय	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	—	0.01	0.02	0.02	0.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.	कार्यालय व्यय	0.05	0.06	0.10	0.12	0.10	0.10	0.19	0.19	0.23	0.23	0.24
6.	मोटर गाडियाँ	0.01	0.01	0.01	0.04	0.03	0.03	0.03	0.05	0.05	0.06	0.06
7.	पशुओं का भरण-पोषण	0.01	0.11	0.09	0.15	0.11	0.15	0.46	0.50	0.61	0.60	0.61
8.	लघु निर्माण कार्य	—	—	—	—	0.18	—	—	—	0.08	—	—
9.	चरागाह विकास	—	—	—	—	—	—	0.41	0.02	—	0.07	0.15
10.	पशुधन क्रय	—	—	—	—	—	—	0.25	0.18	0.18	—	—
	योग:—	0.69	0.76	0.95	1.07	1.05	1.48	2.26	2.10	2.55	2.22	2.45

• परिशिष्ट 5

वृहद स्तरीय भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र फतेहपुर का व्यय

10. पशुपालन

ज. भेड़ व ऊन विकास

1. भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र (आयोजना)

(रुपये लाखों में)

क्र.सं.	लेखा शीर्षक	1973–74	1974–75	1975–76	1976–77	1977–78	1978--79	1979–80	1980–81	1981--82
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	संवेतन	0·233	1·532	2·521	2·82	3·34	3·4769	3·505	3·652	3·89
2.	मजदूरी	—	—	—	—	1·82	1 9985	2·040	2·38	2·60
3.	यात्रा व्यय ..	0·04	0·282	0·19	0·204	0·21	0·2033	0·173	0·33	0 17
4.	चिकित्सा व्यय	0·02	0 02	0 05	0·127	0·05	0·0494	0·084	0·08	0·08
5.	कार्यालय व्यय	0·03	0·21	0·49	1·350	0·75	0·6011	0·612	0·60	0·73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	मोटर गाड़ियां	1·15	0·40	0·41	0·505	0·41	1·0235	0·314	0·96	0 79
7.	पशुओं का भरणपोषण	0·05	6·03	1.46	2·21	3·0625	2·9716	4·50	5·20	5·76
8.	पशुधन क्रय	0·69	7·61	3·75	—	14·66	37·4957	16·50	—	0·37
9.	चरागाह विकास	2·33	0·55	2·11	4·849	4·20	1·9893	0·447	1·06	1·70
10.	लघु निर्माण कार्य	6·47	13·99	11·00	7·722	2·60	7·2805	5·72	0 70	0·65
11.	औजार एवं संयन्त्र	—	—	--	—	—	—	—	—	0·75
	योग—	11.013	30.624	21.981	19.796	31.1025	57.0898	33·900	14.962	17.40

परिशिष्ट—6

STATEMENT SHOWING THE FARMWISE ADULT MORTALITY PERCENTAGE FROM YEAR 1971-72 to 1981-82

S.No.	Name of the Farms/Years	YEARS										
		1971-72	72-73	73-74	74-75	75-76	76-77	77-78	78-79	79-80	80-81	81-82
1.	Jaipur.	4.5	34.9	3.4	6.6	26.1	2.3	10.0	9.0	7.7	4.5	8.8
2.	Joharbeer.	35.0	21.1	7.2	6.7	34.0	12.7	6.8	5.9	4.8	18.5	4.9
3.	Chittorgarh.	15.7	9.7	39.7	7.8	3.9	7.1	11.6	11.3	6.2	10.3	7.5
4.	Bankalia.	11.1	14.9	17.5	20.4	49.7	11.8	10.3	16.0	13.4	12.2	23.1
5.	Fatehpur.	—	—	—	2.0	5.7	3.7	5.2	6.7	11.8	19.6	21.8

परिशिष्ट–7

STATEMENT SHOWING THE FARMWISE LAMB MORTALITY PERCENTAGE FROM YEAR 1971–72 TO 1981–82.

S.No.	Name of the Farms/Years	YEARS										
		1971–72	72–73	73–74	74–75	75–76	76–77	77–78	78–79	79–80	80–81	81–82
1.	Jaipur.	7.0	8.3	3.8	4.3	25.0	6.8	30.7	38.6	45.2	21.2	15.0
2.	Joharbeer.	69.8	54.7	42.9	26.3	51.5	41.0	4.8	14.1	16.8	33.3	8.4
3.	Chittorgarh.	36.7	14.4	27.2	22.4	14.4	12.1	20.8	11.0	6.6	16.8	8.3
4.	Bankalia.	54.8	87.1	38.6	54.6	36.6	43.8	28.8	23.4	34.1	19.9	11.1
5.	Fatehpur.	—	—	—	16.3	17.9	6.4	9.9	14.7	16.1	19.9	11.1

परिशिष्ट 8

STATEMENT SHOWING THE FARMWISE TOTAL MORTALITY PERCENTAGE FROM YEAR 1971-72 to 1981-82

S. NO.	Name of the Farms/ Years.	YEARS										
		1971-72	72-73	73-74	74-75	75-76	76-77	77-78	78-79	79-80	80-81	81-82.
1.	Jaipur.	5.8	21.6	3.6	5.5	25.6	4.6	20.4	23.8	26.5	12.9	11.9
2.	Joharbeer.	52.4	37.9	25.1	16.5	42 8	26.9	5.8	10.0	10.8	25.9	6.7
3.	chitiorgarh.	26.2	12.1	33.5	15.1	9.2	9.6	16.2	11.2	6.4	13.6	7.9
4.	Bankalia.	32.9	51.0	28.1	37.5	43.2	27.8	19.6	19.7	23.8	16.1	17.1
5.	Fatehpur.	—	—	—	9.2	11.8	5.1	7.6	10.7	13.9	19.8	16.5

परिशिष्ट 9

STAEMENT SHOWING THE FARMWISE LAMBING PERCENTAGE FROM YEAR 1971-72 to 1981-82

S. NO. Name of the Farms/Years.	YEARS										
	1971-72	1972-73	1973-74	1974-75	1975-76	1976-77	1977-78	1978-79	1979-80	1980-81	81-82
1. Jaipur	74.0	59.3	32.6	48.3	39.6	44.3	37.1	49.6	74.6	60.5	51.6
2. Joharbeer.	44.9	58.2	32.2	18.2	42.7	35.6	57.2	63.0	32.9	46.0	86.7
3. Chittorgarh.	50.4	70.5	40.2	43.0	68.6	45.5	92.2	18.9	66.1	74.6	69.9
4. Bankalia.	72.5	22.7	38.9	31.1	17.3	70.8	39.4	43.0	51.2	57.3	69.8
5. Fatehpur.	—	—	—	22.7	55.8	47.1	67.9	56.0	53.9	18.9	16.6

परिशिष्ट--10

STATEMENT SHOWING THE FARMWISE TOTAL NUMBER OE ANIMALS
FROM 1971-72 to 1981-82

S. N.	Name of the Farms/Years.	1971--72	72--7.	73--74	74--75	75--76	76--77	77--78	78--79		80--81	81--82
1.	Jaipur	523	609	752	824	772	869	840	839	642	1117	1261
2.	Joharbeer.	536	576	498	630	433	891	996	1007	1250	1226	1665
3.	Chittorgath.	950	710	625	355	444	587	733	734	712	877	951
4.	Bankalia.	447	538	391	332	316	256	605	472	446	567	517
5.	Fatehpur.	—	—	—	1243	1738	1848	2458	3414	3504	3294	3485

परिशिष्ट 11

भेड़ों को भेड़ प्रजनन केन्द्र जोड़बीड (बीकानेर) एवं वृहद स्तरीय भेड़ प्रजनन फार्म फतेहपुर (सीकर) से सूरतगढ़ केन्द्रीय राजकीय फार्म, गंगानगर तक ले जाने एवं वापस लाने तक का किया गया व्यय का विवरण :—

भेड़ प्रजनन केन्द्र, जोड़बीड

वर्ष 1981-82

(1) यातायात पर व्यय	16756.00
(2) भेड़ों की चराई पर व्यय	13200.00
(3) प्रशासनिक व्यय	11000.00
योग:—	40956.00

वर्ष 1982-83

(1) यातायात पर व्यय	8900.00
(2) भेड़ों की चराई पर व्यय	14000.00
(3) प्रशासनिक व्यय	10000.00
योग:—	32900.00

वृहद-स्तरीय भेड़ प्रजनन फार्म फतेहपुर (सीकर)

वर्ष 1982-83

(1) यातायात पर व्यय	12000.00
(2) भेड़ो की चराई पर व्यय	10000.00
(3) प्रशासनिक व्यय	3000.00
योग:—	25000.00

(१९)

परिशिष्ट 12

क्र० सं०	फार्म का नाम	वर्ष	अधिकारी का नाम	अधिकारी की योग्यता	कब से कब तक	मेढो की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1.	भेड़ प्रजनन फार्म, जयपुर।	71-72	श्री एन० सी० मायुर	एम.बी.एस.सी.	23-6-72 से	523
		72-73	श्री नारहसिंह	बी बी.एससीएण्डएच	26-6-7[illegible] से 2-11-74	600
		73-74	,, ,,	,, ,,	,,	752
		74-75	,, ,,	,, ,,	,,	824
		75-76	श्री दलपतसिंह	यथोपरि	4-12-74 से 26-7-76	772
		76-77	श्री बी० आर० पी० सिंह	यथोपरि	7-8-76 से 11-1-77	869

क्र०	फार्म का नाम	वर्ष	मृत्यु दर		लेकिंग प्रतिशत		अधिक कमी का कारण	दोषी अधि० के विरुद्ध की गई कार्यवाही	विशेष विवरण
			भेड़ों में	मेमनों में	लक्ष्य	उपलब्धि			
1	2	3	8	9	10	11	12	13	14
1.	भेड़ प्रजनन फार्म, जयपुर।	71-72	4.5	7.0	निर्धारित नहीं किये गये थे।	74.0	प्राकृतिक प्रकोप	कोई भी दोषी नहीं है।	—
		72-73	31.9	8.3	,,	59.3	,,	,,	—
		73-74	3.4	3.8	,,	32.6	,,	,,	—
		74-75	6.6	4.3	,,	48.3	,,	,,	—
		75-76	26.1	25.0	,,	39.6	,,	,,	—
		76-77	2.3	6.8	,,	44.3	,,	,,	—

प्र

Page No 203

(201)

1	2	3	4	5	6	7
		77–78	श्री आर० के० भाटिया	यथोपरि	12–1–77 से 29–1–79	840
		78–79	यथोपरि	,,	यथोपरि	839
		79–80	श्री बी० आर० पी० सिंह	,,	24–2–79 से लगातार	642
		80–81	यथोपरि	,,	,,	1117
		81–82	,,	,,	,,	1261
2.	भेड़ प्रजनन फार्म, जोडबीड	71–72	श्री वी० एस० मलिक	यथोपरि	18–1–71 से 13–5–74	536
		72–73	,, ,,	,,	यथोपरि	570
		73–74	,, ,,	,,	,,	498
		74–75	श्री जे० पी० शर्मा	पशुपालन में डिप्लोमा	8–11–74 से 5–7–77	630
		75–76	,, ,,	,,	,,	433

1	2	3	8	9	10	11	12	13	14
		77–78	10 0	30.7	निर्धारित नहीं किये गये थे ।	37.1	प्राकृतिक प्रकोप	कोई भी दोषी नहीं है ।	—
		78–79	9.0	38.0	,,	49.6	,,	,,	—
		79–80	7 7	45.6	,,	74.6	,,	,,	—
		80–81	4.5	21.2	50%	60.6	,,	,,	—
		81–82	8.8	15.0	50%	51.6	,,	,,	—
2.	भेड़ प्रजनन फार्म, जोडवीड	71–72	35.0	69.8	निर्धारित नहीं नहीं थे ।	44.9	,,	,,	—
		72–73	21.1	54.7	,,	58.2	,,	,,	—
		73–74	7.2	42.9	,,	32.2	,,	,,	—
		74–75	6.7	26.3	,,	18.2	,,	,,	—
		75–76	34.0	51.5	,,	42.7	,,	,,	—

1	2	3	4	5	6	7
2.	भेड़ प्रजनन फार्म, जोडबीड	76-77	श्री जे० पी शर्मा	पशुपालन में डिप्लोमा	8-11-74 से 5-7-77	891
		77-78	" "	"	"	996
		78-79	श्री० टी० एस० कुलश्रेष्ठ	बीवीएससी एण्ड एएच	20-5-78 से 16-8-78	1007
		78-79	श्री बलधारीसिंह	"	17-8-78 से 3-10-79	1007
		79-80	" "	"	"	1250
		80-81	श्री एम० एम० एस० सिन्हा	"	24-10-79 से 15-8-82	1226
		81-82	" "	"	"	1665
3.	भेड़ प्रजनन फार्म, चित्तौड़गढ़	71-72	श्री एच० डी० रोहडिया	बीएससी (कृषि)	1-1-71 से 16-5-73	950
		72-73	" "	"	"	710

1	2	3	8	9	10	11	12	13	14
2.	भेड़ प्रजनन फार्म, जोडबीड	76–77	12.7	41.0	निर्धारित नहीं किये गये थे ।	35.6	प्राकृतिक प्रकोप	कोई भी दोषी नहीं है ।	—
		77–78	6.8	4.8	,,	57.2	,,	,,	—
		78–69	5.9	14.1	,,	63.0	,,	,,	—
		78–79	5.9	14.1	,,	63.0	,,	,,	—
		79.80	4.8	16.8	,,	32.9	,,	,,	—
		80.81	18.5	33.3	50%	46.0	,,	,,	—
		81–82	4.9	8.4	50%	86.7	,,	,,	—
3.	भेड़ प्रजनन फार्म, चित्तौड़गढ़	71–72	15.7	36.7	निर्धारित नहीं थी ।	50.4	,,	,,	—
		72–73	9.8	14.4	,,	70.5	,,	,,	—

1	2	3	4	5	6	7
3.	भेड़ प्रजनन फार्म, चित्तौड़गढ़	73-74	श्री एस० डी० कल्ला	बीवीएससी एण्ड एएच	19-5-73 से 23-7-73	625
		74-75	श्री एस डी० दवे	"	31-12-73 से 6-12-75	355
		75-76	" "	"	"	444
		76-77	श्री जी० डी० शर्मा	बीवीएससी एण्ड एएच	7-12-75 से 29-7-80	587
		77-78	" "	"	"	733
		78-79	" "	"	"	734
		79-80	" "	"	"	812
		80-81	श्री आर० एम० शर्मा	बीवीएससी एण्ड एएच	30-7-80 से लगातार	877
		81-82	" "	"	"	951

1	2	3	8	9	10	11	12	13	14
3.	भेड़ प्रजनन फार्म, चित्तौड़गढ़	73–74	39.7	27.2	निर्धारित नहीं थी।	40.2	प्राकृतिक प्रकोप	कोई भी दोषी नहीं है।	—
		74–75	7.8	22.4	,,	43.0	,,	,,	—
		75–76	3.9	14.4	,,	68.6	,,	,,	—
		76–77	7.1	12.1	,,	45.5	,,	,,	—
		77–78	11.6	20.8	,,	92 25	,,	,,	—
		78–79	11.3	11.0	,,	18.9	,,	,,	—
		79–80	6·2	6.6	,,	66.1	,,	,,	—
		80–81	10.3	16.8	50%	74.6	,,	,,	—
		81–82	7.5	8.3	50%	69.9	,,	,,	—

1	2	3	4	5	6	7
4.	भेड़ प्रजनन फार्म, बाकलिया	71-72	श्री पीं० सी० जी० राय (प्रति० कार्य भार)	बीवीएससी एण्ड एएच	71–72	950
		72-73	श्री जे० पी० शर्मा	पशुपालन में डिप्लोमा	26–6–72 से 7–11–74	538
		73-74	,, ,,	,,	,,	391
		74–75	श्री टी० एस० कुलश्रेष्ठ	बीवीएससी एण्ड एएच	12–1– 4 से 4–10– 6	332
		75–76	,, ,,	,,	,,	316
		76–77	श्री जे० पी० सिन्हा	बीवीएससी एण्ड एएच	,,	256
		77–78	श्री जे० पी० सिन्हा	बीवीएससी एण्ड एएच	20–7–77 से 2–3–79	605
		78–79	,, ,,	,,	,,	472

1	2	3	४	9	10	11	12	13	14
4.	भेड़ प्रजनन फार्म, बाकलिया	7 -72	15.7	36.7	निर्धारित नहीं थे।	50.0	प्राकृतिक प्रकोप	कोई भी दोषी नहीं है।	—
		72-73	14.9	87.1	,,	22.7	,,	,,	—
		73-74	17.5	38.6	,,	38.9	,,	,,	—
		74-75	20.4	54.6	,,	31.1	,,	,,	—
		75-76	49.7	36.6	,,	17.3	,,	,,	—
		76-77	11.8	43.8	,,	70.8	,,	,,	—
		77-78	10.3	28.8	,,	39.4	,,	,,	—
		78-79	16.0	23.4	,,	43,0	,,	,,	—

1	2	3	4	5	6	7
4.	भेड़ प्रजनन फार्म, बाकलिया	79–80	श्री एस० पी० एस० सीवाच	बीवीएससी एण्ड एएच	3–3–79 से 31–5–82	446
		80–81	,, ,,	,,	,,	567
		81–82	,, ,,	,,	,,	517
5.	भेड़ प्रजनन फार्म, फतेहपुर	74–75	श्री सी० एल० जैन	आरएएस	8–11–73 से 27–4–75	1243
		75–76	श्री आर० पी० नाग	,,	28–4–75 से 9–9–76	1738
		76–77	श्री पी० पी० भावे	बीवीएससी एण्ड एएच	10–9–76 से 15–6–77	1848
		77–78	श्री वी० एस० मलिक	पीएचडी	16–6–77 से 11–11–80	2458
		78–79	,, ,,	,,	,,	3414

1	2	3	8	9	10	11	12	12	14
4.	भेड़ प्रजनन फार्म, बाकलिया	79–80	13.4	34.1	निर्धारित नहीं थे ।	51.2	प्राकृतिक प्रकोप	कोई भी दोषी नहीं है ।	—
		80–81	12.2	19.9	50%	57.3	„	„	—
		81–82	23.1	11.1	50%	69.8	„	„	—
5.	भेड़ प्रजनन फार्म, फतेहपुर	74–75	2.0	16.3	निर्धारित नहीं थे ।	22.7	„	„	—
		75–76	5.7	17.9	„	55.8	„	„	—
		76–77	3.7	6.4	„	47.1	„	„	—
		77–78	5.2	9.9	„	67.9	„	„	—
		78–79	6.7	14.7	„	56.0	„	„	—

1	2	3	4	5	6	7
5,	भेड़ प्रजनन फार्म, फतेहपुर	79–80	श्री बी० एस० मलिक	पीएचडी	16-6-77 से 11-11-80	3504
		80-81	,, ,,	,,	,,	3294
		81–82	श्री एस० एस० पुरोहित (भेड़ पालन अधि०)	एमबीएससी	22-2-80 से लगातार	3485

1	2	3	8	9	10	11	12	13	14
5.	भेड़ प्रजनन फार्म, फतेहपुर	79–80	11.8	16.1	निर्धारित नहीं थे ।	53.9	प्राकृतिक प्रकोप	कोई भी दोषी नहीं है ।	—
		80–81	19.6	19.9	50%	18.9	,,	,,	—
		81–82	21.8	11.1	50%	16.6	,,	,,	—

परिशिष्ट–13

वर्ष वार ग्राय व विवरण निम्न प्रकार है:—

(1) ऊन खरीद व ऊन विक्रय—

वर्ष	खरीद (लाख रु० में)	मूल्य (लाख रु० में)	विक्रय (किलोग्राम)	मूल्य (लाख रु० में)
1977–78	93,307	18,03	45,277	10,64
1978–79	4,41,580	85,08	2,13,508	33,28
1979–80	34,12,262	82,63	2,27,084	55,71
1980–81	3,04,406	34,97	3,35,052	73,64
1981–82	3,19,8 2	39,47	—	96,75

सहकारी समितियों को 20 पैसा प्रति किलोग्राम कमीशन दिया जाता है। अब तक सहकारी समितियों को रुपये 78,000/–दिया जा चुका है।

(2) जानवर खरीद व जानवर विक्रय—

वर्ष	खरीद (कि० ग्रा०)	मूल्य (लाख रु० में)	विक्रय (किलोग्राम)	मूल्य (लाख रु० में)
1977–78	422	.33	309	.24
1978–79	3980	4.43	3130	3.40
1979–80	85:8	13 10	8917	13.58
1980–81	6094	8.07	6010	8.81
1981–82	—	11.90	—	20,19

जानवर खरीद में सहकारी समितियों को 2/–रु० प्रति जानवर कमीशन दिया जाता है ।

वर्ष, 1982-83 का प्रोग्राम

(लाख रुपयों में)

क्र० सं०	विवरण	आय	व्यय	व्यय का आधिक्य (सरप्लस ऑवर एक्सपेन्डीचर)
1.	ऊन	62.90	59.91	2.99
2.	जानवर	26.22	25.50	0.72
3.	मटन का निर्यात	40.00	38.54	1.46
4.	जानवरों का निर्यात	25.60	—	25.70
5.	मीट शाप	10.11	10.00	0.11
6.	डिब्बा बन्द मास	7.50	—	7.40
7.	अन्य आय	0,50	—	0.50
8.	इन्डियन टेरिटोरी बॉर्डर पुलिस	0.22	—	0.22
		173.05	133.95	39.10

"ब" प्रशासनिक खर्चे:—

क्र० सं०	विवरण	खर्चे (लाख रुपयों में)
1.	फैडरेशन मुख्यालय	5.97
2.	विपणन इकाइयां	5.56
3.	एकत्रीकरण एवं प्रशि० इकाईयां	5.73
4.	कम्पोजिट मीट प्लान्ट, अलवर	1.59
5.	ह्रास	4.00
6.	बैंक ऋण पर ब्याज	1.60
	योग रु०	24.45

ओवर आल बचत वर्ष 1982–83 में रु० 14.65 लाख

राजस्थान राज्य सहकारी भेंड़ व ऊन विपणन फैडरेशन की स्थापना के बाद लाभ हानि का विवरण

वर्ष	क्रय	विक्रय	सकल लाभ (+) सकल हानि (–)	सकल लाभ (+) सकल हानि (–)
19ञ7–78	18.95.585 00	10,89,212,00	(+) 1,13,906,00	(+) 5994·00
1978–79	93,72,392,00	57,97,719,00	(+) 6,12,301,00	(+) 4979·00
1979–80	1,01,85,154,00	73,02,095,00	(+) 13,70,524,00	(–) 145010·00
1980–81	75,13,700·00	87,06,154,00	(+) 3,17,905,00	(–) 1901848·00
1981–82	93,69,619,00	1,43,91,629,00	(+) 17,17,896,00	(—) 1213178·00 (संभावित)

गुप्तचर विभाग के निरीक्षक के विरुद्ध वर्ज प्रकरण

24. **श्री रंगजी मीणा** (सपोटरा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि अपराध अनुसंधान विभाग (अपराध) के निरीक्षक, श्री सूवेसिंह के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 224 के अन्तर्गत बनीपार्क थाने में एक मामला पंजीकृत किया गया है ? यदि हां, तो इस मामले में अब क्या कार्यवाही हुई है ?

उत्तर

जी हां, अनुसंधान अभी जारी है।

बनास नदी पर बांध निर्माण

25. **श्री चुन्नीलाल** (खण्डार) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला सवाई माधोपुर के ग्राम ईसरदा में बनास नदी पर बांध निर्माण का सर्वेक्षण सिचाई विभाग द्वारा किया गया था ? यदि हां, तो कृपया इसकी सर्वेक्षण रिपोर्ट मय नक्शा सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या राज्य सरकार का उक्त बांध के निर्माण की स्वीकृति देने का विचार हैं ? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) अभी सर्वे कार्य प्रगति पर है। सर्वेक्षण पूर्ण होने के पश्चात् ही वांछित सूचना देना सम्भव हो सकेगा।

(2) इस बांध के निर्माण की स्वी-कृति हेतु निर्णय योजना के लाभदायी पाये जाने एवं वित्तीय साधनों की उपलब्धि के पश्चात् ही किया जा सकेगा।

उदयपुर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षाएं

26. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उदयपुर विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 1981-82 में कौन कौन से विषयों व संकाय में परीक्षाएं पूर्ण नहीं कराई जा सकीं ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(1) जिन विषयों एवं संकाय की परीक्षायें कराई गईं उनमें से कितने प्रश्न-पत्रों में वाक आउट हुआ, कितने की पुनः परीक्षा ले ली गई, तथा कितनी बाकी हैं ? जो बाकी हैं उनकी परीक्षाएं कब होंगी ?

(3) प्रथम वर्ष विज्ञान, कला एवं वाणिज्य संकाय का परीक्षा परिणाम कितना प्रतिशत रहा ? जिस संकाय का परीक्षा परिणाम कम रहा उसका कारण क्या था ?

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

(4) क्या यह सही है कि निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा नहीं कराया गया फिर भी परीक्षाएं पूरे पाठ्यक्रम में से ली गई ? यदि हां, तो किस कालेज में पाठ्यक्रम [redacted] नहीं कराया जा सका ?

उत्तर

(1) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) कुल 14 प्रश्न पत्रों का आंशिक बहिष्कार हुआ है जिसमें से 9 प्रश्न पत्रों की पुनः परीक्षा ले ली गई है। शेष की परीक्षा नहीं कराई जायेंगी।

(3) प्रथम वर्ष परिणाम प्रतिशत निम्न प्रकार रहा—

(अ) विज्ञान-जीव विज्ञान समूह	40.7%
(ब) गणित समूह	33.85%
(स) कला वर्ग	47.2%
(द) वाणिज्य वर्ग	48.8%

विज्ञान के विषय में परिणामों का प्रतिशत, लगभग यही रहता है क्योंकि छात्रों को कला एवं वाणिज्य के मुकाबले में विज्ञान संकाय में कठोर परिश्रम करना होता है।

अब चूंकि सैशनल परीक्षा पद्धति बंद कर दी गई है अतः इस कारण भी परिणाम में पास प्रतिशत घटा है।

(4) जी नहीं।

सूची

विधि संकाय की परिक्षाएं नहीं कराई जा सकी हैं।

पंचायत सम्मेलन से सम्बद्ध बकाया राशि

27. श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) व श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बीकानेर में आयोजित पंचायत सम्मेलन के समय कांग्रेस-आई पार्टी ने राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम से किराये पर कितनी कितनी मोटर गाड़ियां ली थीं एवं उनका क्या किराया बनता है ?

(2) राज्य पथ परिवहन निगम के नियमों के अनुसार कांग्रेस (ई) संस्था को कितनी अग्रिम राशि बसें किराये पर लेने के लिए जमा करानी थी एवं उसमें से कितनी अग्रिम राशि जमा कराई गई ? यदि नहीं, तो क्या नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ ?

(3) क्या दिल्ली में आयोजित किसान रैली के पश्चात् निगम के संचालक मंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि भविष्य में हर हालत में अग्रिम किराया लेने के बाद ही बसें भेजी जायं ? क्या इस निर्णय की पालना हुई है ?

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

(4) यदि इस निर्णय का पालन नहीं हुआ है, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(5) निगम ने बकाया किराया वसूल करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई है ?

(6) दिल्ली में आयोजित कांग्रेस रैली एवं बीकानेर में आयोजित पंचायत सम्मेलन के लिये कांग्रेस-(ई) को किराये पर दी गई बसों के किराये की कितनी बकाया राशि बनती है ?

उत्तर

(1) बीकानेर में आयोजित पंचायत सम्मेलन के समय परिवहन निगम से कांग्रेस आई द्वारा कोई बसें किराये पर नहीं ली गई।

(2) कांग्रेस-आई द्वारा पंचायत सम्मेलन में कोई वाहनें किराये पर नहीं लीं अतः अग्रिम राशि जमा कराने का प्रश्न ही नहीं है।

(3) जी हां। ऐसी रैलियों के अवसर पर निगम द्वारा उपलब्ध कराई जा रही वाहनों का किराया अग्रिम लिया जाता है।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता।

(5) निगम बकाया किराया वसूल करने के लिये निरन्तर पत्र व्यवहार पंचायत विभाग व जिला परिषदों से कर कर रहा है।

(6) बीकानेर में आयोजित पंचायत सम्मेलन के लिये कांग्रेस (ई) को कोई वाहनें किराये पर नहीं दी गई। जहां तक दिल्ली में आयोजित कांग्रेस रैली का प्र[illegible] है कांग्रेस (ई) को किराये पर दी गई वाहनों के किराये में से 6,77,661-22 रुपये की राशि वसूल होना बकाया है।

कोटा नगर के पोषाहार केन्द्र

28. श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) व

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा नगर में कहां कहां पोषाहार केन्द्रों की व्यवस्था है ? पोषाहार सामग्री कहां तैयार होती है ?

(2) क्या यह आम शिकायत है कि यह सारा सामान कालाबाजारी में बिक जाता है या फिर जो कुछ दलिया बनता है वह खाने योग्य नहीं होता है ? यदि हां, तो इस हेतु विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है ?

उत्तर

(1 व 2) कोटा शहर में वर्तमान में चल रहे पोषाहार केन्द्रों की सूची सदन के

(समाज कल्याण मंत्री)

पटल पर रख दी गई है (परिशिष्ट क)। सामग्री एक ही स्थान पर कारागृह कोटा में तैयार की जाती है तथा वितरण केन्द्र प्रभारियों द्वारा किया जाता है।

जी नहीं। पाक व्यवस्था केन्द्रित कर देने के बाद वर्तमान में इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। दलिया केयर राजस्थान द्वारा बताये गये तरीके से बनाया जाता है जो पूर्ण रूप से हाईजेनिक और खाने योग्य होता है।

———

(222)

परिशिष्ट क

विशेष पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत कोटा शहर में संचालित पोषाहार केन्द्र

क्रमांक	स्थान जहां केन्द्र चलता है
1.	कोली पाड़ा, लाडपुरा के पीछे, कोटा
2.	भाटा पाड़ा हरिजन बस्ती, रामपुरा कोटा
3.	चश्मे की बावड़ी, बजाज खाना के अन्दर, कोटा
4.	चूड़ीगरों का मोहल्ला, चश्मे की बावड़ी के पास, कोटा
5.	रैगर मोहल्ला, मोची कटला, घंटाघर के पास
6.	चन्द्र घंटा, मस्जिद पाड़ा, बीबी का जोरा, कोटा
7.	बरजीघाट, पाटनपोल, चन्द्रघंटा से आगे
8.	चन्द्रघण्टा, मदन महाराज के घर के पास
9.	श्रीपुरा पुराने अनाथाश्रम के सामने
10.	बंगाली कालोनी, बी-ब्लाक, फ्लेट न. 45, छावनी क्षेत्र
11.	मोती बाबा की झोंपड़ियां, छावनी एरिया
12.	भोई मोहल्ला, मोती बाबा की झोंपड़ियों के सामने छावनी
13.	जेल कालोनी, कोटा
14.	गांधी गृह, दाद बाड़ी
15.	जगदीश होटल के पास, लाडपुरा
16.	काईन हाउस, चन्द्रघंटा
17.	उड़िया लोगों की झोंपड़ियां, श्रमिक बस्ती, विज्ञान नगर
18.	समाज कल्याण छात्रावास के पास कन्सुआ।
19.	पुलिया के पास, गंदी बस्ती कन्सुवा
20.	हनुमान मन्दिर के पास कन्सुवा

क्र. संख्या	स्थान जहां केन्द्र चलता है
21.	मुक्ति मार्ग, नयापुरा, कोटा
22.	मेहतर बस्ती, नया पुरा कोटा
23.	बस्ती खेड़ली पुरोहित, स्टेशन रोड़
24.	नेहरु नगर, शिव मन्दिर के पास, स्टेशन एरिया
25.	नेहरु नगर तेलघर के पास, स्टेशन एरिया
26.	नेहरु नगर हरिजन बस्ती, स्टेशन एरिया
27.	नेहरु नगर हरिजन बस्ती, स्टेशन एरिया
28.	बृजराजपुरा, श्री रमेश चन्द्र वकील का मकान
29.	सती का चबूतरा, गड़े भैरुजी के सामने
30.	लाल बुर्ज, कुम्हारों व कोलियों का मोहल्ला
31.	राधा विलास, रेगर मोहल्ला, पाटनपोल स्कूल के पास
32.	उदयपुर वालों की हवेली, वार्ड न. 26, पाटनपोल
33.	सादी देहड़ा, बड़ा रामद्वारा, किशोरपुरा
34.	323-ए, महावीर नगर, कोटा
35.	205-बी, महावीरनगर, कोटा।
36.	अनन्तपुरा (भील बस्ती) झालावाड़ रोड़
37.	अनन्तपुरा (भील बस्ती) झालावाड़ रोड़
38.	3 एफ 16 विस्तार योजना, दादा बाड़ी, कोटा
39.	रंगबाड़ी
40.	छावनी एरिया, यासीन खां साईकिल वाले के पास

सवाई माधोपुर वन क्षेत्र के प्रकरण

29. **श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर)** : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सवाई माधोपुर वन क्षेत्र में मार्च, 1982 से अगस्त, 1982 के मध्य वन विभाग द्वारा बहुत से लोगों का चालान किया गया है ? यदि हां, तो कितने व्यक्तियों का तथा किस अपराध के लिए ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त वन क्षेत्र में उक्त अवधि में उन व्यक्तियों को पकड़ने व चालान करते समय वन विभाग के कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त वन क्षेत्र में पशुओं को पकड़ कर दवाव खाने में बन्द कर दिया जाता है ? यदि हां, तो मार्च, 1982 से अगस्त, 1982 तक किस-किस गांव में पशुओं को व कितनी संख्या में बन्द किया गया ?

उत्तर

(1) जी हां। मार्च, 82 तक 141 व्यक्तियों का कोर्ट चालान किया गया है। जिनमें 117 व्यक्तियों का अवैध चराई के अपराध में।

9 व्यक्तियों का अवैध लकड़ी काटने के अपराध में।

13 व्यक्तियों का वन क्षेत्र पर अतिक्रमण के अपराध में तथा

2 व्यक्तियों का मगरमच्छ का शिकार करने के अपराध में।

(2) केवल एक व्यक्ति, जो राष्ट्रीय उद्यान से गीली लकड़ी काट कर ला रहा था, ने वन कर्मचारी द्वारा पकड़ने पर उससे मारपीट की।

(3) जी हां।

मार्च, 82 से अगस्त, 82 तक ग्राम खण्डार की 282 बकरी लहसोड़ा के 48 ऊँट व सवाई माधोपुर की 66 बकरी को दवाबखाने में बन्द किया गया है।

मंत्रिमंडल द्वारा राजस्थान नहर का निरीक्षण

30 **सुश्री पुष्पा जैन (आमेर)** : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि हाल ही में राजस्थान मंत्रिमंडल ने गंगानगर जाकर राजस्थान नहर व अन्य नहरों का निरीक्षण किया और इस संबंध में कई प्रकार

Page No 227

229

(सुश्री पुष्पा जैन)

के निर्णय लिए हैं ? यदि हां, तो, कृपया ऐसे निर्णयों का विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) इस दौरे में किन-किन मंत्रियों एवं राज्य मंत्रियों ने भाग नहीं लिया ?

उत्तर

(1) जी हां। निर्णयों का विवरण संलग्न है।

(2) दौरे में सभी केबिनेट स्तर के मंत्रियों ने भाग लिया व सम्बन्धित राज्य मंत्री जैसलमेर में दौरे में सम्मिलित हुए।

दिनांक 1-3-82 से 4-3-82 तक की राजस्थान नहर क्षेत्रों की यात्रा के परिणाम स्वरूप लिए गये निर्णयों का संक्षिप्त विवरण।

1. जल वितरण में वर्तमान अव्यवस्था का निवारण किया जावे व जल वितरण को सुव्यवस्थित किया जावे। कुछ खाले ठीक ढंग से क्यों नहीं बने, इसकी जांच करवायी जावे।
2. बिरदबाल से नीचे, राजस्थान केनाल, शाखाओं व वितरिकाओं के दाहिने व बायें किनारों पर स्थित ऐसे अनकमाण्डेड क्षेत्रों को भी सिंचाई जल उपलब्ध कराया जावे, जो सिंचाई के योग्य हैं।
3. राजस्थान नहर की पूगल, दत्तोर व रोजड़ी शाखाओं से सिंचित क्षेत्रों में यह सुनिश्चित किया जावे कि कमाण्ड भूमियों को अगली रबी तक सिंचाई जल अवश्य उपलब्ध करा दिया जावे व बाहर से आने वाले जो कृषक सिंचाई जल के अभाव में अथवा किसी भी अन्य असुविधा के कारण इन क्षेत्रों में नहीं बस रहे हैं, उन्हें यहां बसने के लिए प्रेरित किया जावे।
4. जहां भी खड़ी फसलों को एक बार पानी दिया जा चुका है, वहां जितनी बार और सिंचाई जल की आवश्यकता हो, उतनी बार जल उपलब्ध कराया जावे।
5. राजस्थान केनाल के द्वितीय चरण में सिंचाई जल का शीघ्रातिशीघ्र उपयोग करने हेतु कच्चे खालों के निर्माण का कार्यक्रम तुरन्त हाथ में लिया जावे।
6. राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का मुख्यालय उनके सघन कार्य-क्षेत्र में ही रखा जाये।
7. कुछ खालों (वाटर कोर्सेज) में विभिन्न प्रकार की काफी कमियां रही हैं, अतः इन कमियों को शीघ्रातिशीघ्र दूर किया जावे व इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की जावे।
8. बरसलपुर से आगे विभिन्न वितरिकाओं तथा नहरों के नाम, सम्बन्धित गांवों आदि के अंग्रेजी नाम संक्षिप्तीकरण के आधार पर अंग्रेजी की बजाय हिन्दी में रखे जायं

ग्राम पंचायत सेंती (चित्तौड़गढ़) में भूमि आवंटन

31. श्री नानालाल (राजसमन्द) एवं श्री बालचन्द्र आर्यवीर : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार के आदेश संख्या 3(59) राज/34/66, दिनांक 23-3-1966 के अनुसार जिलाधीश, चित्तौड़गढ़ ने ग्राम पंचायत सेंती रेवेन्यू हल्का में आराजी नं. 577-37 1/2 बीघा भूमि का आवंटन किया है ? यदि हां, तो किसको तथा किस उद्देश्य हेतु निःशुल्क आवंटन किया गया ? कृपया आवेदन पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त भूमि का आवंटन जिस संस्थान को किया गया उस संस्था की स्थापना कब और किस उद्देश्य से की गई ?

(3) क्या जिस समाज के उत्थान हेतु उपरोक्त भूमि का आवंटन किया गया वह समाज या उस समाज की संस्था इससे संतुष्ट है ?

उत्तर

(1) जी हां। भूमि ग्राम पंचायत सेंती की आबादी प्रयोजनार्थ लगान की 20 गुना राशि प्राप्त कर अखिल भारतीय अहिंसा प्रचारक संघ को देने हेतु आवंटन की गई। आवेदन पत्र की प्रति सदन की पटल पर रख दी गई है।

(2) उपरोक्त संस्था जिसकी भूमि का आवंटन किया गया है उसकी स्थापना जैन धर्म प्रचारक संघ के नाम से सन् 1956 में की गई थी। सन् 1966 से उक्त संस्था अखिल भारतीय अहिंसा प्रचारक संघ के नाम से सम्बोधित की जा रही है। इस संस्था की स्थापना का मुख्य उद्देश्य हिंसक कृतियों से सर्वथा दूर रह कर हिंसक व्यक्तियों से हिंसा का कार्य छुड़वाना, मद्यपान को छुड़वाना, मांसाहार, शिकार इत्यादि दुर्व्यसनों को छुड़वाकर उनमें अहिंसा व सत्य के संस्कारों का बीजारोपण करना है।

(3) जिस उद्देश्य से संस्था का गठन हुआ है वह उसी उद्देश्य से अब तक संस्था विधिवत कार्यरत है। संस्था के कार्य कलाप से समाज में जो परिवर्तन आया है उससे संस्था काफी संतुष्ट है।

सही प्रतिलिपि प्रार्थना-पत्र

अखिल भारतीय अहिंसा प्रचारक संघ निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़)

क्रमांक/ दिनांक :—

[redacted]

श्रीमान् सरपंच ग्राम पंचायत
सेंती

विषय :—अखिल भारतीय अहिंसा प्रचारक संघ को भूमि दिलाने बाबत।

महोदयजी,

निवेदन है कि उक्त संस्था के लिए निम्बाहेड़ा रोड से पूर्व की तरफ रेल की सड़क के बीच निम्नलिखित कार्य के लिए 20 एकड़ जमीन की आवश्यकता है। इन कार्यों की भी हम आपको दीक्षा देते हैं और यह संस्था समाजोन्नति के लिए यह जमीन चाहती है और जल्दी ही इस कार्य को प्रारम्भ कराने के प्रयत्न में है। कृपया उपरोक्त भूमि शीघ्रातिशीघ्र दिलाई जावें।

(1) ऊन उद्योग (2) वीरवाल वस्तु भण्डार (3) कार्यालय भवन (4) छात्रालय बाल बालिकाओं के लिए अलग अलग (5) औषधालय (6) गोशाला (7) हित आश्रम (8) अनाथालय (9) निवृत्ति आश्रम (10) जनरल क्रीड़ा स्थल एवं पार्क बगीचा आदि अर्थात् यह स्थान उपरोक्त तरीके में आबादी के रूप में एक छोटा सा आदर्श ग्राम के रूप में होगा। आशा है, शुभ कार्य के लिए हमें शीघ्र जमीन दिलाने की कार्यवाही करेंगे।

एस. डी.
लक्ष्मीलाल जैन
नवरतन पटवारी
सोंहनलाल बोहरा

158/ '–2–66

पत्र वक्त कोरम पेश हो एस० डी०
शान्तिलाल 5–2–66

पत्रावली वक्त कोरम पेश हुई व निर्णय लिया गया कि उक्त जमीन ग्रा० न० 577/7 रकबा 20 एकड़ जो चाही जा रही है वह चरनोट है। उसके लिए श्रीमान् जिलाधीश महोदय के द्वारा तहसीलदार सा० चित्तौड़गढ़ से जमीन आबादी में परिवर्तन करने हेतु निवेदन किया जावे। जमीन आबादी में परिवर्तन होने पर अखिल भारतीय अहिंसा प्रचारक संघ को नामीनल चार्ज में दी जावेगी।

एस० डी० शान्तिलाल 7–2–66 एस० डी० नन्दलाल धावाई
एस. डी. जगन्नाथ का एस. डी. भागीरथ आर्य नि. योजी बाइ नि. हीराजी लोदा लक्ष्मीपुरा वाले की नि. काशीराम जी धाकड़ सेंती वाले की।

जिला जयपुर में अपराध

33. **श्री नाथूसिंह (बांदीकुई)** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

जयपुर जिले में पिछले वर्ष में कितनी डकेतियां, हत्याएं व चोरियां हुई हैं ?

(2) उपरोक्त मामलों में से कितनों में कार्यवाही की व कितने मुल्जिम पकड़े गये ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वान्छित सूचना सदन की [redacted] पर रख दी गई है।

(2) वान्छित सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

वर्ष 1981 में जयपुर जिले में पंजीबद्ध एवं गिरफ्तार व्यक्तियों की तालिका :—

शीर्षक	कुल अभियोग दर्ज किए गये	चालान	मुल्जिम पकड़े गये
डकेती	19	5	54
हत्याएं	71	43	164
चोरियां (जेबकटी, साइकिल चोरी पशु चोरी सहित)	4068	733	1142

समाज कल्याण विभाग के छात्रावास

34. श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) :

क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा संचालित समाज कल्याण छात्रावासों की कार्य प्रणाली एवं छात्रों को दी जाने वाली सुविधाओं में परिवर्तन किया गया है ? यदि हां, तो कृपया वर्तमान सुविधाओं एवं कार्य प्रणाली का विवरण सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि समाज कल्याण विभाग के छात्रावास में रहकर अध्ययनरत छात्रों पर खर्च की जाने वाली राशि निर्धारित कर दी गयी है ? यदि हां, तो किस श्रेणी के छात्रावास के छात्र पर कितनी राशि किस-किस उद्देश्य पर खर्च की जाती है ? इस राशि में से एक छात्र पर दैनिक खर्चा कितना पड़ता है ? कृपया विवरण सहित सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट "क")

(2) जी हां। कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों के भोजन नाश्ता, वस्त्र, जूते, तेल, साबुन, बाल कटाई, बिजली व पानी हेतु 80 रुपए प्रति छात्र प्रति माह तथा कक्षा 9 से 11 तक के छात्रों को 85 रुपए प्रति माह प्रति छात्र दिया जाता है। इसके अतिरिक्त जो खर्च होता है उसका विवरण परिशिष्ट "क" में दिया गया है। इस वर्ष से छात्रों पर होने वाले व्यय में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी के पश्चात् यह राशि क्रमशः 100 रुपये व 106 रुपये प्रतिमाह हो जायेगी। एक छात्र पर औसतन दैनिक व्यय रुपये 3.65 पैसे है। 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी के पश्चात् यह व्यय रुपये 4.30 पैसे हो जावेगा।

(नक्शा विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

राजस्थान सरकार

समाज कल्याण विभाग

क्रमांक एफ 7 (1) 7/अनु./सकवि/81-82/ जयपुर दिनांक 18-1-82

राजकीय एवं अनुदानित छात्रावास संचालन नियम

राज्य सरकार समाज कल्याण विभाग के माध्यम से वर्तमान में संचालित राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों की प्रशासनिक, वित्तीय एवं शैक्षणिक व्यवस्था को सुसंचालित किये जाने हेतु निम्न नियम प्रसारित करती है :—

1. **शीर्षक एवं प्रभाव क्षेत्र**--ये नियम समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत राजकीय एवं अनुदानित छात्रावास संचालन नियम, 1982 कहलायेंगे । ये नियम दिनांक 1 फरवरी, 1982 से प्रभावशील होंगे एवं राजस्थान में विभाग द्वारा संचालित समस्त राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों पर समान रूप से लागू होंगे ।

2. **परिभाषा**—इसमें जब तक विषय या सन्दर्भ के विपरीत कोई अन्य बात न हो:—

   (1) "अधीक्षक" से अभिप्राय उस प्रधानाध्यापक/सहायक प्रधानाध्यापक अथवा वरिष्ठतम अध्यापक से होगा जिसे अंशकालीन भत्ते पर अधीक्षक (वार्डन) के पद पर जिलाधीश/जिलाधिकारी द्वारा इन नियमों के अधीन नियुक्त किया जायेगा ।

   (2) "अनुदानित छात्रावास" से अभिप्राय उन छात्रावासों से होगा जो समाज कल्याण विभाग से छात्रावास संचालन हेतु किसी भी प्रतिशत अथवा प्रकार का अनुदान प्राप्त करते हैं ।

   (3) "निदेशक" से अभिप्राय निदेशक, समाज कल्याण विभाग राजस्थान से है ।

   (4) "राजकीय छात्रावास" से अभिप्राय समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभागीय छात्रावासों से है ।

   (5) "विभाग" से अभिप्राय समाज कल्याण से है ।

Page No 233

(231)

(6) "जिला अधिकारी" से अभिप्राय विभाग द्वारा नियुक्त जिला सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी अथवा भविष्य में नियुक्त किये जाने वाले उसके समकक्ष/अधिकृत अधिकारी से है।

(7) "सहायक अधीक्षक" से अभिप्राय उस कर्मचारी से है जो अधीक्षक के अधीन छात्रावास की दैनिक व्यवस्था के लिए विभाग द्वारा नियुक्त किया जावे।

3. छात्रावासों के वर्ग—इन नियमों के अन्तर्गत संचालित छात्रावासों का वर्गीकरण निम्न लिखित होगा :—

(1) "अ" श्रेणी छात्रावास— वे छात्रावास होंगे जिनकी स्वीकृत छात्र संख्या 100 या अधिक होगी।

(2) "ब" श्रेणी छात्रावास—वे होंगे जिनकी स्वीकृत छात्र संख्या 50 से 99 तक होगी।

(3) "स" श्रेणी छात्रावास—वे होंगे जिनकी स्वीकृत छात्र संख्या 50 से कम होगी।

4. छात्र प्रवेश—राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों में छात्रों को प्रवेश दिये जाने एवं अन्य प्रकार की व्यवस्था के लिए प्रत्येक छात्रावास स्तर पर एक सलाहकार समिति होगी जिसके कार्य एवं गठन निम्न प्रकार होंगे—

(1) छात्रावास सलाहकार समिति नियमानुसार छात्रावासों में छात्रों के प्रवेश एवं छात्रावास की व्यवस्था की देखरेख करेगी तथा समिति के सदस्य समय समय पर छात्रावास का निरीक्षण करके व्यवस्था में सुधार हेतु अपने सुझाव देने के अधिकारी होंगे।

(2) छात्रावास प्रवेश एवं प्रबन्ध सलाहकार समिति के निम्न सदस्य होंगे—

1—क्षेत्रीय विधायक अथवा उनके द्वारा मनोनीत व्यक्ति।

2—क्षेत्रीय पंचायत समिति के प्रधान।

3—अनुदानित छात्रावासों के लिए संबंधित स्वयं सेवा संस्था का प्रतिनिधि।

4—जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी/सहायक निदेशक।

5—जिलाधीश द्वारा मनोनीत उप जिलाधीश, विकास अधिकारी अथवा तहसीलदार।

6—जिला समाज कल्याण अधिकारी/सहायक निदेशक द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति/जनजाति का एक प्रमुख समाज कार्यकर्ता।

7—जहां छात्रावास हो वहां का वरिष्ठतम राजकीय कर्मचारी [redacted] अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति का सदस्य हो। सदस्य [redacted] मनोनयन जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा जिलाधीश की अनुमति से किया जायेगा।

8—प्रत्येक छात्रावास का अधीक्षक समिति का सदस्य संयोजक होगा।

(3) समिति की बैठक के कोरम के लिए समिति के कम से कम तीन सदस्यों की उपस्थिति होना अनिवार्य होगा।

(4) समिति की प्रथम बैठक प्रवेश के समय होगी एवं दूसरी बैठक प्रथम वर्ष को 15 फरवरी के पूर्व कभी भी बुलानी होगी। बैठक की सूचना बैठक के 10 दिन पूर्व दी जावेगी।

(5) समिति का बैठक का कार्यवाही विवरण छात्रवास अधीक्षक सम्बन्धित जिला अधिकारी को भेजेंगे। यदि जिला अधिकारी किसी कारण से समिति की बैठक में सम्मिलित नहीं हों तो उक्त विवरण एक सप्ताह में जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी/सहायक निदेशक के पास पहुंच जाना चाहिये। यदि बैठक में कोई निर्णय नियमों के विरुद्ध लिया गया हो तो उसकी सूचना जिलाधिकारी शीघ्रातिशीघ्र निदेशक एवं सम्बन्धित जिलाधीश को भेजेंगे। ऐसे निर्णय को निदेशक अथवा जिलाधीश द्वारा स्थगित किया जा सकेगा एवं इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय निदेशक द्वारा दिया जायेगा।

(6) राजकीय छात्रावास एवं अनुदानित छात्रावासों में उन छात्रों का प्रवेश वर्जित होगा जिनके माता पिता आयकर दाता हों।

(7) किसी भी राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों में किसी पिछड़ी जाति के छात्र को जो छात्रावास के 8 कि. मी. की परिधि के भीतर रहता हो, अर्थात् जिसके माता पिता या संरक्षक 8 कि. मी. को परिधि के भीतर

रहते हों, छात्रावास में प्रवेश नहीं दिया जायेगा । परन्तु यह नियम मेहतर छात्र/छात्राओं पर लागू नहीं होगा । विशेष परिस्थिति में परिधि के नियम में छूट देने का अधिकार निर्देशक में निहित होगा ।

(8) साधारणतया अनुत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को विशेष परिस्थिति में निदेशक समाज कल्याण विभाग, राजस्थान की पूर्व स्वीकृति से प्रवेश दिया जा सकेगा । ऐसे अनुत्तीर्ण छात्रों को केवल रुपये 75/– मासिक छात्रावास भत्ता देय होगा । विशेष परिस्थिति में उक्त कटौती में छूट देने का अधिकार निदेशक को होगा । प्रत्येक असफल छात्र प्रवेश प्रार्थना पत्र के साथ 250/– रुपये मैस समिति खाते में जमा करा देगा जो कि बाद में उस अवस्था में लौटा दिये जावेंगे यदि निदेशक द्वारा कटौती में छूट दी जाती है ।

(9) सर्वप्रथम पूर्व वर्ष के समस्त सफल छात्रों को प्रवेश दिया जावेगा तत्पश्चात् रिक्त स्थानों पर मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जावेगा । प्रत्येक कक्षा के लिए लगभग बराबर सीटें सुरक्षित रखी जायेंगी । अर्थात् यदि 50 छात्रो को छात्रावास है तो कक्षा 6 से 11 तक लगभग 8 छात्र प्रति कक्षा के लिए जायेंगे । प्रत्येक कक्षा हेतु नए छात्रों का चयन मेरिट के आधार पर होगा । उक्त समिति कुल 5% स्थान ऐसे छात्रो को अपने विवेकानुसार दे सकेगी जो कि खेलकूद एवं अन्य सृजनात्मक कार्यों में विशिष्ट हो ।

(10) पूरक परीक्षा के छात्र को ग्रीष्मावकाश में छात्रावास में प्रवेश दिया जाकर आवास की सुविधा दी जा सकती है परन्तु राशन व्यवस्था आदि छात्र स्वयं अपने खर्चे पर करेगा ।

(11) यदि कोई छात्र सत्र के बीच में छात्रावास छोड़कर जाता है तो ऐसे छात्र को पुनः छात्रावास में प्रवेश नहीं दिया जायेगा । परन्तु विशेष परिस्थितियों में पुनः प्रवेश देने का अधिकार निदेशक को होगा ।

(12) प्रत्येक छात्र द्वारा मैस समिति के खाते में 30 रुपये काशनमनी जमा कराने के पश्चात् ही छात्रावास में प्रवेश दिया जावेगा ।

(13) छठी कक्षा से पूर्व के छात्रों को राजकीय छात्रावास में प्रवेश नहीं दिया जावेगा परन्तु विमुक्त जातियो घुमक्कड़ जातियों एवं रावरियों जातियों

के छात्रों पर यह प्रावधान लागू नहीं होगा । यदि इन जातियों में ऊंची कक्षा के छात्र वांछित संख्या में उपलब्ध न हों तो इसमें छूट देने का अधिकार निदेशक को होगा ।

(14) सत्र प्रारम्भ होने के एक माह पश्चात् अथवा प्रवेश सलाहकार समिति की सिफारिश के अतिरिक्त किसी भी छात्र को प्रवेश नहीं दिया जावेगा, जब तक कि ऐसे मामलों में निदेशक की पूर्व स्वीकृति प्राप्त न कर ली जावे ।

(15) जिन जातियों हेतु छात्रावास स्वीकृत किया गया हो उन जातियों हेतु छात्रावास के 60% स्थान आरक्षित होंगे । शेष 20 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लिए सुरक्षित होंगे । उदाहरणार्थ अनुसूचित जाति छात्रावास में 20 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जनजातियों हेतु सुरक्षित होंगे, अनुसूचित जनजातियों के छात्रावासों में 20 स्थान अनुसूचित जातियों हेतु सुरक्षित होंगे । अन्य जातियों के छात्रावासों में 20% स्थान अनुसूक्षित जाति/अनुसूचित जन जातियो हेतु सुरक्षित होंगे । प्रत्येक छात्रावास में 10% स्थान अन्य पिछड़ी जातियों (Other Backward Classes) हेतु सुरक्षित होंगे व शेष 10% स्थान अन्य समस्त जातियों हेतु सुरक्षित होंगे । अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षित स्थानों में 10 प्रतिशत स्थान मेहतर जाति के छात्रों हेतु सुरक्षित होंगे । अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ी जाति से भिन्न जातियों के छात्र जो छात्रावासों में रहेंगे उन्हें केवल रहने की सुविधा ही दी जायेगी । शेष सुविधायें जैसे भोजन, पुस्तकें, फीस, कपड़े आदि पर व्यय वे स्वयं ही करेंगे ।

5. राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासो में स्वीकृत स्टाफ का विवरण :—

(1) प्रत्येक छात्रावास में एक अंशकालीन अधीक्षक होगा । अधीक्षक पद के लिए केवल ऐसा व्यक्ति नियुक्त होगा जो कि स्थानीय विद्यालय का प्रधान अध्यापक/सहायक प्रधानाध्यापक अथवा वरिष्ठतम अध्यापक हो ।

"अ" अथवा "ब" श्रेणी छात्रावासों के अधीक्षक का मनोनयन जिलाधीश द्वारा किया जायेगा एवं "स" श्रेणी के छात्रावासों के अधीक्षक का मनोनयन जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा । उक्त मनोनयन करने से पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी से परामर्श किया जायेगा । स्वेच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित छात्रावासों के अधीक्षक की नियुक्ति से पूर्व

संबंधित संस्था से भी यथा संभव परामर्श लिया जायेगा । यदि ऐसे छात्रावास किसी शिक्षण संस्था से संम्द्ध हैं, तो यथा संभव उसी संस्था के प्रधानाध्यापक या उप/सहायक प्रधानाध्यापक को अधीक्षक मनोनीत किया जायेगा । सत्र प्रारंभ होने के पश्चात् अधीक्षक पद पर मनोनीत अध्यापक का परिवर्तन केवल जिलाधीश अथवा निदेशक द्वारा किया जा सकेगा । छात्रावास अधीक्षक को निम्नलिखित दर से सवारी भत्ते का भुगतान प्रति माह जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा :—

"अ" श्रेणी छात्रावास......................150/--

"ब" श्रेणी छात्रावास......................100/--

"स" श्रेणी छात्रावास......................75/--

परन्तु अधीक्षक को दिया जाने वाला भत्ता स्थानीय अंशकालीन अध्यापक को देय भत्ते से कम नहीं होगा ।

(2) प्रत्येक छात्रावास में एक सहायक अधीक्षक होगा । "अ" व "ब" श्रेणी छात्रावासों में सहायक अधीक्षक वेतन शृंखला 385–650 के होंगे तथा "स" श्रेणी के छात्रावासों में सहायक अधीक्षक वेतन शृंखला 355-570 के होंगे ।

(3) प्रत्येक छात्रावास में विज्ञान, गणित एवं अंग्रेजी जैसे कठिन विषयों में विशेष अध्यापन हेतु अंशकालीन अध्यापक प्रत्येक सत्र में 6 माह के लिए नियुक्त किये जायेंगे जो कक्षा 9 से 11 तक के छात्रों को पढ़ायेंगे । उक्त अध्यापकों की नियुक्ति जिलाधिकारी द्वारा की जावेगी, ऐसी नियुक्ति करने के पूर्व वे जिला शिक्षा अधिकारी अथवा प्रधानाध्यापक से परामर्श लेंगे । अंशकालीन अध्यापकों की संख्या "अ", "ब" एवं "स" श्रेणी के छात्रावासों में क्रमशः 4, 3 व 2 होगी । प्रत्येक अंशकालीन अध्यापक को निम्नलिखित दर से मासिक सवारी भत्ता देय होगा :—

1—10,000 तक आबादी वाले स्थानों पर	75/--
2—10,000 से 50,000 तक आबादी वाले स्थान पर	100/--
3—50,000 से एक लाख तक आबादी वाले स्थान पर	125/--

4—एक लाख से ऊपर आबादी वाले स्थान पर 150/--

(4) प्रत्येक छात्रावास में एक अंशकालीन चिकित्सक की नियुक्ति की जायेगी। चिकित्सक का मनोनयन जिला मुख्यालय पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की सिफारिश पर एवं अन्य स्थानों पर स्थानीय वरिष्ठतम चिकित्सा अधिकारी की राय के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा। उक्त चिकित्सा अधिकारी को "अ" व "ब" श्रेणी छात्रावासों में 75/-- रुपये प्रति माह एवं "स" श्रेणी छात्रावास में 50/-- रुपये प्रतिमाह सवारी भत्ता के रूप में देय होगा।

(5) प्रत्येक छात्रावास में एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति की जायेगी जो छात्रावास में ही निवास करेगा एवं उसे छात्रावास में रहने का स्थान यथासंभव निःशुल्क दिया जावेगा।

(6) प्रत्येक छात्रावास में आवश्यकतानुसार एक सफाईकर्ता की नियुक्ति नियमानुसार अंशकालीन आधार पर की जायेगी।

(7) ऐसे छात्रावास जो किसी शिक्षण संस्था से संग्द्ध है, उनमें सहायक अधीक्षक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति अंशकालीन होगी एवं उन्हें क्रमशः रुपये 75/-- एवं रुपये 50/-- प्रतिमाह सवारी भत्ता देय होगा। अंशकालीन कर्मचारी संबंधित संस्था के कर्मचारियों में से ही नियुक्त किये जायेंगे।

6. **कर्त्तव्य :—**

(1) अधीक्षक (वार्डन) के कर्त्तव्य निम्नलिखित होंगे :—

(i) छात्रावास का संचालन एवं अनुशासन

(ii) छात्रावास के मैस की सुचारु व्यवस्था

(iii) छात्रावासों का नियमित निरीक्षण एवं छात्रों की सर्वांगीण विकास की व्यवस्था।

(iv) छात्रों की प्रगति की पंजिकायें रखना जिसमें छात्र की शाला एवं छात्रावास में उपस्थिति, अनुशासन, परीक्षा आदि के सम्बन्ध में जानकारी अंकित हो एवं,

Page No 239

(222)

(v) सुझाव पुस्तिका रखना जिसमें समस्यायें तथा उनके निराकरण का विवरण अंकित हो।

(2) सहायक अधीक्षक छात्रावास एवं भोजनशाला का समस्त लेखा एवं पंजिकाओं को रखेगा एवं अधीक्षक को उनके समस्त कर्त्तव्यों के निर्वहन में पूर्ण सहायता देगा। सहायक अधीक्षक मैस समिति का पदेन लेखाकार एवं कैशियर होगा। यदि उसके निवास हेतु स्थान उपलब्ध हो तो वह छात्रावास में निवास करेगा।

(3) जिला अधिकारी समस्त व्यवस्था की देखरेख करेंगे एवं छात्रावास का मासिक निरीक्षण करेंगे तथा सभी कर्मचारियों से उनके कर्त्तव्यों का पालन भलीभांति पूर्ण करायेंगे।

(4) अंशकालीन चिकित्सा अधिकारी सप्ताह में एक बार अनिवार्य रूप से छात्रावास जायेंगे और सभी छात्रों के स्वास्थ्य की जांच करेंगे। किसी छात्र के बीमार होने पर अधीक्षक/सहायक अधीक्षक चिकित्सा अधिकारी को सूचित करेंगे जो तुरन्त छात्रावास जाकर छात्र का उपचार करेंगे एवं आवश्यकता होने पर उसको चिकित्सालय ले जावेंगे।

(5) अंशकालीन अध्यापक प्रतिदिन निश्चित समय पर छात्रावास जाकर मुख्यत: कक्षा 9 से 11 के छात्रों को कठिन विषय जैसे गणित अंग्रेजी, विज्ञान आदि विषय पढ़ायेंगे। वे कमजोर छात्रों का विशेष ध्यान रखेंगे और उनकी प्रगति पर पूर्ण निगरानी रखेंगे। आवश्यकता होने पर वे अन्य कक्षा के छात्रों को भी सहायता देंगे।

(6) भोजनशाला एवं छात्रावास की व्यवस्था, सफाई एवं चौकीदारी संबंधी कार्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी द्वारा किया जावेगा। छात्रों हेतु भोजन लाना, छात्रावास में पानी भरना, छात्रावास कार्य करना आदि ऐसे सभी कार्य जो कि एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से अपेक्षित हैं, छात्रावास के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी द्वारा किये जायेंगे।

7:-- अनुशासन

(i) किसी भी छात्र के अनुशासनहीन पाये जाने पर अधीक्षक/सहायक अधीक्षक जिलाधिकारी को विवरणात्मकरिपोर्ट भेजेंगे। जिलाधिकारी इसकी संक्षिप्त जांच करेगा और रिपोर्ट में वर्णित तथ्य को छात्र अनुशासनहीन हैं अथवा छात्रावास के अन्य छात्रों पर उसका कुप्रभाव पड़ रहा है या पड़ना संभावित

है, तो सत्य पाने पर उस छात्र को 7 दिन का नोटिस देकर छात्रावास से निष्कासित कर देगा। अत्यन्त गम्भीर मामलों में तुरन्त निष्कासन भी किया जा सकेगा।

(ii) किसी भी तिमाही में छात्र की उपस्थिति 50 प्रतिशत से कम होने पर अधीक्षक द्वारा छात्र को छात्रावास से निष्कासित किया जावेगा। इस प्रकार से छात्रावास से निष्कासित छात्र को विशेष परिस्थितियों में रहने की अनुमति [redacted] छात्रावास जिलाधिकारी देंगे। परन्तु यदि वह छात्र दूसरी बार, यदि इसी प्रकार अनुपस्थित रहता है तो इस सम्बन्ध में छूट केवल निदेशक द्वारा दी जा सकेगी।

8:-- **सुविधायें**

प्रत्येक छात्रावास में निम्नलिखित सुविधायें प्रदान की जावेंगी :—

(1) भोजन, नाश्ता, कपड़ा, बिजली पानी, बाल कटाई, साबुन-तेल, जूते आदि पर व्यय मैस समिति, जो कि इन नियमों के अन्तर्गत होगी, के द्वारा किया जावेगा। इस काम के लिए मैस समिति की कक्षा छः से आठ तक के छात्रों हेतु 80/—रुपये प्रति छात्र प्रति माह तथा कक्षा 9 से 11 तक के छात्रों हेतु 85/–रुपये प्रति छात्र प्रति माह की दर से कुल 9 माह हेतु राशि जिलाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई जावेगी।

(2) प्रत्येक सत्र में कक्षा 9 से 11 तक के छात्रों को 60/—रुपये प्रति छात्र एवं कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को 40/—रुपये प्रति छात्र पुस्तकें, स्टेशनरी तथा फीस हेतु दिये जायेंगे। यह राशि सत्र के आरम्भ में एक मुश्त ही छात्रों को जिलाधिकारी/अधीक्षक द्वारा दी जावेगी।

(3) प्रति छात्र को निम्न सामान उपलब्ध कराया जावेगा:—

(i) एक दरी

(ii) दो कम्बल

(iii) एक तकिया मय दो गिलाफ

(v) एक खेस

(vi) दो चादर

(vii) एक गद्दा

(4) प्रत्येक छात्र को निम्नानुसार बर्तन दिये जावेंगे:—

(i) एक थाली

(ii) दो कटोरी

(iii) एक प्लास्टिक मग (बड़ा)

(5) प्रत्येक छात्र को एक चारपाई या लकड़ी का तख्ता उपलब्ध कराया जावेगा।

(6) प्रत्येक छात्र को अपना सामान रखने हेतु एक अलमारी अथवा एक लोहे का बक्सा दिया जावेगा।

(7) प्रत्येक छात्र को छात्रावास से दी जाने वाली सुविधायों का एक चार्ट सर्वदर्शित स्थान पर प्रदर्शित किया जावेगा।

(8) एक ताला बन्द सुझाव पेटी प्रत्येक छात्रावास में रखी जावेगी! अधीक्षक समय समय पर उसे खोल कर सुझावों को एक पुस्तिका में नोट करते हुये समस्याओं का निदान करेंगे।

(9) **भोजन शाला की व्यवस्था एवं उसका संधारण :—**

(1) प्रत्येक छात्रावास में एक भोजनशाला समिति (मैस समिति) होगी होगी जिसके निम्न सदस्य होंगे :—

(i) अधीक्षक (वार्डन)	अध्यक्ष
(ii) उच्चतम कक्षा या उससे नीचे की कक्षा का एक छात्र-सचिव	
(iii) पांच अन्य छात्र	सदस्य
(v) सहायक अधीक्षक	पदेन लेखाकार व कैशियर

(2) मैस समिति के सचिव का चयन छात्रावास द्वारा चुनाव के माध्यम से किया जावेगा। कुल पांच सदस्यों में से दो चुने जायेंगे एवं शेष तीन सदस्य मनोनीत किये जावेंगे। चुनाव, अधीक्षक द्वारा सत्र के प्रारम्भ में ही गुप्त मतदान की रीति से कराये जायेंगे। अधीक्षक द्वारा मनोनयम उन तीन छात्रों का किया जावेगा जिनके पिछली वार्षिक परीक्षा में अधिकतम अंक आये हों। ये छात्र कक्षा 8,9 एवं 10 से

मनोनीत किये जावेंगे ताकि प्रत्येक कक्षा का एक छात्र मनोनीत हो सके। यदि उक्त कक्षा का कोई भी छात्र उपलब्ध न हो तो कक्षा 7 का छात्र उक्त प्रक्रिया से मनोनीत किया जायेगा।

(3) मैस समिति छात्रों के भोजन, नाश्ता, बिजली, पानी, वस्त्र कटाई, साबुन, तेल, जूते आदि की व्यवस्था करेगी जिसके लिये समिति को कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों के लिये 80/—रुपये प्रति छात्र प्रतिमाह तथा 9 से 11 तक के लिये 85/—रुपये प्रति छात्र प्रति माह दिया जावेगा। कुल खर्चे में कम या अधिक खर्चे "मैस समिति" का उतरदायित्व होगा।

(4) भोजन शाला एवं छात्रों के अन्य सामान की खरीद, सहायक अधीक्षक एवं मैस समिति अथवा समिति द्वारा मनोनीत छात्र/छात्रों द्वारा की जायेगी।

(5) मैस समिति को उप नियम (3) के अनुसार दिये जाने वाली राशि जिलाधिकारी द्वारा मैस समिति के बैंक खाते में जमा कराई जावेगी। उक्त मैस समिति के खाते का संचालन, अधीक्षक एवं सहायक अधीक्षक करेंगे एवं सम्पूर्ण लेखा का निरीक्षण एवं परीक्षण अधीक्षक द्वारा किया जावेगा।

(6) मैस समिति को राशि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया निम्न होगी:—

(1) प्रथम किश्त सत्र के प्रारम्भ में ही स्वीकृत छात्र संख्या के आधार पर तीन माह के व्यय हेतु कुल राशि समिति के खाते में एक मुश्त जमा करा दी जावेगी।

(ii) तत्पश्चात् छात्रों की संख्या के आधार पर देय प्रत्येक तीन माह की राशि अग्रिम रूप से समिति के खाते में जमा करादी जावेगी। अन्तिम माह की राशि 9 माह पूर्ण होने पर जमा कराई जावेगी।

(iii) दूसरी एवं उसके पश्चात् दी जाने वाली किश्तें सम्बन्धित प्रधानाध्यापकों से प्राप्त मासिक उपस्थिति पत्र के आधार पर देय होंगी। उक्त उपस्थिति प्रत्येक तीन माह के प्रथम दो माह हेतु प्राप्त की जायगी। तीसरे माह की उपस्थिति अगली तिमाही में प्राप्त कर ली जायगी। अनुदान राशि निम्न प्रकार से अनुपस्थित के आधार पर काटी जावेगी:—

(241)

उपस्थिति	कटौती योग्य राशि
80 प्रतिशत से ऊपर	शून्य
65 से 80 प्रतिशत	1/3
50 से 80 प्रतिशत	2/3
35 से 50 प्रतिशत	3/4
35 से कम प्रतिशत	सम्पूर्ण राशि

(iv) यदि तीन या अधिक अवकाश जैसे, दीपावली, दशहरा, होली आदि पर छात्र अनुपस्थित रहते हैं एवं अपने घर चले जाते हैं तो उसे अनुपस्थित नहीं माना जावेगा। ग्रीष्मावकाश एवं अन्य अवकाशों को दृष्टिगत रखते हुये ही वर्ष में नौ मास हेतु अनुदान निर्धारित किया गया है।

(v) सत्र के प्रारम्भ में मैस समिति का गठन आदि व्यवस्था करने में यदि कुछ समय लगे तो मैस समिति के गठित होने तक प्रति छात्र 4/- रुपये प्रति छात्र प्रतिदिन की दर से राशि मैस समिति के खाते से प्रवेशित छात्रों को दी जावेगी। यह राशि 15 दिन से अधिक नहीं दी जावेगी व इसका समायोजन इन नियमों के अन्तर्गत देय राशि से प्रथम त्रैमास में कर लिया जावेगा।

(7) भोजनशाला समिति को विभागीय रसोईया उपलब्ध नहीं कराया जावेगा परन्तु प्रत्येक भोजनशाला समिति को छात्र संख्या के आधार पर प्रति रसोईया 250/—रुपये प्रति माह तदर्थ अनुदान उपलब्ध कराया जावेगा। रसोईयों की संख्या का निर्धारण निम्न रूप से किया जावेगा। इन रसोईयो की नियुक्ति अंशकालीन आधार पर 10 माह के लिये की जायेगी तथा तदनुसार ही उन्हें वेतन देय होगा।

छात्र संख्या	रसोईया की संख्या
25 या कम	1
25 से 49	2
50 से 99	3
100 या अधिक	4

यह राशि भी समिति के खाते में छात्रों की देय मासिक अनुदान के अतिरिक्त जमा करा दी जायेगी।

(8) उक्त भोजनशाला समिति का खाता स्थानीय बैंक में खोला जावेगा जिसका संचालन अध्यक्ष एवं सहायक अधीक्षक के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा।

(9) सहायक अधीक्षक, जो समिति के पदेन लेखाकार व कैशियर भी हैं, अधीक्षक की देख-रेख में समिति के समस्त लेखों का संधारण करेंगे। अधीक्षक के निर्देशानुसार सहायक अधीक्षक समिति के लिए जिलाधिकारी से धनराशि प्राप्त करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही करेंगे।

(10) छात्रों को रोजगार सम्बन्धी प्रशिक्षण यथा सम्भव दिया जावेगा। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी, विकास अधिकारी, पंचायत समिति आदि अधिकरण द्वारा चलाई जा रही योजना के अन्तर्गत छात्रावासों में प्रशिक्षण का प्रबन्ध करवायेंगे तथा आवश्यकतानुसार निदेशक द्वारा अंशकालीन क्राफट टीचर भी उक्त प्रशिक्षण हेतु नियुक्त किया जावेगा।

(11) अनुदानित छात्रावास मान्यता एवं संचालन

(i) छात्रावासों के संचालन के लिए मान्यता एवं अनुदान स्वीकृति हेतु पंजीकृत स्वैच्छिक सेवा संस्था द्वारा आवेदन पत्र शैक्षणिक सत्र के प्रारम्भ से चार माह पूर्व निदेशक को प्रस्तुत करना आवश्यक है। यह आवेदन पत्र निदेशक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया जावेगा यदि किसी विशेष परिस्थिति के कारण आवेदन में विलम्ब हुआ है तो इस शर्त में छूट निदेशक द्वारा दी जा सकेगी।

(ii) आवेदन पत्र निदेशक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किये जावेंगे जिनके निष्पादन में निदेशक, समाज कल्याण विभाग निम्न बिन्दुओं के आधार पर विचार करेंगे:-

(i) कि उस क्षेत्र में प्रस्तावित छात्रावास पहले से चल रहे अन्य छात्रावास के होते हुये भी खोला जाना आवश्यक है एवं प्रस्तावित छात्रावास हेतु पर्याप्त भवन एवं अन्य साधन उपलब्ध हैं।

(ii) कि प्रस्तावित छात्रावास के लिए आवश्यक व्यय करने हेतु पर्याप्त साधन संस्था के पास उपलब्ध हैं।

(iii) कि आवेदक संस्था छात्रावास में निर्धारित सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु सक्षम है।

(iv) कि प्रस्तावित छात्रावास हेतु धनराशि विभाग के पास उस वर्ष में उपलब्ध हैं।

(v) कि ऐसे छात्रावास का निरीक्षण विभाग के किसी ऐसे अधिकारी, जो कि जिला स्तर से नीचे न हो, द्वारा कर लिया गया है और वह उस बात से सन्तुष्ट हैं कि छात्रावास में आवश्यक सुविधायें उपलब्ध हैं।

(3) छात्रावास स्वीकृत किये जाने के लिए यह विशेष शर्त होगी कि उस छात्रावास में बिना किसी जातिय भेदभाव समस्त पिछड़ी जाति जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विमुक्त एवं घुमक्कड़ जाति एवं सरकार द्वारा समय समय पर मान्य एवं घोषित अन्य पिछड़ी जातियों के छात्रों को उन नियमों के अनुसार प्रवेश दिया जावेगा।

(4) प्रशासनिक दृष्टि से अथवा लेखा जांच में पाई गई अनियमतिताओं के आधार पर अथवा संस्था द्वारा निर्धारित सुविधा उपलब्ध नहीं कराने पर अथवा संस्था के साथ वित्तीय अभाव होने पर निर्देशक उस संस्था की मान्यता रद्द कर सकेंगे उस संस्था द्वारा संचालित छात्रावास का संचालन किसी अन्य अच्छी संस्था को निदेशक द्वारा सौंपा जावेगा या प्रशासक नियुक्त कर दिया जावेगा। उक्त प्रशासक विभाग के निरीक्षक या उससे ऊपर के स्तर का होगा। मान्यता रद्द करने पर छात्रावास की समस्त राजकीय सम्पत्ति व धनराशि संस्था से वापस ली जावेगी। आवश्यकता पड़ने पर छात्रावास को राजकीय छात्रावास में परिवर्तित कर विभाग द्वारा संचालित किया जावेगा।

(5) विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था को यह अधिकार नहीं होगा कि वे किसी अन्य संस्था या व्यक्ति को स्वीकृत या संचालित छात्रावास को हस्तान्तरित (ट्रांसफर) कर सके। यदि छात्रावास संचालन में संस्था असमर्थ हो तो तीन माह पूर्व विभाग को सूचना देगी ताकि विभाग प्रशासक नियुक्त कर सके अथवा अन्य किसी मान्यता प्राप्त संस्था से छात्रावास संचालित करा सके अथवा राजकीय छात्रावास में परिवर्तित कर विभाग द्वारा संचालित करवा सके।

(6) (i) यह नियम अनुदानित छात्रावासों पर भी उसी प्रकार लागू होंगे जैसे राजकीय छात्रावासों पर प्रभावशील है।

(ii) अनुदानित छात्रावासों को विभाग द्वारा देय 90 प्रतिशत के विरुद्ध अब मैस समिति के खाते में राशि नियमानुसार जमा कराई जावेगी। यह राशि इन नियमों के अन्तर्गत राजकीय छात्रावासों को दी जाने वाली राशि की तरह की मैस समिति के खाते में छात्रों आधार पर जमा कराई जावेगी तथा इसका व्यय भी इन्ही नियमों के अनुसार किया जावेगा। केवल अनुदानित संस्था द्वारा नियुक्त सहायक अधीक्षक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के वेतन व भत्ते, स्थायी सम्पत्ति एवं भवन किराया सम्बन्धी व्यय छात्रावास चलाने वाली सस्था स्वयं वहन करेगी। यह व्यय संस्था द्वारा व्यय की जाने वाली 10 प्रतिशत राशि के विरुद्ध भरा जायेगा।

(iii) भोजन, कपड़ा आदि पर व्यय हेतु भोजनशाला समिति को राशि इन नियमों के अन्तर्गत राजकीय छात्रावासो की भांति दी जावेगी। नियम 8 (2) में वर्णित फीस, पुस्तकें आदि हेतु देय राशि भी जिलाधिकारी/अधीक्षक द्वारा उसी प्रकार वितरित की जावेगी।

( ) अन्य सुविधाये जो कि नियम 8 (3) से 8 (8) तक निर्धारित हैं वे संस्था द्वारा सत्र के प्रारम्भ में उपलब्ध कराई जायेगी।

( ) अनुदानित संस्था द्वारा नियुक्त सहायक अधीक्षक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के वे ही कर्त्तव्य होंगे जो कि उनके समकक्ष कर्मचारियों के राजकीय छात्रावास में हैं।

(12) **निदेशक की विशेष शक्तियां:—**

छात्रावास के संचालन में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो निदेशक को पूर्ण अधिकारी होगा कि वह छात्रावास का उचित संचालन करने के उद्देश्य से ऐसे सभी निर्णय ले एवं कार्य करे जो इस सम्बन्ध में उपयुक्त प्रतीत हों।

(13) **संशोधन:—**

इन नियमों में सशोधन एवं परिवर्तन करने का अधिकार समाज कल्याण विभाग में निहित होगा।

(14) **नियमों की व्याख्या**

राज्य सरकार अथवा निदेशक द्वारा इस विषय पर अथवा इन नियमों के सम्बन्ध में समय समय पर प्रसारित परिपत्र निर्देश एवं मूल नियमों की व्याख्या जो निदेशक द्वारा की जायेगी वह अन्तिम होगी ।

राज्यपाल की आज्ञा से,
ह०/—
(वी०सी०पाण्डे)
सचिव,
समाज कल्याण विभाग
राजस्थान जयपुर

राजस्थान सरकार

समाज कल्याण विभाग

क्रमांक एफ. 7 (I) (7) अनु०/सकवि/81/82 जयपुर, दिनांक 2–6–82

आदेश

राज्ज सरकार समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत "राजकीय एवं अनुदानित छात्रावास संचालन नियम, 1982" में निम्न संशोधन दिये जाने के आदेश प्रसारित करती है। ये संशोधन दिनांक 1 जुलाई, 1982 से सभावी होगे।

नियम—2

उपनियम 7, नया निम्न प्रकार से जोड़ा जावे :—

"विकास अधिकारी से अभिप्राय सम्बन्धित पंचायत समिति में इस पद पर नियुक्त विकास अधिकारी अथवा भविष्य में नियुक्त किये जाने वाले अधिकारी से है।

वर्तमान उप नियम 7 को "उप नियम 8" पढ़ा जावे।

उप नियम 9 निम्न प्रकार से जोड़ा जावे :—

"ग्रामीण छात्रावास" से तात्पर्य नगरपालिकाओं क्षेत्रों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में स्थित राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों से है।

नियम—4

उपनियम 2 (8) निम्न प्रकार जोड़ा जावें—

"ग्रामीण छात्रावासों के लिए सम्बन्धित विकास अधिकारी" उप नियम 5 की द्वितीय पंक्ति में जिलाधिकारी के बाद निम्न जोड़ा जावें—

"एवं सम्वन्धित विकास अधिकारी"

नियम—5

उप नियम 1 पैरा 2 की तीसरी पंक्ति में जिलाधिकारी के बाद निम्न शब्द जोड़ा जावे—"एवं ग्रामीण छात्रावासों हेतु विकास अधिकारी", उपनियम-3 का चौथी पंक्ति में जिलाधिकारी शब्द के बाद निम्न शब्द जोड़ा जावे—

"एवं ग्रामीण छात्रावासों हेतु विकास अधिकारी",

उप नियम–4 की पांचवीं पंक्ति में जिलाधिकारी के बाद निम्न शब्द जोड़ा जावे—"एवं ग्रामीण छात्रवासों हेतु विकास अधिकारी"

नियम—7

उपनियम–1 की द्वितीय पंक्ति व तृतीय पंक्ति में जिलाधिकारी के बाद निम्न शब्द जोड़े जावे—"एवं ग्रामीण छात्रावासों हेतु विकास अधिकारी"

उप नियम–2 की पांचवीं पंक्ति में जिलाधिकारी के पश्चात् निम्न शब्द जोड़े जावें—"एवं ग्रामीण छात्रावासों हेतु विकास अधिकारी"

नियम—8

उप नियम–1 की सातवीं पंक्ति में जिलाधिकारी के बाद निम्न शब्द जोड़े जावें—"एवं ग्रामीण छात्रावासों हेतु विकास अधिकारी"

उप नियम–2 में चौथी पंक्ति में अधीक्षक शब्द के बाद निम्न शब्द जोड़े जावें—"अथवा ग्रामीण छात्रावासों हेतु विकास अधिकारी"

नियम—9

वर्तमान नियम (9) को "नियम–9" पढ़ा जावे।

उप नियम–5 की प्रथम पंक्ति में जिलाधिकारी के बाद निम्न शब्द जोड़े जावें—"एवं ग्रामीण छात्रावासों हेतु विकास अधिकारी"

नियम—10

वर्तमान नियम (10) के बदले "नियम–10" पढ़ा जावें।

नियम—11

नया नियम 11 निम्न निम्नलिखित जोड़ा जावें—

"पंचायत समितियों पी. डी. खातों में विभाग द्वारा उनकी हस्तान्तरित राजकीय एवं अनुदानित छात्रावास के व्यय के लिए इन नियमों के अन्तर्गत स्वीकृत राशि वर्ष में दो किश्तों के द्वारा माह जून एवं अक्टूबर में हस्तान्तरित की जायेगी, जिसकी वित्तीय एवं लेखा व्यवस्था विभाग के द्वारा निर्धारित निर्देशों के अनुसार की जायेगी। हस्तान्तरित राशि के उपयोगि के संबंध में निर्धारित प्रपत्र में सूचना व उपयोगिता प्रमाण-पत्र विकास अधिकारी द्वारा निर्धारित अवधि में प्रस्तुत किये जावेंगे।

नियम–11–वर्तमान नियम 11 को "नियम 12" पढ़ा जावेगा।

नियम–12–वर्तमान नियम 12 को "नियम 13" पढ़ा जावे।

(248)

नियम–13–वर्तमान नियम 13 को "नियम 14" पढ़ा जावे।

नियम–14–वर्तमान नियम 14 को "नियम 15" पढ़ा जावे।

राज्यपाल की आज्ञा से,
एस० डी०
(आर. के. सक्सेना)
सचिव,
समाज कल्याण विभाग
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक एफ. 7 (1) (7) अनु०/सकवि/18-82/31249-562 जयपुर, दिनांक 2-6-82

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. विकास आयुक्त, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. शासन सचिव एवं निदेशक, पंचायत एवं सामुदायिक विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. सचिव, मुख्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक, समाज कल्याण विभाग राजस्थान, जयपुर।
5. सभी जिलाधीश,
6. निजी सचिव, राज्य मंत्री, समाज कल्याण विभाग, जयपुर।
7. सचिव, जिला परिषद्.......................................।
8. सभी जिला अधिकारी, समाज कल्याण विभाग,
9. विकास अधिकारी, पंचायत समिति...............
10. निजी सचिव, सचिव, समाज कल्याण विभाग।
11. मुख्यालय के सभी अधिकारीगण।

एस० डी०
उप सचिव
समाज कल्याण विभाग
राजस्थान सरकार।

249

परिशिष्ट-3

अतारांकित प्रश्न संख्या 2 की प्रति

(परिशिष्ट क)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
SOCIAL WELFARE DEPARTMENT

No.F. 11 (67) R&P/SWD/81-82/140 Jaipur, Dated : 4.1.82

ORDER

Sub :—Scheme for monetary relief to victims of atrocities on members of Scheduled Castes and Scheduled Tribes due to cast consideration.

In supersession of this department order of even number dated 28th May, 1980, the Governor has been pleased to order that the grant for relief to the victims of atrocities on the members of Scheduled Castes and Scheduled Tribes due to caste consideration will be sanctioned for the following offences at the revised rates, as indicated against each with immediate effect:—

Offences	Revised rates or grant for relief.
1. Murder	Rs. 5,000
2. Permanent incapacitation	Rs. 3,000
3. Temporary incapacitation	Rs. 1,000
4. Permanent damage to house	Rs. 2,000 or the compensation for the loss which ever is less.
5. Partial damage to house	Rs. 1,000
6. Rape Victims	Rs. 2.000
7. Loss of moveable property	Rs. 1,500

In sanctioning the above grants to the victims of atrocties on member of Scheduled Castes and the Sch. Tribes, the Collector of the Distt. will exercise suitable discretion on the basis of factual position at the spot. In the case of murder, the grant will be given to the nearest kith and kin, say wife/son of the deceased. In other cases, the grant will be disbursed to the grantees after identifying them.

(250)

The expenditure on the Scheme is to be incurred on matching basis under state plan and centrally Sponsored Scheme that is the ratio of 50:50 and accordingly it is debitable to the following head—

288-Social Security and Welfare.

(i) Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other backward Classes.

(ii) Other expenditure

(I) Assistance to Sch. Caste, Sch. Tribes and Other Backward Classes for Protection of Civil Rights (Plan/C.S S. Expenditure)

This issues with the concurrence of Finance (Exp. II) Department vide their I.D.No. 4948 dated 5.12.1981;

Yours faithfully,

(G.N. Haldea)

Deputy Secretary to the Government

No. F. 11 (67) R&P/SWD/ 81-82/ 141-202 Dated: 4.1.82

Copy for information and necessary action to:—

1. The Chairman, Commission for Scheduled Castes, and Scheduled Tribes, Govt. of India Vth Floor, Lok-Nayak Bhawan, New Delhi-110003 with reference to his D.O. No. 42/6/SCTC/80-RU dated 17-9-1981 for information.
2. The Development Commissioner and Spl. Secretary Government of Rajasthan, Jaipur.
3. The Secretary, Home, Rajasthan, Jaipur.
4. The Finance Secretary to Govt., of Rajasthan, Jaipur.
5. Commissioner, Tribal Area Development, Deptt., Udaipur.

251

6. Spl. Secretary Planning, Govt. of Rajasthan Jaipur.
7. The Director, Community Development, Raj. Jaipur.
8. Dy. Secretary, Home (Harijan Cell), Rajasthan, Jaipur.
9. Director, Public Relation Department, Rajasthan, Jaipur for necessary publicity.
10. All Collectors——
11. Assistant Director, Social Welfare Deptt.,/ Jaipur/Kota/ Ajmer/Udaipur/Jodhpur.
12. All District Probation & Social Welfare Officer——

(J.N. Haldea)
Dy. Secretary to Govrrnment.

252

(परिशिष्ट ख)

जिलेवार सूची जिनको आर्थिक सहायता दी गयी

जिला भीलवाड़ा

क्रमांक	व्यक्ति का नाम	वर्ष 1980–81 में दी गई राशि
1	2	3
1.	श्री प्रभुलाल पुत्र मोतीलाल मेहर	250·00
2.	श्री डूंगा पुत्र हीरा चमार	50·00
3.	लालचन्द्र पुत्र शिवलाल मेहर	100·00
4.	श्री भीमा पुत्र कला चमार	50·00
5.	श्री दूलीचन्द्र पुत्र लाल मेहर	100·00
6.	श्री भूरीलाल पुत्र कुम्भा चमार	100.00
7.	श्री इन्द्रसिंह पुत्र भवाज बलाई	300·00
8.	श्री काशीराम पुत्र गोगाराम मीणा	100·00
9.	श्री रोडू पुत्र कालू चमार	300·00
10.	झूझार पुत्र भैरू बामरी	200·00
	योग	1450·00

वर्ष 1981—82

1.	श्री किशन धोबी	2000·00
2.	श्री बापूला पुत्र नाद चमार	470·00
3.	श्रीमती पार्वती पत्नी काहार श्रीमती बेनी पत्नी नन्ना	2000·00
4.	श्री राजेन्द्र उर्फ राजू पुत्र घासीलाल मेहर	500·00
5.	श्री नाथूसिंह भील पुत्र	100·00
6.	श्री धीसा पुत्र ओंकार चमार	25·00

1	2	3
7.	श्रीमती नीरजीबाई बेवा गोपाल	1000·00
8.	श्री घनश्याम पुत्र रामगोपाल कोली	1000·00
9.	श्री कालु पुत्र कान्हा चमार	500·00
10.	श्री रामनारायण पुत्र रचीराम	500·00
11.	श्री मांगीलाल पुत्र मोतीलाल चमार	100·00
12.	श्री रामचन्द्र पुत्र किशन भील	50·00
13.	श्री कन्हैया पुत्र फत्ता बागरी	100·00
14.	श्री बाबूलाल पुत्र बानसू बागरी	100·00
15.	श्री भग्गा पुत्र बानरू	100·00
16.	श्री भवना पुत्र वाला	100·00
17.	श्री हीरालाल पुत्र नग्गा वागरी	250·00
	योग	8895·00

जिला सिरोही वर्ष 1980—81

1.	श्री पूरा पुत्र दरगाजी सरगरा	500·00
2.	श्री भूरा पुत्र धन्नाजी मेघवाल	500·00
3.	श्री धनिया पुत्र भग्गाजी गरासिया	500·00
4.	श्री चेला पुत्र राजा कोली	500·00
5.	श्रीमती मुमदी बेवा होनाजी सरगड़ा	500·00
6.	श्री प्रसरा पुत्र होनाजी	500·00
7.	श्री बिजला पुत्र धन्ना	500·00
8.	श्री उदा पुत्र भग्गु बीली	500·00
9.	श्री गजाराम पुत्र बरिमा बागरी	500·00
10.	श्री चमना पुत्र प्रसला मेघवाल	500·00
		5000·00

1	2	3

वर्ष 1981–82 में दिनांक 31-1-82 तक कोई सहायता नहीं दी गई।

जिला जालोर **वर्ष 1980—81**

1.	श्री सूरता पुत्र लिखमा मामी	1000·00
		1000·00

वर्ष 1981—82

1.	उसमान जाजू सेना रामजी मेघवाल	2000·00
2.	श्री मगना पुत्र रतारास भौमां	2000·00
		4000·00

जिला जालोर

सत्र 1980-81 में किसी को सहायता नहीं दी गई

वर्ष 1981–82

क्रमांक	नाम व्यक्ति जिसे सहायता दी गई	राशि
1.	श्री हीराराम मेघवाल की विधवा को	2000·00
2.	श्री मनीराम मेघवाल की विधवा को	2000·00
3.	श्री छोगाराम	2000·00
		6000·00

जिला उदयपुर

वर्ष 1981–82

1.	श्री चन्दा पुत्र नोली कालबेलिया	325·00
2.	श्री परमा पुत्र नानजी ,,	275·00
3.	श्री भुरा पुत्र नानजी ,,	1025·00
4.	श्री पातूड़ा पुत्र भूरा ,,	375·00
		2000 00

255

1	2	3

वर्ष 1981–82

1.	श्री गोपीलाल पुत्र धन्नाजी	500·00
2.	श्री मैना पुत्र कालू बागरिया	500·00
3.	मु. गंगा पुत्री परमराम गर्मती	500·00
4.	श्री कन्ना पुत्र हीरा बागरिया	500·00
		2000·00

जिला बांसवाड़ा (6)

वर्ष 1980–81 व वर्ष 1981–82 में किसी को कोई सहायता नहीं दी गई नहीं ही ऐसा आवेदन पत्र प्राप्त हुआ ।

जिला चूरू (7)

वर्ष 1980–81 व 1981-82

1.	श्रीमती कुन्ती पत्नी सापा मेघवाल	1500
	योग	1500

जिला बीकानेर (8)

1.	श्री लाधूराम पुत्र साजाराम मेघवाल	1000
2.	श्री सुगनाराम पुत्र लाधुराम	1000
3.	श्री भग्गाराम पुत्र लाधूराम	1000
4.	श्री आसूराम पुत्र किसनाराम	500
5.	श्री राजूराम पुत्र किसनाराम	500
6.	श्री मीठाराम पुत्र उधाराम	500
7.	श्री लाधुराम पुत्र विरधाराम	500
8.	श्री अर्जुनराम पुत्र मोतीराम	500
9.	श्री हिमताराम पुत्र भैरूंराम	500

1	2	3
10.	श्री नतलाराम पुत्र भैरूंराम	500
11.	श्री प्रभुराम पुत्र लाधुराम	500
12.	श्री शिवरतन पुत्र धूलाराम	1000
	योग	8000

वर्ष 1981–82

1.	श्री नतलाराम पुत्र भैराराम	200
2.	श्री लादूराम पुत्र सजनाराम	200
3.	श्री सुगनाराम पुत्र लादूराम	200
4.	श्री भग्गाराम पुत्र लाधुराम	200
5.	श्रीमती ढौरा पत्नी ताजुराम	200
6.	श्री आशुराम पुत्र कसनाराम	260
7.	श्री राजुराम पुत्र किसनाराम	260
8.	श्री हिमताराम भैराराम पुत्र	260
9.	श्री लिखमाराम पुत्र सुखाराम	260
10.	श्री किसनाराम पुत्र साजनराम	260
11.	श्री भगवानाराम पुत्र नवलाराम	260
22.	,, बसराराम पुत्र बिरधाराम	260
13.	,, मोड़ाराम पुत्र विरधाराम	260
14.	,, अर्जुन राम पुत्र मोतीराम	260
		2340

जिला पाली वर्ष 1980–81

1.	श्रीमती चम्पा पत्नी जीता मेघवाल	100
		100

वर्ष 1981–82 में किसी को सहायता नहीं दी ।

जिला भरतपुर (10) वर्ष 1980-81

जिला प्रधिकारी भरतपुर द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार सत्र 1980-81 में 42 परिवारों को 30 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी गई।

सत्र 1981-82 में 20 परिवारों को 21,500 राशि की सहायता दी गई।

जिला गंगानगर (11) वर्ष 1980—81

क्रमांक	व्यक्ति जिसे सहायता दी गई	राशि
1.	श्री बन्शीराम पुत्र गोपालराम मोची	500
2.	,, कृष्णलाल पुत्र शंकरलाल धानक	500
3.	,, चेतनराम पुत्र बालूराम	2000
4.	,, रामरतन पुत्र कानाराम	2000
5.	,, जोराराम पुत्र कालूराम	2000
6.	,, निहालसिंह पुत्र हरनामसिंह	2000
7.	,, लालूराम पुत्र नरसिंहदास मेघवाल	2000
8.	,, मुनीराम पुत्र गनेशाराम	2000
9.	,, मु. केसर बेवा लालचन्द	1000
		14000

सन् 1981-82 में कोई सहायता नहीं दी गई।

सन् 1981-82 में कोई सहायता नहीं दी गई।

जिला सीकर (12) वर्ष 1980-81

1.	मु. सुगनी पत्नी गनपत धानला	500
2.	श्री जगदीश पुत्र नारायण रेगर	500
3.	,, भूराराम पुत्र नानगराम	500
4.	कुमारी भौंरी पुत्री उदाराम बलाई	2000
5.	श्रीमती गीतादेवी पत्नी डालूराम बलाई	2000
6.	श्री सुवालाल पुत्र नारायण मीणा	500
	योग	8000

1	2	3
	वर्ष 1981-82	
1.	श्रीमती रूकमणी देवी पत्नी माधोराम	2000
	योग	2000
जिला अलवर (13)	**वर्ष 1980-81**	
1.	पाँची बाई बेवा सुब्बा	2000
2.	सुमन बेवा ओंकार जाटव	2000
3.	श्री बलवन्त भील	1000
4.	,, ताराचन्द जाटव	1000
5.	,, नारायण भील	500
6.	श्रीमती दीपा कोली	500
7.	श्री श्रवण बावरिया	500
8.	,, रामकिशोर जाटव	500
9.	,, हरिसिंह चमार	500
10.	,, फूलचन्द बावरिया	500
11.	,, तूफानी जाटव	500
12.	,, मातादीन चमार	500
	योग	10,000
	वर्ष 1981-82	
1.	श्रीमती सोन देवी बेवा श्री सुखराम बैरवा	5000
2.	,, घुटिया देवी बेवा श्री छोटेलाल जटिया	5000
3.	श्री रामजीलाल मृतक श्री मंगल मीणा	5000
4.	श्रीमती ढकेली पत्नी तेजा चमार	2000
5.	श्री सूरजभान पुत्र चुन्नीलाल जटिया	500
6.	श्री दौलत पुत्र उदयराम चमार	1500
7.	,, जीवनसिंह मेहतर	1000
	योग	20,000

जिला झालावाड़	की सूचना प्राप्त नहीं हुई।
जिला झुन्झुनू	सूचना प्राप्त नहीं हुई।
जिला सवाई माधोपुर	सूचना प्राप्त नहीं हुई।
जिला टोंक	सूचना प्राप्त नहीं हुई।
जिला डूंगरपुर	सूचना प्राप्त नहीं हुई।
जिला बाड़मेर	सूचना प्राप्त नहीं हुई।
जिला जैसलमेर	सूचना प्राप्त नहीं हुई।
जिला चित्तौड़गढ़	सूचना प्राप्त नहीं हुई।

कार्यालय सहायक निदेशक, समाज कल्याण विभाग जयपुर

अग्नि पीड़ित व्यक्तियों की सूची जिन्हें सहायता स्वीकृत की गई

नाम मय पिता	जाति	पता	पीड़ित होने की तिथि एवं कारण	स्वीकृत सहायता
1	2	3	4	5
श्री बद्री पुत्र प्रताप	खटीक	बदनपुरा	11–1179 अग्नि कांड	300·00
श्रीमती छोटी बाई पत्नी पन्ना	मीणा	जवाहरनगर	12·1·80 ,,	183·00
श्री बद्री पुत्र सवल्या	मीणा	सिवार	12·2·80 ,,	500·00
,, रामू पुत्र मोहन	मीणा	सिवार	12·2·80 ,,	500·00
,, रामेश्वरलाल पुत्र शकला	मेहतर	जवाहरनगर	7·1·80 ,,	158·00
,, रमेशचन्द्र पुत्र देवीसहाय	मेहतर	जवाहरनगर	7·1·80 ,,	300·00
,, सुलतान पुत्र भूथ्या	मीणा	त्रिलोकपुरा बस्सी	25·2·80 ,,	333·00
,, अर्जुन पुत्र छोटू	मीणा	,,	25·2·80 ,,	337·00

1	2	3	4	5	
श्री कैलाश पुत्र झूथ्या	मीणा	त्रिलोकपुरा बस्सी	25·2·80	अग्नि कांड	225·00
,, रामकिशोर पुत्र श्योबक्श	,,	,,	25·2·80	,,	48·00
,, गोपी पुत्र रामपाल	सांसी	देवपुरा आमेर	4.2.80	,,	126·00
,, रामदेव पुत्र रघुनाथ	बलाई	गोविन्दपुरा आमेर	23·2·80	,,	350·00
श्रीमती संज्या पत्नी	बलाई	गोविन्दपुरा आमेर	23·2·80	,,	286·00
श्री छीतर पुत्र रतना	बावरिया	संगीतामखां (दूदू)	9·2·80	,,	167·00
,, रतना पुत्र अर्जुन	बावरिया	संगीतामखां (दूदू)	9·2·80	,,	283·00
,, बजरंग पुत्र विसना	बलाई	निमाली दौसा	23·2·80	,,	174·00
,, गेंदिया पुत्र ग्यारसा	मीणा	आभानेरी (लालसोट)	3·2·80	,,	225·00
,, वेदिया पुत्र औंकार	,,	,,	3·2·80	,,	375·00
,, प्रताप पुत्र औंकार	,,	,,	3·2·80	,,	375·00
,, कजोड़ पुत्र रामफूल	मीणा	बगड़ा (लालसोट)	26·2·80	,,	75·00

261

1	2	3	4	5
श्री रतनलाल पुत्र सुखदेव	मीणा	बगड़ा लालसोट	26.2.80	अग्नि कांड 75.00
,, खेरातीलाल पुत्र भूंथमल	चमार	हेगवा सिकराय	23·2·80	,, 361·00
,, नरसिंह पुत्र नारायण	धोबी	सांगानेर, जयपुर	24.1.80	,, 300.00
,, लक्ष्मीनारायण पुत्र धन्या	मीणा	वाटिका, सांगानेर	26.1.80	,, 150.00
,, नानगा पुत्र कंवरिया	मीणा	लाड़ाकी ढाडर बस्वा	6.2.80	,, 46.00
				कुल योग 6,252,00

अंके छः हजार दो सौ बावन रुपये मात्र ।

कार्यालय जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, जयपुर

अग्नि पीड़ित व्यक्तियों की सूची जिन्हें सहायता स्वीकृत की गई

नाम मय पिता	जाति	पता	दिनांक एवं पीड़ित होने के कारण	स्वीकृत सहायता
1	2	3	4	5
श्री सूरज पुत्र घासी	मेहतर	मिनर्वा सिनेमा के पास	3.1.80	500.00
" मंगल पुत्र नारायण	घोसी	सांगानेर, घोसी	24.1.80	300.00
" मूरा पुत्र धन्या	मीणा	वाटिका सांगानेर	26.1.80	375.00
" सुराया पुत्र मूल्या	मीणा	वाटिका, सांगानेर	26.1.80	350.00
" रामलाल पुत्र छाजू	"	"	"	150.00
" घासी पुत्र धन्या	"	"	"	300.00
" जयनारायण पुत्र धन्या	"	"	"	225.00

1	2	3	4	5
श्री शंकरलाल पुत्र रामचन्द्र	मीणा	जीनेता (सांगानेर)	23.2.80	300.00
,, गुल्या पुत्र गणाराम	,,	जीनेता (सांगानेर)	23.2.80	155.00
,, सुरज्या पुत्र लादू	बलांई	टीलाला	1.3.80	300.00
भूरा पुत्र कल्याण	,,	,,	,,	300.00
काना पुत्र मोहरा	,,	,,	,,	350.00
अर्जुन पुत्र रामनाथ	,,	,,	,,	263.00
भौंरीलाल पुत्र चूना	,,	नांगल तुलसीदास	27.3.80	350.00
,, बलदेव पुत्र गोविन्द	मीणा	नायला (जमवारामगढ़)	31.1.80	500.00
,, रामदेव पुत्र जुसाना	बावरिया	लांगड़ी का वास	6.2.80	138.00
,, रामनाथ पुत्र भूंथा	बावरिया	,,	,,	70.00
,, घीसिया पुत्र चोखला	,,	लालसर (फुलेरा)	,,	120.00
,, घीसा पुत्र पूल्याराम	चतार	कल्याणपुरा (कोटपूतली)	,,	450.00
,, ग्यारसा पुत्र मंगला	मीणा	लाडा की ढाणी (बसवा)	6.2.80	162.00
,, पून्या पुत्र हटिया	,,	,,	,,	178.00

1	2	3	4	5
श्री हरलाल पुत्र कटोरिया	मीणा	लाडा की ढाणी (बसवा)	6.2.80	74.00
,, रामपाल पुत्र हटिया	,,	,,	,,	33.00
,, प्रताप पुत्र सोन्या	,,	,,	,,	72.00
श्रीमती भौंरी बेवा टण्डा	,,	,,	,,	75.00
श्री रामपाल पुत्र श्री गुरुबक्श	हरिजन	सिविल लाइन, रामपुरा बस्ती	6.2.80	400.00
श्री गुरुचरण पुत्र गिरधारी	,,	,,	,,	500.00
			कुल योग	6,991.00

अंके रुपये छः हजार नौ सौ इकरानवे मात्र

वर्ष 1981-82 में जिलाधीश जयपुर द्वारा स्वीकृत आर्थिक सहायतार्थ व्यक्तियों की सूची

क्र.सं.	नाम व्यक्ति मय पूर्ण पता	एफ. आई. आर. का नम्बर मय थाना
1	2	3
1.	पत्नी श्री प्यारेलाल बैरवा न्यू कालोनी फुलेरा	1132/80 फुलेरा
2.	श्री कालमेराम मांगू कौम बावरिया, साकिन खेड़ी तन आमोदा थाना फूलेरा	46/80
3.	श्री जीवन पुत्र रामदेवा कौम बावरिया साकिन हरिपुरा	130/80 फुलेरा
4.	श्री श्योकरण पुत्र श्री खेमाराम खटीक निवासी नारिगपुरा तहसील फुलेरा थाना सांभर	57/80 सांभर
5.	श्रीमती हुकजी उर्फ संतोष पत्नी कंवरनाथ जाति कालबेलिया निवासी गांव आमोदा थाना आमेर	673/80 कुच्छपुरा
6.	श्री हनुमान प्रसाद पुत्र श्री छोटूराम कौम खटीक निवासी जयचन्दपुरा थाना चन्दवाजी	37/80 चन्दवाजी
7.	सरजू पुत्री अलकाराम जाति बलाई निवासी बरकत कालोनी झोटवाड़ा	190/80 झोटवाड़ा
8.	श्री चन्दा पुत्र श्री रामदेव जाति बैरवा निवासी नारदपुरा	186/80 बस्सी
9.	श्री चन्दा पुत्र श्री देवी जाति बैरवा निवासी निहातिपुरा	94/80 फागी
10.	श्री कानाराम पुत्र श्री नानूराम बलाई निवासी चिमनपुरा	73/80 शाहपुरा

1	2	3
11.	श्री भगवाना पुत्र श्री बोन्दा बलाई निवासी शरपुरा थाना शाहपुरा	71180 शाहपुरा
12.	श्री गोमाराम पुत्र श्री नाथूलाल बलाई निवासी रानीपुरा थाना	92180 शाहपुरा
13.	श्री पप्पू पुत्र श्री रामेश्वर कौम धानका निवासी शाहपुरा	106180 शाहपुरा
14.	श्री अर्जुन पुत्र श्री लाधा जाति बावरी निवासी प्लाट नं. 16 सुभाष कालोनी नाहरी का नाका जयपुर	123180 शास्त्रीनगर

268

जिला भीलवाड़ा (14)

वर्ष 1980–81 में दी गयी आर्थिक सहायता

1.	मु. ऐजी पुत्र श्री कैला बलाई नि. आहुए	500·00
2.	श्री प्रभु पुत्र श्री कैला चमार नि. बतका का खेड़ा तह. भीलवाड़ा	1,000·00
3.	श्री भूरा पुत्र खेमा भील नि. शिवरती (गंगापुर)	500·00
		2,000·00

वर्ष 1981–82 में ऐसी कोई सहायता नहीं दी गयी।

जिला बूंदी (15)

वर्ष 1980–81 में दी गयी आर्थिक सहायता

1.	श्री भंवरलाल ग्रा. डूंगाराम रेंगर निवासी बारली बून्दी की पत्नी श्रीमती दाखा बाई को	2,000·00
		2,000·00

वर्ष 1981–82 में दी गयी आर्थिक सहायता

1.	श्री फूंदीलाल मीणा निवासी दबलाना की पत्नी श्रीमती केलीबाई को	500·00
		500·00

जिला जोधपुर (16)

वर्ष 1980–81 में दी गयी आर्थिक सहायता

1.	श्री भैरूंराम मेघवाल	1,000·00
2.	श्री चन्दरिया	500·00
		1,500·00

वर्ष 1981–82 में दी गयी आर्थिक सहायता

1.	श्रीमती चम्पा	1,000·00
2.	श्रीमती गहर	1,000·00
		2,000·00

जिला कोटा

वर्ष 80–81 में

1.	रामलाल	1,000
2.	बंसीलाल	1,000
3.	श्रीमती गणेशी	1,000
4.	श्री सबू मेहतर	500
5.	श्री मघुरिया	1,000
6.	जानकी	1,000
7.	किशोरी	1,000
8.	बद्रीनारायण	1,000
9.	छीतरमल हरिजन	1,500
10.	भीमरजत खटीक	2,000
11.	पुष्पा बलाई	500
12.	धन्नालाल बलाई	500
13.	रतनलाल	500
14.	घाबा बाई	750
15.	गणेश मेहतर	1,000
16.	छोटी बाई	500
		14,750

क्र.सं.	व्यक्ति का नाम	सहायता दी गई राशि
	वर्ष 1981–82 में	
1.	लालचन्द मेहतर	750
2.	राधा बाई रेंगर	100
3.	पुष्पा बैरवा	2,000
4.	कमला चमार	250
5.	श्रीमती घूगरबाई चमार	2,000
6.	श्री भोलू चमार	500
7.	श्री हरलाल चमार	500
		6,100

परिशिष्ट 4

अतारांकित प्रश्न संख्या 3 की सूचना

	उद्योग का नाम	पूंजी विनियोजन स्थाई पूंजी	कार्यशील पूंजी	स्थान
1.	सांभर साल्ट्स लि. जयपुर	2.15 करोड़ रु. (30-9-79)	0·06 करोड़ रु.	जयपुर व फलौदी
2.	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि. अजमेर	4.52 करोड़ रु. (31-3-80)	2·60 करोड़ रु.	अजमेर
3.	इन्स्ट्रूमेंटेशन लि. कोटा	7.42 करोड़ रु. (31-3-81)	21·02 करोड़ रु.	कोटा
4.	हिन्दुस्तान जिंक लि.	40.86 करोड़ रु. (31.3.1981)	21·29 करोड़ रु.	उदयपुर
5.	हिन्दुस्तान कॉपर लि. खेतड़ी, झुन्झुनू	146.94 करोड़ रु. (31.3.81)	52·65 करोड़ रु.	खेतड़ी
		201·89	97·62	299·51

उपरोक्त के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार के द्वारा राज्य में रेलवे लाइन बिछाने और एयरलाइन्स आदि में भी विनियोजन किया गया है।

(272)

परिशिष्ट 5

अतारांकित प्रश्न सं. 5 की सूचना

तहसील (प्रतापगढ़) के अन्तर्गत थानों में हरिजनों एवं आदिवासी कृषकों की खातेदारी भूमि पर सवर्णों एवं मुसलमानो द्वारा कब्जा व फसल को क्षति पहुँचाने की वर्ष 1980 से जून, 1982 तक पंजिवद्ध शिकायतों की सूची

क्र. सं.	नाम एव पता प्रार्थी	परिवाद जहां से प्राप्त हुआ।	नाम पता जिनके विरुद्ध परिवाद प्राप्त हुआ।	मु. सं. जुर्म धारा व नाम थाना।	नतीजा तफ्तीश	नाम मुल्जिमान जिनका चालान हुआ।
1	2	3	4	5	6	7
1.	गोपाल पुत्र शिवनारायण ढोली जि. प्रतापगढ़	प्रार्थी स्वयं ने पेश किया दि. 23-3-80 को।	इब्राहीम पुत्र अतसादी नि. जि. हसाड़ एवं उसकी पत्नि।	मु. सं. 66 दिनांक 23-3-81 धारा 379, 447 ता. हि. थाना प्रतापगढ़।	एफ. आर. अदम वकुवा दिनांक 29-3-81.	
2.	मु. डांगा पत्नि वेवा मोगिया नि. खैरोट।	स्वयं प्रार्थी द्वारा दि. 25-5-81 को पेश किया गया।	भैरुलाल पुत्र प्यारचंद रतन लाल पटवारी नि. खैरोट राजमल महाजन निवासी खैरोट।	136 दि. 25-6-80 धारा 447, 323 ता. हि. थाना प्रतापगढ़।	चार्जशीट नं. 96 दिनांक 31-7-80 को दी गई।	1-श्री भैरूलाल पुत्र प्यारचंद 2-श्री रतनलाल पुत्र गुमानजी 3-श्री राजमल पुत्र देवी चंद महाजन नि. खैरोट।

1	2	3	4	5	6	7
3.	शंकर पुत्र प्यारजी मीना नि० अखेपुर	स्वयं प्रार्थी दिनांक 12-7-80	अमीनखां पुत्र जानखां गुलाबशाह पुत्र अमलन खां मीयां शेरखां, शेर नवाब नि० अखेपुरा ।	156 दिनांक 12-7-80 धारा 147, 447 ता० हि० थाना प्रताप गढ़ ।	चार्जशीट न. 146 दिनांक 30.9.80	1. श्री रतना पुत्र सरिया मीणा 2. श्री अमीनखां पुत्र जानखां 3. श्री मियां पुत्र अमीनखां 4. गुलबादशाह पुत्र अमीनखां 5. शेर नवाब पुत्र अमीनखां
4.	वगरू पुत्र चतुर्भुज मीणा	प्रार्थी स्वयं दिनांक 28-5-81	अमनखां पुत्र रशमिखां, शेरअली, अमीनखां पुत्रान रंगीनखां नि० हयुनियां	102 दिनांक 28-5-81 धारा 447, 323 ता० हि० थाना प्रतापगढ़	चार्जशीट न. 80 दिनांग 28.6.81	1. अमीनखां पुत्र रंगीनखां 2. शेरखां, 3. अमीनखां पुत्र रंगीनखां 4. रंगीन खां पुत्र पीरखां 5. शंकर पुत्र पुरया मीणा 6. रामा पुत्र किशन 7. रामा पुत्र बनीराम कुमावत
5.	कैलाश पुत्र हरीराम बलाई नि० बसाड	प्रार्थी स्वयं दिनांक 21-6-81	वेजेराम पुत्र किशन लाल आंजना, अमर सिंह, मदनलाल ।	122 दिनांक 21-6-81 धारा 447 ता० हि० थाना प्रतापगढ़ ।	एफ. आर. न. 65 दि. 30.9.81 अदम–वकुआ ।	

1	2	3	4	5	6	7
6,	गणेश पुत्र कासिया चमार नि० चनार	प्रार्थी स्वयं दिनांक 28-6-81	लक्ष्मण पुत्र राजू, फकरू पुत्र राजू	133 दिनांक 28-6-81 धारा 447 ता० हि० थाना प्रतापगढ़ ।	एफ. ग्रार. नं. 61 दि. 29.9.81 ग्रदम वकुग्रा ।	
7.	सीता पत्नि भजन चमार नि० नखाड	प्रार्थी स्वयं दिनांक 4-7-81	बनेराम पिता किशन, मदन पुत्र बनेराम, मोहन पुत्र किशन, ग्रमरसिंह	136 दिनांक 4-7-81 धारा 447, 323 ता० हि० थाना प्रतापगढ़ ।	एफ. ग्रार. नं. 64 दि० 30.9.81 ग्रदम वकुग्रा ।	
8.	बगरीराम पुत्र गंगा राम चमार नि. ग्रकलेश्वर	सी. ग्रो. प्रतापगढ़ दि. 15.10.81	मीर राजखां, रुस्तमखां, दिलवर खां, ग्राजमखां, नि. गोवर्धनपुरा ।	235 दिनांक 15.10.81 धारा 447, 427 ता.हि. थाना प्रतापगढ़	चार्जशीट नं. 148 दिनांक 23-10-81	1. मीरबक्स पुत्र ग्रालमखां 2. दीलावरखां पुत्र ग्रालमखां 3. ग्रसलमखां पुत्र ग्रालमखां 4. दिलवरखां पुत्र पठान नि. गोर्वधनपुरा ।

1	2	3	4	5	6	7
9.	गंगा पत्नि नंगाजी चमार नि. झांसड़ी	प्रार्थी स्वयं द्वारा दि. 16.6.81,	देवला पुत्र मेरा जी वगैरह	192 दि. 16.6.82 धारा 447, 304 ता.हि. थाना प्रतापगढ़ ।	एफ. आर. नं. 70 दि. 14.7.82 को अदम वकुआ दी गई ।	
10.	सीताराम पुत्र भागजी मीणा नि. गंधेर	प्रार्थी स्वयं ने दि. 26.11.80	भगवान आंजना वगैरह	110 धारा 147, 447, 148, 149, 323 ता.हि. थाना अरनोद ।	एफ. आर. नं. 44 दि. 31.12. 80 अदम वकुआ ।	
11.	पूनमचंद पुत्र अंबा लाल चमार नि. अकलेश्वर	प्रार्थी स्वयं दिनांक 20.2.81	अब्दुलखां पुत्र मोहम्मद खटीक वगैरह	24/81 धारा 447, 323 ता.हि. थाना अरनोद ।	चार्जशीट नं. 16 दि. 23.3 81	1. अकबरखां मुसलमान 2. शम्भु चमार

1	2	3	4	5	6	7
12.	पेमा पुत्र कारु मीणा नि. बडेमा	प्रार्थी स्वयं दिनांक 27.6.81	रुपा, राजिया, राजरतन नि. जांजली	70 धारा 447 ता.हि. थाना अरनोद	चार्जशीट नं. 45 दिनांक 28-7-82	1. उदा पुत्र राजिया मीणा 2. भेरू ,, ,, 3. रुपा ,, ,, 4. उदा पुत्र देसा मीणा 5. लक्ष्मणसिंह पुत्र जवानसिंह राजपूत नि. झांझली।
13.	देवजी पुत्र हीरजी मीणा नि. असोर	प्रार्थी स्वयं ने पेश की।	देवीलाल, भागीरथ, संती नि. अरनोद।	60/82 धारा 447, 323 ता.हि, दिनांक 18.3.82 थाना अरनोद।	चार्जशीट नं. 53 18.5.82	1. देवीलाल पुत्र लक्ष्मण तेली 2. भागीरथ पुत्र लक्ष्मण तेली नि. अरनोद।

1	2	3	4	5	6	7
14.	श्रीमती घापूबाई पत्नि जीवा मीणा नि. उनरीपाडा	परिवाद पर मुकदमा दर्ज हुआ।	अमरा कुमावत वगैरह	87/82 धारा 447, 427, 147 323 ता.हि. थाना अरनोद।	एफ. आर. नं. 16 दिनांक 31.7.82 अदम वकुआ दी गई।	

———

परिशिष्ट 6

अतारांकित प्रश्न संख्या 8 की सूचना

अजमेर शहर में दिनांक 1-4-81 से 31-7-82 तक घटित लूट, डकेती और चोरी के अभियोगों की सूची

क्र. सं.	शीर्षक	अवधि में कुल दर्ज हुए मु.	अभियोग जिनमें गिरफ्तारी हुई	अभियोग जिनमें बरामदगी हुई	चालान किये गये	जेर तफ	आखिरी रिपोर्ट दी गई: अदम वकू	अदम पता	अदम सबूत हुई	अभियोग जिनमें सजा हुई	अभियोग जिनमें बरीयत हुई	अभियोग जिनमें राजीनामा हुआ	पेंडिंग अदालत रहे	न्यायालय द्वारा अनुसंधान की कमियों व गफलत मानी गई।
1.	डकेती	4	2	1	2	—	—	2	—	—	—	—	2	—
2.	लूट	29	16	7	14	—	7	6	2	—	—	—	14	—
3.	चोरियां	520	155	168	152	21	33	311	3	12	1	2	137	—

(279)

परिशिष्ट 7

अतारांकित प्रश्न संख्या 12 की सूची

सूची शिकायतें जो श्री कल्याण सहाय शर्मा तहसीलदार सिकराय के विरुद्ध प्राप्त हुई ।

क्र० संख्या	प्राप्ति की तारीख	विवरण
1.	14-`-82	शिकायत विरुद्ध श्री कल्याण सहाय शर्मा तहसीलदार सिकराय द्वारा श्री छोटेलाल पटवारी बावत परेशान करने ।
2.	20-7-82	शिकायत विरुद्ध श्री कल्याण सहाय शर्मा तहसीलदार सिकराय द्वारा श्री मुरारीलाल दर्जी निवासी सिकराय बाबत पट्टा न देने एवं रिश्वत मांगने ।
3.	20-7-82	शि० वि० श्री कल्याण सहाय तहसीलदार सिकराय द्वारा बंशीलाल पटवारी बावत बिना वजह थाने में लें जाने ।
4.	22-7-82	शिकायत विरुद्ध श्री कल्याण सहाय तहसीलदार सिकराय द्वारा ग्राम जनता सिकराय व छोटूलाल पटवारी बाबत गलत डायरी भरने, फर्जी टी० ए० बिल लेने, सिलिंग नियम के अन्तर्गत आवंटित भूमि को 500/–अनुदान की राशि में से 250/–रु० देने तथा 500/–रु० की रसींद कराने ।
5.	21-8-82	शिकयत विरुद्ध श्री कल्याण सहाय शर्मा तहसीलदार सिकराय द्वारा सिकराय तहसील प्रगतिशील युवक संघ बावत अनियमितताए, अभद्रता, राजनीति में भाग लेने ।
6.	21-8-82	शिकायत विरुद्ध श्री कल्याण सहाय शर्मा तहसीलदार सिकराय द्वारा ग्रामवासी बाबत मुख्यालय से अनुपस्थित रहने, जमाबंदियों तैयारी गलत सूचना भेजने, गीजगढ़ पटवार भवन की राशि का गबन करने, व तेल का

(280)

क्र० संख्या	प्राप्ति की तारीख	विवरण
		गलत लाइसेंस जारी करने। नियम विरुद्ध पेड़ कटवाने, सरपंचों को अपमानित करने, कम पेनल्टी लगाने, कर्मचारियों को गाली गलोच करने।
7.	21-8-82	शि. वि. श्री कल्याण सहाय शर्मा तहसीलदार सिकराय द्वारा आम जनता सिकराय बावत रजिस्ट्रेशन के 10 प्रतिशत तस्दीक करने के लेने व कांग्रेस का सेवक होने।
8.	17-8-82	शिकायत विरुद्ध श्री कल्याण सहाय शर्मा तहसीलदार सिकराय द्वारा मूलचन्द बोहरा प्रधान पंचायत समिति सिकराय बाबत अभद्र व्यवहार करने।

———

परिशिष्ट 8

परिशिष्ट "अ"

अतारांकित प्रश्न संख्या 15 की सूची

कोटा स्थित डी. सी. एम. उद्योग समूह के विभिन्न कारखानों को गत तीन वर्षों में (अप्रैल, 1979 से अगस्त, 82 तक) बेची गई बिजली: भुगतान की गई राशि व बकाया राशि का विवरण

क्र. सं.	विवरण	श्रीराम विनायल एण्ड केमीकल इण्डस्ट्रीज, कोटा	श्रीराम फर्टीलाइजर्स एण्ड कैमीकल इण्डस्ट्रीज, कोटा	श्रीराम रेयन्स कोटा	श्रीराम रेयन्स (पम्प कनेक्शन) कोटा
1.	संस्थान द्वारा कुल उपभोग की गई बिजली (यूनिट्स)	40,31,54,903	16,19,87,860	1,91,36,016	20,36,590
2.	उपभोग की गई बिजली बिलों की राशि	9,47,90,472.63	5,24,91,617.12	55,31,604.40	6,00,608.33
3.	बिलों के पेटे भुगतान की गई राशि	7,66,96,386.09	3,83,04,347.57	55,31,604 04	6,00,608.33
4.	संस्थान में अब तक की विद्युत मण्डल की कुल बकाया राशि	10,60,09,415.69	1,41,87,323.55	—	—

२८४

परिशिष्ट 9

अतारांकित प्रश्न संख्या 16 की सूची

ग्रामों की सूची — भाग 1 की सूची

क्र. सं.	ग्राम का नाम
	तहसील गिर्वा
1.	अलसीगढ़
2.	सर्रे
3.	बडी
4.	बलीचा
5.	बड़ी ऊन्दरी
6.	भैंसड़ा खुर्द
7.	भाइयों की पंचोली
8.	बोरी कुआ
9.	छोटी ऊन्दरी
10.	डांगियों की पंचोली
11.	दत्तीसर
12.	करगट
13.	कबीजा
14.	खेड़ी
15.	कुमारिया खेड़ा
16.	लालपुरा
17.	मुनवास
18.	नया खेड़ा
19.	रोड़ा
20.	सींझबी
21.	भूतिया
22.	गुजिया
23.	गोवर्धन विलास
24.	जुड़
25.	पीपलवास
26.	फान्दा
27.	रामजा

285.

क्रम. संख्या	ग्राम का नाम
28.	कैलाशपुरी
29.	बरोड़िया
30.	जीण्डोली
31.	ठीकली
32.	सेठजी की कुण्डाल
33.	चासदा
34.	मदार
35.	लोयरा
36.	सुखेर
37.	भीलों का बेदला
38.	कोडियान
39.	हवाला कला
40.	डोडावली
41.	करावली
42.	मादड़ी
43.	बछेड़
44.	मटून

तहसील सलूम्बर

क्रम संख्या	ग्राम का नाम
1.	वसीदर साम चोट
2.	मानपुर (बी)
3.	वारोड़ा
4.	वसीटर सीयावत
5.	बेरावल
6.	दात्तड़ी
7.	घोलागढ़ का खेड़ा
8.	थाटेर
9.	ईराना
10.	ईश्वर वास डांगिया
11.	जेलावत फल्ला
12.	जम्बुरा
13.	कडुनी
14.	कान्ट
15.	करांकली
16.	लक्या
17.	लोढ़ा
18.	मकरसीमा
19.	मातासुला
20.	मोरिला
21.	साजनोत
22.	थरा
23.	हरमत्तीया कलां
24.	खोरली
25.	कुण्डली
26.	माण्डली
27.	नोली
28.	पेरोड़ा
29.	पायरा
30.	रण्डुला
31.	शेखपुर

क्रम संख्या	ग्राम का नाम
32.	थारोड़ा
33.	गुड़
34.	आमलवा
35.	बुड़ेल
36.	बोरी
37.	निम्बोदा
38.	मेथुड़ी
39.	गुरेल
40.	बस्सीटर जुंझावत
41.	दोलपुरा
42.	तुसड्डों का नामला

परिशिष्ट 10

अतारांकित प्रश्न संख्या 17 की सूची

क्रय आदेश की मात्रा

प्रपत्र "अ"

क्र. सं.	खादी भण्डारों के नाम	ऊनी जोधपुरी सूट दर (प्रति 247·46)	साफा केसरिया रंग (दर प्रति साफा 75·80)	हन्टिग सूट (दर प्रति सूट 266·80)	ऊनी जर्सीयां साईज 34" दर 60·75	ऊनी जर्सीयां साइज 36" दर 65·50	ऊनी जर्सीयां साइज 38" दर 65·50	ऊनी जर्सीयां साइज 40" दर 70·75	ऊनी जर्सीयां साइज 42" दर 70·75	कुल मात्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	राजस्थान खादी संघ, खादी घर, मिर्जा स्माईल रोड, जयपुर।	1075	3870	322	1075	1075	1075	1075	1075	5375
2.	,, ,, भण्डार, जो० बा०, जयपुर	650	2340	145	650	650	650	650	650	3250
3.	,, ,, भण्डार, बापूनगर, जयपुर	150	540	45	150	150	150	150	150	750

Page No 289

287

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	,, ,, भण्डार, आदर्श नगर, जयपुर	450	1620	135	450	450	450	450	450	2250
5.	खादी बोर्ड, खादी भवन, पांच बत्ती, जयपुर	625	2250	188	625	625	625	625	625	3125
6.	राज० खादी वि० मण्डल, खादी भवन, जयपुर	350	1260	105	350	350	350	350	350	1750
7.	उद्योग मन्दिर, खा० भ० बापू बाजार, जयपुर	350	1260	105	350	350	350	350	350	1750
8.	,, ,, जौहरी बाजार, जयपुर	150	540	45	250	250	250	250	250	1250
9.	बस्सी समिति खा. भ. गो. रा. का रास्ता, जयपुर	250	900	75	200	200	200	200	200	1000
10.	दौसा समिति खा० भ० इन्द्रा बाजार, जयपुर	200	720	60	150	150	150	150	150	750
11.	राज. ग्रा. जा. सेवा संघ, इन्द्रा बाजार, जयपुर (75+75)	150	540	45	150	150	150	150	150	750
12.	,, ,, सोडाला, जयपुर	150	540	45	150	150	150	150	150	750
13.	सीकर समिति, ख. भ. बजाज नगर, जयपुर	150	540	45	150	150	150	150	150	750

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	ग्रा० स०, खादी भण्डार, मयूर सिनेमा के सामने, जयपुर	150	540	45	150	150	150	150	150	750
15.	लोक भारती, खा० भ० टोंक फाटक, जयपुर	150	540	45	150	150	150	150	150	750
	कुल योग	5000	18000	1500	5000	5000	5000	5000	5000	25000

परिशिष्ट 11

अतारांकित प्रश्न संख्या 18 की सूची

(केशवरायपाटन निर्वाचन क्षेत्र)

केशवरायपाटन समस्याग्रस्त ग्रामों की सूची जहां अब तक पेयजल उपलब्ध नहीं कराया गया है।

क्रमांक	गांव का नाम	कोड नं.	जनसंख्या
1	2	3	4
1.	आजन्दा	86	999
2.	वागली	43	338
3.	बालदरा	98	301
4.	बलदेवपुरा	85	161
5.	बालेथा	126	408
6.	बालास	95	1090
7.	बयानी	103	218
8.	चेरी	132	695
9.	चावछ	100	240
10.	चोरड़ा	99	396
11.	भानखेरा	9	192
12.	इडवारा	49	549
13.	देईखेड़ा	48	1484
14.	देवपुरा	156	330
15.	धीनसी	61	143
16.	डाटना	69	318
17.	बड गांव	25	209
18,	हरीपुरा	64	465
1 .	हटीपुरा	131	202

Page No 292

(290)

1	2	3	4
20.	हिंगोनिया	72	678
21.	इन्द्रपुरा	129	520
22.	जगदारी	162	224
23.	झोपड़िया	5	79
24.	जालदो	101	992
25.	जाडोल	14	166
26.	कानीहेरा	108	133
27.	कंवरपुरा	78	239
28.	करवाला	104	869
29.	करवाला की झो.	66	569
30.	करयाता	38	556
31.	कोडीजा	107	568
32.	लक्ष्मीपुरा	54	229
33.	लीसरदा	111	1194
34.	लोहली	10	85
35.	माधोराजपुरा	128	843
36.	मारखुना	8	200
37.	नीमोदा	113	405
38.	पापरली	53	307
39.	पीपल्दा	68	89
40.	प्रतापगढ़	50	147
41.	रंगराजपुरा	137	236
42.	शम्भूपुरा	17	163
43.	डीकोली	158	260
44.	ठोमली	153	146
45.	चढ़ींचा	46	538

1	2	3	4
46.	डडवारा	49	366
47.	डागाहेडी	16	92
48.	डप्टा	39	471
49.	दोलारा	163	477
50.	गुहाटा	44	949
51.	भारन्या	160	187
52.	खारया	38	556
53.	खेड़ली देवजी	21	215
54.	खारया दुर्गान	58	483
55.	कोडक्या	88	746
56.	कोटा खुर्द	95	915
57.	मानखेरा	34	539
58.	नया गाँव	71	520
59.	पाली बसवाड़ा	39	962
60.	नीमोदा	124	550
61.	पीपल्दा	147	217
62.	साहनपुरा	29	197
63.	पीपल्दा	33	453
64.	बुढ्या	102	485
65.	ठीकरा	51	562

(292)

भाग 3 की सूची

पंचायत समिति केशोराय पाटन क्षेत्र की पंचायतों द्वारा पेय जल हेतु भेजे गये प्रस्ताव जिन पर कूप निर्माण हेतु दी गई स्वीकृति

1.	लोहली
2.	गेन्डोली
3.	कीररिंया
4.	हालीहेड़ा
5.	नीमोदा
6.	बूडिया
7.	लबान
8.	पीपल्दा याग
9.	रेबारपुरा
10.	काकरा मेज
11.	सरवावदा
12.	डपटा
13.	डडवाड़ा
14.	गोपालपुरा
15.	पाली
16.	खरायता

परिशिष्ट "क"

परिशिष्ट 12

अतारांकित प्रश्न 19 की तालिका

वर्तमान में प्रभावी सिंचाई दरों की तालिका

क्रम संख्या	फसल का नाम	(अ) गंग नहर, भाखड़ा घग्घर, राजस्थान एवं चम्बल नहरों (बारहमासी नहरों से सिंचित)	वर्ष 1952 के पूर्व में निर्मित कार्य (जलप्लावन सिंचाई कार्य के अतिरिक्त ।)	वर्ष 1952 के पूर्व में जल प्लावन सिंचाई कार्य ।
		(ब) सिंचाई योजनाएं जिनका निर्माण एवं सुधार का कार्य 1 जनवरी, 1952 के पश्चात् किया गया तथा वे कार्य जो भूतपूर्व बांसवाड़ा तथा प्रतापगढ़ रियासत क्षेत्र में स्थित हैं ।	(प्रति एकड़)	(प्रति एकड़)
		(प्रति एकड़)		
1	2	3	4	5

1	2	3	4	5
1.	गन्ना	58·00	50·00	21·00
2.	चावल	40·00	23·00	10·00
3.	कपास	36·00	29·00	18·00
4.	मक्का	18·00	10·00	8·00
5.	बाजरा	18·00	10·00	8·00
6.	ज्वार	18·00	10·00	8·00
7.	दालें	21·00	18·00	13·00
8.	बागीचा (प्रति वर्ष)	73·00	49·00	23·00
9.	ग्वार	21·00	18·00	10·00
10	सिमहेम्प एवं घास	18·00	18·00	13·00
11.	सब्जियां	29·00	20·00	11·00
12.	अन्य खरीफ फसलें	23·00	18·00	13·00

1	2	3	4	5
13.	गेहूं	30·00	21·00	13·00
14.	जौ	21·00	15·00	10·00
15.	गोचनी एवं वेजड़	29·00	21·00	15·00
16.	चना पहली सिंचाई	20·00	18·00	18·00
17.	(दो एवं अधिक सिंचाई)	29·00	25·00	19·00
18.	पलेवा	9·00	6·00	—
19.	चारा	18·00	18·00	10 00
20.	तिलहन	23·00	18·00	13·00
21.	सिंघाड़ा	36·00	25·00	13·00
22.	नील तथा अन्य रंग	36·00	18·00	13·00
23.	तम्बाकू	36·00	21·00	13·00
24.	रंजका एवं अफीम	36·00	21·00	11 00

1	2	3	4	5
25.	जीरा	36·00	19·00	11·00
26.	अन्य रबी फसलें	26·00	18·00	13·00

नोटः—गंग, भाखड़ा, राजस्थान एवं घग्घर नहरों में बारहमासी क्षेत्र के अतिरिक्त में निम्न दरें प्रभावी हैं :—

सभी खरीफ फसलें — कालम 3 में दर्शायी गई दरें।

सभी रबी फसलें

(अ) प्रथम सिंचाई — कालम 5 में दर्शायी गई पलेवा दर।

(ब) दूसरी एवं बाद की सिंचाई — कालम 3 में दर्शायी गई पूरी दरें।

परिशिष्ट–13

अतारांकित प्रश्न संख्या 20 का विवरण

मरु विकास कार्यक्रम जिला अजमेर

प्रावधान एवं व्यय का विवरण

'प्रपत्र 'अ'

(लाख रु० में)

क्रमांक	मद	वर्ष 1977–78 प्राव०	वर्ष 1977–78 व्यय	वर्ष 1978–79 प्राव०	वर्ष 1978–79 व्यय	वर्ष 1979–80 प्राव०	वर्ष 1979–80 व्यय	वर्ष 1980–81 प्राव०	वर्ष 1980–81 व्यय
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)	
1.	सिंचाई	—	—	—	—	25.00	12·73	16·15	17·52
2.	पशु स्वा.	—	—	5·61	3·67	6·27	6·56	12·01	6·63
3.	भेड़ विकास	—	—	—	—	1·24	—	2·37	1·30
4.	रा. मरु उद्यान	—	—	18·11	4·32	25·50	0·25	15·00	20·40
5.	विद्युतीकरण	—	—	—	—	7·00	7·00	1·31	1·31
6.	वन विकास	3·55	—	5·07	6·94	13·14	15·19	21·70	24·35

(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)
7.	जि० ग्राम वि०	—	—	—	—	0·87	0·86	0·48
8.	कृषि	—	—	—	—	0·01	—	—
9.	भू-जल	—	—	—	—	0·01	—	—
10.	पशु जल वि. योजना	—	—	—	—	—	—	—
	योग	3·55	—	28·79	14·93	79·04	42·59	69.2

वर्ष 1977–78 के अन्त में इस कार्यक्रम की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हुई थी अतः वर्ष 1977–78 की आंवटित राशि का उपयोग भी वर्ष 1978–79 एवं अगले वर्षों में ही किया गया ।

प्रपत्र 'ग्र'
(लाख रु० में)

मरू विकास कार्यक्रम जिला–लेसलमेर
प्रावधान एवं व्यय का विवरण

क्रमांक (1)	मद (2)	वर्ष 1981–82 (7) प्राव०	व्यय	वर्ष 1982–83 (8) प्राव०	व्यय	योग प्रावधान (9)	व्यय (10)
1.	सिंचाई	2·00	0·55	1·92	0·99	45·07	31·79
2.	पशु स्वा.	10·16	5·17	10·54	1·75	44·59	23·79
3.	भेड़ विकास	8·00	5·34	0·18	0·43	11·70	7·07
4.	रा. मरु उद्यान	38·44	34·15	20·18	10·84	117·23	69·97
5.	विद्युतीकरण	—	—	—	—	8·33	8·31
6.	वन विकास	28·67	31·51	15·80	3·97	87·93	81·96

(1)	(2)		(7)		(8)	(9)	(10)
7.	जि० ग्राम वि०	0·65	0·71	0·71	0·13	2·71	2·12
8.	कृषि	—	—	—	—	0·01	—
9.	भू–जल	—	—	—	—	0·01	—
10.	पशु जल वि० योजना	—	—	0·90	—	0·90	—
	योग	87·92	77·43	50·23	18·12	318·55	225·01

वर्ष 1977–78 के अन्त में इस कार्यक्रम की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हुई थी अतः वर्ष 1977–78 की आंवटित राशि का उपयोग भी वर्ष 1978–79 एवं अगले वर्षों में ही किया गया।

प्रपत्र 'ब्र'

जिला जैसलमेर

सूखा सम्भाव्य क्षेत्र कार्यक्रम

प्रावधान एवं व्ययक काविवरण

(लाख रु. में)

मद	1974–75 प्राव.	1974–75 व्यय	1975–76 प्राव.	1975–76 व्यय	1976–77 प्राव.	1976–77 व्यय	1977–78 प्राव.	1977–78 व्यय	1978–79 प्राव.	1978–79 व्यय	1979–80 प्राव.	1979–80 व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. कृषि		0·52		0·32		0·55		0·58	0·15	0·13	4·32	—
2. भूजल		—		—		—		0·14	25·89	7·76	26·98	21·87
3. सिंचाई		1·00		0·35		0·17		4·95	16·01	16·54	5·06	3·94
4. वन्य		0·67		—		1·15		1·31	0·11	0·11	0·06	0·06
5. पशु एवं डेयरी		7·45		22·76		20·41		2·70	5·57	3·82	3·27	2·19
6. विद्युत		—		0·00		76·40		5·60	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. दुग्ध मार्ग		—		—		—		—	19·55	1·81	15·05	12·39
8. लाठी सीरीज		7·53		6·04		24·67		19·78	13·94	17·56	11·17	13·39
9. लघु कृषक विकास अभि. जैसी सुविधाएँ		—		—		—		0·82	2·00	0·88	2·00	0·91
10. जिला विकास अभि.		—		1·73		1·82		2·62	3·38	3·41	2·61	2·58
11. भू अभिलेख		—		—		—		—	—	—	0·01	—
योग		17·17		81·20		125·17		38·50	86·60	52·02	70·53	57·33

सूखा सम्भाव्य क्षेत्र कार्यक्रम

जिला जैसलमेर प्रावधान एवं व्यय का विवरण

(लाख रु. में)

मद	1980–81 प्राव.	1980–81 व्यय	1981–82 प्राव.	1981–82 व्यय	1982–83 प्राव.	1982–83 व्यय	योग प्राव.	योग व्यय
	14	15	16	17	18	19	20	21
1. कृषि	0·02	—	14·16	5·6	—	0·02		7·79
2. भू जल	37·46	23·87	25·79	39·12	23·66	2·05		94·81
3. सिंचाई	20·44	15·37	5·81	7·48	—	0·17		49·97
4. वन्य	0·06	0·06	0·07	0·06	—	—		3·92
5. पशु एवं डेयरी	3·50	2·58	4·80	3·74	4·10	0·55		66·20
6. विद्युत	15·00	—	—	—	—	—		132·00

	14	15	16	17	18	19	20	21
7. दुग्ध मार्ग	9·90	8·36	5·86	8·67	18·16	2·26		33·49
8. लाठी सीरीज	17·36	22·31	17·91	17·74	19 02	3·40		132·42
9. लघु कृषक विकास अभि. जैसी सुविधाएं	0·50	0·19	—	—	—	—		2·80
10. जिला विकास अभि.	4·07	2·76	3·93	2·95	5·32	0·86		18·73
11. भू अभिलेख	0·01	—	—	—	—	—		
	108·32	75·50	78·33	85·43	70·26	9·31		541·63

305

प्रपत्र 'ब'

मरु विकास कार्यक्रम जिला जैसलमेर

स्वीकृत राशि एवं पूर्ण हुए कार्यों का विवरण

क्र.सं	मद	स्वीकृत राशि (लाख रु. में)						योग
		77-78	78-79	79-80	80-81	81-82	82-83	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	सिंचाई	—	—	19.90	16.15	2.00	1.92	39.97
2.	पशु स्वी.	—	5.61	8.90	10.71	10.16	5.37	40.75
3.	भेड़ विकास	—	—	1.00	1.62	8.00	0.18	10.80
4.	वन विकास	—	8.62	21.00	23.15	28.67	13.18	94.62

(308)

मद	पूर्ण हुए कार्यों का विवरण					
	78-79	79-80	80-81	81-82	82-83	योग
10	11	12	13	14	15	16
सिंचाई	—	—	सं. 9 क्षेत्र. 434 है	सं. 9 क्षेत्र. 547 है	—	20 कार्य पूर्ण सिं. क्षेत्र 981 हैं।
(अ) पशु स्वा. केन्द्र	सं 8	सं. 4	सं. 1	सं. 1	—	14 स्वा. केन्द्र खोले गये
(ब) चलित पशु स्वा. केन्द्र	—	—	1	—	—	1
(स) पशु स्वा. केन्द्र के भवनों की संख्या	—	—	—	5	—	5
(द) खुर्रा नियन्त्रण	इकाई 1	—	—	—	—	1
भेड़ विकास						
1. पशु पालन की प्रशिक्षण संख्या	—	—	344	385	—	729
वन विकास						
1. सिल्वी पे. वृक्षा. (है.)	—	150	150	160	150	610
2. फार्म को. 1000 पोधे	—	6	7	2	5	20
3. सेल्टर बैं. वृक्षा. (रो. कि.)	—	50	50	152	100	352
4. चारा संग्रहण (क्विटल)	10182	10100	13000	10045	—	43327

Page No 309

307

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	विद्युत वितरण	—	—	7.00	1.31	—	—	8.31
6.	रा. मरु. उद्यान	—	18.11	5.50	15.00	38.44	15.12	92.17
7.	जि. ग्रा. विकास अभिकरण	—	—	0.86	0.44	0.65	0.71	2.66
	योग	—	32.34	64.16	68.38	87.92	36.48	289.28

10	11	12	13	14	15	16
5. रेत के टीबों का स्थरीक.	—	200	350	400	150	1100
6. नर्स. का स्था.	—	2	—	—	—	2
7. ईंधन एवं चारे का वृक्षा (है.)	—	—	—	—	90	90
विद्युतीकरण						
1. गांवों का विद्यु.	—	—	3	3	—	6
2. कुओं को बिजली दी गई	—	—	—	1	—	1
राष्ट्रीय मरु उद्यान						
1. संरक्षित क्षेत्र में बीजारोपण व न. बंदी (है.)	—	—	—	1000	—	1000
2. उजड़े हुए क्षेत्र में वृक्षारोपण (हे.)	—	—	—	200	—	200
3. गजलरों का नि. (संख्या)	—	—	—	6	—	6
4. टांकों का नि.(सं.)	—	—	—	4	—	4
5. नल कूप (सं.)	—	—	2	—	—	2
6. नाड़ी (सं.)	—	—	5	—	—	5
7. संरक्षित क्षेत्र (वर्ग कि.मी.)	—	—	3100	—	—	3100

(309)

प्रपत्र 'ब'

सूखा सम्भाव्य क्षेत्र कार्यक्रम

जिला जैसलमेर वर्षवार स्वीकृतियां एवं पूर्ण हुये कार्यो का विवरण

मद	स्वीकृतियां जारी वर्ष 74–75	75–76	76–77	77–78	78–79	79–80	80–81	81–82	82–83	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. कृषि				0.22	—	—	14.16	—		
2. भू-जल				25.89	16.71	37.86	40.15	1.25		
3. पशु एवं डेयरी विकास	—	—	—	5.57	3.27	3.27	3.50	4.80	==	

सेक्टर आईटम	यूनिट	पूर्ण हुए कार्यों का विवरण 74—75	75—76	76—77	77—78	78—79	79—88	80—81	81—82	82—83	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. कृषि											
1. भू-सर्वेक्षण	000 हेक्टर	—	7	12	12	31	—	—	—	—	52
2. जलग्राह्य कार्य	हैक्टर	—	—	—	—	—	—	—	68	—	68
2. भू-जल											
1. वेल इन्वेन्टरी	नम्बर	—	—	—	—	450	1213	676	510	299	3148
2. रसायनिक विषलेषण	,,	—	—	—	—	423	931	664	599	599	3218
3. भू-भौतिक ध्वनि	,,	—	—	—	—	156	156	184	200	3	699
एक्सपलोरेटरी/ ओब्जरवेशन कुऐं	,,	—	—	—	—	4	5	9	8	3	29
पम्प टेस्ट	,,	—	—	—	—	—	—	2	3	3	8
3. पशु एवं डेयरी विकास											
1. औसत प्रति-दिन दुग्ध एकत्रित	000 हेक्टर	4.00	3.00	3.00	3.40	3.00	1.31	1.67	0·95	1.82	1.82
दुग्ध सह.समि.	नम्बर	10	10	7	4	4	1	5	—	—	48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4. सिंचाई					19·52	9·87	20·19	12·30	—	
5. लाठी सीरीज					15·54	11·94	24·89	17·31	—	
6. दुग्ध मार्ग					10·55	15·05	0·90	9·70	—	
7. लघु कृषक विकास रैली सुवि.					2·00	2·00	0·19	—	—	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3. संतुलित पशु विभाग	टन	—	70	73	143	68	96	241	545	[illegible]55	1392
4. ग्राशी सयंत्र	नं.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
4. सिचाई											
1. कार्य पूर्ण	नं.	—	—	—	5	6	8	2	16	—	37
2. सि. क्षमता	है.	—	—	—	259	442	266	132	864	—	1963
5. लाठी सीरीज											
1. चारा उत्पादन	टन	—	880	—	880	1536	1225	688	1101	246	8596
2. गांवों का क्रय	नं.	—	10	—	—	—	—	—	—	—	10
3. नर्सरी	,,	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
4. ट्यूबवेल्स	,,	5	—	—	—	4	—	3	—	—	12
5. रोल्टर वेल्ट प्लांट. रो. कि.	हे.कि	—	—	—	—	—	—	—	15250	153	15403
6. फल वृक्ष	नं.	—	—	—	—	—	—	—	390	—	390
6. दुग्ध मार्ग											
1. कार्य	नं.	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2
2. सड़क की मरम्मत	कि.मी.	—	—	—	—	—	—	16	—	—	15
7. लघु कृषक विकास जैसी सुविधायें											
1. दुधा. पशु	नं.	—	—	—	950	180	72	—	—	—	1182
2. बैल गाड़ी/ ऊंट गाड़ी	,,	—	—	—	—	31	70	—	—	—	101

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8. विद्युत					—	—	—	—	—	
9. जि.वि. अभि.					3·38	2·68	2·86	3·22	0·86	
10. अन्य					0·11	0·06	0·06	0·07	—	
11. भू-अभिलेख						0·01				
योग					62·78	61·59	99·45	101·71	2·11	

3/4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8. विद्युत											
132 के.वी. लाइन का निर्माण											

परिशिष्ट "क"

परिशिष्ट–14

अतारांकित प्रश्न संख्या 23 का विवरण

सूची बड़े उद्योगों की जिनमें बिक्रीकर की राशि बकाया है।

कोटा खण्ड कोटा

क्र सं.	नाम उद्योग	कर निर्धारण वर्ष	कर निर्धारण दिनांक	बकाया मांग राशि	बकाया का कारण
1	2	3	4	5	6
1.	मै. जे. के. सिन्थेटिक्स, कोटा।	73-74	31-10-80	7,00,538.24	टायर कोर्ड की बिक्री पर कम्पनी द्वारा क्रेता से बिक्रीकर राशि अनुमानित बतौर वसूल की गई है। परन्तु इसने राज्य में जमा नहीं करवाया है। कर निर्धारण आदेश में टायर कोर्ड पर कर आरोपित किया जाकर मांगराशि
		74-75	4-3-81	20,13,875.19	कायम की गई है। कम्पनी द्वारा उच्च न्यायालय में सिविल रिट पिटीशन

1	2	3	4	5	6
		75-76	4-10-81	19,60,244.15	संख्या: 99/1978 प्रस्तुत की गई है, जिसमें कि दिनांक: 3-5-80 को कर निर्धारण के फलस्वरूप कायम होने वाली मांग राशि की वसूली को स्थगित किया गया है। उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक: 20-11-81 के जरिये कम्पनी का संशोधन प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। (अंतिम कर निर्धारण किये जाने के फलस्वरूप धारा 7बी में अंतरिम कर निर्धारण के खिलाफ प्रस्तुत रिट में संशोधन की प्रार्थना की गई थी) उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल मिसलेनियस पिटीशन संख्या: 28708/00-81 से दिनांक 8-12-81 को स्थगन आदेश जारी किया। बैंक गारन्टी प्रस्तुत की गई है।
		76-77	12-2-82	29,25,917.28	माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल मिसलेनियस पिटीशन संख्या: 28708/81 में दिनांक: 8-12-81 को आदेश पारित कर टायर कोर्ड सम्बन्धित कम्पनी के आगामी कर निर्धारण के अन्तर्गत कायम की जाने वाली मांगराशि को स्थगित किया गया है। बैंक गारन्टी प्राप्त करली गई है।
		77-78	21-5-82	24,15,468.08	

1	2	3	4	5	6
		76-77	12-2-82	1,68,491.79	सीमेन्ट विक्रय से सम्बन्धित भाड़े की राशि पर ब्याज से सम्बन्धित मांग है जिसको सर्वोच्च न्यायालय सिविल अपील नम्बरः 1310/76 दिनांक: 29-4-82 के आदेश द्वारा स्थगित किया गया है।
		77-78	21-5-82	2,64,888.00	सीमेन्ट विक्रय से, सम्बन्धित भाड़े की राशि पर ब्याज की मांग है, जिसको सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक: 27-7-82 द्वारा स्थगित किया है।
		72-73	3-4-82	69,036.00	करदायी द्वारा टायर कोर्ड विक्रय पर आरोपित कर राशि विलम्ब से जमा कराने पर रुपये 69,036/= धारा 11 बी में ब्याज आरोपित किया गया है। टायर कोर्ड विक्रय पर आरोपित समस्त कर राशि उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक: 8-12-81 द्वारा स्थगित है। ऐसी स्थिति में आरोपित ब्याज को विवादास्पद बनाया जाकर जमा नहीं कराया है।
				1,05,18,358.73	

1	2	3	4	5	6
2.	मै. वेदना फ्लोर मिल एण्ड एलाइड इन्ड. कोटा।	75-76	30-9-77	10,055.00	वाणिज्यिक कर अधिकारीवृत (अ) कोटा द्वारा भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत कुल मांग राशि: 38,051.00 वसूली की कार्यवाही की गई थी। परन्तु न्यायालय जिला जज कोटा द्वारा न्यायालय की मानहानि का नोटिस प्राप्त होने पर नीलामी की कार्यवाही स्थगित की गई। उक्त राशि में से रु. 10,055/– का स्थगन आदेश श्रीमान प्रति० आयुक्त महोदय द्वारा दिनांक: 6-1-78 को जारी किया गया था परन्तु जमानत प्रस्तुत नहीं करने पर वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ की गई थी। अवशेष राशि श्रीमान प्रति० आयुक्त महोदय के आदेश दिनांक: 28-3-78 के अनुसरण में किश्तों में वसूल की गई है। करदायी की अपील दिनांक: 31-8-78 को खारिज होने के फलस्वरूप रु. 10,055/– की राशि वसूली योग्य हुई जिसे कि राजस्व मंडल द्वारा आदेश दिनांक: 7-12-78 को स्थगित की गई।
		79-80	18-5-82	10,000.00	श्रीमान् प्रति० आयुक्त महोदय के आदेश दि. 13-7-82 के द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया।
				20,055.00	

1	2	3	4	5	6
3.	मै. कोटा स्टील रिलोलिंग मिल, कोटा।	77-78	22-1-82	29,730.00	कर निर्धारण आदेश के अनुसार 54,199.38 पैसे मांग कायम की गई थी। श्रीमान् अति० आयुक्त महोदय के आदेश दिनांक: 27-3-82 के जरिये माहवारी किश्तों में वसूल करने की स्वीकृति दी गई। मांग राशि रु. 29,730.00 शेष है जो समय पर जमा कराई जा रही है। जो कि मार्च, 83 तक पूर्ण जमा हो जायेगी।
4.	मै. जीवन फर्टिलाइजर	76-77 77-78	20-8-81 20-8-81	18,000.00 29,100.00	श्रीमान् अति० आयुक्त महोदय, स्थगन आदेश दि. 30-10-81 को जारी किया गया है, धारा 5 (सी) 2 में यूरिया को विक्रय करने पर आरोपित शास्ति सम्बन्धी मांग है।
				47,100.00	
5.	मै. इन्स्ट्रूमेन्टेशन लिमिटेड कोटा	73-74	10-8-81	35,000.00	श्रीमान् अति० आयुक्त महोदय के निदेश दिनाक: 24-2-82 के जरिये स्थगित की गई है। कुल मांग रु. 2,90,250/- कायम की गई थी, शेष मांग राशि वसूल करली गई है।

1	2	3	4	5	6
6.	मै. ओरियंटल पावर	68-69	5-10-79	18,340.00	उच्च न्यायालय के आदेश दि. 22-1-80 के द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया हैं। उच्च मांग राशि विलम्ब से कर राशि जमा कराने पर ब्याज व शास्ति से सम्बन्धित है।
		72-73	26-10-81	11,000.00	सी फार्म कम राशि के प्रस्तुत करने के कारण मांग राशि कायम की गई है। अतिरिक्त आयुक्त महोदय के आदेश दिनांक: 1-3-82 के द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया है। बैंक गारन्टी प्राप्त करली गई है।
				29,340.00	
7.	मै. मेहता इण्डस्ट्रीज, कोटा।	74-75	24-10-81	14,120.00	दालों की अन्तर्राज्यीय बिक्री दर्शायी जाने के कारण शास्ति आरोपित की गई है। श्रीमान् अतिरिक्त आयुक्त महोदय के आदेश दि. 5-1-8[illegible] के जरिये उक्त मांग राशि स्थगित की गई।

1	2	3	4	5	6
		75-76	30-4-82	94,135.00	दालों की अन्तर्राज्यीय बिक्री, राज्य के बाहर बिक्री दर्शायी जाने के कारण शास्ति आरोपित की गई। श्रीमान् अतिरिक्त आयुक्त महोदय के द्वारा 29-5-82 के जरिये रु. 56,000/- स्थगित किए गए है एवं शेष राशि रु. 38,134/- की किश्तों में जमा कराने हेतु स्वीकृति श्रीमान् अतिरिक्त आयुक्त महोदय द्वारा दि. 24-8-82 को की गई।
		76-77	22-5-82	64,907.00	दालों की अन्तर्राज्यीय बिक्री राज्य के बाहर बिक्री दर्शायी जाने के कारण शास्ति आरोपित की गई है। श्रीमान् अतिरिक्त आयुक्त महोदय द्वारा दि. 29-0-82 के जरिये 40,000/- का स्टे हुआ है। कोटा फार्म द्वारा श्रीमान् अतिरिक्त आयुक्त महोदय की किश्तों हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हुआ है जो कि श्रीमान् अतिरिक्त आयुक्त महोदय के यहां विचाराधीन है।
				1,73,362.00	

1	2	3	4	5	6
8.	मै. अशोका स्पाइसेज, कोटा।	74-75	15-1-82	15,000.00	श्रीमान् अतिरिक्त आयुक्त महोदय के आदेश दि. 9-2-82 के जरिये स्थगित।
		75-76	8-3-76	24,000.00	श्रीमान् अतिरिक्त आयुक्त महोदय के आदेश दि. 19-3-82 जरिये स्थगित।
				39,000.00	
9.	मै. बी.डी. दाल एण्ड आयल मिल, कोटा।	75-76	1-3-82	14,500.00	श्रीमान् अतिरिक्त आयुक्त महोदय के आदेश दि. 19-3-82 के जरिये स्थगित।
10.	मै. मंगलम सामेन्ट लि. दशहरा स्कीम, कोटा।		13-6-80	14 290.00	राजस्व मंडल, अजमेर द्वारा स्थगन पत्र क्रं. 37389 दि. 24-10-80
			17-8-80	15,055.00	राजस्व मंडल, अजमेर द्वारा स्थगन पत्र क्रं. 37367 दि. 24-10-80

1	2	3	4	5	6
11.	मै. कोटा स्ट्रा बोर्ड, प्रा. लि.	71-72	19-1-66	5,779.43	डी० प्रो० कोर्ट कोटा के आदेश 15-3-80 से निर्णय हो गया, परन्तु न्यायालय में राशि न होने से वसूल नहीं हुई ।
		74-75	16-5-74	8,503.30	
	—उपरोक्त—	(11 बी)			
	—उपरोक्त—	71-72	19-1-66	1,663.56	इस वाद का निर्णय 15-3-80 को डी० यू० कोर्ट द्वारा हुआ है; परन्तु पैसा न होने से वसूल नहीं हुआ ।
	—उपरोक्त—	74-75	18-5-74	2,472.48	
				18,498.77	
12.	मै. जीवन उद्योग, कोटा ।	75-76	6-4-78	3,300.00	आर० बी० से स्थगन प्राप्त है । नं० 25:16 दिनांक 5-11-79
13.	मै. स्टण्डर्ड स्पाइसेज, कोटा ।	76-77	19-8-81	1,900.00	स्थगन द्वारा डी० सी० कोटा नं० 53[4 दिनांक 19-10-81

परिशिष्ट 15

अतारांकित प्रश्न संख्या 29 का प्रपत्र

प्रपत्र "क"

क. सं.	सड़क का नाम	श्रेणी	प्रगति प्रतिशत में
1	2	3	4
1.	साण्डेराव से तखतगढ़ वाया कोसेलाव	डामर सड़क	2 प्रतिशत
2.	एप्रोच (सम्पर्क) खुडाला	पुलिया का कार्य	—
3.	सम्पर्क सड़क सिन्दुरु	मेटल रोड़	5 ,,
4.	सम्पर्क सड़क गुड़ा ऐन्दला	डामर सड़क	58 ,,
5.	सम्पर्क सड़क लुनावा	पुलियों का कार्य	
6.	सम्पर्क सड़क मन्दर	ग्रेवल सड़क	65 ,,
7.	सम्पर्क सड़क खिमेल	पुलियां का कार्य	
8.	सम्पर्क सड़क घाणोद	डामर सड़क	2 ,,
9.	निमली से मण्डली रोड़	डामर सड़क	18 ,,
10.	रोट जालोर सड़क	डामर सड़क	15 ,,
11.	रुपवास से जैतपुरा	मेटल सड़क	10 ,,
12.	रोट से घोलरिया वाया डूंगरपुर	ग्रेवल सड़क	78 ,,
13.	अरटियेया मण्डली, दजियान, माखरीवाला	मेटल सड़क	5 ,,
14.	माया विठु, केरल रेल्वे स्टेशन	,,	10 ,,
15.	रोट से लालकी सड़क	ग्रेवल सड़क	100 ,,
16.	घुमटी से पथपदरिया सड़क	मेटल सड़क	10 ,,
17.	देवान्दी से गेलावास सड़क	ग्रेवल सड़क	95 ,,
18.	मावरी से घाणोद वाया गोवादास	मेटल सड़क	20 ,,

1	2	3	4
[illegible]	...डली से पावा वाया दयालपुरा डेण्डा	डामर सड़क	19 प्रतिशत
20.	रुपावास से गुन्दोज वाया दयालपुरा डेण्डा	मेटल सड़क	27 ,,
21.	पाली से सरदार समन्द वाया राजोला	,,	30 ,,
22.	रामासियों से नाडोल सड़क	डामर सड़क	71 ,,
23.	एप्रोच सड़क गुड़ा एन्दला	,,	58 ,,
24.	रामासिया ने मावरी वाया मीना री	,,	62 ,,
25.	खोड़ा मे जवाली सड़क	,,	,, ,,
26.	पाली से मावरी वाया रुपावास	,,	20 ,,
27.	खेरवा से किरवा सड़क	,,	15 ,,
28.	भागेसर से मिमली उर्रा सड़क	ग्रेवल सड़क	50 ,,
29.	जीवन खुर्द से खालदा	मिटी कार्य सडक कार्य	50 ,,
30.	भाण्डा से बागोल	ग्रेवल सड़क	100 ,,
31.	नाडोल से सेमेसर वाया खिवाड़ा	मिट्टी का कार्य	90 ,,
		डामर सड़क	21 ,,
32.	घनला से बागोल वाया खिवाड़ा	मिट्टी का कार्य	100 ,,
33.	बर पाली सिरो सड़क	डामर सड़क	43 ,,
34.	खिवाड़ा से गडाना वाया पांचडिया	ग्रेवल सड़क	95 ,,
35.	खोड़ से रानी	,,	,, ,,
36.	जवाली से परसराम मदेव	डामर सड़क)	3 ,,
37.	तखतगढ़ से कोगरा केनपुरा कासेलाव	सेटल सड़क)	34 ,,
		मेटल सड़क)	5 ,,
38.	धणी से सुमेरपुर	,,	20 ,,
39.	बालेराई से बिठुडा भ्रनोपपुरा वाणोद	,,	5 ,,

1	2	3	4
40.	सादडी से सेवाडी वाया लुनावा	ग्रेवल सढ़क	30 प्रतिशत
41.	मुण्डरा लाडाडा	मेटल सड़क	25 „
42.	चामुन्डेरा से गोतमजी	ग्रेवल सड़क	15 „
43.	डरी से मीनारी	मेटल सड़क	50 „
44.	बिजापुरा से बिसलपुर	„	10 „
45.	नाना से निमाना सड़क	डामर सड़क	45 „
46.	माटुन प्रोटेक्शन कार्य	„ „	70 „
47.	नाना से श्रामलिया	„ „	60 „
48.	बिजापुर से गारिया	„ „	20 „
49.	फालना से खिमेल	„ „	70 „
50.	देसूरी से श्राना	ग्रेवल सड़क	100 „
51.	खिन्दरली से मुण्डारा	मिट्टी का कार्य	100 „
52.	वाणेराव से दुदापुर	„ „	100 „
53.	बिजोवा से नाडोल	„ „	100 „
54.	लासका गुडा से रानी	ग्रेवल रोड़	35 „
55.	सेना से बिजापुर सड़क	„ „	100 „
56.	सुमेरपुर से जवाई बान्ध वाया कोलीवाड़ा	„ „	50 „
57.	मिनाना से दनवडी	डामर का कार्य	25 „
58.	नाणी प्रोडेक्शन कार्य	„	15 „
59.	तखतगढ़ से पादरली	ग्रेवल सड़क	80 „
60.	वलाना से बोया	„ „	65 „
61.	लुनावर से काटेश्वर महादेव	„ „	40 „
62.	वन्डाई से डावर	„ „	100 „
63.	बाढ़ बचाव कार्य रोट	„ „	100 „

1	2	3	4
64.	तख्तगढ़ पावठा	ग्रेवल सड़क	100 प्रतिशत
65.	दुदापुरा से ग्रना वाया काना	,, ,,	100 ,,
66.	सम्पर्क सड़क राणा वाय	डामर सड़क	20 ,,
67.	गुड़िया रेलवे स्टेन से पिपलिया, सड़क 6 कि.,मी.	,,	60 ,,
68.	मेरज सड़क 44 राणा वाया मारवाड़ जक्शन सड़क,—14 कि. मी.	,,	30 ,,
69.	मारवाड़ जंक्शन से दुदोर सड़क–10 कि.मी.	,,	10 ,,
70.	सम्पर्क सड़क रोपडापास सड़क–10 कि.मी.	,,	40 ,,
71.	सम्पर्क सड़क नानणा सड़क–5 कि.मी.	,,	—
72.	सांडिया से बगडी सड़क–8 कि.मी.	,,	15 ,,
73.	पाली सरदार समन्द राजोला सड़क	,,	20 ,,
74.	जेतारण से निम्बोल सड़क	,,	55 ,,
75.	जेतारण से पाटवा सड़क	,,	65 ,,
76.	जेतारण से बलून्दा सड़क	,,	65 ,,
77.	जेतारण से चण्डावत सड़क	,,	60 ,,
78.	लाम्बिया से कुड़की सड़क	,,	60 ,,
79.	देवली से लाटोती वाया पाटवा सड़क	,,	35 ,,
80.	निम्बोल से कालू बाया डिगरना सड़क	,,	50 ,,
81.	जेतारण से निम्बाडा वाया तनकिया	गुरड ,,	100 ,,
82.	केकीन्दरा से काठमोरकी प्याऊ	मुरड सड़क	80 ,,
83.	वर पाली सिरोही सड़क	डामर ,,	25 ,,
84.	सोजत से राजोला सड़क	,, ,,	45 ,,
85.	खेरवा से कामली घाट सड़क	,, ,,	30 ,,

1	2	3	4
86.	सारण से जामुण्डा सड़क	मुरड "	[redacted]
87.	मारवाड़ जंक्शन से बाणा वास वाया सिनला	" "	100 "
88.	बोपारी से विरपटया सड़क	" "	75 "
89.	केमा की बेरी वेलपना	डामर "	35 "
90.	सेन्दडा—कनया बावडी सड़क	काकरीट	50 "
91.	अमरपुरा से सेन्दडा सड़क	डामर	30 "
92.	माण्डासे बागोल सड़क	"	56 "
93.	घनला से बागोल वाया खिवाडा सड़क	"	50 "
94.	रामपुरा से निम्बाडा वाया कुशालपुरा	"	55 "
95.	खिवाडा से गादाणा वाया मादेरिया आम्रा गुडा रामसिंह आगदोस राणावास	"	30 "
96.	घुन्घला मेलावास रोया माली सड़क	मुरड	55 "
97.	बगडी-पीपलाज केलवाज सड़क	मुरड सड़क	55 "
98.	कन्टालिया-सेखावास सड़क	"	100 "
99.	माण्डा निम्बली ठाकुर बास सड़क	"	100 "
100.	गुडिया से कुशालपुरा सड़क	"	50 "
101.	बालाडा से ब्यावर सड़क	"	35 "
102.	बिरान्टिया खुर्द से गिरी सड़क	डामर सड़क	65 "
103.	बर विरान्टि या खुर्द सड़क	"	85 "
104.	रायपुर से जसा ढोडा	"	60 "
105.	सोजतरोड से सरुणा सड़क	"	55 "
106.	सोजतसिटी से वाराखाना सड़क	"	70 "
107.	आडवा से बांता सड़क वाया कराडी	मुरड़ सड़क	90 "
108.	कराडी से बाडसा	"	100 "

1	2	3	4
	ामली से बाता रेलवे स्टेशन	"	100 प्रतिशत
110.	निम्बेडा कोसिंग से पांचेरिया वाया भियालिया	"	100 "
111.	गुडा मोखम सिंह से गुडा केसरसिंह	"	100 "
112.	भेसंणा से दुदोड	"	100 "
113.	रायपुर से दीपा बास	मेटल	65 "
114.	रामपुरा से चण्डावल	मुरड सड़क	100 "
115.	रामपुरा से मोरा करमावास भू0	मुरड सड़क	100 "
116.	देवरिया से लाटोती वाया गरणिया	मुरड सड़क	100 "
117.	रास से कुडकी	"	100 "
118.	काला की चौकी से कनूणा	"	100 "
119.	खेरवा सें खारची	मेटल	100 "
120.	बागावास से जाउन वाया शिवपुरा	डामर	50 "
121.	गजनार से खोडिया	मेटल	65 "
122.	नागा की बेरी से विनावास	मुरड	100 "
123.	धीनावास से सीलावास	"	100 "
124.	सोजतसिटी से मय धारासनी	"	100 "
125.	चण्डावाल रेलवे स्टेशन से करमावास वाया	मंडावा "	100 "
126.	करमावास पट्टा दोर नाडी पिपलिया	मेटल	70 "
127.	खोदिया से धोली मगरी	"	30 "
128,	गणनाई से गाफा	"	शून्य
129.	समेल से बडीपोल	मेटल	25 "
130	छितरिया से भ्रटपडा	मुरड सड़क	

परिशिष्ट 16

परिशिष्ट (क)

अतारांकित प्रश्न संख्या 30 की सूची

हाथ करघा प्रशिक्षण (केवल अनुसूचित जाति)

क्रमांक	नाम जिला	संख्या व्यक्ति जिन्हें प्रशिक्षित किया गया 80–81	81–82	82–83	
1.	जयपुर	38	312	42	
2.	अजमेर		47		
3.	भीलवाड़ा		37	23	
4.	अलवर		16		
5.	जोधपुर		4		
6.	पाली		12		
7.	सवाईमाधोपुर	15	55		
8.	भरतपुर	20	55	14	
9.	सीकर		4		
10.	डूंगरपुर	25	12		
		शेष वर्ष की सूचना उपलब्ध नहीं है ।			
		शीघ्र लिपिक			
1.	जयपुर	—	100	—	100

———

रिशिष्ट ख

अनुसूचित जाति व जनजाति के युवकों की प्रशिक्षण की सूचना (जिलेवार एवं वर्षवार) आई. टी. आई. में जिसमें शीघ्र लि[illegible]क का पाठ्यक्रम भी सम्मिलित है।

क० सं०	जिले का नाम	वर्ष 1978 अनु० जाति	वर्ष 1978 जन जाति	वर्ष 1979 अनु. जाति	वर्ष 1979 जन जाति	वर्ष 1980 अनु. जाति	वर्ष 1980 जन जाति	वर्ष 1981 अनुसूचित जाति साधारण	वर्ष 1981 अनुसूचित जाति विशेष केन्द्रीय सहायता	वर्ष 1981 जन जाति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सिरोही	—	—	—	—	—	—	3	—	2
2	अजमेर	101	2	113	1	90	10	137	48	4
3	अलर	6	7	6	2	8	4	13	53	—
4	बांसवाड़ा	12	19	5	51	2	34	2	—	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	बाड़मेर	—	—	2	—	2	—	3	—	—
6	भरतपुर	20	—	12	—	11	—	22	—	1
7	भीलवाड़ा	18	3	15	3	20	2	34	41	3
8	बीकानेर	—	—	1	—	12	—	23	53	—
9	बून्दी	—	—	6	2	3	1	8	—	—
10	डूंगरपुर	—	—	3	13	—	15	5	—	32
11	जयपुर	39	10	25	3	16	3	38	108	—
12	जोधपुर	34	3	13	4	12	2	32	51	—
13	कोटा	13	—	22	2	29	7	43	53	8
14	नागौर	16	—	3	—	6	—	1	—	—
15	पाली	19	—	—	—	14	1	18	25	—
16	चित्तौड़गढ़	—	—	7	20	—	14	17	—	51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	चूरू	23	3	8	—	5	—	15	—	—
18	सीकर	14	3	8	1	10	1	9	—	—
19	श्रीगंगानगर	4	—	4	—	5	—	10	—	—
20	उदयपुर	26	5	16	20	22	16	45	50	27

....

परिशिष्ट ग

शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों में अनुसूचित जाति/जनजाति की वर्षवार एवं वर्गवार सूचना

क्र. सं.	जिला	1977-78		1978-79		1979-80		1980-81		1981-82	
		अनु. जाति	जन जाति	अनु. जाति	जन जाति	अनु. जाति	जन. जाति	अनु. जाति	जन जाति	अनु. जाति	जन जाति
1.	अलवर	12	4	14	5	10	3	13	7	14	6
2.	भरतपुर	10	8	12	10	15	7	13	11	10	8
3.	जयपुर	39	20	32	12	28	19	30	22	45	18
4.	करौली	10	7	12	6	9	4	7	6	8	4
5.	नागौर	11	3	9	4	7	5	8	2	5	4
6.	कोटा	10	4	7	3	12	2	14	1	12	4
7.	उदयपुर	30	10	28	8	32	4	23	6	[illegible]	5
8.	अजमेर	15	6	20	7	25	4	22	3	8	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	झुंझनू	14	4	12	4	10	6	12	4	10	3
10.	सिरोही	8	2	6	2	8	3	5	2	7	3
11.	बाड़मेर	7	2	6	—	4	—	5	1	5	—
12.	जोधपुर	15	4	18	6	15	6	20	2	15	4
13.	झालावाड़	5	—	6	—	6	2	5	1	6	—
14.	बांसवाड़ा	5	9	2	12	4	10	3	11	2	12
15.	भीलवाड़ा	8	4	10	4	9	4	12	2	9	5
16.	डूंगरपुर	6	8	7	7	6	9	9	10	6	7
17.	जैसलमेर	2	—	2	—	3	1	4	—	4	2
18.	पाली	8	2	10	3	7	2	8	—	8	1
19.	चूरू	6	2	5	3	7	—	6	—	9	1
20.	टौंक	2	—	4	—	3	1	6	—	4	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.	श्रीगंगानगर	8		102	—	7	2	9	1	8	3
22.	बून्दी	1	—	2	1	—	1	2	—	2	—
23.	बीकानेर	12	4	14	5	18	2	10	3	10	1

नोट :—जिन जिलों में शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय हैं, उन्हीं जिलों की सूचना विद्यालयवार दी गई है तथा वर्ष 1982-83 की सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है। वर्ष 1982-83 में 720 अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों के लिए विशेष प्रशिक्षण कोर्स आयोजित किए गए हैं जो 12 विद्यालयों में चल रहे हैं। छात्रों की वर्गवार सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

ह०/

उपनिदेशक (कनिष्ठ)

प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा,

राजस्थान, बीकानेर।

— — —

परिशिष्ट–घ

शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में वर्षवार एवं जिलेवार अनुसूचित जाति अनुसूचितजन जाति

के प्रवेश की सूचना

क्र०सं०	जिला	1977–78	1978–79	1979–80	1980–81	1981–82
1.	बीकानेर	40	42	45	49	49
2.	अजमेर	90	110	110	113	113
3.	उदयपुर	70	75	80	74	84
4.	जोधपुर	40	42	47	55	120
5.	चूरू	25	38	40	60	120
6.	श्रीगंगानगर	85	90	85	80	100
7.	कोटा	45	45	50	55	65
8.	सवाई माधोपुर	20	25	30	28	30

क्र०सं०	जिला	1977–78	1878–79	1979–80	1980–81	1981–82
9.	भीलवाड़ा	18	20	20	25	25
10.	जयपुर	80	100	102	101	105
11.	अलवर	15	25	20	30	30
12.	टौंक	8	15	15	20	20
13.	भरतपुर	30	30	32	35	40
14.	झुंझनू	8	15	15	15	18

नोट—अनुसूचित जाति/जनजाति की अलग अलग सूचना उपलब्ध नहीं है। चूरू एवं जोधपुर जिलों में अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों के लिए विशेष कक्षाएं सत्र 1981-82 से लगाई गई जिनका विवरण संबंधित जिलों में संग्रहित कर दिया गया है। सत्र 1982-83 की सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है।

ह०/

उपनिदेशक (कनिष्ठ)
प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर।

परिशिष्ट 17

अतारांकित प्रश्न संख्या 33 की सूची

सूची श्रमिकान जिन्हें क्षेत्रीय वन अधिकारी शैल्टर बैल्ट प्लान्टेशन द्वारा अक्टूबर, 80 से मार्च, 81 तक डेली वेजेज पर रखा गया।

क्र०सं०	नाम श्रमिक	अवधि जिसके लिए रखा गया
1.	श्री कालू पिता मोरा जी लम्बाना सा. मानपुरा	अक्टूबर, 80 से 15 दिसम्बर, 80 एवं 16 जनवरी से 31 मार्च, 81 तक
2.	श्री लक्ष्मण पिता टमका जी चमार सा. ढलमू	1 अक्टूबर, 80 से 31 मार्च, 81
3.	श्री घनश्याम पिता गंगारामजी सालवी सा. प्रतापगढ़।	1 अक्टूम्बर, 80 से नवम्बर, 80
4.	श्री शान्तिलाल पिता गंगारामजी चमार का टलमू	1 अक्टूम्बर, 80 से मार्च, 81
5.	श्री मुवान पिता साहिबा लबाना सा. मानपुरा।	1 अक्टूम्बर, 80 से मार्च, 81
6.	श्री भैरूलाल पिता गेमूराजी भील सा. बुढपुरा।	1 अक्टूम्बर, 80 से मार्च, 81
7.	श्री जालमसिंह पिता कल्याणसिंह राजपूत सा. जवाली	1 अक्टूम्बर, 80 से फरवरी, 81
8.	श्री प्रभुलाल पिता भेरूलाल पाटीदार सा. कुलमीपुरा	1 अक्टूम्बर, 80 से दिसम्बर, 80
9.	श्री मथुरा पिता मुगवाना मीना सा. छमोतर।	16 नवम्बर, 80 से मार्च, 81 तक

क्र० संख्या	नाम श्रमिक	अवधि जिसके लिए रखा गया
10.	श्री मदन पिता लक्ष्मण सालवी सा. प्रतापगढ़ ।	16 नवम्बर, 80 से दिसम्बर, 80 तक
11.	श्री नारायन पिता गोरा लबाना सा. मानपुरा ।	16 दिसम्बर, 80 से 31 दिसम्बर, 80 तक
12.	श्री रामलाल पिता गोरालबानना सा. मानपुरा ।	1 जनवरी, 81 से 15 जनवरी, 81